



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए



बिहार सरकार
2025 का प्रतिवेदन संख्या-2
(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए

बिहार सरकार
2025 का प्रतिवेदन संख्या-2
(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक)

विषय-सूची

विवरणी	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		VII
विहंगावलोकन		IX
भाग क : राजस्व प्रक्षेत्र		
अध्याय I : सामान्य		
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षिप्त स्थिति	1.3	6
लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	1.4	8
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.5	9
इस प्रतिवेदन का आच्छादन	1.6	9
अध्याय II: वाणिज्य-कर		
कर प्रशासन	2.1	11
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	11
“माल एवं सेवा कर के तहत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	11
“माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी (फेज-II)” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.4	37
अध्याय III : राजस्व एवं भूमि सुधार		
कर प्रशासन	3.1	65
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	65
मुआवजा राशि और ब्याज का कम भुगतान	3.3	65
लगान के पूँजीकृत मूल्य पर उपकर का आरोपण न करना	3.4	67
अध्याय IV : मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस		
कर प्रशासन	4.1	69
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	69
संपत्ति के अल्प मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	4.3(क)	69
लेखपत्र के गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	4.3(ख)	71
भाग ख : राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम		
अध्याय V : राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के क्रियाकलाप		
प्रस्तावना	5.1	73
सरकारी कम्पनियों की परिभाषा	5.2	73
लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.3	73
जवाबदेही ढाँचा	5.4	73

विवरणी	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश	5.5	74
राज्य पी0एस0ई0 में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.6	75
सरकारी कम्पनियों तथा निगमों से प्रतिफल	5.7	76
एस0पी0एस0ई0 का वित्तीय निष्पादन	5.8	78
हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0	5.9	80
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	5.10	81
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.11	81
एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.12	81
सी0ए0जी0 की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	5.13	82
लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया	5.14	83
सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित समिति (कोपू) के प्रतिवेदन का अनुपालन	5.15	83
अध्याय VI : अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन		
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		
संवेदकों को अनुचित लाभ एवं कम्पनी को हानि	6.1	85
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड		
पुल के निर्माण पर निष्फल व्यय	6.2	89

परिशिष्ट सूची

भाग क : राजस्व प्रक्षेत्र			
परिशिष्ट सं०	विवरण	कंडिका सं०	पृष्ठ सं०
2.1	माल एवं सेवा कर रिटर्न का सारांश	2.3.7	93
2.2	मुख्य समस्या क्षेत्र	2.3.8	94
2.3	अपात्र करदाताओं का कंपोजिशन योजना के तहत जारी रहना	2.3.10.1	95
2.4	निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन	2.3.10.2	96
2.5	एकल/समान बीजकों पर अनेक इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन	2.3.10.3	97
2.6	जोखिमपूर्ण वाहनों के माध्यम से किए गए लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली का सृजन	2.3.10.4	98
2.7	शून्य माल एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन	2.3.10.5	99
2.8	माल एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल नहीं करनेवालों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन	2.3.10.6	100
2.9	करदाताओं द्वारा कर देयता का निर्वहन न करना	2.3.10.7	101
2.10	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सत्यापन के दौरान कर और अर्थदण्ड का कम आरोपण	2.3.14.2	102
2.11	निरस्तीकरण में विलम्ब	2.4.6.3	102
2.12	जीएसटीआर-10 के दाखिल न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई	2.4.6.4	103
2.13	विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत न करना	2.4.7.2	104
2.14	केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम	2.4.7.3	108
2.15	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.4.7.3(क)(I)	111
2.16	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर प्रेषण किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना	2.4.7.3(क)(II)	113
2.17	निर्धारित अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर-3बी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ	2.4.7.3(क)(III)	114
2.18	प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ	2.4.7.3(क)(IV)	117
2.19	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट/भुगतान किए गए कर का गलत लाभ उठाना	2.4.7.3(क)(V)	118
2.20	जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.4.7.3(क)(VI)	120

परिशिष्ट सं.	विवरणी	कंडिका सं.	पृष्ठ सं.
2.21	व्ययों पर असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी की तालिका-14टी)	2.4.7.3(क)VII)	120
2.22	अभुक्त कर देयता	2.4.7.3(क) (VIII)	121
2.23	ईलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की तुलना में बेमेल कर योग्य मूल्य	2.4.7.3(क)IX)	123
2.24	जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में असमाशोधित कर देयता	2.4.7.3((क)X)	125
2.25	स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह के माध्यम से पहचाने गए बेमेल कर योग्य मूल्य	2.4.7.3(क) (XI)	126
2.26	बेमेल कर योग्य मूल्य (बिना बिल राजस्व)	2.4.7.3(क) (XII)	127
2.27	जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में असमाशोधित कर योग्य आवर्त	2.4.7.3(क)(XIII)	128
2.28	कंपोजिशन करदाताओं द्वारा ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ	2.4.7.3(क)(XIV)	129
2.29	कंपोजिशन आरोपण का अनियमित रूप से लाभ उठाना	2.4.7.3(क) (XV)	130
2.30	ऐसे मामले जहाँ जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	2.4.7.3(क)(XVI)	131
2.31	विलम्बित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	2.4.7.3(क) (XVII)	134
2.32	करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ	2.4.7.3 (ख))	139
2.33	अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतीकरण	2.4.8 (क))	141
2.34(क)	आपूर्तिकर्ता के विवरण के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का करदाताओं द्वारा प्राप्त बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.4.8.(ख) (I)	146
2.34 (ख)	आपूर्तिकर्ता के विवरण के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का करदाताओं द्वारा प्राप्त बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.4.8 (ख) (1)	149
2.35	वार्षिक रिटर्न में घोषित से जीएसटीआर-3बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेमेल होना	2.4.8 (ख) (I)	150
2.36	निर्धारित अवधि के बाद दायर जीएसटीआर-3बी पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ	2.4.8 (ख) (I)	152
2.37 (क)	प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किए गए भुगतान के बीच विसंगति	2.4.8 (ख) (I)	153
2.37 (ख)	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर का नहीं/कम भुगतान	2.4.8 (ख) (I)	154
2.38	इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम वापसी	2.4.8 (ख) (I)	155
2.39	जीएसटीआर-1 की तुलना में जीएसटीआर-9/3बी में कर देयता की कम स्वीकृति	2.4.8 (ख) (II)	156
2.40 (क)	कर का कम भुगतान	2.4.8 (ख) (II)	158

परिशिष्ट सं.	विवरणी	कंडिका सं.	पृष्ठ सं.
2.40(ख)	कर का कम भुगतान	2.4.8 (ख) (II)	159
2.41	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत देय कर का कम भुगतान	2.4.8 (ख) (II)	160
2.42	बेमेल आवर्त (बिना बिल राजस्व)	2.4.8 (ख) (II)	161
2.43	स्रोत पर कर कटौती की घोषणा के माध्यम से पहचाने गए बेमेल कर योग्य मूल्य	2.4.8 (ख) (II)	162
2.44	करदाताओं द्वारा ब्याज का कम/भुगतान न करना	2.4.8 (ख) (III)	163
3.1	मुआवजा राशि और ब्याज का कम भुगतान	3.3	165
3.2	लगान के पूँजीकृत मूल्य पर उपकर का आरोपण न करना	3.4	166
4.1	सम्पति के अल्प मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	4.3	168
4.2	सम्पति के गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	4.3 (क))	170
4.3	लेखपत्र में भूमि के गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	4.3 (ख))	171
भाग ख : राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम			
परिशिष्ट सं.	विवरणी	संदर्भ	
		कंडिका सं.	पृष्ठ सं.
5.1	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की विवरणी	5.5.1	172
5.2	30 सितम्बर 2023 तक सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	5.5.2	174
5.3	30 सितम्बर 2023 तक संचित हानियों वाले एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	5.9.2	177
5.4	30 सितम्बर 2023 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार बकाया लेखाओं से सम्बन्धित विवरणी	5.11 एवं 5.12.2	179
संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली			183

प्रस्तावना

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, के अंतर्गत राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की प्राप्तियाँ एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में संज्ञान में आये, साथ ही साथ वे मामले जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये किन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2022–23 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

भाग क: राजस्व प्रक्षेत्र

इस भाग में माल एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं "माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित तीन कंडिकाएँ शामिल हैं। इस प्रतिवेदन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

1. सामान्य

वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,72,688.02 करोड़ थीं। इसमें से राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से प्राप्त राजस्व ₹ 48,152.63 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 9,313.75 करोड़ (23.98 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 1,24,535.39 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 72.12 प्रतिशत) था, जिसमें विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 95,509.85 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 55.31 प्रतिशत) और अनुदान-सहायता ₹ 29,025.54 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 16.81 प्रतिशत) शामिल था। वित्त वर्ष 2018-23 के दौरान कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के संबंध में औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 14.29 प्रतिशत और 8.60 प्रतिशत रही।

(कंडिका 1.1)

31 मार्च 2023 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल और यात्रियों पर कर, बिजली पर कर और शुल्क, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, वाहनों पर कर, भू-राजस्व और मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस पर राजस्व बकाया ₹ 4,884.86 करोड़ था, जिसमें से ₹ 1,430.32 करोड़ पांच साल से अधिक समय से बकाया था।

(कंडिका 1.2)

लोक लेखा समिति ने वर्ष 20011-12 से 2020-2021 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 258 चयनित कंडिकाओं में से 12 कंडिकाओं पर चर्चा किया तथा वाणिज्य-कर विभाग, मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित 10 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ दी गई थी। इन कंडिकाओं पर संबंधित विभागों से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं।

(कंडिका 1.3)

2013-14 से 2022-23 की अवधि के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से पता चला कि जून 2023 के अंत तक 1,783 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 18,106 अनुच्छेद लंबित रहे। 2013-14 से 2022-23 तक जारी किए गए ₹ 46,922.73 करोड़ के संभावित राजस्व से संबंधित 1,073 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,356 लेखापरीक्षा अवलोकनों) के लिए कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त किए जाने वाले प्रथम जवाब भी प्राप्त नहीं हुए (जून 2023)।

(कंडिका 1.4.1)

लेखापरीक्षा में 1,764 मामलों में कुल ₹ 4,719.19 करोड़ के राजस्व का अवमूल्यन/कम आरोपण/हानि पाई गई। संबंधित विभागों ने (अप्रैल 2022 और मार्च 2023) 263 मामलों में ₹ 23.09 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिनकी ओर पिछले वर्षों में ध्यान दिलाया गया था। विभागों ने (2022 और मार्च 2023 के बीच) 82 मामलों में ₹ 1.57 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

(कंडिका 1.5)

2. वाणिज्य-कर

माल एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

माल एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह पता लगाने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या (i) इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली सरकार के राजस्व हितों की रक्षा में प्रभावी है और (ii) इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली को लागू करने में विभाग की प्रवर्तन/निवारक गतिविधियाँ कुशल और प्रभावी हैं।

लेखापरीक्षा ने मूलभूत लेखापरीक्षा के लिए प्रमुख समस्या क्षेत्र के आधार पर 10 अंचलों से संबंधित 51 करदाताओं द्वारा तैयार किए गए 160 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का एक नमूना चुना। समस्या क्षेत्रवार टिप्पणियों से कुल ₹ 6.23 करोड़ के कर का भुगतान न किए जाने का पता चला।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

सात अंचलों के नौ करदाताओं से संबंधित ₹ 2.93 करोड़ के मूल्यांकन योग्य मूल्य वाले नौ इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल लेनदेन जोखिम भरे थे, क्योंकि ये लेनदेन दोपहिया, चोरी और कबाड़ वाहनों द्वारा किए गए थे। इन नौ इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से, पाँच इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में ₹ 0.21 करोड़ का कर और ब्याज देय था।

(कंडिका 2.3.10.4)

छः अंचलों से संबंधित नौ करदाताओं ने 2018-19 से 2019-20 के दौरान ₹ 8.17 करोड़ के कर योग्य मूल्य वाली कर योग्य आपूर्तियों के लिए 302 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन किया, लेकिन उन्होंने संबंधित कर अवधि के लिए शून्य जीएसटीआर-1/3बी रिटर्न दाखिल किया था। इन 302 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से, 211 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में ₹ 1.29 करोड़ का कर और ब्याज देय था।

(कंडिका 2.3.10.5)

पाँच अंचलों के छः करदाताओं जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया था, ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान बाह्य आपूर्ति के लिए 457 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए थे। इन 457 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से, 447 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में ₹ 1.51 करोड़ का कर और ब्याज देय था।

(कंडिका 2.3.10.6)

तीन अंचलों से संबंधित पाँच करदाताओं ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान ₹ 34.65 करोड़ की बाह्य आपूर्ति करने के लिए 209 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किये थे, लेकिन उन्होंने अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न में इसकी सूचना नहीं दी और इस प्रकार, अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया। इन मामलों में कर देयता का निर्वहन न करने की राशि ब्याज सहित ₹ 2.82 करोड़ हुई।

(कंडिका 2.3.10.7)

अन्वेषण ब्यूरो के पास इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सत्यापन करने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं थे। उनके पास करदाता के क्षेत्राधिकार वाले अधिकारियों के साथ जाँच के लिए विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन साझा करने की कोई प्रणाली भी नहीं थी।

(कंडिका 2.3.13.2)

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान राज्य में सत्यापित कुल 1,36,062 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से केवल 3,100 मामलों (2.28 प्रतिशत) में ही अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन दर्ज की गई।

(कंडिका 2.3.14.3)

अनुशासार्ँ

1. विभाग इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रणों को शामिल करना सुनिश्चित कर सकता है ताकि:
 - i. अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल बनाने हेतु कंपोजीशन आरोपण योजना के करदाता को रोका जा सके।
 - ii. निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल बनाने में एकल/समान चालान के उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन तथा माल के परिवहन के लिए जोखिम भरे वाहनों के उपयोग को रोका जा सके।
 - iii. उन करदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन की सुविधाओं को अवरुद्ध किया जा सके जिन्होंने निर्धारित अवधि तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
2. विभाग इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सत्यापन और एक ही पैन के साथ एक से अधिक पंजीकरण वाले करदाताओं के रिटर्न की जाँच के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।
3. विभाग करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में कमियों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा तैयार इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों का उपयोग कर सकता है और रिटर्न की जाँच में उपयोग के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ साझा कर सकता है।
4. विभाग आगे की जाँच के लिए दर्ज किए गए मामलों से प्राप्त इनपुट का उपयोग करने और क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारियों को सूचना देने के लिए एक प्रणाली तैयार कर सकता है।
5. विभाग पारगमन में माल के प्रत्येक निरीक्षण के सत्यापन प्रतिवेदन की समय पर दर्ज करने के लिए बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

“माल एवं सेवा कर भुगतान और रिटर्न दाखिलों (फेज-II)” पर विषय विशिष्ट लेखापरीक्षा

माल एवं सेवा कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी का लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ किया गया ताकि यह आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

- (i) क्या करदाताओं द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया जा रहा था और
- (ii) क्या अंचलों की संवीक्षा प्रक्रियाएँ, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

लेखापरीक्षा में ₹ 4,600.90 करोड़ के कर/विसंगतियों से जुड़े 589 मामलों में बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों से विचलन पाया गया, जो आंकड़ों में 671 विसंगतियों/अंतर का 87.78 प्रतिशत है, जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रियाएँ प्रदान कीं। ₹ 690.30 करोड़ से जुड़े 349 मामलों (59.25 प्रतिशत) में, विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया। इनमें से, विभाग ने 41 मामलों में ₹ 11.01 करोड़ की वसूली की सूचना दी। ब्याज का कम भुगतान, बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, गलत आवर्त घोषणा और कर का कम भुगतान जैसे जोखिम मानदंडों में विचलन की दर अपेक्षाकृत अधिक देखी गई।

महत्वपूर्ण मामले नीचे दिए गए हैं:

12 अंचलों में, 32 मामलों में 22 करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 1,167.89 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, जबकि वर्ष 2018-21 के लिए उनके

जीएसटीआर-2ए में केवल ₹ 914.51 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 253.38 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिया गया।

(कंडिका 2.4.7.3 (क)(I))

चार अंचलों के सात मामलों में पाँच करदाताओं ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान किए बिना ₹ 9.50 करोड़ की अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था।

(कंडिका 2.4.7.3 (क)(II))

15 अंचलों के 26 मामलों में 20 करदाताओं ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए, निर्धारित अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी पर ₹ 29.40 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि का लाभ उठाया था।

(कंडिका 2.4.7.3(क)(III))

छः अंचलों के 11 मामलों में, नौ करदाताओं ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए ₹ 1.31 करोड़ का अतिरिक्त इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का लाभ उठाया था।

(कंडिका 2.4.7.4(क)(IV))

पाँच अंचलों के 23 मामलों में, 12 करदाताओं ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 20.29 करोड़ का अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था।

(कंडिका 2.4.7.4(क)(V))

चार अंचलों के छः मामलों में, पाँच करदाताओं ने जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में ₹ 4.69 करोड़, वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावा किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक है।

(कंडिका 2.4.7.4(क)(VI))

वर्ष 2018-19 और 2020-21 के लिए तीन करदाताओं के तीन अंचलों के तीन मामलों में ₹ 12.01 करोड़ का असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट था।

(कंडिका 2.4.7.4(क)(VII))

12 अंचलों के 32 मामलों में 21 करदाताओं ने ₹ 315.55 करोड़ की कर देयता के विरुद्ध ₹ 153.98 करोड़ का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-21 के लिए ₹ 161.57 करोड़ की कर देयता का मिलान नहीं हुआ।

(कंडिका 2.4.7.4(क)(VIII))

16 अंचलों के 28 मामलों में 20 करदाताओं के संबंध में ₹ 501.78 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल कर देयता के विरुद्ध, करदाता ने जीएसटीआर-3बी में केवल ₹ 439.76 करोड़ की कर देयता स्वीकार की, इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-21 के लिए ₹ 62.02 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल कर देयता बेमेल हो गया।

(कंडिका 2.4.7.4(क)(IX))

छः अंचलों में छः करदाताओं के छः मामलों में जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में ₹ 25.13 करोड़ के कर का असमाशोधित भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.4.7.4(क)(X))

सात अंचलों में आठ करदाताओं के 12 मामलों में ₹ 64.91 करोड़ के स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह की कर देयता में विसंगति पाई गई।

(कंडिका 2.4.7.4(क))(XI)

छः अंचलों में सात करदाताओं के 11 मामलों में, जीएसटीआर-9सी की तालिका-5बी और तालिका, 5एच में ₹ 561.31 करोड़ के कर योग्य आवर्त में असंगतता पाई गई।

(कंडिका 2.4.7.4(क))(XII)

तीन अंचलों के अंतर्गत चार मामलों में तीन करदाताओं के लिए, जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में घोषित ₹ 1,090.99 करोड़ का असमाशोधित कर योग्य आवर्त था।

(कंडिका 2.4.7.4(क))(XIII)

14 अंचलों के 34 मामलों में, 23 करदाताओं ने जीएसटीआर-1 दाखिल किया था और जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किए बिना, वर्ष 2018-21 के लिए ₹ 17.53 करोड़ की कर देयता घोषित की।

(कंडिका 2.4.7.4(क))(XVI)

22 अंचलों के 109 मामलों में, 40 करदाताओं के पास वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के लिए ₹ 16.68 करोड़ की राशि के कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान किया था।

(कंडिका 2.4.7.4(क))(XVII)

लेखापरीक्षा में 244 मामलों में ₹ 449.46 करोड़ की अनुपालन कमियाँ पाई गईं। मुख्य कारण गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना, गलत आवर्त घोषणाएँ, कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान करना और कर का कम भुगतान करना था। विभाग ने ₹ 2.02 करोड़ की वसूली की।

15 अंचलों के 54 मामलों में, 25 करदाताओं ने एक से 654 दिनों की विलंब से अपना रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन ₹ 2.01 करोड़ का ब्याज भुगतान नहीं किया गया।

(कंडिका 2.4.8(ख))

अनुशंसाएँ

1. विभाग अंचलों में निगरानी तंत्र को मजबूत कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि निरस्तीकरण, कारण बताओ नोटिस जारी करने और वसूली की प्रक्रियाओं में उचित सावधानी बरती जाए।
2. विभाग उन विसंगतियों और विचलनों का पता लगा सकता है जिनके लिए जवाब नहीं दिए गए हैं और जहाँ भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है। साथ ही, विभाग रिटर्न की नियमित जाँच के दौरान अंतर की पहचान करने में उपयोग किये जाने वाले एल्गोरिदम को उपयुक्त रूप से शामिल कर सकता है।
3. विभाग कर अनुपालन को मजबूत कर सकता है, डेटा की शुद्धता में सुधार कर सकता है, और विचलन और विसंगतियों को कम करने के लिए निगरानी और समीक्षा प्रक्रियाओं को बढ़ा सकता है।
4. विभाग समय वर्जित होने से पहले इस अध्याय में लाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।
5. विभाग नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित कर सकता है और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 की धारा 18(2) और लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 के विनियम 19(6) के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए बारीक अभिलेख प्रदान कर सकता है।

3. राजस्व एवं भूमि सुधार

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की अवहेलना करते हुए, जिला भू-अर्जन कार्यालय, सीतामढ़ी ने सीतामढ़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहीत/अधिग्रहणाधीन भूमि के मुआवजे की गणना के लिए दो के बजाय 1.5 का गुणन कारक लागू किया। इसके परिणामस्वरूप 517 प्रभावित परिवारों को ₹ 8.84 करोड़ का मुआवजा कम भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.3)

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जून 2000 में भूमि के वार्षिक लगान के 145 प्रतिशत की कुल दर से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि उपकरण वसूलने के निर्देश जारी किए। 2018 में, विभाग ने आगे निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में, उपकर 25 वर्षों के देय लगान के आधार पर वसूला जाना चाहिए। हालाँकि, जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उपकर संग्रह में ₹ 1.15 करोड़ की कमी आई।

(कंडिका 3.4)

4. मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस

20 पंजीकरण प्राधिकारी 42 दस्तावेजों में भूमि के अल्प मूल्यांकन का पता नहीं लगा सके, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति/दस्तावेज का अल्प मूल्यांकन हुआ और परिणामस्वरूप ₹ 4.45 करोड़ का मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस का कम आरोपण किया गया।

(कंडिका 4.3 (क))

नवादा के जिला अवर निबंधक ने भूमि की गलत श्रेणी, अर्थात् सड़क से दूर आवासीय (विकासशील) के बजाय विकासशील क्षेत्र लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.80 करोड़ का मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस कम लगाया गया।

(कंडिका 4.3 (ख))

भाग ख : राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस भाग में दो अध्याय हैं, एक अध्याय (अध्याय V) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस0पी0एस0ई0) के क्रियाकलाप से सम्बन्धित है और दूसरे अध्याय (अध्याय VI) में अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकनों पर दो कंडिकाएँ शामिल हैं।

5. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के क्रियाकलाप

यह अध्याय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार के एस0पी0एस0ई0, घाटे में चल रही कम्पनियों सहित, लेखों के बकाया, आदि के वित्तीय प्रदर्शन पर विस्तार से प्रकाश डालता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा एस0पी0एस0ई0 के वर्ष 2022-23 (अथवा उसके पूर्व के वर्षों का जिनका चालू वर्ष के दौरान अंतिमीकरण किया गया है) के लिए वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निर्गत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

(कंडिका 5.1)

31 मार्च 2023 तक, बिहार में 76 राज्य एस0पी0एस0ई0 (तीन वैधानिक निगमों सहित) थे, जिनमें 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 और 39 अकार्यशील/निष्क्रिय एस0पी0एस0ई0 शामिल थे। 2022-23

में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 का योगदान 3.50 प्रतिशत था।

(कंडिका 5.5.1 एवं 5.5.2)

31 मार्च 2023 तक, 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी और दीर्घकालिक ऋण (राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित) के रूप में कुल निवेश ₹ 62,145.24 करोड़ था। इस तरह के निवेश मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 में केंद्रित थे, जिन्हें कुल निवेश का 89.97 प्रतिशत (₹ 55,909.69 करोड़) प्राप्त हुआ।

(कंडिका 5.6)

37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 में से 18 एस0पी0एस0ई0 ने 2022–23 में ₹ 327.20 करोड़ का लाभ कमाया, जो 2021–22 के दौरान इन पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित लाभ (₹ 462.53 करोड़) से 29 प्रतिशत कम था। इनमें मात्र चार एस0पी0एस0ई0 (बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत विकास निगम लिमिटेड) ने ₹ 321.15 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

(कंडिका 5.7.1 एवं 5.7.2)

2022–23 के दौरान 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 में से 13 एस0पी0एस0ई0 को अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार हानि हुआ था। हालाँकि, 13 एस0पी0एस0ई0 को फलित हानि 2021–22 में ₹ 2,759.43 करोड़ से घटकर 2022–23 में ₹ 2,159.69 करोड़ हो गया।

(कंडिका 5.9.1)

31 मार्च 2023 तक, 14 एस0पी0एस0ई0 का संचित हानि ₹ 27,307.96 करोड़ था। मार्च 2023 तक दिए गए नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन 14 एस0पी0एस0ई0 में से 10 की निवल संपत्ति संचित हानि के कारण पूरी तरह समाप्त हो गई थी और उनकी निवल संपत्ति नकारात्मक थी।

(कंडिका 5.9.2)

सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 76 एस0पी0एस0ई0 (तीन वैधानिक निगमों सहित) में से, वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरणी केवल तीन एस0पी0एस0ई0 से प्राप्त हुए थे।

(कंडिका 5.12.2)

अगस्त 2022 से सितम्बर 2023 के दौरान एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय विवरणियों पर जारी महत्वपूर्ण अवलोकनों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 610.36 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 5,863.08 करोड़ था।

(कंडिका 5.13.2)

6. अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धन में गंभीर वित्तीय निहितार्थों वाली कमियों को उजागर करती हैं।

उदासीन दृष्टिकोण के कारण, कम्पनी (बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड) नवीनीकरण की उचित निगरानी नहीं करने के कारण प्रस्तुत बैंक गारंटियों की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकी। इसके परिणामस्वरूप संवेदको को ₹ 94.25 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाया गया, क्योंकि निष्पादन सुरक्षा/सुरक्षा जमा के विरुद्ध प्राप्त बैंक गारंटियाँ

(बी0जी0) जब्त नहीं की जा सकीं। अग्रेतर, संवेदकों को दिए गए ₹ 64.07 लाख के मोबिलाइजेशन अग्रिम और उस पर अर्जित ₹ 33.01 लाख का ब्याज इन मोबिलाइजेशन अग्रिमों के विरुद्ध प्राप्त बी0जी0 जब्त न किए जाने के कारण वसूल नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 97.08 लाख की हानि हुई।

(कंडिका 6.1)

कम्पनी (बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड) ने एक पुल के निर्माण पर ₹ 5.35 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय किया, जो कि अपूर्ण पड़ी हुई है क्योंकि परियोजना नियोजन के दौरान ए0एम0ए0एस0आर0 अधिनियम, 1958, के अनिवार्य अनुपालन की उपेक्षा की गई थी।

(कंडिका 6.2)

भाग क
राजस्व प्रक्षेत्र

अध्याय I
सामान्य

अध्याय I: सामान्य

1.1 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ बिहार सरकार द्वारा उद्ग्रहीत कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व से मिलकर बनती है, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की कुल प्राप्तियों में राज्य को समनुदेशित हिस्सा एवं सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के अवधि के दौरान राज्य के ऐसे राजस्व का विवरण तालिका 1.1 में वर्णित है।

तालिका 1.1
प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व					
	• कर राजस्व	29,408.14	30,157.98	30,341.67	34,854.54	44,017.73
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	27.11	2.55	0.61	14.87	26.29
	• कर-भिन्न राजस्व	4,130.56	3,699.60	6,201.38	3,984.34	4,134.90
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	17.79	(-) 10.43	67.62	(-)35.75	3.78
	कुल	33,538.70	33,857.58	36,543.05	38,838.88	48,152.63
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा	73,603.13	63,406.33	59,861.41	91,352.62	95,509.85 ¹
	• सहायता अनुदान ²	24,651.62	26,968.62	31,763.88	28,605.83	29,025.54 ³
	कुल	98,254.75	90,374.95	91,625.29	1,19,958.45	1,24,535.39
3.	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)	1,31,793.45	1,24,232.53	1,28,168.34	1,58,797.33	1,72,688.02
4.	3 से 1 की प्रतिशतता	25	27	29	24	28
5.	कुल राजस्व प्राप्तियों से कर राजस्व की प्रतिशतता	22	24	24	22	25

(स्रोत : वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,72,688.02 करोड़ थी। इसमें से, राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोत से उद्ग्रहीत राजस्व ₹ 48,152.63 करोड़ था, जिसमें विगत वर्ष से ₹ 9,313.75 करोड़ (23.98 प्रतिशत) की

¹ पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे के विवरणी संख्या-14-लघु शीर्ष-वार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। लघु शीर्ष 901-निवल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के तहत मुख्य शीर्ष-0005 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (₹ 26,989.02 करोड़), 0020-निगम कर (₹ 32,019.47 करोड़), 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 31,262.19 करोड़), 0037-सीमा शुल्क (₹ 3,754.66 करोड़), 0038-संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 1,178.03 करोड़), 0044-सेवा कर (₹ 149.28 करोड़) एवं 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 157.20 करोड़) के अन्तर्गत।


² केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य स्थानांतरण/अनुदान (भारत सरकार से प्राप्त माल एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति भी शामिल है)।

³ माल एवं सेवा कर लागू होने के कारण ₹ 183.66 करोड़ के राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति शामिल है।

वृद्धि थी। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 1,24,535.39 करोड़ था, जिसमें विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 95,509.85 करोड़ और सहायता अनुदान ₹ 29,025.54 करोड़ था।

वित्तीय वर्ष 2018-23 के दौरान कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व का औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 14.29 प्रतिशत एवं 8.60 प्रतिशत थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के राजस्व का ब्यौरा चार्ट 1.1 में दिया गया है:



1.1.2 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर राजस्वों का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2
कर-राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2022-23 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2022-23 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता
		बजट अनुमान वास्तविकी					
1.	राज्य माल एवं सेवा कर	15,000.00 15,288.06	17,812.00 15,800.53	20,800.00 16,050.23	20,621.00 19,264.15	24,721.00 23,242.93	-5.98
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,890.00 6,584.24	7,150.00 6,121.43	5,830.00 6,031.43	6,010.00 6,871.70	7,210.00 9,881.25	37.05
3.	माल एवं यात्रियों पर कर	0.00 398.74	50.00 22.86	20.00 5.68	19.00 (-)0.01	19.00 1.32	-93.05
4.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0.02 1.16	(-) 0.01 14.33	0.00 1.41	0.00 0.03	0.00 0.38	-
5.	राज्य उत्पाद	0.00 (-) 9.63	0.00 (-) 4.14	0.00 (-) 4.42	0.00 (-)1.29	0.00 1.19	-
6.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	4,700.00 4,188.61	4,700.00 4,660.98	4,700.00 4,206.32	5,000.00 5,223.98	5,500.00 6,451.06	17.29

‘राज्य माल एवं सेवा कर’ में वृद्धि का मुख्य कारण कर एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट में अधिक प्राप्ति, ‘राज्य माल एवं सेवा कर’ और ‘एकीकृत माल एवं सेवा कर’ का अन्तर उपयोग और ‘एकीकृत माल एवं सेवा कर’ का संविभाजन था।

विगत वर्ष के तुलना में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस में 23.49 प्रतिशत की वृद्धि थी, जो मुख्य रूप से दस्तावेज पर चिन्ह लगाने एवं दस्तावेज के निबंधन फीस, और मुद्रांक के बिक्री पर कर संग्रह में वृद्धि के कारण था।

1.1.3 कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, अलौह खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर-भिन्न राजस्वों का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3
कर-भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2022-23 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2022-23 की वास्तविकी में वृद्धि (+)या ह्रास (-) की प्रतिशतता
		बजट अनुमान वास्तविकी					
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,600.00 1,560.65	1,600.00 1,572.07	2,450.00 1,708.93	2,450.00 1,766.14	3,000.00 2,729.73	(-)9.01
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	2,187.39 1,371.94	2,293.84 1,416.48	2,080.55 3241.97	2,108.10 722.47	2,218.78 642.03	(-)71.06
3.	पुलिस	46.19 30.41	52.50 96.31	32.00 122.87	32.00 33.77	41.50 48.96	17.98
4.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	20.10 46.80	22.62 137.39	63.79 26.53	114.37 578.12	84.64 301.34	256.03
5.	लाभांश एवं लाभ	3.75 13.67	1.75 1.62	0.25 663.01	0.25 6.54	0.32 1.49	365.63
6.	अन्य कर-भिन्न ⁴ प्राप्तियाँ	588.46 1,107.09	835.76 475.35	612.69 438.07	800.75 877.30	790.38 411.35	-47.96
कुल प्राप्तियाँ		4,130.56	3,699.60	6,201.38	3,984.34	4,134.90	

(स्रोत: वित्त लेखे बिहार सरकार के अनुसार वास्तविक प्राप्तियाँ एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ के विवरणी के अनुसार बजट अनुमान)

खनन विभाग के अन्तर्गत अलौह खनन से राजस्व की वृद्धि विगत वर्ष से ₹ 963.59 करोड़. थी जो राज्य के कर भिन्न राजस्व का सर्वोच्च प्रतिशत हिस्सा (66.02 प्रतिशत) था।

⁴ अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में 2022-23 के दौरान निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ शामिल हैं: सड़क तथा सेतु (₹ -0.35 करोड़), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (₹ 31.60 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 28.14 करोड़), वानिकी तथा वन्य प्राणी (₹ 61.58 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 5.83 करोड़), लोक सेवा आयोग (₹ 67.83 करोड़), अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ (₹ 35.23 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली (₹ 1.85 करोड़), फसल कृषि-कर्म (₹ 5.42 करोड़), बृहत् सिंचाई (₹ 83.00 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹ 0.06 करोड़), श्रम रोजगार (₹ 10.75 करोड़), कारा (₹ 16.49 करोड़), मत्स्य पालन (₹ 18.77 करोड़), विविध सामान्य सेवाएँ (₹ 1.15 करोड़), जलापूर्ति तथा सफाई (₹ 2.70 करोड़), आवास (₹ 4.55 करोड़), शहरी विकास (₹ 3.47 करोड़), सूचना तथा प्रचार (₹ 0.21 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 0.07 करोड़), पशुपालन (₹ 0.59 करोड़), सहकारिता (₹ 6.85 करोड़), भूमि सुधार (₹ -0.05 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 3.20 करोड़), नागर विमानन (₹ 1.43 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 0.19 करोड़), पर्यटन (₹ 2.90 करोड़), ग्राम तथा लघु उद्योग (₹ 0.01 करोड़), उद्योग (₹ 0.41 करोड़), सिविल आपूर्ति (₹ 0.09 करोड़), लोक कार्य (₹ 17.22 करोड़), एवं लेखन सामग्री एवं छपाई (₹ 0.16 करोड़)।

2022-23 में राज्य के कर-भिन्न राजस्व का ब्यौरा चार्ट 1.3: में दिया गया है।



व्यापक भिन्नताओं के कारणों की चर्चा नीचे की गई है:

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग: लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2021-22 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 2022-23 में वास्तविक प्राप्तियों में 55 प्रतिशत की वृद्धि थी, जिसका मुख्य कारण लघुशीर्ष प्रमुख खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रायल्टी में अधिक प्राप्तियाँ थी।

अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2021-22 की वास्तविक प्राप्तियों के तुलना में 2022-23 में वास्तविक प्राप्तियों में 53 प्रतिशत की कमी थी जिसका मुख्य कारण शीर्ष शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत कम प्राप्तियाँ थी।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को बकाया राजस्व ₹ 4,884.86 करोड़ था जिसमें से ₹ 1,430.32 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जिसका ब्यौरा तालिका 1.4 में वर्णित है।

तालिका 1.4
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2023 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	संबंधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बित मामलों की अवस्थाएँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,371.90	1,289.39	₹ 2,371.90 करोड़ में से ₹ 278.69 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 468.32 करोड़ एवं ₹ 166.76 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 5.04 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 7.94 करोड़ को बट्टे खाते में डाला जाना संभावित था एवं ₹ 1,445.15 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2023 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	संबंधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बित मामलों की अवस्थाएँ
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	248.58	103.07	₹ 248.58 करोड़ में से ₹ 0.02 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गए थे, ₹ ₹ 22.36 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 0.08 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी तथा ₹ 226.11 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	0.20	0.20	₹ 19.76 लाख में से ₹ 5.61 लाख के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गए थे, एवं ₹ 14.15 लाख अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	3.25	2.62	₹ 3.25 करोड़ में से ₹ 1.67 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गये थे एवं ₹ 1.58 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
5.	राज्य उत्पाद	54.30	35.04	₹ 54.30 करोड़ में से ₹ 37.47 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 9.50 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों द्वारा रोक लगाई गयी थी, ₹ 0.14 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गयी थी, ₹ 0.39 करोड़ को बट्टे खाते में डाला जाना संभावित था और ₹ 6.80 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
6.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,505.16	381.10	खान एवं भूतत्व विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। कुल माँग ₹ 1,505.16 करोड़ के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे।
7.	वाहनों पर कर	183.39	-	परिवहन विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये के अवस्थाओं को भी नहीं बताया।
8.	भू-राजस्व	302.47	-	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये के अवस्थाओं को भी नहीं बताया।
9.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	215.61	-	मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (निबंधन) विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये के अवस्थाओं को भी नहीं बताया।
कुल		4,884.86	1,430.32	

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त सूचनाएँ)

1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग के अनुदेशों के हस्तक (1998) के अनुसार, विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इसके विधान सभा के समक्ष उपस्थापित होने के दो महीने के अंदर कार्रवाई शुरू करनी है।

लोक लेखा समिति के विचारार्थ सरकार उन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करेगी। फिर भी, राज्य विधान मंडल के समक्ष अगस्त 2013 तथा दिसम्बर 2022 के बीच प्रस्तुत 20011-12 से 2020-2021 तक के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित 337 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (विभागों

के जवाब) अत्यधिक विलंब से समर्पित की गयी थी। जून 2023 तक, विभिन्न विभागों⁵ से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों की विवरणी तालिका 1.5 में वर्णित है।

तालिका 1.5
लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क्र. सं.	को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2012	01.08.2013	38	37	01
2	31 मार्च 2013	21.02.2014	41	39	02
3	31 मार्च 2014	24.12.2014	44	39	05
4	31 मार्च 2015	18.03.2016	39	35	04
5	31 मार्च 2016	27.03.2017	42	25	17
6	31 मार्च 2017	29.11.2018	36	20	16
7	31 मार्च 2018	16.03.2020	28	13	15
8	31 मार्च 2019	29.07.2021	13	08	05
9	31 मार्च 2020	30.03.2022	07	05	02
10	31 मार्च 2021	16.12.2022	49	01	48
कुल			337	222	115

यह देखा गया कि यद्यपि विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये अवलोकनों पर राजस्व की वसूली हेतु कार्रवाई शुरू की, परन्तु लगातार होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए विभागों द्वारा सुधारात्मक उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 20011-12 से 2020-2021 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 258 चयनित कंडिकाओं में से 12 कंडिकाओं पर चर्चा किया तथा वाणिज्य-कर विभाग, मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित 10 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ दी। इन कंडिकाओं पर संबंधित विभागों से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर स्व-व्याख्यात्मक की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों एवं लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कृत कार्रवाई संबंधित विभाग को निर्देशित करने का संबंधित टिप्पणियों को समय पर समर्पित करने हेतु अनुरोध किया था (अप्रैल 2024)। सरकार का जवाब प्रतीक्षित है (जुलाई 2024)।

अनुशंसा 1: राज्य सरकार, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए त्रुटियों और प्रणाली दोषों एवं राजस्व के रिसाव को बंद करने के लिए, कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है, तथा यह भी सुनिश्चित करे कि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सभी विभाग तत्परता से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ तैयार करें।

⁵ वाणिज्य-कर (64 कंडिकाएँ); मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (7 कंडिकाएँ); परिवहन (1 कंडिका) और खनन एवं भूतत्व विभाग (43 कंडिकाएँ)।

1.4 लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.4.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा के समापन पर, लेखापरीक्षा संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करता है, साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई एवं इसके अनुश्रवण हेतु उनके उच्च अधिकारियों को इनकी प्रतियाँ निर्गत की जाती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुख एवं सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। 2013-14 से 2022-23 के दौरान निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में पता चला कि जून 2023 के अंत तक 1,783 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 18,106 कंडिकाएँ लंबित थी। राज्य सरकार के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्णन तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6
विभाग-वार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	मौद्रिक मूल्य
1	वाणिज्य-कर	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर प्रवेश कर विद्युत शुल्क मनोरंजन कर आदि	286	7,431	10,042.86
2	मद्य निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	173	881	215.77
3	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	620	4,863	38,237.13
4	परिवहन	वाहनों पर कर	213	2,094	1,919.27
5	निबंधन	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	293	1,405	1,322.98
6	खान एवं भूतत्व	खनन प्राप्तियाँ	198	1,432	3,291.21
कुल			1,783	18,106	55,029.22

यहाँ तक कि 2013-14 से 2022-23 तक निर्गत किये गये ₹ 46,922.73 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,073 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,356 लेखापरीक्षा अवलोकनों) के प्रथम जवाब जो कार्यालयों के प्रधानों से प्राप्त होने थे, प्राप्त नहीं हुए (जून 2023)। विभागवार विवरण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7
निरीक्षण प्रतिवेदनों जिनके प्रथम जवाब लंबित हैं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य-कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर प्रवेश कर विद्युत शुल्क मनोरंजन कर आदि	134	2,819	5,128.00
2.	मद्य निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	52	317	130.27

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सत्रिहित राशि
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	501	4,086	37,477.28
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	151	1,539	1,715.77
5.	निबंधन	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	134	818	1,137.07
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	101	777	1,334.34
कुल			1,073	10,356	46,922.73

अनुशांसा 2: राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली आरंभ कर सकती है कि विभागीय अधिकारी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन तत्परता से करें, सुधारात्मक कार्रवाई करें तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों का शीघ्र निष्पादन हेतु लेखापरीक्षा के साथ निकटता से कार्य करें।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस, भू-राजस्व एवं खनिज प्राप्तियों से संबंधित राज्य सरकार के छः विभागों के 1,375 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 145 (10.55 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी।

लेखापरीक्षा ने 1,764 मामलों में कुल ₹ 4,719.19 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया, जिसे निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागों को सूचित किया गया था। संबंधित विभागों ने 263 मामलों में ₹ 23.09 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच) जो पूर्ववर्ती वर्ष में इंगित किये गये थे। विभागों ने विगत वर्षों के 82 मामलों में ₹ 1.57 करोड़ का वसूली (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच) प्रतिवेदित की थी।

1.6 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस भाग में तीन कंडिकाएँ, एक “माल एवं सेवा कर से सम्बंधित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा और एक “माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न दाखिले पर विभाग की निगरानी (फ़ेज-II)” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल हैं। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 865.50 करोड़ है।

विभागों ने कुल ₹ 865.00 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया। इन लेखापरीक्षा अवलोकनों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय II से IV में की गयी है।

बताई गई त्रुटियाँ/चूक का आधार नमूना लेखापरीक्षा है। इसलिए, विभाग/सरकार को सभी इकाईयों का यह जाँच करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण करना चाहिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूक अन्य जगह भी मौजूद है, अगर हाँ, तो उसे सुधारने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना चाहिए जो इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सके।

अध्याय II
वाणिज्य-कर

अध्याय II : वाणिज्य-कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य-कर विभाग प्राथमिक रूप से विभिन्न अधिनियमों के तहत कर प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017; बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948; बिहार पेशा कर अधिनियम, 2011; बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005; केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948; बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007; आदि।

शीर्ष स्तर पर, वाणिज्य-कर विभाग का नेतृत्व राज्य कर आयुक्त द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता राज्य कर विशेष आयुक्त, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त और राज्य कर उपायुक्त/राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य को प्रशासन, अपील और लेखापरीक्षा (प्रत्येक नौ प्रमंडल) में विभक्त किया गया है, जैसाकि वे मूल्यवर्द्धित कर अवधि में थे, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक प्रमंडलों को आगे 50 अंचलों में उप-विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर सहायक आयुक्तों की सहायता से राज्य कर संयुक्त आयुक्त/राज्य कर उपायुक्त द्वारा किया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा ने वाणिज्य-कर विभाग के 90 इकाईयों में से 47 के अभिलेखों का नमूना जाँच की, जिसमें 371 मामलों में सन्निहित ₹ 630 करोड़ की अनियमितताएँ पाई गईं जो, निम्न श्रेणिया के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
माल एवं सेवा कर			
1.	करों का आरोपण नहीं एवं कम आरोपण किया जाना	22	7.66
2.	आवर्त का छिपाव	04	1.80
3.	अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुमति दिया जाना	48	112.76
4.	अन्य मामले	297	507.81
कुल		371	630.03

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने 104 मामलों में ₹ 7.67 करोड़ अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 48 मामलों में ₹ 0.60 करोड़ की वसूली की जो कि 2021-22 के दौरान इंगित किए गए थे। पूर्व वर्ष के शेष मामलों एवं 2022-23 में इंगित किए गए मामलों के जवाब अप्राप्त (सितंबर 2024) थे।

2.3 माल एवं सेवा कर के तहत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.3.1 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का परिचय

माल एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 के प्रभाव से लागू किया गया है, जिसमें 'एक राष्ट्र एक कर' के प्रतिमान पर आधारित अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रेणी को शामिल किया गया है। माल एवं सेवा कर व्यवस्था का एक उद्देश्य प्रक्रिया से संबंधित समय की देरी को कम करके वस्तुओं

¹ भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना मध्य, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

और सेवाओं की आवाजाही की दक्षता में सुधार करना था। इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल माल एवं सेवा कर से पहले की व्यवस्थाओं में भी मौजूद थे। जिसमें वस्तुओं की आवाजाही को मैन्युअल रूप से संचालित (राजस्व) चेक पोस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल² को सरकार द्वारा निगरानी वाले कर प्रशासन मॉडल से करदाता द्वारा स्व-रिपोर्टिंग मॉडल में बदलाव के रूप में माना गया है। संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रक्रिया के स्वचालन और मानकीकरण का उद्देश्य कर अपवंचना की जाँच करने और गैर-व्यापार बाधाओं को दूर करने में मदद करना था, ताकि पारगमन का समय कम हो और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार हो।

₹ 50,000 से अधिक मूल्य वाले माल की समस्त अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए 01 अप्रैल 2018 के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल को लागू किया गया था। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य³ से अधिक मूल्य वाले सामानों की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल को अनिवार्य बना दिया गया था। माल की आवाजाही से पहले, माल की जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किया जाना चाहिए, भले ही आवाजाही आपूर्ति से संबंधित हो या आपूर्ति के अलावा अन्य कारणों से। इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधान बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 68 सहपठित बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली 2017 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 138 में निहित हैं।

2.3.2 विभाग का संगठनात्मक ढांचा

बिहार सरकार का वाणिज्य-कर विभाग राज्य के अंतर्गत राज्य प्रशासित करदाताओं के लिए माल एवं सेवा कर लागू करने वाला शीर्ष निकाय है। विभाग का नेतृत्व राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य को नौ प्रशासनिक प्रमंडलों⁴, नौ अपीलीय प्रमंडलों⁵ और नौ अंकेक्षण प्रमंडलों⁶ में विभाजित किया गया है, जैसाकि वे मूल्यवर्द्धित कर अवधि में थे, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा किया जाता है। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को आगे 50 अंचलों में उप-विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर सहायक आयुक्तों की सहायता से राज्य कर संयुक्त आयुक्त/राज्य कर उपायुक्त द्वारा किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है।

² इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल (प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01) माल की आवाजाही के लिए एक आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। ईडब्ल्यूबी के भाग-ए में आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता, आपूर्ति का स्थान, दस्तावेज, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, माल का मूल्य आदि का विवरण होते हैं, जबकि भाग-बी में परिवहन/वाहन के विवरण होते हैं।

³ बिहार में 21 जनवरी 2019 से अंतर-राज्यीय आवागमन का सीमा मूल्य ₹ 1,00,000 है। 01 अप्रैल 2018 से 20 जनवरी 2019 की अवधि के लिए यह ₹ 2,00,000 थी।


⁴ भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना मध्य, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

⁵ भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना मध्य, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

⁶ भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना मध्य, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

चार्ट 1

विभाग का संगठनात्मक ढांचा



(स्रोत: वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार)

इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल (आपूर्ति के लिए प्रभावी) का लेखांकन सामान्य एवं कंपोजीशन करदाताओं⁷ द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-1 रिटर्न⁸ और जीएसटीआर-4/ सीएमपी-08 रिटर्न⁹ के तहत किया जाता है जिनका सत्यापन बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत अंचल अधिकारियों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है।

2.3.3 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियाँ

इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल कॉमन पोर्टल (www.ewaybillgst.gov.in) का प्रबंधन कर्नाटक स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाता है। फरवरी 2020 में, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पोर्टल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वाहन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया था, ताकि इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन के समय वाहन पंजीकरण संख्या की पुष्टि की जा सके। फास्टैग प्रणाली को 01 जनवरी 2021 से इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल कॉमन पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन, विस्तारण, निरस्तीकरण और अस्वीकृति के लिए करदाता का एकबार पंजीकरण आवश्यक है। सक्षम अधिकारी दो तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पोर्टल तक पहुँच सकते हैं: (i) लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके वेब ब्राउजर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल कॉमन पोर्टल पर लॉग इन करके, (ii) माल एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली मोबाइल ऐप में लॉग इन करके। सक्षम अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन करने की सुविधा को अनब्लॉक करना, एमआईएस प्रतिवेदनों को देखना और अनुशीलन करना आदि हैं।

2.3.4 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में शामिल प्रक्रियाएं

इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे पोर्टल में आवश्यक व्यक्तियों का नामांकन, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन, विस्तारण, निरस्तीकरण और सृजित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की अस्वीकृति आदि पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

⁷ कंपोजीशन योजना के अंतर्गत करदाता विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू नियमित माल एवं सेवा कर दरों के बजाय अपने आवर्त के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में माल एवं सेवा कर का भुगतान करते हैं।

⁸ सामान्य करदाताओं द्वारा बाह्य आपूर्तियों से संबंधित मासिक विवरणी दाखिल करना होता है।

⁹ कंपोजीशन करदाताओं द्वारा बाह्य आपूर्तियों से संबंधित त्रैमासिक विवरणी दाखिल करना होता है।

2.3.4.1 पोर्टल में नामांकन

माल एवं सेवा कर में पंजीकृत व्यक्तियों, परिवहकों और अपंजीकृत व्यक्तियों/नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन के लिए जीएसटीआईएन, कानूनी नाम, पैन, मोबाइल नंबर आदि जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पोर्टल में स्वयं नामांकित करना आवश्यक है। अपंजीकृत परिवहक जो अपने ग्राहकों के लिए माल की आवाजाही करते हैं, को इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पोर्टल पर नामांकन करना और 15 अंकों की विशिष्ट परिवहक आईडी प्राप्त करना आवश्यक है।

2.3.4.2 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन

इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग-ए में विवरण प्रस्तुत कर तैयार किया जाता है: के भाग-(ए) में विवरण प्रस्तुत करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया जाता है: (i) प्रेषक द्वारा, या (ii) प्रेषक द्वारा या अधिकृत होने की स्थिति में पारिवाहक, या यदि प्रेषक एक अपंजीकृत व्यक्ति है, या (iii) प्राप्तकर्ता द्वारा एकाधिक प्रेषित मालों के लिए सृजित लेकिन एक ही वाहन में परिवहन किए जाने वाले। कई इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के मामले में समेकित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल को प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02 में सृजित किया जा सकता है।

2.3.4.3 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की वैधता

इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की वैधता दूरी और लदान के प्रकार, परिवहन किए जाने वाले माल पर निर्भर करती है। वैधता की गणना उस तिथि से की जाती है जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन किया गया है (प्रासंगिक तिथि) और वैधता की अवधि, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित होने की तिथि के तुरंत बाद के दिन की मध्यरात्रि तक समाप्त होने वाली अवधि तक मानी जाएगी।

2.3.4.4 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का विस्तारण

वैधता को उन परिस्थितियों में विस्तारित किया जा सकता है, जब माल का वैधता अवधि समाप्त होने के आठ घंटे के अंदर परिवहन नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की वैधता को आयुक्त द्वारा परिषद की सिफारिशों पर, निर्दिष्ट वस्तुओं की कुछ श्रेणियों के लिए अधिसूचना द्वारा भी विस्तार किया जा सकता है।

2.3.4.5 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का निरस्तीकरण

जहाँ बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के तहत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किया गया है, लेकिन माल का वाहित नहीं किया गया है या इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में दिए गए विवरण के अनुसार वाहित नहीं किया गया है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित होने के 24 घंटे के अंदर सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरस्त किया जा सकता है। हालाँकि, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल निरस्त नहीं किया जा सकता है, यदि नियम 113बी के प्रावधानों के अनुसार पारगमन के दौरान इसका सत्यापित किया गया है।

2.3.4.6 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का निराकरण

सृजित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के विवरण को आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा, और प्राप्तकर्ता को वाहित किए जा रहे माल की अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सूचना देना आवश्यक है। यदि प्राप्तकर्ता उक्त सूचना के 72 घंटों के अंदर या माल की आपूर्ति के समय जो भी पहले हो, अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सूचित नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल को स्वीकार किया गया माना जाएगा।

2.3.5 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

“माल एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि:

- (i) इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में प्रभावी है।
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली को लागू करने में विभाग की प्रवर्तन/निवारक गतिविधियां कुशल और प्रभावी हैं।

2.3.6 लेखापरीक्षा का मानदंड

“माल एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली” पर निष्पादन के लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10, 17, 25, 29, 37, 39, 44, 68, 73, 74, 129, 130, आदि;
- बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 59, 60, 61, 62, 80, 138;
- माल एवं सेवा कर परिषद द्वारा अधिकृत और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड/वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र/निर्देश; और
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं वाणिज्य-कर विभाग द्वारा जारी परामर्श/मानक संचालन प्रक्रियाएं।

2.3.7 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति एवं कार्यक्षेत्र

01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 के मध्य इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पोर्टल में पंजीकृत व्यक्तियों के इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल लेन-देन को आच्छादित किया गया। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली के समग्र प्रदर्शन की आलोचनात्मक जाँच किया है। लेखापरीक्षा अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल (सृजित) डेटा को जीएसटीएन से प्राप्त किया गया और उसका विश्लेषण किया गया। इस लेखापरीक्षा के लिए केवल सड़क मार्ग से माल की आवाजाही पर विचार किया गया और रेलवे/वायुमार्ग द्वारा माल की आवाजाही को इस लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था।

लेखापरीक्षा के दायरे में इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संदर्भ में विभाग की निवारक कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल था अर्थात्, वाहनों का अवरोधन, दस्तावेजों का सत्यापन, माल का निरीक्षण और उस पर की गई कार्रवाई।

इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल डेटा और माल एवं सेवा कर रिटर्न डेटा के मध्य विचलनों, विसंगतियों और बेमेल के पहचान के उद्देश्य से जिन माल एवं सेवा कर रिटर्नों पर विचार किया गया है, उन्हें **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

दिनांक 19 अप्रैल 2023 को राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव, बिहार के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यपद्धति पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा मई 2023 और अक्टूबर 2023 के मध्य किए गए थे। 8 अप्रैल 2024 को आयुक्त-सह-सचिव, राज्य कर, बिहार के साथ बहिर्गमन सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान आयुक्त-सह-सचिव, राज्य कर, बिहार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों एवं प्रारूप प्रतिवेदन के लिखित जवाबों को प्रासंगिक कंडिकाओं में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.3.8 लेखापरीक्षा नमूना

एक समस्या केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि माल एवं सेवा कर के तहत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन सीमा से अधिक मूल्य के किसी भी माल की आवाजाही से पहले इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन किया जाना एक आवश्यक शर्त है। **लेखापरीक्षा उद्देश्य-1** के लिए चिन्हित किए गए नमूने, मुख्य समस्या क्षेत्र, जोखिम आयामों के आधार पर विकसित किए गए थे। मुख्य समस्या क्षेत्रों के विवरण जो सरकार के राजस्व प्राप्ति में बाधा डाल सकते हैं, **परिशिष्ट 2.2** में उपलब्ध कराये गए हैं। 51 करदाताओं से संबंधित कुल 160 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल को नमूने के रूप में लिया गया था। नमूनों का चयन भारत-जोखिम दृष्टिकोण के आधार पर किया गया था। इसके अलावा, नौ इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का भी एक नमूना चुना गया था जिसमें से पाँच ऐसे प्राप्तकर्ता शामिल थे, जिन्होंने समान पैन प्राप्तकर्ताओं के साथ लेन-देन किया था और चार प्राप्तकर्ताओं ने समान पैन प्राप्तकर्ता के साथ लेन-देन किया था। जिन मामलों में विसंगतियां पायी गई थीं, वहाँ लेखापरीक्षा का दायरा भी वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक बढ़ा दिया गया था।

इसके अलावा, राज्य सरकार के राजस्व की रक्षा में इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल तंत्र और विभागीय प्रशासन दावों की दक्षता और प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करदाताओं के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल से संबंधित डेटाबेस से छः मुख्य समस्या क्षेत्र (**कंडिका 2.3.11** की **तालिका 2.4** में दिखाया गया है) पर आधारित नमूनों का भी चयन, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली एवं राज्य सरकार के राजस्व की सुरक्षा में विभागीय मशीनरी की दक्षता एवं प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं का मूल्यांकन किया गया जैसे, परिचालन संबंधी तैयारी, कर अपवचना निरोधक उपायों की प्रभावशीलता तथा अंतर्विभागीय एवं अंतर-विभागीय समन्वय। 50 प्रतिशत निवारक इकाइयों यानी पाँच इकाइयों¹⁰, का चयन विभाग द्वारा सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की संख्या के आधार पर स्तरीकृत नमूनाकरण पद्धति द्वारा किया गया था। आगे, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए स्तरीकृत नमूनाकरण पद्धति (उनके द्वारा सत्यापित मामलों के मूल्य राशि के आधार पर) द्वारा चयनित पाँच निवारक इकाइयों से 199 मामलों को नमूने के रूप में लिया गया था। आगे, 10 अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सृजित किए गए ₹ 40 लाख (बिहार के लिए उच्चतम पंजीकरण सीमा) से अधिक मूल्यांकन मूल्यवाले 22 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का भी चयन, विभाग द्वारा अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित माल की आवाजाही की निगरानी तथा उन्हें पंजीकृत करने के लिए की गयी कार्रवाई की पुष्टि एवं सत्यापन के लिए किया गया था।

2.3.9 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का रूझान विश्लेषण

लेखापरीक्षा अवधि (2018-19 से 2021-22) के दौरान, राज्य क्षेत्राधिकार के करदाताओं द्वारा ₹ 2,38,241.40 करोड़ के कुल 93.75 लाख इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए गए थे, जिनमें से ₹ 6,145.63 करोड़ के 1.06 लाख इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल निरस्त किए गए थे। इसके अलावा, 9.40 लाख इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की वैधता विस्तारित की गई थी और 0.01 लाख इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल को प्राप्तकर्ताओं द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन, विस्तारण, निरस्तीकरण और अस्वीकृति के संदर्भ में राज्य में इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के उपयोग की समग्र प्रवृत्ति **तालिका 2.2** में दी गई है और नीचे चित्रमय प्रस्तुतियों में दर्शाई गई है:

¹⁰ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना, अन्वेषण ब्यूरो-मगध, अन्वेषण ब्यूरो-पटना पूर्वी, अन्वेषण ब्यूरो-पूर्णिमा और अन्वेषण ब्यूरो-सारण।

तालिका 2.2
2018-19 से 2021-22 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन		इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का विस्तारण		इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का निरस्तीकरण		इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का अस्वीकृति	
	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की संख्या	राशि	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की संख्या	राशि	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की संख्या	राशि	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की संख्या	राशि
2018-19	15,88,341	44,126.57	13,164	394.78	23,052	1,508.75	530	18.12
2019-20	24,25,085	54,820.85	1,75,218	2,174.57	27,581	1,140.29	411	14.57
2020-21	24,45,018	62,803.40	2,25,105	4,498.89	27,846	2,027.56	223	11.35
2021-22	29,16,850	76,490.58	5,26,499	9,290.81	27,390	1,469.03	317	23.79
कुल	93,75,294	2,38,241.40	9,39,986	16,359.05	1,05,869	6,145.63	1,481	67.83

(स्रोत: जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष**2.3.10 वास्तविक लेखापरीक्षा निष्कर्ष**

लेखापरीक्षा के वास्तविक लेखापरीक्षा करने के लिए लिए मुख्य समस्या क्षेत्रों के आधार पर 10 अंचलों¹¹ से संबंधित 51 करदाताओं द्वारा सृजित किए गए 160 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का नमूना चयन किया गया था। मुख्य समस्या क्षेत्र-वार निष्कर्ष नीचे तालिका 2.3 में दिए गए हैं:

तालिका 2.3
अवलोकनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य समस्या क्षेत्र	करदाताओं की संख्या	सन्निहित राशि
1	कंपोजीशन करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय बाह्य इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन, जिसके परिणामस्वरूप करों का भुगतान नहीं हो पाना	5	0.03
2	निरस्त करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए जाने के कारण करों का भुगतान नहीं हो पाना	3	0.08
3	एकल/समान बीजक पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए जाने के कारण करों का भुगतान नहीं हो पाना	4	0.07
4	जोखिमपूर्ण वाहनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन जिसके परिणामस्वरूप गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट स्थानांतरित किया जाता है	5	0.21
5	माल एवं सेवा कर के शून्य रिटर्न दाखिल करनेवालों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन के परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं हो पाना	7	1.29
6	माल एवं सेवा कर रिटर्नों को दाखिल नहीं करनेवालों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन के परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं हो पाना	4	1.51
7	डीजीएआरएम/अन्य एजेंसियों द्वारा चिन्हित किए गए करदाताओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए जाने के कारण करों का भुगतान नहीं हो पाना	4	1.63
8	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन अमान्य पिन कोड का उपयोग करने से कर का भुगतान नहीं हो पाना	1	0.10
9	समान पैन से लेनदेन	1	1.09
10	रिटर्न दाखिल नहीं करनेवालों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन के कारण अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना	1	0.08
11	रिटर्न में सूचित बीजकों के लिए जावक/आवक आपूर्ति के कारण इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन नहीं हो पाना	3	0.14
	कुल	38	6.23

¹¹ बेगूसराय, दरभंगा, गया, कटिहार, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना, विशेष, पूर्णिया और सासाराम।

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए प्रणालीगत मुद्दों पर प्रत्येक मुख्य समस्या क्षेत्र के अंतर्गत **कंडिका 2.3.10.1 से 2.3.16** तक चर्चा की गई है ताकि सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिशों के साथ पहचाने गए जोखिमों के प्रभाव को उजागर किया जा सके। अनुपालन संबंधी कमियों को कंडिकाओं में दिया गया है और साथ ही विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए मामला-वार विवरण भी दिया गया है। जिन मामलों में प्रणालीगत कमियाँ पाई गई, उन्हें उजागर किया गया है और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपयुक्त सुझाव दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: सरकार के राजस्व हितों की रक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल तंत्र की प्रभावशीलता से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

2.3.10.1 अयोग्य करदाताओं का कंपोजिशन योजना के तहत जारी रहना

छ: अंचलों के नौ कंपोजिट करदाताओं ने 21 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के माध्यम से माल की अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति की। इन 21 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से 17 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में ₹ 2.52 लाख का कर और ब्याज देय था।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10(1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त निर्धारित सीमा¹² से अधिक नहीं हो कंपोजिशन योजना के तहत करों का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10(3) के अनुसार, कंपोजिशन योजना के लिए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा चुना गया विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाएगा, जिस दिन किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त निर्धारित सीमा से अधिक होगा। आगे बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10(2)(सी) में प्रावधान है कि कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह माल की किसी भी अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति करता है।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न रिटर्न की उचित अधिकारियों द्वारा जाँच किया जाना है ताकि रिटर्न की सत्यता को सत्यापित किया जा सके और रिटर्न में दर्शाई गई किसी भी विसंगति या असंगति पर उचित कार्रवाई किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए नामित सक्षम अधिकारी, अंचल अधिकारी हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में कम्पोजिट करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति पर रोक होने के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली कम्पोजिट करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन को नहीं रोक सकी, जैसा कि निम्नलिखित मामलों में देखा गया है।

यह पाया गया कि छ: अंचलों¹³ के कम्पोजिट करदाताओं ने 21 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के माध्यम से वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति की थी। इन 21 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से 17 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल¹⁴ से संबंधित ₹ 2.52 लाख का कर और ब्याज देय था। इन करदाताओं को कंपोजिशन योजना से बाहर लाया जाना आवश्यक था क्योंकि वे अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति किए जाने की प्रभावी करने की तिथि से सामान्य दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है।

¹² कंपोजिशन योजना की पात्रता के लिए प्रति वर्ष आवर्त सीमा 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2019 तक के लिए ₹ 1 करोड़. तथा उसके बाद ₹ 1.5 करोड़. थी।

¹³ दरभंगा, गया, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पूर्णिया और सासाराम।

¹⁴ शेष चार इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में कोई आउटपुट टैक्स प्रभाव नहीं था, यद्यपि इन मामलों में प्रणालीगत कमी मौजूद थी।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि दरभंगा अंचल में एक करदाता को नोटिस जारी किया गया है तथा पाँच अंचलों को विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है।

अनुशंसा 1: अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन के लिए कंपोजिशन आरोपण योजना वाले करदाता को रोकने हेतु इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल किए जाने की आवश्यकता है

2.2.10.2 निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन

माल एवं सेवा कर पंजीकरण निरस्त होने की प्रभावी तारीख के बाद पाँच अंचलों के छः करदाताओं ने 222 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए थे लेकिन उन्होंने अपनी कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया था। इन 222 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से, 169 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में ₹ 8.06 का कर और ब्याज देय।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 63 के अनुसार, जहाँ कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, लेकिन जो कर भुगतान के लिए उत्तरदायी था, तो उचित अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता का आकलन कर सकता है। निरस्त किया गया करदाता इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित नहीं कर सकता है, क्योंकि, वह रिटर्न दाखिल किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट को हस्तांतरित करेगा, जिसका परिणाम करों का भुगतान नहीं होना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पोर्टल ने प्रणाली की कमियों के कारण निरस्त करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित करने दिया, जैसा कि निम्नलिखित मामलों में देखा गया।

यह पाया गया कि पाँच अंचलों¹⁵ के छः करदाताओं ने माल एवं सेवा कर पंजीकरण निरस्त होने की प्रभावी तिथि के बाद 222 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए थे, लेकिन उन्होंने अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया था। इन 222 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से 169 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल¹³ के संबंध में ₹ 8.06 लाख का कर और ब्याज देय था। हालाँकि, विभाग ने उक्त अधिनियम की धारा 63 के तहत कर देयता का आकलन नहीं किया और इस तरह सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में विफल रहा। इनका विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024) पर, विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि पटना दक्षिणी अंचल में संबंधित करदाता को डीआरसी-01 नोटिस जारी किया गया है तथा विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए चार अंचलों को पत्र प्रेषित किए गए हैं। आगे, निरस्त किए गए करदाताओं के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल को अवरुद्ध करने का अनुरोध किया जा रहा है।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

गया अंचल के तहत पंजीकृत एक करदाता ने अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 के दौरान ₹ 2.49 लाख के 164 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए थे, हालाँकि, करदाता के आवेदन पर सक्षम अधिकारी ने 31 मार्च 2018 से उसका पंजीकरण निरस्त कर दी थी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल निरस्त होने की प्रभावी तारीख से नौ महीने तक तैयार किए गए थे।

¹⁵ गया, कटिहार, पाटलिपुत्र, पटना दक्षिणी और सासाराम।

¹⁶ शेष 53 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में कोई आउटपुट टैक्स का प्रभाव नहीं था, यद्यपि इन मामलों में प्रणालीगत कमी मौजूद थी।

अनुशंसा 2: निरस्त करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजित किये जाने से रोकने हेतु इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

2.3.10.3 एकल/समान बीजकों पर अनेक इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन

छ: अंचलो से संबंधित नौ करदाताओं ने एकल बीजक का उपयोग करके माल की आवाजाही के लिए 42 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए थे (कई इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में एकल बीजक संख्या का उल्लेख कर के)। एकल बीजक पर कई इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की संख्या दो से नौ तक थी। इन 42 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से आठ इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में ₹ 7.47 लाख का कर और ब्याज देय था।

बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 46(बी) के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अधिकतम सोलह अक्षरोंवाला एक बीजक जारी किया जाएगा जिसका क्रम संख्या लगातार होगा एवं जो एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय होगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा जारी किए गए उपयोगकर्ता मैनुअल के कंडिका 5-1 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन के समय करदाता को प्रेषित माल से संबंधित विशिष्ट दस्तावेज संख्या दर्ज करनी होगी। बीजक संख्या, आपूर्ति से संबंधित प्रेषित माल के संबंध में विशिष्ट दस्तावेज संख्या है। इसलिए, प्रत्येक बीजक के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल ही सृजित किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सामान्य पोर्टल में सत्यापन नियंत्रण का अभाव था, जो एकल या समान बीजक का उपयोग करके कई इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन को प्रतिबंधित कर सके, जैसा कि निम्नलिखित मामलों में देखा गया है।

यह पाया गया कि छ: अंचलों¹⁷ से संबंधित नौ करदाताओं ने समान बीजक का उपयोग कर माल की आवाजाही के लिए 42 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए थे (कई इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में समान बीजक संख्या का उल्लेख करके)¹⁸। एकल बीजक पर अनेक इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की संख्या दो से लेकर नौ तक थी। इन 42 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से 8 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल¹⁹ के संबंध में ₹ 7.47 लाख का कर और ब्याज देय था। हालाँकि, इसके परिणामस्वरूप कई प्रेषित माल प्राप्त हुईं, लेकिन करदाताओं ने अपने रिटर्न में या तो किसी प्रेषित माल की सूचना नहीं दी या केवल एक प्रेषित माल की सूचना दी, जिसके कारण कर देयता का निर्वहन नहीं/कम हुआ। इनका विवरण परिशिष्ट 2.5 में दिया गया है।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि पटना सिटी पश्चिमी अंचल में संबंधित करदाता को डीआरसी-01 नोटिस जारी किया गया है तथा विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पाँच अंचलों को पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा, इस मुद्दे के संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से अनुरोध किया जा रहा है।

अनुशंसा 3: एकाधिक इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित करने में एकल/समान बीजक के उपयोग को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

¹⁷ गया, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष और पूर्णिया।

¹⁸ उदाहरण के लिए-पटना विशेष अंचल (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZT) में समान बीजक (बीजक संख्या-OS0010001552) पर क्रमशः 30.09.2018 और 19.10.2018 को दो अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल (सं. 671042766874 और 631048041830) सृजित किए गए थे।

¹⁹ शेष 34 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में कोई आउटपुट टैक्स प्रभाव नहीं था, यद्यपि इन मामलों में प्रणालीगत कमियाँ मौजूद थीं।

2.3.10.4 जोखिमपूर्ण वाहनों के माध्यम से किए गए लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली का सृजन

सात अंचलों के नौ करदाताओं से संबंधित ₹ 2.93 करोड़ के मूल्यांकन योग्य मूल्य वाले नौ इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल लेन देन जोखिम भरे थे, क्योंकि ये लेन देन दोपहिया वाहनों, चोरी और कबाड़ हो चुके वाहनों द्वारा किए गए थे। इन नौ इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से, पाँच इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल से संबंधित ₹ 2.21 करोड़ का कर और ब्याज देय था।

बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017, के नियम 138(2) के अनुसार, जहाँ माल को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक प्रेषक के रूप में सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है, चाहे वह उसके अपने वाहन से हो या किराए के वाहन से या सार्वजनिक वाहन से, वह व्यक्ति प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग-बी में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने के बाद सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल तैयार करेगा। जहाँ माल सड़क मार्ग से परिवहन के लिए परिवहक को सौंप दिया जाता है, पंजीकृत व्यक्ति परिवहक से संबंधित जानकारी सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा और प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग-ए में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर परिवहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल तैयार किया जाएगा। ईडब्ल्यूबी-01 के भाग-बी में वाहन संख्या प्रदान करना आवश्यक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, ने इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पोर्टल के साथ वाहन डेटाबेस को एकीकृत किया है तथा फास्टैग के द्वारा वाहनों की आवाजाही को निगरानी किया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, 01 जनवरी 2021 से संबंधित वाहनों की आवाजाही का विवरण (मानचित्र में) भी उपलब्ध कराता है, जिसमें स्रोत और गंतव्य पिन कोड के आधार पर सभी इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन और गंतव्य को दर्शाया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पोर्टल को वाहन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किए जाने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली एम-परिवहन ऐप के अनुसार जोखिमपूर्ण वाहन संख्या का पता नहीं लगा सकी, जिसके कारण जोखिमपूर्ण वाहनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन नहीं रोका जा सका, जैसा कि निम्नलिखित मामलों में पाया गया।

यह पाया गया कि सात अंचलों के नौ करदाताओं से संबंधित ₹ 2.93 करोड़ मूल्यांकन योग्य मूल्य वाले नौ इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल लेन देन जोखिमपूर्ण थे, क्योंकि ये लेन देन दोपहिया, चोरी और कबाड़ हो चुके वाहनों द्वारा किए गए थे। इन नौ इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से पाँच इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल²⁰ से संबंधित ₹ 0.21 करोड़ का कर और ब्याज देय था। इनका विवरण परिशिष्ट 2.6 में दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में उल्लिखित वाहन संख्याओं के (वाहन पोर्टल/ एम-परिवहन ऐप) पर सत्यापन पर यह पाया गया कि वाहन की स्थिति कबाड़, निरस्त पंजीकरण और दोपहिया वाहन के रूप में उल्लिखित थी। नौ इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से दो इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल जनवरी 2021 के बाद सृजित किए गए थे, परंतु वाहनों की आवाजाही को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। हालाँकि, इन करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जीएसटीआर-1 रिटर्न की जाँच से पता चला कि उन्होंने अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न में उक्त लेन देन को प्रतिवेदित किया था तथा इस प्रकार संभवतः ₹ 0.21 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का पारित किया था। यह संभावित विपत्र के व्यापार की ओर भी इशारा करता है।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि पटना सिटी पश्चिमी अंचल द्वारा संबंधित करदाता को डीआरसी-01 नोटिस जारी किया गया है, जबकि तीनों अंचलों को विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है।

²⁰ शेष चार इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में कोई आउटपुट टैक्स प्रभाव नहीं था, यद्यपि इन मामलों में प्रणालीगत कमी मौजूद थी।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

पटना सिटी पश्चिमी अंचल के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता द्वारा 03 जून 2019 को ₹ 2.32 करोड़ मूल्य के माल की अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किया था, जिसका मूल्य ₹ 19.61 लाख था। वाहन पोर्टल/एम-परिवहन ऐप पर उक्त इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में उल्लिखित वाहन संख्या की जाँच करने पर पता चला कि वाहन की श्रेणी दोपहिया थी। हालाँकि, लेन देन को प्रेषक के जीएसटीआर-1 में प्रतिवेदित किया गया था। चूँकि, दोपहिया वाहन से ₹ 2.32 करोड़ मूल्य के माल का परिवहन संभव नहीं था, इसलिए करदाता ने प्राप्तकर्ता को गलत तरीके से ₹ 19.61 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट हस्तांतरित किया था।

अनुशंसा 4: इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन और माल के परिवहन के लिए जोखिमपूर्ण वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

2.3.10.5 शून्य माल एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन

छ: अंचलों से संबंधित नौ करदाताओं ने 2018-19 से 2019-20 के दौरान ₹ 8.17 करोड़ के मूल्यांकन योग्य मूल्य वाली कर योग्य आपूर्तियों के लिए 302 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन किया, लेकिन उन्होंने संबंधित कर अवधि के लिए शून्य जीएसटीआर-1/3बी रिटर्न दाखिल किया। इन 302 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से, 211 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पर ₹ 1.29 करोड़ का कर और ब्याज देय था।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, कंपोजीशन करदाताओं के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करना होगा तथा उस पर कर देयता का भुगतान जीएसटीआर-3बी में करना होगा। जिन करदाताओं ने कंपोजीशन योजना का विकल्प चुना है, उन्हें जीएसटीआर-4/ जीएसटी सीएमपी-08 रिटर्न में कर का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया की इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल और जीएसटीएन पोर्टलों के मध्य समन्वय में कमी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल वाले करदाताओं द्वारा शून्य रिटर्न दाखिल का पता लगाने में असमर्थ था, जिससे करदाताओं द्वारा आवर्त को छिपाने का पता लगाने/रोकने में विफल रहा जैसा कि निम्नलिखित मामलों में देखा गया है।

यह देखा गया कि छ: अंचलों²¹ से संबंधित नौ करदाताओं ने 2018-19 से 2019-20 के दौरान ₹ 8.17 करोड़ के मूल्यांकन योग्य मूल्य वाली कर योग्य आपूर्तियों के लिए 302 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किया था, लेकिन उन्होंने संबंधित कर अवधि के लिए शून्य जीएसटीआर-1/3बी रिटर्न दाखिल किया था। इन 302 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से, 211 इलेक्ट्रॉनिक वे. बिल²² से संबन्धित ₹ 1.29 करोड़ का कर और ब्याज देय था। इनका विवरण परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है।

प्रसंगवश, यह उल्लेख किया जा सकता है कि जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 के मध्य विसंगतियों की गुंजाइश और जीएसटीआर-1 के आधार पर जीएसटीआर-3बी में आपूर्ति के आंकड़ों के स्वतः निर्माण में कमियों को लगातार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-एक/2021, पाँच/2022 एवं सात/2024 के माध्यम से केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के संज्ञान में लाया गया था। वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार, को जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी की प्रतिचित्रण को मजबूत करने तथा दोनों रिटर्न प्रपत्र के मध्य बेमेल को तुरंत चिह्नित करने के लिए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के साथ मामला उठा सकती है।

²¹ बेगूसराय, दरभंगा, पटना सिटी पश्चिमी, पूर्णिया, पटना दक्षिणी और सासाराम।

²² शेष 91 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में कोई आउटपुट टैक्स प्रभाव नहीं था, यद्यपि इन मामलों में प्रणालीगत कमी मौजूद थी।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि दरभंगा अंचल और पटना सिटी पश्चिमी अंचल द्वारा संबंधित करदाताओं को डीआरसी-01 नोटिस जारी किए गए हैं और विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए चारों अंचलों को पत्र प्रेषित किए गए हैं।

2.3.10.6 माल एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल नहीं करनेवालों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन

पाँच अंचलों के छः करदाताओं, जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया, 2018-19 से 2020-21 के दौरान बाह्य आपूर्ति के लिए 457 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए थे। इन 457 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से 447 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल से संबंधित ₹ 1.51 करोड़ का कर और ब्याज देय था।

जनवरी 2019 में यथा संशोधित बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017, के नियम 138ई, किसी पंजीकृत व्यक्ति जिसने निर्धारित अवधि²³ के लिए प्रासंगिक माल एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन के लिए प्रेषक प्राप्तकर्ता परिवाहक, ई-कामर्स संचालक या कोरियर एजेंसी से इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन कार्यक्षमता को अवरुद्ध करने की सुविधा 1 दिसम्बर 2019 से प्रभावी हो गयी है।

लेखापरीक्षा ने 01 दिसंबर 2019 के बाद इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन को रोकने में कमियाँ पाईं, जैसा कि निम्नलिखित मामलों में देखा गया है।

यह पाया गया कि पाँच अंचलों²⁴ के छः करदाताओं, जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया था, बाह्य आपूर्ति के लिए 2018-19 से 2020-21 के दौरान 457 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए थे।

इन 457 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से 447 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में ₹ 1.51 करोड़ का कर देय था²⁵। इनका विवरण परिशिष्ट 2.8 में दिया गया है।

इन छः मामलों में से, पटना दक्षिणी अंचल के तहत पंजीकृत एक करदाता ने बाह्य आपूर्ति के लिए 16 जुलाई 2020 को इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल 01 दिसंबर 2019 के बाद सृजित किया था, जबकि उसने लगातार दो कर अवधि के लिए माल एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल नहीं किया था।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि पटना सिटी पश्चिमी और पटना दक्षिणी अंचल के दो करदाताओं को क्रमशः डीआरसी-01 और डीआरसी-07 नोटिस जारी किए गए हैं और तीन अंचलों को विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पत्र प्रेषित किए गए हैं इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल माल एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल नहीं दाखिल करने वालों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र पोर्टल पर अवरुद्ध करने का अनुरोध किया जा रहा है।

अनुशंसा 5: विभाग, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को मजबूत करने पर विचार कर सकता है, ताकि उन करदाताओं के लिए निर्धारित अवधि इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन सुविधाओं को अवरुद्ध किया जा सके, जिन्होंने निर्धारित अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया थी।

²³ लगातार दो तिमाहियों के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-08 (कंपोजिशन करदाता) और लगातार दो कर अवधियों के लिए जीएसटीआर-3बी (सामान्य करदाता)।

²⁴ बेगूसराय, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पूर्णिया और सासाराम।

²⁵ शेष 10 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के संबंध में कोई आउटपुट टैक्स प्रभाव नहीं था, यद्यपि इन मामलों में प्रणालीगत कमियाँ मौजूद थीं।

2.3.10.7 करदाताओं द्वारा कर देयता का निर्वहन न करना

तीन अंचलों से संबंधित पाँच करदाताओं ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान ₹ 34.65 करोड़ की बाह्य आपूर्ति के लिए 209 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए, लेकिन उन्होंने अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न में इसकी सूचना नहीं दी और इस प्रकार, अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया। इन मामलों में कर देयता का निर्वहन न करने की राशि ब्याज सहित ₹ 2.82 करोड़ हुई।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, कंपोजिशन करदाताओं के अलावे प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करना होगा और जीएसटीआर-3बी में उस पर कर देयता का भुगतान करना होगा। ऐसे करदाता, जिन्होंने कंपोजिशन योजना का विकल्प चुना है, जीएसटीआर-4/जीएसटी सीएमपी-08 रिटर्न में कर का भुगतान करेंगे। बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 31 के अनुसार कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति कर चलान जारी करेगा जिसमें माल का विवरण मात्रा और मूल्य उस पर लगाया गया कर और ऐसे निर्धारित अन्य विवरण दर्शायेगा। बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के नियम 138 में यह प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित करने के लिए, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो प्रेषित माल की आवाजाही करता है, उक्त माल से संबंधित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा। बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कर का भुगतान करने में विफल रहता है या उसका कोई भाग बकाया रह जाता है, उसे ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि तीन अंचलों²⁶ से संबंधित छः करदाताओं ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान बाह्य आपूर्ति के लिए 209 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए थे, लेकिन उन्होंने अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न में ₹ 34.65 करोड़ की बाह्य आपूर्ति की सूचना नहीं दी और इस प्रकार, जैसा कि परिशिष्ट 2.9 में वर्णित है। अपनी कर देयता का निर्वहन न करने पर ब्याज सहित ₹ 2.82 करोड़ की कर देयता बनती है।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए संबंधित अंचलों को पत्र प्रेषित किए गए हैं।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

(i) पटना विशेष अंचल के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता को महाराष्ट्र कर प्राधिकरण और विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) द्वारा जोखिमपूर्ण करदाता के रूप में चिन्हित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने दिसंबर 2018 में अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति के लिए ₹ 51.09 लाख के मूल्यांकन योग्य मूल्य वाले दो इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए। जबकि, करदाता ने संबंधित कर अवधि के लिए अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न में इन लेन-देनों की सूचना नहीं दी थी। इस प्रकार, उसके विरुद्ध ₹ 16.97 लाख कर (ब्याज सहित) के भुगतान की देयता थी।

2.3.10.8 अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जिसका उपयोग उसके व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, या किया जाना है और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी। इसके अलावा बिहार माल एवं सेवा कर नियम 2017 के नियम 60 के साथ पठित अधिनियम की धारा 42 इनपुट

²⁶ बेगूसराय, मुंगेर और पटना विशेष।

टैक्स क्रेडिट के मिलान, उत्क्रमण और पुनः दावा का प्रावधान है। जीएसटीआर-2ए एक खरीद से संबंधित गतिशील कर रिटर्न है, जो स्वचालित रूप से माल एवं सेवा कर पोर्टल द्वारा सृजित होता है। जब कोई आपूर्तिकर्ता अपना जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करता है, तो खरीदार द्वारा भुगतान किए गए कर के बारे में जानकारी उसके जीएसटीआर-2ए में स्वतः भर जाती है। जीएसटीआर-2ए के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता करदाता द्वारा जीएसटीआर-3बी रिटर्न या वार्षिक जीएसटीआर-9 रिटर्न के माध्यम से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से मेल खानी चाहिए। बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) में कहा गया है कि, जो करदाता इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करते हैं, उन्हें दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा, जो 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पटना सिटी पश्चिमी अंचल से संबंधित एक करदाता ने अप्रैल 2018 के जीएसटीआर-3बी रिटर्न के अनुसार ₹ 8.75 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था और इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करके अपनी कर देयता का भुगतान किया था, लेकिन करदाता के जीएसटीआर-2ए में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा ने देखा कि अप्रैल 2018 के महीने में कोई आवक इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल नहीं था। आगे, करदाता ने 2018-19 की अवधि के लिए वार्षिक रिटर्न भी दाखिल नहीं किया था। इस प्रकार, करदाता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करना सही नहीं था तथा अधिनियम की धारा 50(3) के तहत ₹ 8.46 लाख के ब्याज सहित ₹ 8.75 लाख की अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि के वसूली की आवश्यकता है।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि अंचल द्वारा संबंधित करदाता को डीआरसी-01ए नोटिस जारी किया गया है

2.3.10.9 जीएसटीआर-1 में प्रतिवेदित बीजकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन नहीं होना

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 122(1)(xiv) के अनुसार, एक करयोग्य व्यक्ति जो निर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना किसी करयोग्य माल का परिवहन करता है, उसे ₹ 10,000 का जुर्माना या कर की चोरी की राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा। आगे, बिहार माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138(ए) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल एक निर्दिष्ट दस्तावेजों में से एक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो अंचलों के दो करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-1 रिटर्न में प्रतिवेदित की गई बाह्य आपूर्ति के 119 बीजकों के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित नहीं किए थे। इसके अलावा पटना सिटी पश्चिमी अंचल के एक मामले में, जीएसटीआर-2ए में दर्शाई गई आवक आपूर्ति के 19 बीजकों के विरुद्ध कोई इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल नहीं पाया गया था।

इन लेन देन का कुल बीजक मूल्य ₹ 28.86 करोड़ था और इनमें से प्रत्येक बीजक का बीजक मूल्य इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन के लिए निर्धारित सीमा से अधिक था।

चूंकि करदाताओं ने उपर्युक्त आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के बिना की थीं, इसलिए वे ₹ 13.80 लाख (प्रत्येक मामले में ₹ 10,000 की दर से 138 मामलों में) के अर्थदंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि पटना सिटी पश्चिमी अंचल द्वारा दो मामलों में डीआरसी-07 नोटिस जारी किया गया है, जबकि संबंधित अंचल को विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पत्र जारी किया गया है।

2.3.10.10 माल के परिवहन के बिना इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का लेन देन

पटना विशेष अंचल से संबंधित एक करदाता ने अप्रैल 2019 में ₹ 74.30 लाख मूल्य के 61 बीजक का उपयोग करके सामान खरीदा था, जिसमें एक ही पैन वाले प्रेषकों से 37 बीजक के माध्यम

से की गई खरीदारी शामिल थी। हालाँकि, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में उल्लिखित वाहनों का विवरण वाहन पोर्टल/एम-परिवहन ऐप पर नहीं पाया गया। इसके अलावा, करदाता ने इन लेन-देन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था क्योंकि इन विपत्रों का विवरण उक्त अवधि के लिए उसके जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध था।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए संबंधित अंचलों को पत्र किया गया है।

अनुशंसा 6: विभाग इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सत्यापन हेतु तथा एक ही पैन के साथ एक से अधिक पंजीकरण वाले करदाताओं के रिटर्न की जाँच के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

2.2.10.11 करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पर अबरोध को हटाने का अनुरोध पर की गई कार्रवाई

बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 (ई) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति (प्रेषक, माल प्राप्तकर्ता, परिवाहक, ई-कॉमर्स संचालक या कोरियर एजेंसी) को प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग-ए में जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी, जो आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के रूप में, 01 दिसंबर 2019 से लगातार दो कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, आयुक्त, प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-05 में एक पंजीकृत व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर, पर्याप्त कारण बताए जाने और कारणों को लिखित रूप में दर्ज किए जाने पर, जीएसटी ईडब्ल्यूबी-06 में आदेश द्वारा, जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ए में उक्त जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

माल एवं सेवा कर पोर्टल पर उपलब्ध एमआईएस डेटा के अनुसार, राज्य स्तर पर 2020-21 से 2021-22 के दौरान करदाताओं द्वारा कुल 86 अबरोध हटाने का आवेदन दायर किए गए थे, जिनमें से 85 आवेदन 29 मई 2023 तक अबरोध हटाने का आवेदन लंबित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन अंचलों²⁷ के चार करदाताओं ने दिसंबर 2020 में इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन की सुविधा का अबरोध हटाने का आवेदन दायर किया था, लेकिन उनके आवेदन कर अधिकारी के पास लंबित थे। संबंधित अंचलों में आवेदनों के लंबित रहने के कारण उपलब्ध नहीं थे।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए तीन अंचलों को पत्र प्रेषित किए गए हैं।

2.2.11 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के डेटा विश्लेषण में पाया गया अवलोकन (समग्रता लेखापरीक्षा अवलोकन)

इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल से संबंधित केंद्रीय डेटाबेस के विश्लेषण से 49 अंचलों²⁸ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 5,552 करदाताओं (मूल लेखापरीक्षा नमूने को छोड़कर) का जोखिम आधारित एक नमूना चुना गया था। लेखापरीक्षा ने मुख्य समस्या क्षेत्र के आधार पर 2018-19 से 2021-22 के दौरान सृजित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के आंकड़ों का विश्लेषण किया। मुख्य समस्या क्षेत्रों के तहत निकाले गए आंकड़ों को समग्र अवलोकनों के रूप में विभाग को भेजा गया था ताकि उपचारात्मक कार्रवाई पर सारांश प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके। विभाग के साथ साझा की गई समग्रता अवलोकनों का विवरण नीचे तालिका 2.4 में दिया गया है:

²⁷ बेगूसराय (10XXXXXXXXXX1Z8, 10XXXXXXXXXX1Z8), कटिहार (10XXXXXXXXXX1Z3) और पटना दक्षिणी (10XXXXXXXXXX1ZK)

²⁸ औरंगाबाद, बगहा, बाढ़, बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, बेतिया, बिहारशरीफ, बक्सर, दानापुर, दरभंगा, फारबिसगंज, गांधी मैदान, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, जहानाबाद, झंझारपुर, कदमकुआं, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, नवादा, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सासाराम, शाहाबाद, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल और तेघरा।

तालिका 2.4
समग्रता लेखापरीक्षा अवलोकन

क्र. सं.	समग्रता अवलोकन की प्रकृति	करदाताओं की संख्या
1.	कंपोजिशन करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन	190
2.	कंपोजिशन करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन जिन्होंने निर्धारित सीमा पार कर ली थी	1
3.	माल एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल नहीं करनेवालों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन	772
4.	शून्य, माल एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल करनेवालों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन	3,864
5.	निरस्त करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन	38
6.	समान बीजक का उपयोग करके प्रतिरूप इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन	687
कुल		5,552

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अनुशंसा 7: विभाग, करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में कमियों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा सृजित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों का उपयोग कर सकता है तथा उन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार प्राधिकारियों के साथ रिटर्न की संवीक्षा में उपयोग हेतु साझा कर सकता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रावधानों से संबंधित विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता एवं प्रभावशीलता पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

2.3.12 विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियाँ

बिहार माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 से 141 के अनुसार, आयुक्त या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी किसी भी अधिकारी को अंतर-राज्य संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल को सत्यापित करने के लिए किसी भी वाहन को रोकने के लिए अधिकृत कर सकता है। कर अपवंचन की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर आयुक्त या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी भी अधिकारी द्वारा वाहन का भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है।

एक बार किसी वाहन पर परिवहन किए जा रहे माल का भौतिक सत्यापन किसी अन्य राज्य या संघ या संघ राज्य क्षेत्र के अंदर एक स्थान पर पारगमन के दौरान किया गया है, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उक्त वाहन का कोई और भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा, जब तक कि कर चोरी से संबंधित एक विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार ने (मई 2018 से अक्टूबर 2018) परिपत्र जारी किया था। जो पारगमन और हिरासत में माल के निरीक्षण के लिए वाहनों के अवरोधन की प्रक्रिया से संबंधित थे। बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 129 और 130, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल और वाहनों के सत्यापन के संबंध में विभाग द्वारा की जाने वाली निवारक गतिविधियों पर लागू होगी।

दूसरे उद्देश्य के संबंध में, लेखापरीक्षा ने विभाग के निवारक/प्रवर्तन कार्यों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की जाँच की जिसमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया गया है (i) परिचालन संबंधी तैयारियाँ, (ii) कर अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता, तथा (iii) इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल से

संबंधित लेनदेन की निगरानी में अंतर-विभागीय समन्वय। 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान, वाहनों के अवरोधन और इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के चालान वितरण आदि का सत्यापन जैसे निवारक/प्रवर्तन प्रमण्डलीय स्तर पर नौ अन्वेषण ब्यूरो²⁹ द्वारा कार्य किए गए थे। अन्वेषण ब्यूरो का नेतृत्व राज्य कर के संयुक्त आयुक्त करते हैं।

चयनित पाँच अन्वेषण ब्यूरो³⁰ में 2018-19 से 2021-22 की अवधि से संबंधित अभिलेखों पर कई कमियां/खामियां पाई गईं, जिनका विवरण निम्नलिखित कंडिका में दिया गया है:

2.3.13 विभाग की परिचालन संबंधी तैयारी

2.3.13.1 मानवबल की अपर्याप्तता

न्यायिक अधिकारियों³¹ के संबंध में वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान सभी नौ अन्वेषण ब्यूरो³² की स्वीकृत और कार्यरत बल नीचे तालिका 2.5 में दी गई है:

तालिका 2.5

स्वीकृति एवं उपलब्ध मानवबल की संख्या

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तविक बल	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की प्रतिशतता
2018-19	107	36	71	66
2019-20	107	35	72	67
2020-21	107	26	81	76
2021-22	107	23	84	79

(स्रोत: वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि सभी अन्वेषण ब्यूरो में न्यायिक निर्णायक प्राधिकरण के संबंध में रिक्त पद 66 से 79 प्रतिशत के बीच थी।

आगे, 2018-19 से 2021-22 के दौरान चयनित अन्वेषण ब्यूरो में कर्मचारियों की कुल रिक्ति 51 प्रतिशत से 62 प्रतिशत के बीच थी।

मानवबल की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सत्यापन के लिए कार्यकारी संरचनाओं से मानवबल संसाधन को पूरा किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने कहा (अप्रैल 2024) कि मानवबल की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए हैं, जिनके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

2.3.13.2 लक्ष्य और उपलब्धियां

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित पाँच अन्वेषण ब्यूरो से वाहन अवरोधन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उनके विरुद्ध उपलब्धियों का विवरण की मांग की गई। यह पाया गया कि चार अन्वेषण ब्यूरो³³ के पास इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सत्यापन के लिए विशिष्ट लक्ष्य नहीं थे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना से जवाब अप्राप्त था।

इसे इंगित किए जाने पर, (जनवरी 2024) विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (अप्रैल 2024) में कहा कि प्रवर्तन के लक्ष्य मौद्रिक रूप में तय किए गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सत्यापन के लिए विशिष्ट लक्ष्य तय किए जाएंगे।

²⁹ भागलपुर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पूर्णिया, पटना पश्चिमी, सारण और तिरहुत।

³⁰ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो - पटना, मगध, पटना पूर्वी, पूर्णिया और सारण।

³¹ राज्य कर के विशेष आयुक्त, राज्य कर के अपर आयुक्त, राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, राज्य कर के उपायुक्त एवं राज्य कर सहायक आयुक्त।

³² भागलपुर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी पूर्णिया, पटना पश्चिमी, सारण, तिरहुत।

³³ मगध, पटना पूर्वी, पूर्णिया और सारण।

2.3.13.3 प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन/विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय/अन्य संस्थान की प्रतिवेदन का उपयोग

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पर विभिन्न खुफिया एवं विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन सृजित करता है और अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सत्यापन, विश्लेषण और निगरानी से संबंधित उद्देश्यों से संबंधित गतिविधियों का पालन करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों की पहुँच पाँच अन्वेषण ब्यूरो के अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्तों को प्रदान की गई थी। तथापि इन प्रतिवेदनों का उपयोग अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की योजना और सत्यापन के लिए नहीं किया गया था। टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

(1) यह पाया गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों का उपयोग अन्वेषण ब्यूरो में वाहनों को अवरोध करने की योजना बनाने के लिए नहीं किया गया था।

राज्य कर संयुक्त आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी ने बताया (सितंबर 2023) कि परिचालित वाहनों की सत्यता की जाँच की गई थी, जबकि राज्य कर अतिरिक्त आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना ने बताया (जुलाई 2023) कि यह मामला नोडल अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल से संबंधित था। अन्वेषण ब्यूरो मगध, पूर्णिया और सारण के राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने बताया (जून 2023 से अक्टूबर 2023) कि उनके पास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों तक बहुत सीमित पहुँच थी।

(2) तीन अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना, पटना पूर्वी और पूर्णिया) ने विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों को करदाताओं के रिटर्न की संवीक्षा के समय उपयोग हेतु संबंधित क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ साझा नहीं की थी। राज्य कर संयुक्त आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो मगध और सारण ने बताया (जून 2023 से सितंबर 2023 तक) कि उनके पास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों तक उनकी पहुँच बहुत सीमित थी।

हालाँकि, विभाग ने कहा (अप्रैल 2024) कि मुख्यालय स्तर पर डेटा विश्लेषणात्मक स्कंध और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अधिकारियों के 48 अधिकारियों को डेटा विश्लेषणात्मक कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पोर्टल पा व्यापक विश्लेषण तक पहुँच प्रदान की गई है राज्य कर संयुक्त आयुक्त आवश्यक डेटा प्राप्त करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।

(3) तीन अन्वेषण ब्यूरो (मगध, पूर्णिया और सारण) ने बताया कि विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय/अन्य एजेंसियों से विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे। राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी ने कहा (सितंबर 2023) कि किसी भी तरह के विश्लेषण के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पोर्टल की जाँच की जाती है। हालाँकि, विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन की जाँच कितनी बार की जाती है और उन पर क्या कार्रवाई की जाती है, इसके बारे में जवाब में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये प्रतिवेदन अलग से माँग की गई थी और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना से अभी भी (अक्टूबर 2023) प्रतीक्षित है।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय की प्रतिवेदन, विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं। मुख्यालय स्तर पर, करदाताओं के लेन-देन की नियमित रूप से जाँच की जाती है और संबंधित जानकारी माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत जाँच/न्यायनिर्णय/प्रवर्तन के लिए संबंधित अंचलों के साथ साझा की जाती है।

विभाग को माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत जाँच और प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय की प्रतिवेदनों/अन्य संस्थानों विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों की नियमित पहुँच और उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

2.3.13.4 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल से संबंधित लेन-देन की निगरानी में अंतर-विभागीय समन्वय

इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सीधा संबंध माल की आवाजाही से है और निवारक इकाइयों को इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन कार्य सौंपे गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार की थी और निवारक इकाइयों से संबंधित प्रवर्तन कार्यों को सौंपा गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार की थी, और निवारक स्कंधों की राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र पोर्टल के माध्यम से उन प्रतिवेदन तक पहुँच है। इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल लेनदेन पर कर देयता करदाताओं द्वारा आवधिक रिटर्न के माध्यम से निर्वहन की जाती है और रिटर्न तथा मूल्यांकनों की जाँच के लिए अंचल अधिकारी उचित अधिकारी है, लेखापरीक्षा का उद्देश्य निवारक इकाइयों द्वारा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों के उपयोग की प्रभावशीलता और विभाग में किस हद तक अंतर-विभागीय समन्वय मौजूद है, का पता लगाना था। निष्कर्षों पर निम्नलिखित कड़िकाओं में चर्चा की गई है।

2.3.13.4(I) अवरुद्ध क्रेडिट पर जानकारी साझा करना

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 के अनुसार, जब भी वाहनों की अवरोधन के दौरान विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो कर और आरोपण (31 दिसंबर 2021³⁴)। तक बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के संदर्भ में इनपुट टैक्स क्रेडिट बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 के प्रावधानों के तहत भुगतान किए गए किसी भी कर पर उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार, जब भी बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 के तहत कोई कर एकत्र किया जाता था, तो प्राप्तकर्ताओं तथा संबंधित सक्षम अधिकारी को चेतावनी संदेश भेजने के लिए जीएसटीएन में एक तंत्र होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार अन्वेषण ब्यूरो³⁵ से संबंधित 79 मामलों में, अप्रैल 2018 से दिसंबर 2021 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सत्यापन के लिए वाहनों को अवरोधन के दौरान अधिनियम की धारा 129 के तहत कर के रूप में ₹ 88.41 लाख एकत्र किए गए थे। तथापि, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ सत्यापन के संबंधित अन्वेषण ब्यूरो के उचित सक्षम अधिकारियों द्वारा वाहनों को अवरोधन और कर लगाने संबंधी सूचना क्षेत्राधिकार वाले माल एवं सेवा कर प्राधिकारियों के साथ साझा नहीं की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि पटना पूर्वी सारण और मगध प्रमंडल के अन्वेषण ब्यूरो कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना के संबंध में अलग से कार्रवाई की जा रही है।

2.3.13.4(II) अपंजीकृत करदाताओं द्वारा माल की आवाजाही की निगरानी

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता जिसका एक वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के लिए ₹ 20 लाख और वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के लिए ₹ 40 लाख से अधिक है, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा। बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 16 के अनुसार, जहाँ बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत किसी भी सर्वेक्षण, पूछताछ, निरीक्षण, खोज या किसी अन्य कार्यवाही के अनुसरण में, सक्षम अधिकारी यह पाता है कि बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा है ऐसा अधिकारी अस्थायी आधार पर उक्त व्यक्ति को पंजीकृत कर सकता है और प्रपत्र जीएसटी आरईजी-12 में आदेश जारी कर सकता है।

³⁴ 01 जनवरी 2022 के प्रभाव से देय कर के केवल 200 प्रतिशत के बराबर जुर्माना लगाया जाना था।

³⁵ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना (23 मामले), मगध (8 मामले), पटना पूर्वी (28 मामले) और सारण (20 मामले)।

लेखापरीक्षा ने डेटा विश्लेषण के माध्यम से देखा कि राज्य में गैर पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से 22 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए गए थे। जिनका मूल्यांकन योग्य मूल्य वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि में ₹ 27.89 करोड़ था। इनमें से प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का मूल्यांकन मूल्य ₹ 40 लाख से अधिक था। इन इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के आंकड़ों जाँच के लिए विभाग (जून 2023) को भेजा गया था और अपंजीकृत व्यक्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए विभाग को आवश्यक कार्रवाई करनी थी।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने कहा (अप्रैल 2024) कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

2.3.13.4(III) माल की गैर-संचालन की निगरानी

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा तैयार की गई विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों में से एक वाहन की संचालन न होने पर प्रतिवेदन है, जिस पर महत्वपूर्ण वस्तुओं³⁶ के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किए गए थे (बी-1 प्रतिवेदन) अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ऐसी सूचना विवरणियों की संवीक्षा में उपयोग के लिए क्षेत्राधिकारवाले अंचल कार्यालयों के साथ साझा नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो अन्वेषण ब्यूरो³⁷ के अधिकार क्षेत्र में नौ करदाताओं ने 2021-22 के दौरान ₹ 6.47 करोड़ के मूल्यांकन मूल्य वाली वाह्य आपूर्ति के लिए 44 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किया था, जिसके खिलाफ वाहन की संचालन दर्ज नहीं की गई थी (बी-1 प्रतिवेदन के अनुसार)। लेखापरीक्षा ने संबंधित इन इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में उल्लिखित बीजकों का सत्यापन किया और पाया कि आठ करदाताओं से संबन्धित सभी बीजक जीएसटीआर-1 रिटर्न में प्रतिवेदित की गई थी।

चूंकि, करदाताओं ने अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न में इन चालानों की सूचना दी थी, इससे माल के प्रेषकों/प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर-2ए रिटर्न में स्वतः ही प्रविष्ट हो गया होगा। इस प्रकार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की बी-1 प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए, नीचे तालिका 2.6 में दिए गए ₹ 0.53 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट हस्तांतरित करने की संभावना थी:

तालिका 2.6

माल की संचालन के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

अन्वेषण ब्यूरो	करदाताओं की संख्या	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की संख्या	मूल्यांकन योग्य मूल्य	कर की राशि	हस्तांतरित की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि
पटना पूर्वी	5	19	2.36	0.27	0.27
सारण	4	25	4.11	0.60	0.26
कुल	9	44	6.47	0.87	0.53

(स्रोत: इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल और माल एवं सेवा कर कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध डेटा/सूचना)

एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि बाह्य आपूर्ति का बीजक-वार विवरण की अनुपलब्धता के कारण इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में उल्लिखित बीजकों को जीएसटीआर-1 रिटर्न में शामिल किए गए थे या नहीं।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी और सारण प्रमंडल को विधि के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

³⁶ बिस्कुट, कोयला, खाद्य तेल, बिजली, जूता, लोहा और इस्पात, कपड़ा और तंबाकू।

³⁷ पटना पूर्वी (19 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल, मूल्यांकन योग्य मूल्य- ₹ 2.36 करोड़) और सारण (25 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल, मूल्यांकन योग्य मूल्य- ₹ 4.11 करोड़)।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

सिवान अंचल (सारण अन्वेषण ब्यूरो के तहत) के तहत पंजीकृत एक करदाता ने (2021-22) में अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिए दो इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल और माल की अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति के लिए पाँच इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल ₹ 1.19 करोड़ के मूल्यांकन योग्य मूल्य के लिए सृजित किए थे। लेकिन, बी-1 प्रतिवेदन के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में उल्लिखित वाहनों की कोई आवाजाही नहीं थी। चूंकि, किसी वाहन का संचालन नहीं था, इसलिए जीएसटीआर-1 रिटर्न में विपत्रों को प्रतिवेदित करके ₹ 21.49 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट हस्तांतरित करने की संभावना थी।

अनुशंसा 8: विभाग, दर्ज मामलों से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करने के लिए एक प्रणाली तैयार कर सकती है और प्रासंगिक जानकारी को क्षेत्राधिकार वाले अधिकारियों को अग्रेषण कर सकता है।

2.3.14 कर अपवंचन विरोधी उपायों की प्रभावशीलता

2.3.14.1 वाहनों की अवरोधन हेतु दिशानिर्देश

विभाग ने मई 2018 और अक्टूबर 2018 में दो दिशानिर्देश³⁸ जारी किए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल पारगमन और सत्यापन में माल के निरीक्षण के लिए वाहनों को अवरोधन की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया था। दिशानिर्देशों के अनुसार, जब किसी वाहन को अवरोध किया जाता है, तो सक्षम अधिकारी प्रपत्र जीएसटी एमओवी-01 में वाहन के प्रभारी व्यक्ति का बयान दर्ज करेगा और प्रपत्र जीएसटी एमओवी-02 में भौतिक सत्यापन के लिए आदेश जारी करेगा। सक्षम अधिकारी, प्रपत्र जीएसटी एमओवी-02 जारी होने के 24 घंटे के अंदर पोर्टल पर प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग-ए में प्रतिवेदन अपलोड करेगा। सक्षम अधिकारी प्रपत्र जीएसटी एमओवी-04 में भौतिक सत्यापन/निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा और भौतिक सत्यापन के तीन दिनों के अंदर पोर्टल पर प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग-बी में अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन दर्ज करेगा और तैयार करेगा और प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग-बी में अंतिम निरीक्षण अभिलेखबद्ध जारी करेगा।

यदि निरीक्षण में कोई विसंगति नहीं पाई जाती है, तो प्रपत्र जीएसटी एमओवी-05 में विमुक्ति आदेश जारी किया जाएगा और वाहन को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि माल और वाहन को बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 के तहत हिरासत में लेने की आवश्यकता है, तो सक्षम अधिकारी प्रपत्र जीएसटी एमओवी-06 आदेश जारी करेगा और प्रपत्र जीएसटी एमओवी-07 में सूचना देगा। बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129(1) के तहत देय कर और अर्थदंड निर्दिष्ट करते हुए प्रपत्र जीएसटी एमओवी-09 में माँग सूचना देगा। जहाँ प्रस्तावित कर और अर्थदंड प्रपत्र जीएसटी एमओवी-6 जारी करने की तारीख से सात दिनों के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 130 के तहत माल और वाहन को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का कितना पालन किया गया है। इसके लिए, नमूना जाँच की गई, एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित 199 दर्ज मामलों को जाँच के लिए चयन किया गया और 50 मामलों में पाए गए विचलन नीचे तालिका 2.7 में दिए गए हैं:

³⁸ (I) परिपत्र संख्या- बिक्री-कर/विविध-28/2018/1360; दिनांक-18 मई 2018।

(II) परिपत्र संख्या- बिक्री-कर/विविध-28/2018/3030; दिनांक-18 अक्टूबर 2018।

तालिका 2.7
वाहनों के अवरोधन में पाई गई कमियां

सत्यापित मामलों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें कमी पायी गई	पाई गई कमियों का विवरण	अन्वेषण ब्यूरो जिसमें कमी पायी गई
1	2	3	4
159	47	जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 (भाग-ख) में अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन दर्ज करने में 2 से 18 दिनों की विलंब	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना और पटना पूर्वी
40	3	इलेक्ट्रॉनिक खाता बही में देयताओं के निर्धारण में 10 से 14 दिनों की विलंब	मगध

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि पटना पूर्वी और मगध प्रमंडल के अन्वेषण ब्यूरो को विधि के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना के संबंध में अलग से कार्रवाई की जा रही है।

उदाहरणात्मक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(I) अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी के सक्षम अधिकारी द्वारा एक वाहन का अवरोधन किया गया (24 दिसंबर 2020) और वाहन का भौतिक निरीक्षण 28 दिसंबर 2020 को किया गया। लेकिन प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग-बी में अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन भौतिक सत्यापन के तीन दिनों के अंदर दर्ज करने की बजाय 27 जून 2022 को दर्ज की गई थी। इस प्रकार, अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन 18 महीने से अधिक की देरी से अभिलेखबद्ध की गई।

(II) अन्वेषण ब्यूरो, मगध के सक्षम अधिकारी द्वारा 24 फरवरी 2021 को एक वाहन का अवरोधन किया गया और ₹ 1.52 लाख के लिए प्रपत्र जीएसटी एमओवी-09 में कर और अर्थदण्ड की माँग का आदेश जारी किया गया (03 मार्च 2021)। जिसमें प्रभारी व्यक्ति को सात दिनों के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और ₹ 1.52 लाख की देयता 04 मार्च 2021 को उसके इलेक्ट्रॉनिक देयता पंजी बनाई गई थी। यह देखा गया कि प्रभारी व्यक्ति ने 19 अप्रैल 2021 को माँग की राशि जमा कर दिया था और उसी दिन उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इसे क्रेडिट कर दिया गया था। हालाँकि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा के होने के 14 दिनों के बाद देयता को 03 मई 2021 को समायोजित कर दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट की उपलब्धता को कर देयता के भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है जब तक कि इसे कर देयता के निर्वहन के लिए डेबिट नहीं किया जाता है, अतः ₹ 1.52 लाख सरकारी खाते से बाहर रहे।

2.3.14.2 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सत्यापन के दौरान कर और अर्थदंड का कम आरोपण

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129(1) के अनुसार, जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी माल का परिवहन करता है, ऐसे सभी माल और वाहन, जो उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और ऐसे माल और वाहन से संबंधित दस्तावेज हिरासत या जब्ती के लिए उत्तरदायी होंगे और हिरासत या जब्ती के बाद जारी किए जाएंगे (क) लागू कर और जुर्माने का भुगतान पर, ऐसे माल पर देय कर का सौ प्रतिशत के बराबर जहाँ माल का स्वामी इस तरह के कर और अर्थदंड का भुगतान के लिए आगे आता है। (ख) लागू कर के भुगतान पर और माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर जुर्माना या ऐसे माल पर देय कर का 200 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जहाँ माल का स्वामी ऐसे कर और दंड का भुगतान करने के लिए आगे नहीं आता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन अन्वेषण ब्यूरो³⁹ के चार मामलों में, वाहनों के अवरोधन के दौरान लगाए जाने वाले कर और अर्थदंड का निर्धारण करते समय भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन (प्रपत्र एमओवी-4) में उल्लिखित माल की अधिक मात्रा को सक्षम अधिकारियों द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट 2.10** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 1.79 लाख की कर का कम आरोपण हुआ है।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि सारण और पूर्णिया प्रमंडल के अन्वेषण ब्यूरो, को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना के संबंध में अलग से कार्रवाई की जा रही है।

2.3.14.3 पारगमन में माल के अवरोधन पर अंतिम प्रतिवेदन दर्ज न करना

बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138सी(1) के तहत पारगमन में माल के प्रत्येक निरीक्षण की सारांश प्रतिवेदन निरीक्षण के 24 घंटे के अंदर प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग-ए में सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग-बी में अंतिम प्रतिवेदन, इस तरह के निरीक्षण के तीन दिनों के अंदर दर्ज की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान राज्य में सत्यापित कुल 1,36,062 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से, प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग-बी में अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन केवल 3,100 मामलों (2.28 प्रतिशत) में दर्ज की गई थी। इसके अलावा, पाँच अन्वेषण ब्यूरो की जाँच में, यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के निरीक्षण के लिए कुल 3,173 वाहनों को अवरुद्ध गया था, जिनमें से केवल 1,127 मामलों (36 प्रतिशत) में ईडब्ल्यूबी-03 के भाग-बी में सत्यापन प्रतिवेदन दर्ज किया गया था जैसा कि नीचे **तालिका 2.8** दर्शाया गया है:

तालिका 2.8
अवरोधित मामलों में अंतिम प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अन्वेषण ब्यूरो	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के निरीक्षण के लिए अवरुद्ध वाहनों की संख्या	प्रपत्र ईडब्ल्यूबी-3 में प्रस्तुत सत्यापन प्रतिवेदनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना	695	255	8.60
2.	मगध	1,259	232	3.37
3.	पूर्णिया	245	243	6.80
4.	पटना पूर्वी	197	197	6.12
5.	सारण	777	200	6.57
	कुल	3,173	1,127	31.46

(स्रोत: वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

इसके अलावा चयनित अन्वेषण ब्यूरो में अवरुद्ध किए गए मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 47 मामलों में⁴⁰ अंतिम प्रतिवेदन दो दिनों से लेकर 18 महीने की बिलम्ब से अभिलेखबद्ध की गई थी। इसका कारण अभिलेख में अभिलेखबद्ध नहीं किया गया है।

सत्यापन प्रतिवेदन दर्ज न करने से यह संकेत मिलता है कि पारगमन में माल को अवरोधन पर निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया तथा उच्च अधिकारियों ने इसकी निगरानी नहीं की।

³⁹ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना, सारण और पूर्णिया।

⁴⁰ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना-13 मामले और पटना पूर्वी-34 मामले।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने बताया (अप्रैल 2024) कि पटना पूर्वी, सारण, मगध और पूर्णिया प्रमंडल के अन्वेषण ब्यूरो को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-पटना के संबंध में अलग से कार्रवाई की जा रही है।

अनुशंसा 9: विभाग, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है, ताकि पारगमन में माल के प्रत्येक निरीक्षण की सत्यापन प्रतिवेदन को समय पर अभिलेखबद्ध किया जा सके।

2.3.15. निष्कर्ष

मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल और माल एवं सेवा कर पोर्टलों को आपस में जोड़ने संबंधित व्यापक प्रणालीगत कमियाँ हैं। जिनका पता प्रणाली द्वारा नहीं लगाया जा सका। इन कमियों के कारण अपात्र करदाता का कंपोजिशन योजना के तहत जारी रखने की अनुमति दी, निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन, एक ही विपत्र पर कई इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, जोखिमपूर्ण वाहनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे बिल; रिटर्न दाखिल न करने वालों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल और अंतर राज्यीय बाह्य आपूर्ति के लिए कंपोजिशन करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल आदि।

प्रणालीगत कमियों के अलावा, मूलभूत लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप कर देयता का निर्वहन न करने (29 मामले); इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना (एक मामला), इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से पारित होना (पाँच मामले) और इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन न होना (तीन मामले) का पता चला, जिसमें ₹ 6.23 करोड़ का संभावित कर प्रभाव पड़ा इसके अलावा, 5,552 मामलों में, इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल डेटा विश्लेषण के माध्यम से, कंपोजिशन/निरस्त करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन, माल एवं सेवा कर रिटर्न न भरने/शून्य रिटर्न भरने वालों और एक ही विपत्रों का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन से संबंधित कमियों का भी केन्द्रित रूप से पता लगाया गया।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा के दौरान राजस्व पर प्रभाव डालने वाली कमजोरियों/विचलनों का पता चला। इस तथ्य के बावजूद कि प्रणाली का वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन की निगरानी के लिए रूपरेखा तैयार किया गया था।

निवारक तंत्र के संबंध में, सभी अन्वेषण ब्यूरो में मानवबल की अत्यंत कमी थी और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के संबंध में रिक्त पद 66 से 79 प्रतिशत के बीच थी। अन्वेषण ब्यूरो के पास इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सत्यापन के लिए विशिष्ट लक्ष्य नहीं थे। उनके पास जाँच के लिए करदाता के क्षेत्राधिकार वाले अधिकारियों के साथ विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों को साझा करने की कोई प्रणाली नहीं थी, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान राज्य में सत्यापित कुल 1,36,062 इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में से अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन केवल 3,100 मामलों (2.28 प्रतिशत) में दर्ज की गई।

2.3.16 अनुशंसाओं का सारांश

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर विभाग निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार कर सकता है।

- 1) अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन के लिए कम्पोजिट आरोपण योजनावाले करदाता को सचेत करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जा सकता है।
- 2) निरस्त करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन करने पर रोक लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जा सकता है।

- 3) एकाधिक इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन करने में एकल/समान बीजक के उपयोग को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जा सकता है।
- 4) इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन और माल के परिवहन के लिए जोखिमपूर्ण वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जा सकता है।
- 5) निर्धारित अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं करनेवाले करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल के सृजन को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को मजबूत किया जा सकता है।
- 6) विभाग इलेक्ट्रॉनिक-वे बिलके सत्यापन तथा एक ही पैन पर एक से अधिक पंजीकरण वाले करदाताओं के रिटर्न की संवीक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।
- 7) विभाग करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में कमियों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा सृजित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों का उपयोग कर सकता है तथा उन्हें संबन्धित क्षेत्राधिकार प्राधिकारियों के साथ रिटर्न की संवीक्षा में उपयोग हेतु साझा कर सकता है।
- 8) दर्ज मामलों से प्राप्त इनपुट का उपयोग कर अग्रेत्तर जाँच करने तथा क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारियों को सूचना देने हेतु एक प्रणाली तैयार किया जा सकता है।
- 9) विभाग, पारगमन में माल के प्रत्येक निरीक्षण के सत्यापन प्रतिवेदन को समय पर दर्ज करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

2.4 “माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी (फेज- II)” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.4.1 परिचय

माल एवं सेवा कर की शुरुआत ने, केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए और एकत्र किए जाने वाले कई करों को प्रतिस्थापित किया है। माल एवं सेवा कर, जो 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। केंद्र और राज्य एक साथ एक साझा कर आधार पर माल एवं सेवा कर लगाते हैं। केंद्रीय माल एवं सेवा कर और राज्य माल एवं सेवा कर/केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर को राज्य अंतर्गत आपूर्ति पर लगाया जाता है और एकीकृत माल एवं सेवा कर अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, की धारा 59, माल एवं सेवा कर को स्व-मूल्यांकन आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके तहत कर देयता की गणना, गणना की गई कर देयता का भुगतान करने और रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। माल एवं सेवा कर रिटर्न को सार्वजनिक माल एवं सेवा कर पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन अवश्य दाखिल किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर जुर्माना देय होगा। यहाँ तक कि अगर व्यवसाय पर किसी विशेष कर अवधि के दौरान कोई कर देयता नहीं है, तो उसे अनिवार्य रूप से शून्य रिटर्न दाखिल करना होगा। आगे, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61, सह पठित बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 99 में प्रावधित है कि सक्षम अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की जाँच कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियों को सूचित कर सकता है और स्पष्टीकरण की माँग कर सकता है।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा को कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र तथा इस नई कर व्यवस्था में वाणिज्य-कर विभाग, बिहार की निगरानी व्यवस्था के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया था।

2.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा माल एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर उचित आश्वासन प्रदान करने की दिशा में उन्मुख थी। “माल एवं सेवा कर भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी” की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी ताकि इस पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि:

- I. क्या नियमों और प्रक्रियाओं को करदाताओं द्वारा विधिवत रूप से पालन किया जा रहा था; और
- II. क्या अंचलों की संवीक्षा प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

2.4.3 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति और क्षेत्र

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर किया गया था, जिसमें 2018-19 से 2020-21 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और रेड फ्लैग पर प्रकाश डाला था। डेटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता के निर्वहन, पंजीकरण और रिटर्न

दाखिल इत्यादि के डोमेन में 17 विचलनों के एक सेट की पहचान की गई थी। इन विचलनों का एक **केंद्रीकृत लेखापरीक्षा**⁴¹ के माध्यम से अनुगमन किया गया था, जिसके तहत इन विचलनों को राज्य के संबंधित विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं (अंचलों) को सूचित किया गया था और चिन्हित विचलनों पर अंचलों द्वारा की गई कार्रवाई का पता बिना क्षेत्र दौरा के किया गया था।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा को क्षेत्राधिकार अंचलों के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्र दौरों के दौरान एक **विस्तृत लेखापरीक्षा** द्वारा पूरा किया गया था। वाणिज्य-कर विभाग, बिहार द्वारा प्रदान किए गए एकल हस्ताक्षरित उपयोगकर्ता आईडी (एसएसओआईडी) का उपयोग करके माल एवं सेवा कर पोर्टल (बैक-एंड सिस्टम) के माध्यम से रिटर्न एवं संबंधित संलग्नक और जानकारी प्राप्त की गई थी, ताकि करदाताओं से संबंधित आंकड़ा/दस्तावेजों जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न इत्यादि की जाँच की जा सके।

विस्तृत लेखापरीक्षा में संबंधित क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से करदाताओं से संबंधित बारीक अभिलेखों जैसे विपत्रों को प्राप्त करना भी शामिल थे। इसके अलावा, चयनित अंचलों में रिटर्न की जाँच जैसे विभागीय संगठनों के अनुपालन कार्यों की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा रिटर्न की जाँच और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा हेतु 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि शामिल था, जबकि चयनित अंचलों के निरीक्षण कार्यों की लेखापरीक्षा अवधि 2020-21 थी।

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को शामिल किया गया है। क्षेत्र लेखापरीक्षा, जुलाई 2023 से नवम्बर 2023 तक आयोजित किया गया था।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रवेश सम्मेलन 19 अप्रैल 2023 को राज्य कर आयुक्त, बिहार के साथ आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा क्षेत्र और पद्धति पर चर्चा की गई थी। राज्य कर आयुक्त, बिहार के साथ 8 अप्रैल 2024 को बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। राज्य कर आयुक्त, बिहार द्वारा बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए विचारों और प्रारूप प्रतिवेदन के लिखित जवाबों को संबंधित कंडिकाओं में यथोचित रूप से शामिल किया गया है।

2.4.4 लेखापरीक्षा नमूना

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के तीन अलग-अलग भाग निम्नानुसार थे:

(i) भाग I-अंचलों की लेखापरीक्षा

आठ अंचलों⁴² और चयनित करदाताओं को जाँच के नमूने के रूप में लिया गया था।

(ii) भाग II-केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूने का चयन रिटर्नों के बीच उच्च मूल्य या उच्च जोखिम विचलन और विसंगतियों का डेटा विश्लेषण करके किया गया था। तदनुसार, इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 369 करदाताओं का चयन किया गया था और 671 विचलनों के बारे में राज्य कर प्राधिकारियों को सूचित किया गया था।

⁴¹ केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाता के बारीक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण से संबंधित बहीखाते, विपत्र, इकरारनामे आदि शामिल नहीं थे।

⁴² दानापुर, गांधी मैदान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी और सुपौल।

(iii) भाग III—विस्तृत लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 24 अंचलों⁴³ से संबंधित 100 करदाताओं में बड़े (L-1 एवं L-2),⁴⁴ मध्यम⁴⁵ और छोटे⁴⁶ स्ट्राटा करदाता, साथ ही साथ अनियमित रूप से चयनित करदाता शामिल थे।

2.4.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे तालिका 2.9 में दिए गए हैं:

तालिका 2.9
मानदंडों का स्रोत

क्र. सं.	विषय	अधिनियम और नियम
1	आरोपण एवं संग्रहण	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9।
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(3) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 (3)।
3	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना और उसका उपभोग	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय V के तहत धारा 16 से 21; बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के अध्याय V के तहत नियम 36 से 45।
4	पंजीकरण	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा -22 से 25; बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 8 से 26।
5	आपूर्ति	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7 और 8 एवं अनुसूची I, II और III।
6	आपूर्ति का स्थान	एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 से 13।
7	आपूर्ति का समय	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12 से 14।
8	आपूर्ति का मूल्यांकन	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा -15; बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 27-34।
9	कर का भुगतान	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय X के तहत धारा 49 से 53; बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के अध्याय IX के तहत नियम 85-87।
10	माल एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल करना	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय IX के तहत धारा 37 से 47; बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 एवं 80 से 81 (रिटर्न का प्रारूप)।
11	शून्य-रेटेड आपूर्ति	एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम अधिनियम की धारा 16।
12	जाँच, मूल्यांकन एवं लेखापरीक्षा कार्य	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय XII और XIII के तहत धारा 61 से 66; बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102 तक।

इसके अलावा, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड/राज्य कर विभाग द्वारा रिटर्न दाखिल करने, विभिन्न रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी तारीखों को अधिसूचित करने, रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उपयोग करने, रिटर्न की जाँच और कर अनुपालन की निगरानी आदि से संबंधित अधिसूचनाएँ और परिपत्र भी लेखापरीक्षा मानदंडों के हिस्सा थे।

⁴³ औरंगाबाद, भागलपुर, दानापुर, दरभंगा, गांधी मैदान, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुवनी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, शाहाबाद एवं सुपौल।

⁴⁴ प्रथम संवर्ग बड़े करदाता को शामिल करते हुए— आवर्त (एल-1 वर्ग) के आधार पर शीर्ष 0.25 प्रतिशत करदाता। द्वितीय संवर्ग बड़े करदाता का बाद वाले वर्ग को शामिल करते हुए—आवर्त (एल-2 वर्ग) के आधार पर शीर्ष 0.25 प्रतिशत करदाता।

⁴⁵ तृतीय संवर्ग मध्यम करदाता को शामिल करते हुए— शेष करदाता जिसका न्यूनतम आवर्त ₹ 20 करोड़/₹ 10 करोड़/₹ 7.5 करोड़ है (राज्य के सीमा के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के क्रियाकलाप के लिए न्यूनतम सीमा परिभाषित है)।

⁴⁶ चतुर्थ संवर्ग छोटे करदाता को शामिल करते हुए— शेष करदाता जिसका न्यूनतम आवर्त ₹ 5 करोड़/₹ 2.5 करोड़ है (राज्य के सीमा के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के क्रियाकलाप के लिए न्यूनतम सीमा परिभाषित है)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा विभाग के निरीक्षण तंत्र का मूल्यांकन करने की दिशा में उन्मुख था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- अ. अंचल लेखापरीक्षा,
- ब. केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा,
- स. विस्तृत लेखापरीक्षा।

2.4.6 अंचल लेखापरीक्षा

2.4.6.1 विलंब से रिटर्न दाखिल करने और रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर कार्रवाई की कमी

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 46 सहपठित माल एवं सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 68 के अनुसार प्रपत्र जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी करने के लिए प्रावधान है, जिसमें पंद्रह दिनों के अंदर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है यदि करदाता निर्धारित तिथि के अंदर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, यदि करदाता इस तरह के नोटिस के बाद भी रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी संबंधित सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और प्रपत्र एएसएमटी-13 में एक मूल्यांकन आदेश जारी कर सकते हैं। रिटर्न दाखिल करना, कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यों के लिए नियत तिथि समान है, जिससे रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले के मामले में कर/जुर्माना का भुगतान नहीं किए जाने का जोखिम होता है।

अंचल लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध⁴⁷ कराये गये सूचना/GST-BO वेब पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार⁴⁸, यह पाया गया कि रिटर्न दाखिल नहीं/विलम्ब से दाखिल करने वालों के कुल 2,777 मामले, 2020-21 के दौरान थे। इनमें से केवल 346 मामलों में जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी किये गये थे। GST-BO वेब पोर्टल से स्पष्ट है कि शेष सभी मामलों में कोई अनुवर्ती कार्रवाई शुरू नहीं की गयी।

विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि जीएसटीआर-3ए (नवम्बर 2020 से) दाखिल न करने वालों के बारे में नोटिस सिस्टम द्वारा सृजित किया जाता है। विभाग कानून के प्रावधानों के अनुसार रिटर्न दाखिल न करने वालों (शीर्ष करदाताओं) के खिलाफ कार्रवाई करता है और माँग भी बनाई जाती है।

यह तथ्य कि प्रणाली सभी 2,431 मामलों में नोटिस जारी करने में विफल रहा, प्रणाली में कमी की ओर इशारा करता है जिसे विभाग द्वारा जाँच की जानी चाहिए।

2.4.6.2 अपर्याप्त निगरानी तंत्र

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर/राज्य माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 22(3) में प्रावधान है कि जहाँ एक व्यक्ति जिसने अपने पंजीकरण को निरस्त करने के लिए आवेदन (आरइजी-16) प्रस्तुत किया है और पंजीकृत रहने के लिए सक्षम नहीं है, सक्षम अधिकारी उसके द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख से पंजीकरण को निरस्त कर देगा और करदाता व्यक्ति को सूचित करेगा और निर्देश देगा कि वह धारा 29 की उप-धारा (5) के तहत भुगतान की जाने वाली राशि सहित किसी भी कर, ब्याज या अर्थदंड का बकाया भुगतान करे। किसी भी मामले में प्रभावी तिथि उस आवेदन की तारीख से पहले की तारीख नहीं होनी चाहिए।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर/राज्य माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 21ए में कहा गया है कि जहाँ एक पंजीकृत व्यक्ति ने पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन किया है, पंजीकरण को आवेदन

⁴⁷ गोपालगंज, पटना सिटी पूर्वी और पटना दक्षिणी।

⁴⁸ दानापुर, गांधी मैदान, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना पश्चिमी और सुपौल।

जमा करने की तारीख से या जिस तारीख से पंजीकरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, जो भी बाद में हो, निलंबित माना जाएगा जब तक पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई पूरी न हो।

पाँच अंचलों के 75 करदाताओं जिनका पंजीकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था, के नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया गया कि लेखापरीक्षा के समय इलेक्ट्रॉनिक देयता पंजी में इन करदाताओं के विरुद्ध ₹21.18 करोड़⁴⁹ की कर देयता लम्बित थी।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि वे करदाता जिनका इरादा जाली इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करना है उनका पंजीकरण क्षेत्रीय पदाधिकारी पूर्ववर्ती तारीख से निरस्त कर देते हैं। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निरस्त किये गये करदाताओं के विरुद्ध लम्बित कर देयता थी और वसूली अभी भी लम्बित थी।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

गांधी मैदान अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन -10XXXXXXXXXX1ZT), के पंजीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा 08.06.2020 को निरस्त कर दिया गया था, के पास 20 जुलाई 2023 तक करदाता के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में ₹3.69 करोड़ की कर देयता राशि थी।

2.4.6.3 निरस्तीकरण में विलम्ब

बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 22 (3) के तहत आरईजी-19 में निरस्तीकरण आदेश, आवेदन की तारीख (करदाता अनुरोध) या स्वतः निरस्त करने के मामले में आरईजी-17 के जवाब की तारीख से 30 दिनों के अंदर जारी किया जाना है।

निरस्तीकरण के 1,793 मामलों (करदाता के अनुरोध) और स्वतः निरस्त करने के 2,849 मामलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच अंचलों⁵⁰ के अंतर्गत आने वाले 854 मामलों में निरस्तीकरण में निर्धारित अवधि से 1 से 875 दिनों की विलम्ब हुई। ऐसे मामलों का विवरण **परिशिष्ट 2.11** में लाया गया है।

2.4.6.4 जीएसटीआर-10 के दाखिल न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 45 के अनुसार, अंतिम रिटर्न यानी जीएसटीआर-10 को निरस्त करने की प्रभावी तारीख या निरस्त करने के आदेश की तारीख, जो भी बाद में हो, के तीन महीने के अंदर दाखिल किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच अंचलों⁵¹ के 4,642 मामलों में जहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था, 3,977 करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं किया गया था। यह पाँच अंचलों में जीएसटीआर-10 दाखिल करने के अनुपालन में कमियों को इंगित करता है जैसा कि **परिशिष्ट 2.12** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर-अक्टूबर 2023), विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि उन्होंने अंचलों को अनुपालन करने के लिए परिपत्र संख्या 1436 दिनांक 21 मार्च 2024 जारी किया था।

⁴⁹

क्र. सं.	अंचल का नाम	ममलो की संख्या	अभुक्त कर देयता (₹ करोड़ में)
1	दानापुर	26	3.68
2	गांधी मैदान	5	3.79
3	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	36	12.98
4	पटना पश्चिमी	7	0.49
5	सुपौल	1	0.24
कुल		75	21.18

⁵⁰ दानापुर, गांधी मैदान, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना पश्चिमी और सुपौल।

⁵¹ दानापुर, गांधी मैदान, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना पश्चिमी और सुपौल।

अनुशंसा 1: विभाग अपने निगरानी तंत्र को मजबूत कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि निरस्त करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने और वसूली के लिए प्रक्रियाओं में उचित सावधानी बरती जाए।

2.4.7 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

अनुपालन जोखिम प्रबंधन सक्रिय कार्रवाई की माँग करने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। रिटर्न दाखिल और कर प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को आधार प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकी के साथ, न केवल विभिन्न स्तरों पर कर भुगतान पर निगरानी रखी जा सकती है, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा गैर-घुसपैठ और बेहतर लक्षित भी हो सकता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

2.4.7.1 माल एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियाँ—केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2018-19 से 2020-21 तक के माल एवं सेवा कर रिटर्न डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दायर माल एवं सेवा कर रिटर्न के बीच नियम आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 17 मापदंडों के एक सेट पर की गयी थी, जिन्हें मोटे तौर पर पाँच कार्यक्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आवर्त और कर भुगतान, पंजीकरण, रिटर्न दाखिल और ब्याज का कम भुगतान।

13 निर्धारित माल एवं सेवा कर रिटर्न⁵² में से सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित बुनियादी रिटर्न पर माल एवं सेवा कर रिटर्न और डेटा के बीच विचलन, विसंगतियों और अंतर की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया था:

- **जीएसटीआर-1:** माल और सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्न और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की बाह्य आपूर्ति का विवरण शामिल है।
- **जीएसटीआर-3बी:** बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39 (1) में सन्निहित करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा कर के भुगतान के साथ-साथ बाह्य आपूर्ति और दावा किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का मासिक सारांश रिटर्न दाखिल किया जाना है। यह वह रिटर्न है जो सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट और डेबिट को प्रतिबिम्बित करता है।
- **जीएसटीआर-6:** इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक रिटर्न उनके वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- **जीएसटीआर-7:** प्राप्त आवक आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने/जमा करने के समय कर कटौती करने वाले व्यक्तियों द्वारा मासिक रिटर्न दाखिल किया जाता है।
- **जीएसटीआर-8:** अक्टूबर 2018 में लागू किए गए माल एवं सेवा कर के तहत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए ई-कॉमर्स संचालकों द्वारा मासिक रिटर्न दाखिल किया जाता है।
- **जीएसटीआर-9:** इनपुट सेवा वितरक, स्रोत पर कर कटौतिकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जाना है। इस दस्तावेज में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (केंद्रीय माल एवं सेवा कर, राज्य माल एवं सेवा कर और एकीकृत माल एवं सेवा कर) के तहत की गई और प्राप्त सभी आपूर्तियों का विवरण और इसके लिए आवर्त और लेखापरीक्षा विवरण शामिल हैं।

⁵² जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4, (कंपोजीशन योजना के अन्तर्गत करदाता) जीएसटीआर-5 (प्रवासी करदाता), जीएसटीआर-5ए (प्रवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता), जीएसटीआर-6 (इनपुट सेवा वितरक) जीएसटीआर-7 (स्रोत पर कर कटौती करने वाले करदाता), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स संचालकों), जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न), जीएसटीआर-10 (अंतिम रिटर्न), जीएसटीआर-11 (व्यक्ति जिसके पास यूआईएन हो और रिफंड का दावा करता हो), सीएमपी-08 और आईटीसी-04 (जॉब वर्कर को भेजे गए उससे प्राप्त माल के विवरण के बारे में प्रधान/जॉब वर्कर द्वारा दाखिल किए जाने वाले विवरण)

- **जीएसटीआर-9सी:** किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक का आवर्त करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र है। यह मूल रूप से जीएसटीआर-9 में दायर वार्षिक रिटर्न और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक समाशोधन विवरण है।
- **जीएसटीआर-2ए:** एक प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक तंत्र जनित विवरण है। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के सभी बी2बी लेनदेन का विवरण शामिल है, जो उनके प्रपत्र जीएसटीआर 1 / 5 में घोषित किया गया है, जीएसटीआर-6 से इनपुट सेवा वितरक, काउंटर पार्टी द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-8 से विवरण और बिल ऑफ इंट्री पर विदेशों से माल का आयात, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आईसीईगेट पोर्टल से प्राप्त हुआ है।

पहचाने गए मापदंडों के विरुद्ध राज्य के क्षेत्राधिकार से संबंधित अखिल राज्य डेटा विश्लेषण और देखी गई विचलन/विसंगतियों की सीमा को तालिका 2.10 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.10
पैन स्टेट डेटा विश्लेषण का सारांश

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त कलनविधि	विचलन की संख्या	बेमेल ⁵³ राशि (₹ करोड़ में)
कार्यक्षेत्र : इनपुट टैक्स क्रेडिट				
1.	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना (घरेलू आपूर्ति पर अर्जित) के साथ जीएसटीआर-3बी की तालिका-4ए(5) में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी, जिसमें तालिका-4बी(2) शामिल रिवर्सल भी नहीं था, लेकिन बाद के वर्ष में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटीआर-9 की तालिका-8सी में शामिल किया गया था।	70	518.41
2.	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर प्रेषण किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना	जीएसटीआर-9, तालिका-8ए में इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना जीएसटीआर-2ए में संशोधन के बाद प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई	53	210.59
3.	सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर-3बी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया	अगले वर्ष के जीएसटीआर-3बी रिटर्न की नियत तारीखों (सितंबर) के बाद करदाता द्वारा दाखिल जीएसटीआर-3बी तालिका-4 पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया	46	57.59
4.	इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ	जीएसटीआर-9, तालिका-6जी या जीएसटीआर-3बी, तालिका-4ए(4) में स्थानांतरित आईएसडी की तुलना प्राप्तकर्ता सम्बन्धित आईएसडी के जीएसटीआर-6 की तालिका-5ए, तालिका-8ए और तालिका-9ए के योग से की गई।	35	7.69
5.	बिना भुगतान के आरसीएम पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-9सी, तालिका-4जी (भुगतेय कर) में रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9, तालिका-6सी, 6(डी) एवं 6(ई) में दी गई इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था जीएसटीआर-3 बी तालिका-3.1(डी) के रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी, तालिका-4ए(2) एवं 4ए(3) से की गई।	45	51.99
6.	जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-9सी, तालिका-12एफ में सकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका-13 में दिए गए कारणों की जाँच।	14	18.04
7.	जीएसटीआर-9सी की तालिका-14टी में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-9सी, तालिका-14टी में सकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका-15 में दिए गए कारणों की जाँच।	11	36.62

⁵³ यह डेटा विश्लेषण के फलस्वरूप विचलन के मामलों में प्रथम दृष्टया शामिल कर प्रभाव है। यह करदाताओं के अभिलेखों के, आगे सत्यापन और विभाग द्वारा माँग की पुष्टि के अधीन है।

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त कलनविधि	विचलन की संख्या	बेमेल ⁵³ राशि (₹ करोड़ में)
कार्यक्षेत्र : कर भुगतान				
8	अभुक्त कर देनदारियां	जीएसटीआर-1 (तालिका-4 से 11) और जीएसटीआर-9 (तालिका-4एन, 10 और 11) के बीच अधिकतम कर देयता की तुलना जीएसटीआर-3बी, तालिका-3.1(ए) और 3.1(बी) में भुगतान किए गए कर विवरणों से की गई। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी कर भुगतान की तुलना जीएसटीआर-1 देनदारी से की गई। जीएसटीआर-1 और 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	78	3,578.23
9	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की तुलना में बेमेल कर योग्य मूल्य	जीएसटीआर-3बी, तालिका-3.1(ए) + 3.1(बी) में कर देयता की तुलना इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल कर देयता में किए गए खुलासे से की गई थी	55	0.00
10	जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में असमाशोधित कर योग्य आवर्त	जीएसटीआर-9सी, तालिका-9आर में नकारात्मक आँकड़ा और बेमेल के लिए तालिका-10 में दिए गए कारणों की जाँच।	12	50.04
11	स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह की घोषणा के माध्यम से पहचाने गए बेमेल कर योग्य मूल्य	जीएसटीआर-3बी में घोषित बाह्य आपूर्ति के कर योग्य (जीरो रेटेड, शून्य रेटेड और छूट के अलावा) मूल्य की तुलना जीएसटीआर-2ए, तालिका 9 के अनुसार स्रोत पर कर संग्रह और स्रोत पर कर कटौती, क्रेडिट के लिए उत्तरदायी शुद्ध राशि के साथ की गई थी।	26	252.04
12	बेमेल कर योग्य मूल्य (बिना बिल राजस्व)	जीएसटीआर-9सी की तालिका-5बी की तुलना पिछले जीएसटीआर-9सी रिटर्न की तालिका-5एच से की गई थी।	16	0.00
13	जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में असमाशोधित कर योग्य आवर्त	जीएसटीआर-9सी, तालिका-7जी में ऋणात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका-8 में दिए गए कारणों की जाँच।	22	0.00
कार्यक्षेत्र : निबंधन				
14	कंपोजिशन करदाताओं ने ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाया	ई-कॉमर्स जीएसटीआर-8, 01.10.2018 से प्रभावी हुआ जब स्रोत पर कर संग्रह प्रावधान प्रभावी हो गए। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीआईएन जो कंपोजिशन योजना के तहत जीएसटीआर-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	5	0.00
15	गलत आवर्त के कारण अयोग्य कम्पोजिशन आरोपण	एक ही पैन के सभी जीएसटीआईएन के तहत कंपोजिशन करदाताओं का आवर्त 2018-19 में ₹ 1 करोड़ और 2019-20 में ₹ 1.5 करोड़ की आवर्त सीमा को पार कर गया, लेकिन अभी भी कंपोजिशन आरोपण का लाभ उठा रहे हैं।	4	0.00
कार्यक्षेत्र : रिटर्न				
16	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	करदाताओं जिन्होंने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया था, लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल किया या जहाँ जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है, दशार्ता है कि कर निर्वहन के बिना करदाताओं ने व्यापार किया।	50	28.15
कार्यक्षेत्र : ब्याज का कम भुगतान				
17	विलम्बित कर भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना	जीएसटीआर-3बी में घोषित ब्याज की तुलना में जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में देरी पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई है।	129	20.47
कुल			671	4,829.86

2.4.7.2 विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने 369 करदाताओं के एक नमूने का चयन किया, जिनमें (2018-19 से 2020-21 के लिए) 17 मापदंडों में विचलन/विसंगतियों के मामलों पर 671 लेखापरीक्षा पृच्छाएँ संबंधित अंचलों को जारी किए थे। इन मामलों में लेखापरीक्षा चिन्हित विचलन/बेमेल पर विभाग की कार्रवाई को सत्यापित करने तक सीमित थी। 82 विसंगतियों के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रियाएँ अभी तक (जून 2024 तक) प्राप्त होना बाकी था, जिसमें ₹ 248.34 करोड़ का बेमेल शामिल था। इन मामलों का विवरण परिशिष्ट 2.13 में सूचीबद्ध है।

अनुशंसा 2: विभाग उन विसंगतियों और विचलनों के लिए अनुशीलन कर सकता है, जिसके लिए प्रतिक्रियाएं प्रदान नहीं की गई हैं और जहाँ भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है। साथ ही विभाग रिटर्न की नियमित जाँच के दौरान बेमेल की पहचान करने में उपयोग किए गये एल्गोरिदम को उपयुक्त रूप से शामिल कर सकता है।

2.4.7.3 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा पृच्छाओं के लिए विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर अनुपालन विचलन में वर्णित 17 पहचाने गए मापदंडों को, एक सीमा तक संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

• केंद्रीकृत लेखापरीक्षा का सारांश

लेखापरीक्षा ने ₹ 4,600.90 करोड़ के कर/विसंगतियों से जुड़े 589 मामलों में अधिनियम के प्रावधानों से विचलन पाया, जो डेटा में 671 विसंगतियों/बेमेल का 87.78 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रिया दी। जोखिम मापदंडों जैसे ब्याज का कम भुगतान/नहीं भुगतान करना, बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, गलत आवर्त घोषणाओं और कर का कम भुगतान में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दरें देखी गईं।

आगे 349 मामलों में, जिसका राशि ₹ 690.30 करोड़ था जो 59.25 प्रतिशत है लेखापरीक्षा टिप्पणियों को विभाग ने स्वीकार किया। इसमें से, विभाग ने 41 मामलों में ₹ 11.01 करोड़ की वसूली की सूचना दी, 256 मामलों में, एएसएमटी-10/एससीएन जारी किए गए थे जबकि 52 मामलों में करदाताओं से पत्राचार प्रक्रियाधीन था। करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के 29 मामले थे, 88 मामलों में विभाग द्वारा सक्रिय रूप से कार्रवाई की गई और 123 मामलों में, अन्य वैध स्पष्टीकरण दिया गया। विवरण परिशिष्ट 2.14 में दिया गया है।

8 अप्रैल 2024 को आयोजित बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों का जवाब दिया जिसे उचित रूप से शामिल किया गया है।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के तहत आयामवार लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन नीचे किया गया है:

क. माल एवं सेवा कर के कानून एवं नियमों से विचलन (349 मामले)

(I) जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट

12 अंचलों में, 32 मामलों में 22 करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 1,167.89 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, जबकि, वर्ष 2018-21 के लिए उनके जीएसटीआर-2ए में केवल ₹ 914.51 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था, जिसके कारण ₹ 253.38 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिया गया।

जीएसटीआर-2ए एक खरीद से संबंधित गतिशील कर रिटर्न है जो माल एवं सेवा कर पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से सृजित होता है, जबकि जीएसटीआर-3बी एक मासिक रिटर्न है जिसमें घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर के भुगतान के साथ बाह्य आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्व-घोषित किया जाता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए से प्रासंगिक डेटा निकाला गया था और आपूर्तिकर्ता

के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से किया गया था। अपनाई गई कार्यप्रणाली, सभी संशोधनों को शामिल करते हुए जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट और तालिका-4बी (2)⁵⁴ में रिवर्सल को देखते हुए लेकिन बाद के वर्ष में जीएसटीआर-9 की तालिका-8सी में उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को शामिल करते हुए जीएसटीआर-3बी की तालिका-4ए(5)⁵⁵ में उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट से तुलना करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 अंचलों⁵⁶ के तहत 32 मामलों में 22 करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 1,167.89 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था जबकि ₹ 914.51 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्ष 2018-21 के लिए उनके जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 253.38 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल हो गया, जैसाकि परिशिष्ट 2.15 में विवरण दिया गया है।

विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि सारण अंचल के एक मामले में ₹ 1.94 लाख की राशि वसूल की गई थी, जबकि नौ अंचलों⁵⁷ के 21 मामलों में, नोटिस/एएसएमटी-10 /डीआरसी-01 जारी किया गया था, चार अंचलों⁵⁸ के सात मामलों में डीआरसी-07 जारी किए गए थे। इसके अलावा दो अंचलों⁵⁹ के तीन मामले प्रक्रियाधीन थे।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

वर्ष 2018-19 के लिए पटना सिटी पूर्वी अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZD) ने जीएसटीआर-3बी की तालिका-4ए(5) में ₹12.19 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, (जीएसटीआर-3बी की तालिका-4ए(5) से तालिका-4बी(2) में रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जीएसटीआर-9 की तालिका-8सी से बाद के वर्ष 2019-20 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित) जबकि अपने सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट शून्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.19 करोड़ की राशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल हुआ। लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब में, विभाग ने कहा कि डीआरसी-07 जारी किया गया था।

(II) आपूर्तिकर्ता द्वारा कर प्रेषण किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ

चार अंचलों के सात मामलों में पाँच करदाताओं ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता द्वारा कर प्रेषण किए बिना ₹ 9.50 करोड़ की अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था।

जहाँ जीएसटीआर-2ए आपूर्तिकर्ता द्वारा उनके जीएसटीआर-1 में खुलासे के आधार पर सृजित होता है, वही जीएसटीआर-9 की तालिका-8ए, जीएसटीआर-2ए की तालिका- 3, 4, 5 और 6 (पुराने जीएसटीआर-2ए प्रारूप की तालिका-3 और 5) से स्वतः परिलक्षित (गैर-संपादन योग्य) है और अगले वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर को उपलब्ध जीएसटीआर-2ए पर विचार करता है। इसलिए, तालिका-8ए में निम्नलिखित परिलक्षित नहीं होता है:

1. अन्तिम तिथि के बाद दाखिल जीएसटीआर-1/5 (हालाँकि विवरण जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध हैं) क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर की कर अवधि तक दायर जीएसटीआर-1/5 तक सीमित है।

⁵⁴ अन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स।

⁵⁵ अन्य सभी योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट।

⁵⁶ फारबिसगंज, गांधी मैदान, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना विशेष, पूर्णियाँ, सारण, सासाराम एवं शाहाबाद।

⁵⁷ फारबिसगंज, गांधी मैदान, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना विशेष, सासाराम एवं शाहाबाद।

⁵⁸ हाजीपुर, पटना सिटी पूर्वी, पूर्णियाँ एवं सारण।

⁵⁹ पटना मध्य एवं पटना विशेष।

2. जीएसटीआर-1 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रूप में इंगित की गई आपूर्ति।
3. जब आपूर्तिकर्ता ने जीएसटीआईएन में संशोधन किया है, तो क्रेडिट केवल संशोधित जीएसटीआईएन के लिए उपलब्ध है।
4. उस अवधि से संबंधित आपूर्ति जब आपूर्तिकर्ता कम्पोजिशन योजना के तहत था।
5. आपूर्तिकर्ता के निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद का दस्तावेज।
6. बीजक, जहाँ आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता के राज्य से भिन्न होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि चार अंचलों⁶⁰ में सात मामलों में पाँच करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर प्रेषण किए बिना ₹ 9.50 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.16** में वर्णित है।

विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि तीन अंचलों⁶¹ के चार मामलों में नोटिस/डीआरसी-01ए/डीआरसी-01 जारी किया गया था, लखीसराय अंचल के दो मामलों में डीआरसी-07 जारी किया गया था। पटना पश्चिमी अंचल के एक मामले में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना मध्य अंचल में पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन- 10XXXXXXXXXX1ZC) के पास 2019-20 के दौरान जीएसटीआर-9 (तालिका-8ए) में ₹ 9.44 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था। हालाँकि, संशोधित जीएसटीआर-2ए के अनुसार, करदाता ने जीएसटीआर-3बी में आपूर्तिकर्ता के कर प्रेषण के बिना ₹ 13.39 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया।

इस प्रकार, करदाता ने आपूर्तिकर्ता के द्वारा कर प्रेषण किए बिना ₹ 3.95 करोड़ की अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था। लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब में, विभाग ने कहा कि डीआरसी-01 जारी किया गया था।

(III) निर्धारित अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर-3बी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ

15 अंचलों के 26 मामलों में 20 करदाताओं ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए निर्धारित अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर-3बी पर ₹ 29.40 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16(4) में वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर के महीने के लिए जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करने की नियत तारीख जिससे ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधित है या प्रासंगिक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत कर रहा है, जो भी पहले हो, तक ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का प्रावधान है। तदनुसार, यदि कोई जीएसटीआर-3बी ऐसे समय के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार्य हो जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 अंचलों⁶² के 26 मामलों में 20 करदाताओं ने निर्धारित अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर-3बी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 29.40 करोड़ का लाभ उठाया था जैसाकि **परिशिष्ट 2.17** में वर्णित है।

विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि सात अंचलों⁶³ के आठ मामलों में, डीआरसी-07 जारी किया गया था। आठ अंचलों⁶⁴ के 18 मामलों में, नोटिस/डीआरसी-01 जारी किए गए थे।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

⁶⁰ लखीसराय, पाटलिपुत्र, पटना मध्य एवं पटना पश्चिमी।

⁶¹ लखीसराय, पाटलिपुत्र एवं पटना मध्य।

⁶² बेतिया, भागलपुर, विहारशरीफ, बक्सर, दानापुर, गांधी मैदान, खगड़िया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना मध्य, पटना दक्षिणी, रक्सौल, सहरसा, सारण, सासाराम एवं शाहाबाद।

⁶³ भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, खगड़िया, रक्सौल, सारण एवं शाहाबाद।

⁶⁴ बेतिया, दानापुर, गांधी मैदान, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना मध्य, पटना दक्षिणी, सहरसा एवं सासाराम।

खगड़िया अंचल में पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZW) ने जीएसटीआर-3बी (तालिका-4) में ₹1.16 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, यद्यपि जीएसटीआर-3बी 2018-19 के दौरान सीमा अवधि के बाद दायर किया गया था।

(IV) प्राप्तकर्ताओं द्वारा इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

छः अंचलों के 11 मामलों में, नौ करदाताओं ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए ₹ 1.31 करोड़ का अतिरिक्त इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का लाभ उठाया था।

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट सेवा वितरक द्वारा हस्तांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक है, करदाता के रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना इनपुट सेवा वितरक द्वारा उनके जीएसटीआर-6 में स्थानांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट से की जाती है। अपनाई गई कार्यप्रणाली इस राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत प्राप्तकर्ता करदाताओं की जीएसटीआर-9 की तालिका-6⁶⁵, या जीएसटीआर-3बी की तालिका-4(ए)(4)⁶⁶ की तुलना संबंधित इनपुट सेवा वितरक की जीएसटीआर-6 के तालिका-5ए⁶⁷, तालिका-8ए⁶⁸ और तालिका-9ए⁶⁹ के योग से करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छः अंचलों⁷⁰ के तहत 11 मामलों में नौ करदाताओं ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए ₹ 1.31 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का लाभ उठाया था, जैसा कि परिशिष्ट 2.18 में वर्णित है।

विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि चार अंचलों⁷¹ के छः मामलों में डीआरसी-01 जारी किया गया था, दो अंचलों⁷² के दो मामलों में डीआरसी-07 जारी किया गया था। पटना मध्य अंचल के तीन मामलों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पाटलिपुत्र अंचल के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX2ZX) ने वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 0.33 करोड़ का इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का लाभ उठाया था, जैसा कि जीएसटीआर-9 की तालिका-6(जी) में घटे तालिका-7(एच) में शून्य रिवर्सल इनपुट टैक्स क्रेडिट घोषित किया गया था, लेकिन केवल ₹ 0.17 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर-6 रिटर्न की तालिका-(5ए + 8ए + 9ए) में इनपुट सेवा वितरक द्वारा स्थानांतरित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.16 करोड़ के इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का अधिक लाभ लिया गया।

(V) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट/भुगतान किए गये कर का गलत लाभ उठाना

पाँच अंचलों के 23 मामलों में, 12 करदाताओं ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 20.29 करोड़ की अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था।

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, कर का भुगतान करने की देयता माल या सेवाओं की कुछ श्रेणियों या दोनों, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-9(3) या धारा-9(4) के अधीन और एकीकृत

⁶⁵ इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट

⁶⁶ इनपुट सेवा वितरक से आवक आपूर्ति।

⁶⁷ कर अवधि के लिए योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का वितरण।

⁶⁸ दावा किये गए एवं वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेमेल होना।

⁶⁹ गलत प्राप्तकर्ता को वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुनर्वितरण।

⁷⁰ गाँधी मैदान, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी एवं पटना पश्चिमी।

⁷¹ गाँधी मैदान, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी एवं पटना पश्चिमी।

⁷² पटना उत्तरी एवं पटना पश्चिमी।

माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा -5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय माल या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर तय की जाती है।

जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बार उन पंजीकृत करदाताओं जो नियमित करदाता थे, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों और आर्थिक क्षेत्र डेवलपर शामिल हैं, द्वारा दायर किया जाता है। करदाताओं द्वारा खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या दावा किए गए रिफंड या सृजित की गई माँग आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत भुगतान किए गए कर की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, जीएसटीआर-3बी में डेटासेट और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से संबंधित वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 की तुलना यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत गतिविधियों/लेनदेन पर कर का पूर्ण भुगतान किया गया है या नहीं। ऐसे मामलों में जहाँ जीएसटीआर-9 दाखिल किया गया था, तालिका-4जी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की तुलना तालिका-6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी। ऐसे मामलों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी तालिका-3.1(डी) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत भुगतानों की तुलना जीएसटीआर-3बी, 4(ए)(2) और 4(3) से की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पाँच अंचलों⁷³ के 23 मामलों में 12 करदाताओं ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत गलत तरीके से ₹ 20.29 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था जैसा विस्तृत रूप से परिशिष्ट 2.19 में वर्णित है।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर-नवंबर 2023) कि पटना दक्षिणी अंचल के तीन मामलों में ₹ 2.42 लाख की राशि वसूल की गई थी, तीन अंचलों⁷⁴ के नौ मामलों में, एएसएमटी-10/डीआरसी 01/01ए जारी किया गया था, पटना मध्य अंचल के तीन मामलों में, कार्रवाई अभी की जानी थी और दरभंगा अंचल के आठ मामलों में, जवाब स्पष्ट नहीं था।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना उत्तरी अंचल में पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX2ZB) ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर के भुगतान के बिना 2020-21 के दौरान रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटीआर-9 में ₹ 1.86 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था।

(VI) जीएसटीआर-9 सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट

चार अंचलों के छः मामलों में, पाँच करदाताओं ने जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में ₹ 4.69 करोड़ के असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट की घोषणा की थी, जो लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार देय इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावा किया गया था।

जीएसटीआर-9सी की तालिका-12 वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या बही खातों के अनुसार लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 12एफ असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9सी में बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 80(3) के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधन विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था ताकि वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार अंचलों⁷⁵ के छह मामलों में पाँच करदाताओं ने जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में ₹ 4.69 करोड़ के असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट की घोषणा की थी, जबकि

⁷³ बेगूसराय, दरभंगा, पटना मध्य, पटना उत्तरी एवं पटना दक्षिणी।

⁷⁴ बेगूसराय, पटना उत्तरी एवं पटना दक्षिणी।

⁷⁵ बेगूसराय, पटना मध्य, पटना दक्षिणी एवं सारण।

लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार देय इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक का दावा वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में किया गया था जैसा परिशिष्ट 2.20 में वर्णित है।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2023 और मार्च 2024) कि चार अंचलों⁶ के पाँच मामलों में, नोटिस (डीआरसी-01/डीआरसी-01/डीआरसी-07) जारी किए गए थे। पटना दक्षिणी अंचल के एक मामले में, कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना दक्षिणी अंचल में पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZB) ने वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर-9 (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12ई के अनुसार) में ₹ 10.61 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था, जबकि करदाता ने वित्तीय विवरणी (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12डी) के अनुसार ₹ 10.11 करोड़ इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था। इस प्रकार, करदाता ने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी के अनुसार प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट से ₹ 0.50 करोड़ की अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया।

(VII) ब्ययों पर असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी की तालिका-14टी)

वर्ष 2018-19 और 2020-21 के लिए तीन अंचलों के तीन मामलों में ₹ 12.01 करोड़ का असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट।

तालिका-14 करदाता द्वारा किए गए ब्ययों को संधारित रखती है, जो इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं या सेवाओं के रूप में हो सकता है और किए गए ब्ययों को, लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट से समाशोधित करता है। अपात्रता, अवरुद्ध क्रेडिट, कंपोजिशन योजना के आधार पर लिए गए किसी भी अतिरिक्त लाभ को तालिका-14 में उजागर करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन अंचलों⁷ के तहत तीन मामलों में तीन करदाताओं के ₹ 12.01 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का असमाशोधन था जैसा परिशिष्ट 2.21 में वर्णित है।

विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2023) कि तीन अंचलों के सभी तीन मामलों में डीआरसी-01 जारी किया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना दक्षिणी अंचल के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZQ) के मामले में, वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 2.09 करोड़ का असमाशोधन था।

(VIII) अभुक्त कर देयता

वर्ष 2018-21 के लिए 12 अंचलों में 21 करदाताओं के 32 मामलों में ₹ 161.57 करोड़ की कर देयता का बेमेल होना।

जीएसटीआर-1 माल या सेवाओं की बाह्य आपूर्ति के मासिक विवरण को दर्शाता है। इस विवरण का आकलन करदाता द्वारा भी किया जाता है और संबंधित वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 के संबंधित कॉलम में उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा, कर योग्य मूल्य और उस पर भुगतान किए गए कर को भी जीएसटीआर-3बी में दिखाया जाता है।

अभुक्त कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 से प्रासंगिक आंकड़े निकाले गए और इन रिटर्न में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 में घोषित कर से की गई। जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में भुक्त दर्शाये गए देय कर की तुलना का सहारा लिया गया। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर-1 और 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर भी विचार किया गया। एल्गोरिदम के लिए, जीएसटीआर-1

⁷⁶ बेगूसराय, पटना मध्य, पटना दक्षिणी एवं सारण।

⁷⁷ बेगूसराय, पटना दक्षिणी और शाहाबाद।

की तालिका-4 से 11 और जीएसटीआर-9 की तालिका-4जी, 4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया था। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के बीच कर देयता की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका-9 और 14 में घोषित भुक्त उच्चतर कर के साथ की गई थी, ताकि कर के कम भुगतान की पहचान की जा सके। जीएसटीआर-3बी के मामले में, तालिका-6.1 घटे तालिका-3.1(डी) को ध्यान में रखा गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 अंचलों⁷⁸ के 32 मामलों में 21 करदाताओं ने ₹ 315.55 करोड़ की कर देयता के विरुद्ध ₹ 153.98 करोड़ का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-21 के लिए ₹ 161.57 करोड़ की कर देयता का अंतर हो गया, जैसाकि परिशिष्ट 2.22 में वर्णित है।

विभाग ने जवाब दिया कि पाँच अंचलों⁷⁹ के सात मामलों में ₹ 3.64 करोड़ की राशि वसूल की गई थी, छः अंचलों⁸⁰ के 16 मामलों में करदाताओं को नोटिस/डीआरसी-01/डीआरसी-01ए जारी किए गए थे। दो अंचलों⁸¹ के दो मामलों में, डीआरसी-07 जारी किए गए और दो अंचलों⁸² के सात मामलों में, कार्रवाई शुरू की गई थी।

समस्तीपुर अंचल के मामले के प्रतिक्रिया में विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2023) कि ₹ 0.70 करोड़ के लिए डीआरसी-01 जारी किया गया था क्योंकि करदाता पहले ही जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 9.01 करोड़ कर का भुगतान कर चुका था।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

समस्तीपुर अंचल के अधीन एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZC) ने वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर-1 में ₹ 9.52 करोड़ और जीएसटीआर-9 में शून्य की कर देयता दिखाई थी। हालाँकि, करदाता ने जीएसटीआर-9 की तालिका-9 के अनुसार अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.52 करोड़ (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 में कर देयता का उच्चतर) की अभुक्त कर देयता हुई।

(IX) इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की तुलना में बेमेल कर योग्य मूल्य

वर्ष 2018-21 के लिए 16 अंचलों में 20 करदाताओं के 28 मामलों में ₹ 62.02 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल बेमेल कर देयता।

इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली आपूर्ति के संबंध में या आपूर्ति के अलावा अन्य कारणों से या एक अपंजीकृत व्यक्ति से आवक आपूर्ति के कारण ₹ 50,000 के मूल्य से अधिक माल की आवाजाही⁸³ शुरू होने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वे-बिल सृजित करने के लिए माल एवं सेवा कर पंजीकृत व्यक्ति/नामांकित परिवाहक के लिए है।

कर के कम भुगतान की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-3बी में घोषित कर देयता से संबंधित प्रासंगिक आँकड़ों की तुलना इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में किए गए खुलासे से की गई। एल्गोरिदम के लिए, ऐसे मामले जहाँ जीएसटीआर-3बी तालिका-3.1(ए) + 3.1(बी) में देय कर इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में घोषित कर देयता से कम थे चुने गए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 16 अंचलों⁸⁴ के 28 मामलों में 20 करदाताओं, ने ₹ 501.78 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल कर देयता के विरुद्ध, जीएसटीआर-3बी में कर देयता की राशि केवल ₹ 439.76

⁷⁸ भभुआ, भागलपुर, दानापुर, जहानाबाद, पटना मध्य, पटना उत्तरी पटना दक्षिणी, रक्सौल, समस्तीपुर, सासाराम, शाहाबाद एवं सिवान।

⁷⁹ भभुआ, भागलपुर, जहानाबाद, रक्सौल एवं सिवान।

⁸⁰ दानापुर, जहानाबाद, पटना मध्य, पटना दक्षिणी, समस्तीपुर एवं शाहाबाद।

⁸¹ पटना उत्तरी एवं पटना दक्षिणी।

⁸² पटना दक्षिणी एवं सासाराम।

⁸³ यदि माल का मूल्य ₹1.00 लाख से अधिक है तो अन्तर्राज्यीय और यदि माल का मूल्य ₹50,000 हजार से अधिक है तो राज्य के अंदर इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल।

⁸⁴ बेगुसराय, दानापुर, गोपालगंज, हाजीपुर, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, सारण, सासाराम एवं शाहाबाद।

करोड़ स्वीकार की। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-21 के लिए ₹ 62.02 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल कर देयता बेमेल हो गया, जैसा कि परिशिष्ट 2.23 में वर्णित है।

विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि पटना उत्तरी अंचल के एक मामले में ₹ 39.66 लाख की राशि वसूल की गई थी, जबकि सात अंचलों⁸⁵ के 12 मामलों में करदाता को नोटिस/डीआरसी-01 जारी किए गए थे। इसके अलावा पाँच अंचलों⁸⁶ के सात मामलों में डीआरसी-07 जारी किए गए थे और चार अंचलों⁸⁷ के छः मामलों में कार्रवाई शुरू की गई थी। विभाग ने यह भी कहा कि दो अंचलों⁸⁸ के दो मामलों में करदाता मौजूद नहीं हैं।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना दक्षिणी अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZB) ने जीएसटीआर-3बी में ₹ 17.48 करोड़ की कर देयता दिखाई थी, जबकि इसी अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल में ₹ 25.74 करोड़ की कर देयता दिखाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.26 करोड़ की कर देयता में बेमेल हुआ।

(X) जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में असमाशोधित कर देयता

छः अंचलों के छः मामलों में छः करदाताओं के जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में ₹ 25.13 करोड़ के कर का असमाशोधित भुगतान।

वर्ष 2018-21 के लिए बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 80 (3) के तहत प्रपत्र जीएसटीआर-9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक रिटर्न और खाताबही के बीच भुक्त कर में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके। प्रपत्र जीएसटीआर-9सी की तालिका-9 आवर्त दर-वार, अलग करके और वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) के अनुसार भुगतान किए गए कर के साथ इसकी तुलना करके भुगतान किए गए कर के मिलान का प्रयास करती है। असमाशोधित राशि संभवतः गलत दरों पर लगाए गए कर या कर योग्य आवर्त को छूट के रूप में गलत तरीके से दर्शाने या इसके विपरीत क्रम से या गलत लगाये गए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर/बिहार माल एवं सेवा कर/एकीकृत माल एवं सेवा कर/उपकर को प्रकट कर सकती है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिनमें 2018-21 के संबंध में बाद के वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक किए गए लेनदेन के सम्बन्ध में घोषित आपूर्ति/कर संशोधनों (डेबिट नोटों/क्रेडिट नोटों का शुद्ध) के माध्यम से घटा दी जाती है। कम भुगतान एवं गलत शीर्षों के अधीन भुगतान दोनों के लिए परिणामी ब्याज भुगतान की भी जाँच की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छः अंचलों⁸⁹ के छः करदाताओं ने जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में ₹ 25.13 करोड़ के कर का असमाशोधित भुगतान किया था जैसा कि परिशिष्ट 2.24 में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि किशनगंज अंचल के एक मामले में ₹ 0.09 लाख की राशि वसूल की गई थी, जबकि तीन अंचलों⁹⁰ के तीन मामलों में, करदाता को नोटिस/डीआरसी-01 जारी किए गए थे दो अंचलों⁹¹ के दो मामले में कार्रवाई प्रक्रियाधीन थे।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

बगहा अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1Z8) ने वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में घोषित ₹ 4.98 करोड़ के कर का असमाशोधित भुगतान किया था।

⁸⁵ दानापुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना विशेष एवं सारण।

⁸⁶ दानापुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना विशेष एवं सारण।

⁸⁷ हाजीपुर, किशनगंज, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी एवं शाहाबाद।

⁸⁸ बेगूसराय, पाटलिपुत्र, पटना विशेष एवं सासाराम।

⁸⁹ बगहा, किशनगंज, पटना मध्य, पटना विशेष, सारण एवं शाहाबाद।

⁹⁰ बगहा, सारण एवं शाहाबाद।

⁹¹ पटना मध्य एवं पटना विशेष।

(XI) स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह घोषणा के माध्यम से पहचाने गए बेमेल कर योग्य मूल्य

सात अंचलों में 12 मामले में आठ करदाताओं के ₹ 64.91 करोड़ के स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह की बेमेल कर देयता।

स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह विवरण क्रमशः जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-8 में घोषित किए जाते हैं और जीएसटीआर-2ए की तालिका-9 में पंजीकृत व्यक्ति को सूचित किए जाते हैं। जिन मामलों में जीएसटीआर-3बी में बाह्य कर योग्य आपूर्ति (जीरो रेटेड, शून्य रेटेड और छूट के अलावा) जीएसटीआर-2ए की तालिका-9 के अनुसार स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह क्रेडिट के शुद्ध देय राशि से कम था उनकी पहचान की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात अंचलों⁹² के 12 मामलों में आठ करदाताओं के जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए की तालिका-9 के लिए बेमेल कर देयता ₹ 64.91 करोड़ थी जैसा कि परिशिष्ट 2.25 में वर्णित है।

विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि पटना मध्य अंचल के दो मामलों में ₹ 3.81 करोड़ की राशि वसूल की गई थी। इसके अलावा तीन अंचलों⁹³ के तीन मामले में नोटिस/एएसएमटी-10/डीआरसी-01 करदाताओं को जारी किये थे जबकि चार अंचलों⁹⁴ के छः मामलों में डीआरसी-07 जारी किया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

बिहारशरीफ अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZT) ने वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 3.22 करोड़ के कर का असमाशोधित भुगतान किया था क्योंकि जीएसटीआर-3बी में करदाता की घोषित बाह्य कर योग्य आपूर्ति ₹ 0.11 करोड़ जीएसटीआर-2ए की तालिका-9 के अनुसार स्रोत पर कर कटौती क्रेडिट के लिए योग्य शुद्ध राशि ₹ 3.33 करोड़ से कम थी। लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब में अंचल द्वारा डीआरसी-01 जारी किया गया था।

(XII) बेमेल कर योग्य मूल्य (बिना बिल के राजस्व)

छः अंचलों में सात करदाताओं के 11 मामलों में, जीएसटीआर-9सी की तालिका-5बी और तालिका-5एच में ₹ 561.31 करोड़ के बेमेल कर योग्य आवर्त।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9सी के तालिका-5बी के आंकड़े जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बिना बिल राजस्व को संधारित रखते हैं, की तुलना पिछले जीएसटीआर-9सी रिटर्न की तालिका-5एच से की गई जो वर्ष के अंत में बिना बिल के राजस्व को संधारित करती है ताकि वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित आवर्त में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके।

लेनदेन के उस हिस्से के लिए बिना बिल राजस्व लेखा जो खातावही में एक प्रादुर्भाव आधार पर दर्ज किए जाते हैं, लेकिन जिसके खिलाफ वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कोई बीजक जारी नहीं किया गया हो। आदर्श रूप से, जीएसटीआर-9सी तालिका-5बी में वर्ष की शुरुआत में बिना बिल राजस्व पिछले जीएसटीआर-9सी के तालिका-5एच में दिखाए गए बिना बिल राजस्व के साथ मेल खाना चाहिए। कोई भी बेमेल कर योग्य आवर्त के शमन का संकेत हो सकता है। चूंकि करदाताओं को इन आंकड़ों को अलग से घोषित नहीं करने का विकल्प प्रदान किया गया है और केवल तालिका-5ओ में समायोजन को प्रतिवेदित करना है, केवल ऐसे मामलों पर विचार किया जाता है जहाँ 5बी और 5एच दोनों आंकड़ों की घोषणा की जाती है।

⁹² बिहारशरीफ, दानापुर, हाजीपुर, मधेपुरा, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी एवं पटना उत्तरी।

⁹³ बिहारशरीफ, पटना मध्य एवं पटना उत्तरी।

⁹⁴ दानापुर, हाजीपुर, मधेपुरा एवं पटना सिटी पूर्वी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छः अंचलों⁹⁵ के अधीन 11 मामलों में सात करदाताओं के जीएसटीआर-9सी की तालिका-5बी और तालिका-5एच में घोषित ₹ 561.31 करोड़ के लिए असमाशोधित करयोग्य आवर्त था, जैसा कि परिशिष्ट 2.26 में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि पटना उत्तरी अंचल के एक मामले में ₹ 7.87 लाख की राशि वसूल की गई थी, छः अंचलों⁹⁶ के नौ मामलों में डीआरसी-01 जारी किया गया था। सासाराम अंचल के एक मामले में कार्यवाही शुरू की गई थी।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

वर्ष 2020-21 के लिए बिहारशरीफ अंचल के अधीन एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZR) के पिछले वर्ष के जीएसटीआर-9सी की तालिका 5एच में ₹ 0.21 करोड़ का बिना बिल राजस्व था, लेकिन जीएसटीआर-9सी के तालिका-5बी में नहीं लिया गया था। लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी किया गया था।

(XIII) जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में असमाशोधित कर योग्य आवर्त

तीन अंचलों में तीन करदाताओं के चार मामलों में जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में ₹ 1,090.99 करोड़ के कर योग्य असमाशोधित आवर्त घोषित की गई थी।

जीएसटीआर-9सी की तालिका-7 कर योग्य आवर्त का मिलान है। इस तालिका का कॉलम-7जी वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किए गए आवर्त के बीच असंगत कर योग्य आवर्त को दर्शाता है।

वर्ष 2018-21 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9सी में बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 80 (3) के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था ताकि वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक प्रतिवेदन में प्रतिवेदित करयोग्य आवर्त में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 में आवर्त वित्तीय विवरण से कम है उनमें असमाशोधित राशि अप्रतिवेदित, कम प्रतिवेदित, चूक, कर योग्य आपूर्ति की प्रतिवेदन में त्रुटि को इंगित करती हैं। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों को प्रतिवेदित नहीं करने के कारण भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन अंचलों⁹⁷ के तहत चार मामलों में तीन करदाताओं के जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में घोषित ₹ 1,090.99 करोड़ के असमाशोधित कर योग्य आवर्त था, जैसा कि परिशिष्ट 2.27 में वर्णित है।

विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि भागलपुर अंचल के एक मामले में ₹ 1.66 लाख की राशि वसूल की गई थी, दो अंचलों⁹⁸ के तीन मामलों में नोटिस/डीआरसी-01/एएसएमटी-10 जारी किए गए थे।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

वर्ष 2020-21 के लिए पटना सिटी पश्चिमी अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZH) ने जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में ₹ 41.43 करोड़ के असमाशोधित कर योग्य आवर्त की घोषणा की थी। लेखापरीक्षा पृच्छा के प्रतिक्रिया में करदाता को एएसएमटी-10 जारी किया गया था।

⁹⁵ बिहारशरीफ, दानापुर, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना विशेष एवं सासाराम।

⁹⁶ बिहारशरीफ, दानापुर, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना विशेष एवं सासाराम।

⁹⁷ भागलपुर, पटना सिटी पश्चिमी एवं पटना पश्चिमी।

⁹⁸ पटना सिटी पश्चिमी एवं पटना पश्चिमी।

(XIV) कंपोजिशन करदाता द्वारा ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ

दो अंचलों के दो मामलों में दो कंपोजिशन करदाता ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहे थे।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10(2) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन आरोपण का विकल्प चुनने के लिए पात्र था, यदि वह ई-कॉमर्स संचालक के माध्यम से माल की कोई आपूर्ति करने में संलग्न नहीं था। ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाने वाले उन कंपोजिशन करदाताओं⁹⁹ की पहचान करने के लिए, ई-कॉमर्स संचालकों द्वारा दायर जीएसटीआर-8¹⁰⁰ और कंपोजिशन करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटीआर-4¹⁰¹ के डेटा की तुलना यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या जीएसटीआर-8 रिटर्न में उल्लिखित जीएसटीआईएन प्राप्तकर्ता ने भी जीएसटीआर-4 रिटर्न दाखिल किया था। चूँकि, जीएसटीआर-8 रिटर्न केवल 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हुआ, इसलिए यह प्रयास इस धारणा के साथ किया गया था कि इन करदाताओं ने 2018-19 से 2020-21 में ई-कॉमर्स संचालकों की सुविधाओं का भी लाभ उठाया होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो कंपोजिशन करदाता वर्ष 2018-21 के लिए दो अंचलों¹⁰² के तहत दो मामलों में ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे थे, जैसा कि **परिशिष्ट 2.28** में वर्णित है।

आगे विभाग ने भी जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि दो अंचलों के¹⁰³ दो मामलों में, डीआरसी-01 जारी किया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना दक्षिणी अंचल के तहत एक कंपोजिशन करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZB) 2020-21 के दौरान ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहा था। प्रतिक्रिया में कहा गया कि डीआरसी-01ए जारी किया गया था।

(XV) कंपोजिशन आरोपण का अनियमित रूप से लाभ उठाना

बक्सर अंचल में, एक करदाता ने बावजूद इस तथ्य के कि करदाता का आवर्त 2018-19 में ₹ एक करोड़ और 2019-20 में ₹ 1.50 करोड़ की सीमा को पार कर लिया था कंपोजिशन आरोपण का लाभ उठाया।

कंपोजिशन आरोपण कर उद्ग्रहण की एक वैकल्पिक विधि है जो छोटे करदाताओं के लिए बनाया गया है जिसका आवर्त ₹ 75 लाख तक है। कंपोजिशन योजना का उद्देश्य छोटे करदाताओं के लिए सरलता लाना और अनुपालन मूल्य कम करना है। और भी, यह वैकल्पिक है और इस योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाला पात्र व्यक्ति सामान्य दर पर कर का भुगतान करने के बजाय हर तिमाही में अपने आवर्त के निर्धारित प्रतिशत पर कर का भुगतान कर सकता है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 से 2020-21 के लिए आवर्त सीमा क्रमशः ₹ 1.00 करोड़ और ₹ 1.50 करोड़ तक बढ़ा दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बक्सर अंचल के तीन मामलों में एक करदाता ने (तीन अलग-अलग वर्षों में) वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए निर्दिष्ट आवर्त सीमा को पार करने के बावजूद कंपोजिशन आरोपण का लाभ उठाया जैसा **परिशिष्ट 2.29** में वर्णित है।

⁹⁹ एक निर्माता, व्यापारी या सेवा प्रदाता जिसका कुल कारोबार ₹1.50 करोड़ (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ₹ 7.5 लाख) से कम है, जिसने कंपोजिशन आरोपण का विकल्प चुना है—जो छोटे करदाताओं के लिए तैयार की गई वैकल्पिक आरोपण पद्धति है।

¹⁰⁰ यह माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकृत ई-कॉमर्स संचालक द्वारा दाखिल किया जाने वाला मासिक रिटर्न है।

¹⁰¹ यह एक रिटर्न है जो करदाता द्वारा कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने पर वार्षिक आधार पर दाखिल किया जाता है, हालाँकि वित्तीय वर्ष 2018-19 तक रिटर्न हर तिमाही में दाखिल किया जाता था, जिसे सीएमपी-08 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

¹⁰² पटना मध्य एवं पटना दक्षिणी।

¹⁰³ पटना मध्य एवं पटना दक्षिणी।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि बक्सर अंचल के एक मामले में, ₹ 0.70 लाख की राशि वसूल की गई थी जबकि दो मामलों में डीआरसी-01 जारी किया गया था।

(XVI) मामले जहाँ जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है

14 अंचलों के 34 मामलों में, 23 करदाताओं ने जीएसटीआर-1 दाखिल किया था और जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किए बिना वर्ष 2018-21 के लिए ₹ 17.53 करोड़ की कर देयता घोषित की थी।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39, सहपठित बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 61 (5), जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने को प्रावधित करता है। डेटा स्तर पर, लेखापरीक्षा ने उन करदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया जिन्होंने जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया था, लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल किया था या जिनका जीएसटीआर-2ए उपलब्ध था। जीएसटीआर-3बी रिटर्न एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से देनदारी की भरपाई की जाती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए की उपलब्धता और जीएसटीआर-3बी दाखिल न करना संकेत देता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय किया था, लेकिन अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया था। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और उन मामलों को निकाला गया जहाँ जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 अंचलों¹⁰⁴ के तहत 34 मामलों में 23 करदाताओं ने जीएसटीआर-1 दाखिल किया था और वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए ₹ 17.53 करोड़ की कर देयता घोषित की थी, लेकिन उन्होंने जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.53 करोड़ की अभुक्त कर देयता हुई। यह भी देखा गया कि इन करदाताओं के पंजीकरण को निरस्त कर दिया गया था जैसाकि परिशिष्ट 2.30 में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि पटना दक्षिणी अंचल के एक मामले में ₹ 25.06 लाख की राशि वसूल की गई थी और तीन अंचलों¹⁰⁵ के आठ मामलों में नोटिस/डीआरसी-01 जारी किए गए थे। इसके अलावा नौ अंचलों¹⁰⁶ के 22 मामलों में डीआरसी-07 जारी किए गए थे और दो अंचलों¹⁰⁷ के तीन मामलों में, यह जवाब दिया गया था कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना दक्षिणी अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1Z1) ने जीएसटीआर-1 में ₹ 1.20 करोड़ की कर देयता स्वीकार की थी, लेकिन करदाता ने जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया था और कर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ की अभुक्त कर देयता हुई। प्रतिक्रिया में, विभाग ने जवाब दिया कि डीआरसी-01 जारी किया गया था।

(XVII) विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान

22 अंचलों के 109 मामलों में, 40 करदाताओं के पास वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए ₹ 16.68 करोड़ की राशि के कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान था।

2018-19 से 2020-21 के दौरान कर के विलंबित भुगतान के कारण ब्याज के कम भुगतान की पहचान जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान विवरण और जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की तारीख के माध्यम

¹⁰⁴ औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, गांधी मैदान, गया, खगड़िया, मधेपुरा, मोतिहारी, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी एवं सासाराम।

¹⁰⁵ बेगूसराय, पटना सिटी पूर्वी एवं सासाराम।

¹⁰⁶ बक्सर, गांधी मैदान, गया, खगड़िया, मधेपुरा, मोतिहारी, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, एवं पटना पश्चिमी।

¹⁰⁷ औरंगाबाद एवं पटना मध्य।

से की गई थी। संबंधित महीनों (प्रदान किए गए किसी भी विस्तार सहित) के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की नियत तारीख और जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की वास्तविक तारीख को ब्याज देयता की गणना के लिए ध्यान में रखा गया है और केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) को देय ब्याज की गणना के लिए ध्यान में रखा गया था।

जनवरी से अप्रैल 2020 तक कोविड-19 प्रथम चरण और मार्च 2021 के लिए द्वितीय चरण के अवधि के लिए उद्योगों को दिये गए सभी छूट और घटा हुआ ब्याज दर पर ब्याज की गणना करते समय विचार किया गया था। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि निकाला गया ब्याज केवल न्यूनतम है, क्योंकि कर अवधि से पहले की गई आपूर्ति के लिए और उक्त कर अवधि के रिटर्न में घोषित आपूर्ति के लिए पूरे कर घटक पर ब्याज का भुगतान किया जाना है। इस तरह के विभाजन की उपलब्धता नहीं रहने के कारण, ऐसी आपूर्ति पर ब्याज भी केवल नकद घटक पर गणना की गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22 अंचलों¹⁰⁸ के 109 मामलों में 40 करदाताओं द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 16.68 करोड़ की राशि के ब्याज का कम भुगतान किया, जैसा कि **परिशिष्ट 2.31** में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि आठ अंचलों¹⁰⁹ के 22 मामलों में डीआरसी-03 के माध्यम से ₹ 2.76 करोड़ की राशि जमा की गई थी, जबकि 11 अंचलों¹¹⁰ के 46 मामलों में नोटिस/एएसएमटी-10/डीआरसी-01 जारी किया गया था। इसके अलावे नौ अंचलों¹¹¹ के 31 मामलों में विभाग ने जवाब दिया कि मांग नोटिस डीआरसी-07 जारी किया गया था और दो अंचलों¹¹² के 10 मामलों में जवाब स्पष्ट नहीं था।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

सुपौल अंचल में पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZO) ने वर्ष 2018-19 के लिए कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 0.15 करोड़ की ब्याज राशि का कम भुगतान किया था। दिनांक 13-10-2023 को डीआरसी-03 के माध्यम से राशि जमा की गई थी।

(ख) करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ (29 मामले)

डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ प्राप्त कुल प्रतिक्रियाओं का पाँच प्रतिशत (589 मामलों में से 29) थी और आठ प्रतिशत (349 मामलों में से 29) मामले जहाँ विभाग की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया था। इन डेटा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व प्रभाव नहीं था। अधिकांश डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ, रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म, अभुक्त कर और कर भुगतान से संबंधित था जैसा कि **परिशिष्ट 2.32** में वर्णन किया गया है।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना सिटी पश्चिमी अंचल के तहत करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZA) का जीएसटीआर-3बी कर देयता ₹ 1.14 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल कर देयता ₹ 46.77 करोड़ होने के कारण ₹ 45.63 करोड़ का विचलन पाया गया और विभाग को सूचित किया गया था। विभाग ने जवाब दिया कि करदाता द्वारा टंकण त्रुटि के कारण उपकर मूल्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक- वे बिल में ₹ 46.16 करोड़ की राशि का विचलन सृजित हुआ था।

¹⁰⁸ औरंगाबाद, बगहा, बाढ़, बेगूसराय, भभुआ, बक्सर, दानापुर, गांधी मैदान, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, कटिहार, लखीसराय, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, सारण, सासाराम, शाहाबाद एवं सुपौल।

¹⁰⁹ औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, गांधी मैदान, गया, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी एवं सुपौल।

¹¹⁰ औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, दानापुर, गांधी मैदान, हाजीपुर, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, सारण, सासाराम एवं शाहाबाद।

¹¹¹ बगहा, बाढ़, बेगूसराय, गांधी मैदान, गोपालगंज, कटिहार, लखीसराय, मोतिहारी, एवं पटना दक्षिणी।

¹¹² पटना मध्य एवं सुपौल।

(ग) लेखापरीक्षा पृच्छा जारी करने से पहले की गई कार्रवाई (88 मामले)

विभाग ने पहले ही 88 मामलों में कार्रवाई की थी, जो प्राप्त 589 प्रतिक्रियाओं का 15 प्रतिशत थी। शीर्ष पाँच अंचल जिन्होंने विचलन/विसंगतियों को सक्रिय रूप से समाधान किया जो तालिका 2.11 में वर्णित हैं।

तालिका 2.11

लेखापरीक्षा पृच्छा से पहले की गई कार्रवाई

अंचल	लेखापरीक्षा पृच्छा से पहले की गई कार्रवाई (मामलों की संख्या)	लेखापरीक्षा पृच्छा की कुल संख्या	प्रतिक्रिया प्राप्त (मामलों की संख्या)	लेखापरीक्षा पृच्छा से पहले की गई कार्रवाई का प्रतिशत
पाटलिपुत्र	12	33	27	36
मुजफ्फरपुर पश्चिमी	7	13	13	54
बेगूसराय	6	27	27	22
दानापुर	6	16	16	38
शाहाबाद	6	26	25	23
कुल	37	115	108	32

अनुशंसा 3: विभाग विचलन एवं विसंगति को कम करने के लिए अनुपालन बढ़ाने, डेटा की शुद्धता में सुधार और निगरानी एवं समीक्षा प्रक्रिया बढ़ा सकती है।

2.4.8 माल एवं सेवा कर रिटर्न का विस्तृत लेखापरीक्षा

बाह्य लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, पैन स्टेट डेटा विश्लेषण के माध्यम से माल एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा, इस समीक्षा के एक हिस्सा के रूप में माल एवं सेवा कर रिटर्न का एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई। समीक्षा के इस हिस्से के लिए 100 करदाताओं का जोखिम आधारित नमूने का चयन किया गया। अपनाई जाने वाली पद्धति शुरू में जीएसटीआर-9सी के हिस्से के रूप में करदाताओं द्वारा दाखिल माल एवं सेवा कर रिटर्न एवं वित्तीय विवरणों और बैंक-इंड व्यवस्था में उपलब्ध अन्य अभिलेख की डेस्क समीक्षा करना था ताकि संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलन और रेड फ्लैग की पहचान की जा सके। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, करदाताओं के सम्बन्धित बारीक अभिलेख यथा वित्तीय बही, बीजक इत्यादि की मांग कर अंचलों में बिस्तृत लेखापरीक्षा की जानी थी ताकि पहचाने गए जोखिमों के लिए प्रेरक पहलुओं को पहचाना जा सके और करदाताओं के अनुपालन का मूल्यांकन किया जा सके।

क) कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतीकरण)

बैंक-इंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेख की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच के लिए अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता अंतर से संबंधित जोखिमों की पहचान की। इनपुट टैक्स क्रेडिट आयाम पर, जीएसटीआर-3बी की तुलना जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9 के साथ और जीएसटीआर-9सी की तालिका-12 एवं 14 में की गई घोषणाओं से अंतर की पहचान की गई। कर देयता आयाम पर, जीएसटीआर-3बी की तुलना जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के साथ और जीएसटीआर-9सी की तालिका-5, तालिका-7 और तालिका-9 में घोषणाओं के साथ, अन्तर की पहचान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता के अंतर के लिए प्रेरक कारकों की जाँच करने के लिए करदाताओं के तदनुरूप पूरक वित्तीय बही, बीजक, समझौते की प्रतियों इत्यादि बारीक

अभिलेख संबंधित अंचलों के माध्यम से माँग की। हालाँकि, विभाग ने 100 मामलों में से 98 मामलों में करदाताओं से संबंधित तदनु रूप अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। अभिलेखों का अंचल-वार आंशिक प्रस्तुतीकरण परिशिष्ट 2.33 में वर्णित है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, पाँच अंचलों¹¹³ के सक्षम अधिकारियों ने कहा कि माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत करदाता से अभिलेख मंगाने के लिए कोई तंत्र नहीं है। चार अंचलों¹¹⁴ के सक्षम अधिकारियों ने कहा कि मामले की जाँच की जाएगी, जबकि दो अंचलों¹¹⁵ के मामलों में यह कहा गया कि माल एवं सेवा कर पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं। दो अंचलों¹¹⁶ के सक्षम अधिकारियों ने कहा कि करदाताओं से अभिलेख माँगे जाएंगे और लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा और नौ अंचलों¹¹⁷ से कोई जवाब नहीं मिला।

विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि बारीक अभिलेख माल एवं सेवा कर पोर्टल या एमआईएस प्रतिवेदन के रूप में उपलब्ध नहीं थे और करदाताओं के लिए माल एवं सेवा कर पोर्टल पर ऐसे अभिलेख डालने की बाध्यता नहीं थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाताओं द्वारा माल एवं सेवा कर रिटर्न के साथ डाले गये अभिलेख के अलावा अतिरिक्त बारीक अभिलेख जो लेखापरीक्षा द्वारा माँगे गए थे पहचाने गए विसंगतियों/अन्तर पर आधारित थे जिसे विभाग को करदाताओं से प्राप्त कर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराना चाहिए। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 के विनियम 19 (6) में प्रावधान है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18 के अनुसार लेखापरीक्षा इकाई के प्रभारी अधिकारी का यह वैधानिक दायित्व है कि वह आँकड़ा, सूचना और अभिलेखों के लिए लेखापरीक्षा के अनुरोधों का पालन करे।

(ख) विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पूर्ववर्ती कंडिका में चर्चा के अनुसार अभिलेखों के नहीं/आंशिक प्रस्तुतीकरण के कारण, लेखापरीक्षा जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी की प्रासंगिक तालिकाओं में की गई घोषणाओं की तुलना करने में पहचाने गए बेमेल के आधार पर चयनित मामलों की विस्तृत लेखापरीक्षा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश तालिका 2.12 में दिया गया है और आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

तालिका 2.12

विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

क्र० सं०	मापदंड	विचलन की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)
1	करदाताओं द्वारा ब्याज का कम/भुगतान नहीं किया जाना	54	2.01	0.08
2	आपूर्तिकर्ता के विवरण के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं करदाताओं द्वारा लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य बेमेल	55	42.29	1.88
3	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9 की तालिका-6जे) में घोषित एवं जीएसटीआर-3बी में उपभोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेमेल	42	386.62	0

¹¹³ औरंगाबाद, गांधी मैदान, गया, पाटलिपुत्र एवं सुपौल।

¹¹⁴ गोपालगंज, मधुबनी, पटना विशेष एवं सहरसा।

¹¹⁵ जहानाबाद एवं पटना पूर्वी।

¹¹⁶ हाजीपुर एवं पटना सिटी पूर्वी।

¹¹⁷ भागलपुर, दानापुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना पश्चिमी, सासाराम एवं शाहाबाद।

क्र० सं०	मापदंड	विचलन की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)
4	सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर-3बी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया	2	4.08	0
5	कर का नहीं/कम भुगतान और लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत भुगतान के मध्य अन्तर	13	0.38	0
6	आयातित मालों पर अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना	2	0.20	0
7	इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम रिवर्सल	5	0.74	0
8	जीएसटीआर-1 की तुलना में जीएसटीआर-9/3बी में कर देयता का कम स्वीकृति	29	7.25	0.01
9	कर का कम भुगतान	20	4.61	0
10	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत देय कर का भुगतान नहीं	15	0.72	0.05
11	बेमेल आवर्त (बिना बिल राजस्व)	5	0	0
12	स्रोत पर कर कटौती की घोषणाओं के माध्यम से पहचाने गए बेमेल कर योग्य मूल्य	2	0.56	0
कुल		244	449.46	2.02

बारीक अभिलेख के अभाव में लेखापरीक्षा निष्कर्ष (i) इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग, (ii) कर देयता का निर्वहन और (iii) ब्याज का कम/भुगतान नहीं करना के तहत वर्गीकृत है।

1. इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है माल और/या सेवाओं की खरीद पर एक करदाता द्वारा भुगतान किया गया माल और सेवा कर जो व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग बाह्य आपूर्ति पर करों के भुगतान को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 और 17 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित हैं। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग राज्य माल एवं सेवा कर/केन्द्रशासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर के भुगतान के लिए या इसके विपरीत नहीं किया जा सकता है। बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 36 से 45 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उसे वापस करने की प्रक्रिया को निर्धारित की गई हैं।

तालिका 2.13

इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग

क्र. सं.	जोखिम मापदंड	मामलों की सं.	अंचलों की सं.	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1.	आपूर्तिकर्ता के विवरण के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं करदाताओं द्वारा लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य अंतर	55	12	42.28	जब यह इंगित किया गया, विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि ₹ 1.88 करोड़ की राशि दो अंचलों ¹¹⁸ के चार मामलों में वसूल की गई थी और आठ अंचलों ¹¹⁹ के 20 मामलों में नोटिस/आदेश जारी किए गए थे। सात अंचलों ¹²⁰ के 31 मामलों में, जवाब प्रतीक्षित था (जून 2024)।
		विवरण परिशिष्ट 2.34 (ए) और (बी) में है			

¹¹⁸ पटना विशेष एवं पाटलिपुत्र।

¹¹⁹ गोपालगंज, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष।

¹²⁰ औरंगाबाद, दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना मध्य, पटना विशेष एवं पटना सिटी पूर्वी।

क्र. सं.	जोखिम मापदंड	मामलों की सं.	अंचलों की सं.	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
2.	वार्षिक रिटर्न की तुलना में जीएसटीआर-3बी में घोषित बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	27	06	156.76	विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि चार अंचलों ¹²¹ के 10 मामलों में नोटिस/आदेश जारी किए गए थे। पाँच अंचलों के 17 मामलों में जवाब प्रतीक्षित था। (जून 2024)।
		विवरण परिशिष्ट 2.35 में है			
3.	सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर-3बी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया	02	02	04.08	संबंधित अंचलों ने जवाब दिया कि मामले की जाँच की जाएगी। आगे विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (जून 2024)।
		विवरण परिशिष्ट 2.36 में है			
4.	कर का भुगतान न करना/ कम करना तथा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किये गये भुगतान के बीच विसंगति	13	06	0.38	जब इसे इंगित किया गया, विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि चार अंचलों ¹²² के पाँच मामलों में डीआरसी-01 जारी किया गया था। तीन अंचलों ¹²³ के आठ मामलों में, जवाब प्रतीक्षित था (जून 2024)।
		विवरण परिशिष्ट 2.37 (ए) और (बी) में है			
5.	माल के आयात पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ उठाना	02	01	0.20	इसे इंगित किए जाने पर संबंधित अंचलों ने जवाब दिया कि मामले की जाँच की जाएगी। विभाग के आगे का जवाब प्रतीक्षित था।
6.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम रिवर्सल	05	03	0.74	इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि डीआरसी-01/डीआरसी-07 जारी किया गया था।
		विवरण परिशिष्ट 2.38 में है			

II. कर दायित्व का निर्वहन

कर देनदारियों के निर्वहन को प्रभावित करने वाले बेमेल के अन्य मामले नीचे तालिका 2.14 में सूचीबद्ध हैं:

तालिका 2.14
कर दायित्व का निर्वहन

क्र. सं.	जोखिम मापदंड	मामलों की संख्या	अंचलों की संख्या	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1.	जीएसटीआर-1 की तुलना में जीएसटीआर-9/3बी में कर देयता की कम स्वीकार्यता	29	09	7.25	इंगित किए जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि पटना विशेष अंचल के एक मामले में ₹ 1.15 लाख की राशि वसूल की गई थी। पाँच अंचलों ¹²⁴ के 13 मामलों में नोटिस (एएसएमटी-10, डीआरसी-01, डीआरसी-07) जारी किए गए थे। छः अंचलों ¹²⁵ के 15 मामलों में, जवाब प्रतीक्षित था (जून 2024)।
		विवरण परिशिष्ट 2.39 में है।			

¹²¹ दानापुर, पटना मध्य, पटना विशेष एवं पटना सिटी पश्चिमी।

¹²² पटना मध्य, पटना दक्षिणी, भागलपुर एवं सुपौल।

¹²³ दानापुर, पटना मध्य एवं पटना विशेष।

¹²⁴ पटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना उत्तरी एवं पटना दक्षिणी।

¹²⁵ गया, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना विशेष, समस्तीपुर एवं शाहाबाद।

क्र. सं.	जोखिम मापदंड	मामलों की संख्या	अंचलों की संख्या	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
2.	कर का कम भुगतान	20	08	4.62	इंगित किए जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि पटना विशेष अंचल के एक मामले में ₹ 0.05 लाख की वसूली की गई थी, जबकि पाँच अंचलों ¹²⁶ के आठ मामलों में नोटिस (एसएमटी-10/डीआरसी-01) जारी किया गया था। पाँच अंचलों ¹²⁷ के 11 मामलों में, जवाब प्रतीक्षित था (अप्रैल 2024)।
		विवरण परिशिष्ट 2.40 (ए) और (बी) में है।			
3.	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत देय कर का कम भुगतान	15	03	0.72	विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024), दो अंचलों के दो मामलों में ₹ 5.01 लाख की राशि वसूल की गई थी एवं पाटलिपुत्र अंचल के तीन मामलों में, नोटिस जारी किए गए थे। दो अंचलों ¹²⁸ के 10 मामलों में, जवाब प्रतीक्षित थे (जून 2024)।
		विवरण परिशिष्ट 2.41 में है।			
4.	बेमेल आवर्त (बिना बिल राजस्व)	05	04	219.38	इंगित किए जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि दो अंचलों ¹²⁹ के तीन मामलों में डीआरसी-01/डीआरसी-07 जारी किए गए थे। दो अंचलों ¹³⁰ के दो मामलों में, जवाब प्रतीक्षित था (जून 2024)।
		विवरण परिशिष्ट 2.42 में है।			
5.	स्रोत पर कर कटौती के घोषणा के माध्यम से पहचाने गए बेमेल कर योग्य मूल्य	02	02	4.68	इसे इंगित किया जाने पर, (सितम्बर-अक्टूबर 2024), विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि सूचना (एसएमटी-10/डीआरसी-07) जारी किए गए थे।
		विवरण परिशिष्ट 2.43 में है।			

III. करदाताओं द्वारा ब्याज का कम/भुगतान न करना

15 अंचलों के 54 मामलों में 25 करदाताओं ने 1 से 654 दिनों के बिलम्ब से अपना रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन ₹ 2.01 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 (1) के अनुसार, एक करदाता को निर्धारित अवधि के अंदर कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहने पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान विवरण और जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की तारीख का उपयोग करके 2018-21 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान की गई। देय ब्याज की गणना करने के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया।

लेखापरीक्षा ने 15 अंचलों¹³¹ के 54 मामलों में पाया, जो लेखापरीक्षित 300 मामलों के 18 प्रतिशत थे, 25 करदाताओं ने 1 से 654 दिनों के विलम्ब के साथ अपना रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन ₹ 2.01 करोड़ की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था जैसा परिशिष्ट 2.44 में वर्णित है।

¹²⁶ पाटलिपुत्र, पटना दक्षिणी, भागलपुर, पटना मध्य एवं पटना उत्तरी।

¹²⁷ गया, पटना विशेष, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना मध्य एवं पटना उत्तरी।

¹²⁸ पटना विशेष एवं सासाराम।

¹²⁹ मुजफ्फरपुर पश्चिमी एवं पटना सिटी पश्चिमी।

¹³⁰ पटना मध्य एवं पटना विशेष।

¹³¹ औरंगाबाद, भागलपुर, दानापुर, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, सहरसा, शाहाबाद एवं सुपौल।

शीर्ष पाँच मामले तालिका 2.15 में दिए गए हैं:

तालिका 2.15
ब्याज का भुगतान न करने के शीर्ष पाँच मामले

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	जीएसटीआईएन	अंचल	अवधि	सन्निहित राशि
1.	10XXXXXXXXXX1Z4	गोपालगंज	2018-19	0.46
2.	10XXXXXXXXXX1Z4	गोपालगंज	2019-20	0.40
3.	10XXXXXXXXXX2ZS	शाहाबाद	2018-19	0.19
4.	10XXXXXXXXXX2ZS	शाहाबाद	2020-21	0.17
5.	10XXXXXXXXXX1ZY	गया	2019-20	0.09

विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि पाँच अंचलों¹³² के पाँच मामलों में ₹ 8.34 लाख की राशि वसूल की गई थी एवं आठ अंचलों¹³³ के 24 मामलों में नोटिस/आदेश जारी किए गए थे। आठ अंचलों¹³⁴ के 25 मामलों में जवाब प्रतीक्षित था (जून 2024)।

दो उदाहरणात्मक मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- (I) गोपालगंज अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1Z4) ने वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-3बी मासिक रिटर्न 190 और 654 दिनों के बीच की बिलम्ब से दाखिल किया था। तथापि, ₹ 2.48 करोड़ के कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 0.46 करोड़ की ब्याज देयता का निर्वहन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा कि डीआरसी-07 जारी किया गया था।
- (II) भागलपुर अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZY) के पास वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए ₹ 0.06 करोड़ की ब्याज देयता थी, जबकि उसने केवल ₹ 0.04 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया था। इस प्रकार, करदाता कर के भुगतान में देरी के लिए ₹ 0.02 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा कि डीआरसी-01 जारी किया गया था।

अनुशंसा 4: विभाग इस अध्याय में लाए गए सभी अनुपालन विचलन के लिए उनके कालातीत होने से पहले उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

अनुशंसा 5: विभाग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के धारा 18 (2) और लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन, 2020 के तहत लेखापरीक्षा के लिए नियामक जरूरतों एवं बारीक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर सकता है।

2.4.9 निष्कर्ष

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा ने खुलासा किया कि रिटर्न दाखिला और करदाता अनुपालन की निगरानी जैसे अंचलों के आवश्यक निरीक्षण कार्यों के दस्तावेजीकरण में कमी थी। इसके अलावा, बारीक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, बीजक इत्यादि विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित 100 करदाताओं के नमूने में 98 मामलों में प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे कार्यक्षेत्र सीमित हो गया था।

¹³² गोपालगंज, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष।

¹³³ भागलपुर, गोपालगंज, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, सहरसा एवं सुपौल।

¹³⁴ औरंगाबाद, दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना विशेष एवं शाहाबाद।

इसके अलावा, केंद्रीय लेखापरीक्षा में पहचानी गई 671 उच्च मूल्य की डेटा विसंगतियों में से, विभाग ने 589 मामलों का जवाब दिया। इनमें से विभाग ने 349 मामलों (जो 59.25 प्रतिशत थे) जिसकी राशि ₹ 690.30 करोड़ थी को स्वीकर किया। 41 मामलों में विभाग ने ₹ 11.01 करोड़ रुपये की वसूली की थी। ब्याज के कम/अभुक्त, इनपुट टैक्स क्रेडिट, गलत आवर्त घोषणाओं और कर के कम भुगतान की अपेक्षाकृत अधिक बेमेल दर देखी गई। डेटा के प्रविष्टि त्रुटियों के कारण पाँच प्रतिशत मामलों में विसंगतियाँ हुईं और 15 प्रतिशत मामलों में विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई की थी। विभाग ने विसंगतियों के 82 मामलों पर प्रतिक्रिया नहीं दिया, जिसमें ₹ 228.96 करोड़ (सम्मिलित बेमेल) का चिन्हित जोखिम था।

माल एवं सेवा कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन मामलों का खुलासा किया। हालाँकि, उपलब्ध कराए गए सीमित अभिलेखों से, लेखापरीक्षा ने 244 मामलों में 449.46 करोड़ के अनुपालन कमियों को पाया। इसके मुख्य कारण गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना, गलत आवर्त घोषणाएं, कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का गैर/कम भुगतान और कर का कम भुगतान था। विभाग ने जुलाई 2024 तक ₹ 2.02 की करोड़ की वसूली की।

2.4.10 अनुशंसाओं का सारांश

इस प्रतिवेदन में लाए गए अनुपालन कमियों को ध्यान में रखते हुए विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सभी अनुपालन कमियों के सम्बन्ध में, उनके समय वर्जित होने से पहले, निश्चित रूप से सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करे और निम्नलिखित पर विशेष कार्रवाई करे:

1. विभाग अंचलों में निगरानी तंत्र को मजबूत कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि निरस्त करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने और वसूली के लिए प्रक्रियाओं में उचित लगन का पालन हो।
2. विभाग विसंगतियों और विचलन जिनके लिए प्रतिक्रियाएँ प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए अनुशीलन कर सकता है और जहाँ भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है। साथ ही विभाग रिटर्न की नियमित जाँच के दौरान अंतर की पहचान करने में उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम को उचित रूप से शामिल कर सकता है।
3. विभाग विचलन एवं विसंगति को कम करने के लिए कर अनुपालन बढ़ाने, डेटा की शुद्धता में सुधार और निगरानी एवं समीक्षा प्रक्रिया बढ़ा सकती है।
4. विभाग इस प्रतिवेदन में लाए गए सभी अनुपालन विचलन के लिए उनके समय वर्जित होने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।
5. विभाग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के धारा 18(2) और लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन, 2020 के तहत लेखापरीक्षा के लिए नियामक जरूरतों एवं बारीक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर सकता है।

अध्याय III
राजस्व एवं भूमि
सुधार

अध्याय III : राजस्व एवं भूमि सुधार

3.1 कर प्रशासन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भूमि का अधिग्रहण, हस्तान्तरण तथा भू-राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण करता है। भूमि अधिग्रहण के लिए समाहर्ता उत्तरदायी होते हैं जिनको जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहयोग करते हैं।

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त प्रशासनिक प्रधान होते हैं, उनको मुख्यालय स्तर पर तीन निदेशक एवं विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव सहयोग करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अंचलाधिकारी, भू-अभिलेखों के रख-रखाव एवं भू-राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 961 इकाईयों में से 66 इकाईयों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा संवीक्षा में 789 मामलों में ₹ 3,546.95 करोड़ के सैरातों का निपटान न किए जाने और अन्य अनियमितताओं का पता चला, जैसाकि नीचे दी गयी तालिका 3.1 में वर्णित है:

rkfydk 3-1
ys kki jhkk ds ifj. ke

क्र. स.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	बकाया पर कर का आरोपण नहीं एवं कम आरोपण किया जाना और/या ब्याज के मामले	5	427.22
2.	निहित भूमि का निपटान न किया जाना	3	0
3.	सैरात का बंदोबस्त नहीं होना	26	1,406.20
4.	अन्य मामले	755	3,52,861.83
	कुल	789	3,54,695.25

वर्ष 2022-23 के दौरान विभाग द्वारा कोई वसूली नहीं की गई। 2022-23 और उससे पूर्व के वर्षों के सभी मामलों में जवाब प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

3.3 मुआवजा राशि और ब्याज का कम भुगतान

गुणक कारक के गलत अनुप्रयोग के कारण 517 प्रभावित परिवारों को ₹ 8.84 करोड़ के मुआवजे का कम भुगतान।

भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 26(2) के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य को अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार, गुणा किया जायेगा। प्रथम अनुसूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में 'कारक' 1.00 (एक) से 2.00 (दो) था, जो शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी पर आधारित था, जैसा कि राज्य सराकर द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

¹ राजस्व अर्जित करने वाली हाट, बाजार, मेला, वृक्ष, मत्स्यपालन, जलकर, फलकर, फेरी आदि के संबंध में अधिकार और हित।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने धारा 26(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों और भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहीत/अधिग्रहणाधीन भूमि के मुआवजे की गणना के लिए गुणन कारक को दो पर रखते हुए एक संकल्प² जारी किया (मई 2014)।

इसके अलावा, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी दिशानिर्देशों की नियमावली के पैरा 6.9 (ii) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों (शहरी सीमा के अंतिम बिंदु से) के मामले में बाजार मूल्य को जिस गुणन कारक से गुणा किया जाना था, वह संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित होगा।

लेखापरीक्षा ने जिला भू अर्जन कार्यालय, सीतामढ़ी में अनुरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग 527-सी के निर्माण (चौड़ीकरण/फोर लेनिंग) के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी 2023)। सीतामढ़ी जिले के तीन³ मौजा⁴ की भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना प्रकाशित (12 जनवरी 2017) हुई। भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा 1.5 की दर से गुणन कारक लागू करते हुए, अनुमान तैयार किया गया (जून 2018) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया (जुलाई 2019)।

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों और भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का पालन न करने के कारण, भू अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अनुमान तैयार करते समय 2 (दो) के बजाय 1.5 का गुणन कारक लागू किया, जिसके कारण 517 प्रभावित परिवारों⁵ को ₹ 8.84 करोड़ के मुआवजा का कम भुगतान हुआ (परिशिष्ट 3.1)।

भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 80 में प्रावधान है कि यदि भूमि पर कब्जा लेने से पहले मुआवजा का भुगतान नहीं किया जाता है, तो समाहर्ता को ऐसी भूमि पर कब्जे की तिथि से मुआवजे के भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा और एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद मुआवजे की राशि या उसके किसी भाग पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा। भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26(2) के प्रावधानों के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹ 3.47 करोड़ की ब्याज देयता भी निर्मित हुई। यदि अनुमान तैयार करते समय इन प्रावधानों को सही ढंग से लागू किया जाता, तो इस सीमा तक ब्याज देयता से बचा जा सकता था।

इस प्रकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों और भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.47 करोड़ का अपरिहार्य ब्याज देय हुआ। इसके अलावा, तीन मौजा के 517 प्रभावित परिवारों को उनके देय ₹ 8.84 करोड़ (परिशिष्ट 3.1) कम मुआवजा राशि प्राप्त हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, सीतामढ़ी के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया (अगस्त 2023) कि गुणन कारक 2 (दो) के आधार पर एक संशोधित अनुमान तैयार किया गया था और अनुमोदन के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया था (जुलाई 2023)।

² ज्ञापांक संख्या-14 डी.एल.ए.एल.ए.-नीति (मुआवजा)-03/2014-675/रा0, पटना-15 दिनांक 20.05.2014

³ सिमियाही, हरदिया एवं झंझट।

⁴ मौजा: एक गाँव जिसे बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 3(10) के अनुसार राजस्व सर्वेक्षण के समय अलग से मान्यता दी गई और मानचित्रित किया गया।

⁵ सिमियाही (165), हरदिया (178) एवं झंझट (174)।

प्रस्ताव की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (31 मई 2024 तक)।

मामले की सूचना विभाग को दी गई (मई 2023)। हालाँकि, विभाग का जवाब अभी तक अप्राप्त है (मई 2024)।

3.4 लगान के पूँजीकृत मूल्य पर उपकर का आरोपण न करना

अधिग्रहित भूमि के 25 वर्षों के वार्षिक लगान के पूँजीकृत मूल्य पर ₹ 1.15 करोड़ का उपकर नहीं लगाया गया।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश (जून 2000) में भूमि के वार्षिक लगान पर क्रमशः 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर से सड़क उपकर, शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर और कृषि उपकर वसूलने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, बिहार भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के अंतर्गत दर प्रतिवेदन के प्रारूप में यह प्रावधान है कि भूमि अर्जन की लागत के अनुमान में 25 वर्षों के लिए देय लगान शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, विभाग ने भूमि अर्जन के मामले में 25 वर्षों के लिए देय लगान पर उपकर वसूलने के संबंध में एक निर्देश (2018) भी जारी किया है।

बिहार के 13 जिला भू-अर्जन कार्यालयों⁶ और एक भू-अर्जन निदेशालय में संधारित 26 भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के 527 मौजा⁷ के अनुमोदित अनुमानों (नवंबर 2021 से सितंबर 2022 तक) की संवीक्षा से पता चला कि संबंधित परियोजनाओं के अनुमानों को अंतिम रूप देते समय अधिग्रहित भूमि के 25 वर्षों के वार्षिक लगान के पूँजीकृत मूल्य पर 145 प्रतिशत उपकर का आकलन नहीं किया गया था। इस प्रकार, भू-अर्जन पदाधिकारियों ने विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 79.21 लाख के लगान के पूँजीकृत मूल्य पर ₹ 1.15 करोड़ की राशि का उपकर नहीं लगाया गया, जैसा कि परिशिष्ट 3.2 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर, तीन⁸ भू-अर्जन पदाधिकारियों ने कहा (मार्च से अगस्त 2022) कि मामले के सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी, पाँच⁹ भू-अर्जन पदाधिकारियों ने कहा (दिसंबर 2021 से मई 2022 तक) कि उपकर की राशि संबंधित शीर्ष में जमा की जाएगी, जबकि तीन¹⁰ भू-अर्जन पदाधिकारियों ने कहा (फरवरी से नवंबर 2022) कि उच्च प्राधिकारी से निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भू-अर्जन निदेशालय, पटना ने कहा (सितंबर 2021) कि संबंधित भू-अर्जन पदाधिकारियों के साथ पत्राचार के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। भू-अर्जन पदाधिकारी किशनगंज और दरभंगा ने कोई जवाब नहीं दिया।

मामले की सूचना विभाग को दी गई (मई 2022 से फरवरी 2023 तक); जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023)।

⁶ जिला भू-अर्जन कार्यालय अररिया, भभुआ (कैमूर), बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, जहानाबाद, किशनगंज, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, रोहतास एवं शेखपुरा।

⁷ मौजा: एक गाँव जिसे बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 3(10) के अनुसार राजस्व सर्वेक्षण के समय अलग से मान्यता दी गई और मानचित्रित किया गया।

⁸ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा।

⁹ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, छपरा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर।

¹⁰ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भभुआ (कैमूर), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रोहतास।

अध्याय IV
मुद्रांक शुल्क एवं
निबंधन फीस

अध्याय IV : मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, निबंधन अधिनियम, 1908, बिहार मुद्रांक नियमावली, 1991 तथा बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन का निवारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के प्रमुख निबंधन महानिरीक्षक होते हैं। विभाग, निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर निबंधन महानिरीक्षक की सहायता के लिए एक अपर सचिव, दो उप महानिरीक्षक और चार सहायक महानिरीक्षक होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमंडलीय स्तर पर नौ सहायक महानिरीक्षक होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, 38 जिला अवर निबंधक, 88 अवर निबंधक और 26 संयुक्त अवर निबंधक, जिला/प्राथमिक इकाई स्तर पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा ने मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस विभाग की कुल 162 इकाईयों में से 50 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की, जिसमें से 327 मामलों में ₹ 19.90 करोड़ की अनियमितताएँ पाई गई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जो तालिका 4.1 में वर्णित हैं।

रकम 4-1
यसके अंतर्गत आती हैं जो तालिका 4.1 में वर्णित हैं।

क्र.स.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	संदर्भित मामले का निस्तारण न होने से शासकीय राजस्व का अवरुद्ध होना	15	509.14
2.	जब्त मामले का निस्तारण न होने से शासकीय राजस्व का अवरुद्ध होना	शून्य	शून्य
3.	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण कम आरोपण	276	1,198.28
4.	अन्य मामले	36	282.18
	कुल	327	1,989.60

विभाग ने 2022-23 के दौरान, 159 मामलों में ₹ 2.31 करोड़ मूल्य के अवनिर्धारण और अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 34 मामलों में ₹ 0.97 करोड़ की वसूली की जो कि 2022-23 के दौरान इंगित किया गया था। पूर्ववर्ती वर्षों के शेष मामलों एवं 2022-23 के सभी मामलों के जवाब अप्राप्त थे (जनवरी 2025)।

4.3 मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

(क) संपत्ति के अल्प मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

20 निबंधन प्राधिकारी, निष्पादित 42 दस्तावेजों में भूमि के अल्प मूल्यांकन का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति/दस्तावेज का अल्प मूल्यांकन हुआ और ₹ 4.45 करोड़ की मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47(क), प्रावधित करती है कि जहाँ निबंधन प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि दस्तावेजों में संपत्ति का बाजार मूल्य सही निर्धारित नहीं

किया गया है, वह ऐसी संपत्ति को बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण के लिए समाहर्ता को संदर्भित कर सकता है।

बिहार लिखत मूल्यांकन नियमावली, 1991 की धारा 3 के अनुसार, बिहार में भूमि को वाणिज्यिक, आवासीय, सिंचित आदि के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। जिले के भूमि की न्यूनतम दर¹ न्यूनतम मूल्य पंजी² के माध्यम से निर्धारित की जाती है, प्रत्येक जिले में, भूमि की श्रेणी के आधार पर राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मूल्य पंजी को संशोधित कर सकती है।

10 जिला अवर निबंधक³ एवं 10 अवर निबंधक⁴ कार्यालय द्वारा निष्पादित दस्तावेजों (मार्च 2017 से मई 2023) की नमूना जाँच (मई 2022 से सितम्बर 2023) के दौरान पाया गया कि 41 दस्तावेजों (36 बिक्री विलेखों, दो पट्टा विलेख एवं तीन दान विलेख) में संबंधित जिला अवर निबंधक और अवर निबंधक ने भूमि का मूल्यांकन गलत श्रेणी को लागू कर गलत आकलन किया।

इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त वर्णित 41 दस्तावेजों के भुगतान में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का ₹ 4.28 करोड़ की सीमा तक कम आरोपण⁵ हुआ जैसा कि परशिष्ट 4.1 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

इसके अलावा, जिला अवर निबंधक, गया, के एक मामले में यह पाया गया है कि होटल हेरिटेज (बिल्डिंग) के मूल्य की गणना "डीलक्स प्रधान सड़क" के बजाय "आरसीसी मुख्य सड़क" की श्रेणी के आधार पर की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.17 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई, जैसा कि परशिष्ट 4.2 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

इन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप संपत्ति/दस्तावेज का कम मूल्यांकन हुआ और परिणामस्वरूप ₹ 4.45 करोड़ का मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस का कम आरोपण किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (I) दो अवर निबंधक⁶ और दो जिला अवर निबंधक⁷ ने कहा (मार्च 2023) कि, इस संबंध में माँग पत्र जारी किया गया है (II) पाँच जिला अवर निबंधक⁸ और अवर निबंधक फारबिसगंज⁹ ने कहा (मई 2023 से नवम्बर 2023) कि, स्थल जाँच के उपरांत उचित कार्रवाई की जायेगी (III) अवर निबंधक पटना सिटी और जिला अवर निबंधक, सासाराम ने मामलों को स्वीकार किया (अगस्त 2023 और मार्च 2024 क्रमानुसार) (IV) दो अवर निबंधक¹⁰ और दो जिला अवर निबंधक¹¹ ने कहा (मार्च 2023) कि, मार्गदर्शन हेतु मामलों को सक्षम प्राधिकारी

¹ बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन का निवारण) नियमावली, 1995 के नियम 6 में प्रावधित प्राक्कलित न्यूनतम मूल्य।

² बिहार निबंधन नियमावली 2008 की धारा 2(अ) (अध्याय-1) के अनुसार न्यूनतम मूल्य पंजी जिसे यहाँ 'एमवीआर' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, का अर्थ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47(अ) के कार्यान्वयन के लिए बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2006, के तहत तैयार भूमि के न्यूनतम अनुमानित मूल्य का दिशानिर्देश पंजी है।

³ गया, जमुई, खगडिया, मोतिहारी, पूर्णिया, पटना सदर, समस्तीपुर, सासाराम, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

⁴ बगहा, बिक्रम, दानापुर, दलसिंहसराय, फारबिसगंज, मसौढ़ी, मीरगंज, पटना सिटी, फुलवरिया एवं पुपरी (सीतामढ़ी)।

⁵ भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 3 और निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 78 के अनुसार।

⁶ बगहा और फुलवरिया में एक-एक मामले।

⁷ मोतिहारी (एक मामला) और पश्चिमी चंपारण (बेतिया) (दो मामले)।

⁸ गया (दो मामले), जमुई (दो मामले), पटना सदर (एक मामला), पूर्णिया (तीन मामले) और सासाराम (दो मामले)।

⁹ फारबिसगंज (दो मामले)।

¹⁰ मीरगंज (एक मामला) एवं फुलवरिया (एक मामला)।

¹¹ वैशाली (दो मामले) एवं पश्चिमी चंपारण (बेतिया) (एक मामला)।

को अग्रसारित किया गया है (V) जिला अवर निबंधक, गया, ने एक मामले (हेरिटेज होटल) को स्वीकार किया कि भूमि डिलक्स प्रधान सड़क की श्रेणी का है, और (VI) दो जिला अवर निबंधक¹² और छः अवर निबंधक¹³ ने मामलों को स्वीकार किया (सितम्बर 2024) और कहा कि आवश्यक वसूली सुनिश्चित करने हेतु माँग पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(ख) लेखपत्र के गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

जिला अवर निबंधक, नवादा, ने भूमि की गलत श्रेणी लागू की अर्थात् सड़क से दूर आवासीय (विकासशील) के बजाय 'विकासशील क्षेत्र' जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.80 करोड़ की मुद्रांक एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47(क), प्रावधित करती है कि जहाँ निबंधन प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि दस्तावेजों में संपत्ति का बाजार मूल्य सही निर्धारित नहीं किया गया है, वह ऐसी संपत्ति को बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण के लिए समाहर्ता को संदर्भित कर सकता है।

बिहार लिखत मूल्यांकन नियमावली, 1991 की धारा 3 के अनुसार, बिहार में भूमि को वाणिज्यिक, आवासीय, सिंचित आदि के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। जिले के भूमि की न्यूनतम दर¹⁴ न्यूनतम मूल्य पंजी¹⁵ के माध्यम से निर्धारित की जाती है, प्रत्येक जिले में, भूमि की श्रेणी के आधार पर राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मूल्य पंजी को संशोधित कर सकती है।

बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2013, के अनुसार, प्रत्येक जिले में न्यूनतम मूल्य पंजी तैयार करने हेतु एक जिला मूल्यांकन समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव करेंगे।

1 फरवरी 2016 से नवादा के जिला समाहर्ता सह-अध्यक्ष, जिला मूल्यांकन समिति ने नवादा शहर और परिधीय क्षेत्रों के न्यूनतम मूल्य पंजी को संशोधित किया। संशोधित न्यूनतम मूल्य पंजी नवादा क्षेत्र के परिधीय क्षेत्र की ग्रामवार प्रति डिसमिल दर चार श्रेणियों के तहत तय की गई थी: (I) औद्योगिक/व्यवसायिक भूमि (II) आवासीय (सड़क के किनारे); (III) सड़क से दूर आवासीय (विकासशील), और (IV) विकासशील क्षेत्र (एकल विक्रेता द्वारा एकल क्रेता को एक ही खेसरा की 20 डिसमिल से अधिक भूमि का हस्तांतरण के अधीन)।

जिला अवर निबंधन कार्यालय, नवादा में अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी 2024) के दौरान, यह पाया गया कि बुधौल और ननौर गाँव में एक ही खेसरा¹⁶ में 20 डिसमिल से अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि की बिक्री एकल/एकाधिक विक्रेताओं द्वारा एकाधिक क्रेताओं को सात बिक्री विलेखों के माध्यम से की गई थी।

¹² खगड़िया और समस्तीपुर।

¹³ बिक्रम, दानापुर, दलहिसराय, फारबिसगंज, मसौढ़ी एवं पुपरी (सीतामढ़ी)।

¹⁴ बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन का मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम 6 में अनुमोदित प्रावकलित न्यूनतम मूल्य।

¹⁵ बिहार निबंधन नियमावली 2008 की धारा 2(अ) (अध्याय-1) के अनुसार न्यूनतम मूल्य पंजी जिसे यहाँ न्यूनतम मूल्य पंजी के रूप में संदर्भित किया जाएगा, का अर्थ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47(अ) के कार्यान्वयन के लिए बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन का निवारण) (संशोधन) नियमावली 2006 के तहत तैयार भूमि के न्यूनतम अनुमानित मूल्य का दिशानिर्देश पंजी है।

¹⁶ बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त 2011 की धारा 2(2)(VIII) के अनुसार "खेसरा" नक्शा के अनुसार क्रमिक रूप से सख्यांकित भूखण्डों की सूची है, जिसमें भूखंड-दर-भूखंड अधिभागियों, क्षेत्रफल और वर्गीकरण को दर्शाया गया है।

हालाँकि, जिला अवर निबंधन कार्यालय, नवादा ने गलत श्रेणी का आरोपण किया, यानी, सड़क से दूर आवासीय (विकासशील) के बजाय 'विकासशील क्षेत्र' और तदानुसार मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण किया¹⁷। इस प्रकार निर्धारित दर क्रमशः ₹ 90,000 के स्थान पर 35,000 (बुधौल के लिए) और ₹ 20,000 (ननौर के लिए) की दर लागू की गई।

अतः न्यूनतम मूल्य पंजी के अनुसार चयनित भूमि की दरों का अल्प मूल्यांकन किया गया जिसके परिणास्वरूप कुल ₹ 1.80 करोड़ की राशि के लिए मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 4.3** में विस्तृत है।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि मामला वसूली हेतु जिला समाहर्ता को संदर्भित की गई है।

¹⁷ भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 3 और निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 78 के अनुसार।

**भाग ख
राज्य सार्वजनिक
क्षेत्र उद्यम**

अध्याय V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र
उद्यमों के क्रियाकलाप

5-1 iLrkouk

यह अध्याय वर्ष 2022–23 के लिए बिहार सरकार के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस0पी0एस0ई0) के वित्तीय प्रदर्शन पर विस्तार से प्रकाश डालता है, जिसमें सरकारी कम्पनियाँ, सांविधिक निगम और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ (जी0सी0ओ0सी0) शामिल हैं। इन एस0पी0एस0ई0 की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ चलाने और राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा एस0पी0एस0ई0 के वर्ष 2022–23 (अथवा उसके पूर्व के वर्षों का जिनका चालू वर्ष के दौरान अन्तिमीकरण किया गया है) के लिए वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निर्गत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

5-2 l jdkjh dEi fu; kadh ifjHkKk

सरकारी कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित किया गया है, जिसमें ऐसी कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास है एवं इसमें ऐसी कम्पनी भी शामिल है जो एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से तथा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी¹ को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित दर्शाया गया है।

5-3 ys[ki jh[k dk vf/kns k

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013, के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं और उस तरीके पर निर्देश देते हैं, जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कम्पनियों के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी आवश्यक है।

5-4 t olcngh <hpk

सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा की प्रक्रिया, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 और 143 के प्रावधानों के तहत की जाती हैं।

¹ कम्पनी (कठिनाईयों को दूर करना) सातवाँ आदेश, 2014 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 2014 द्वारा निर्गत किया गया।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143(7) के अनुसार, सी0ए0जी0, धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अन्तर्गत आने वाली किसी कम्पनी के मामले में, यदि वह आवश्यक समझे, तो आदेश द्वारा ऐसी कम्पनी के खातों पर नमूना लेखापरीक्षा करवा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के प्रावधान ऐसे नमूना लेखापरीक्षा की प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार, कोई सरकारी कम्पनी या कोई अन्य कम्पनी जो सीधे या परोक्ष रूप से केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार/सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, सी0ए0जी0 द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। 31 मार्च 2014 को या उससे पहले शुरू हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में किसी कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी।

5-5 jkT; l kZ fud {k- dsm|ekadsfoYk; in'kZ dk l kjk k

5-5-1 jkT; i k, l 0b0 dh l d; k

एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार की कम्पनियाँ और सांविधिक निगम दोनों शामिल हैं। 31 मार्च 2023 तक, बिहार में 76 एस0पी0एस0ई0 थे, जिनमें 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 और 39 अकार्यशील/निष्क्रिय एस0पी0एस0ई0 शामिल थे। इन 76 एस0पी0एस0ई0 में तीन² सांविधिक निगम, 69 सरकारी कम्पनियाँ (जिनमें 39³ निष्क्रिय सरकारी कम्पनियाँ⁴ शामिल हैं) और चार⁵ जी0सी0ओ0सी0 शामिल थे। इन एस0पी0एस0ई0 के नाम परिशिष्ट 5.1 में दर्शाये गये हैं। राज्य का कोई भी एस0पी0एस0ई0 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

31 मार्च 2023 तक बिहार के एस0पी0एस0ई0 का विवरण तालिका 5.1 में दर्शाया गया है।

rkfydk 5-1

fcgkj ds, l 0i k, l 0b0 dk foj. k

, l 0i k, l 0b0 ds izkj	dk ZkY , l 0i k, l 0b0	vdk ZkY@fuf'0; , l 0i k, l 0b0	dg
सरकारी कम्पनियाँ	30	39	69
सांविधिक निगम	03	00	03
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	04	00	04
dg	37	39	76

5-5-2 jkT; ds l dy ?kjsywmRi kn ea; kxnku

राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) से एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एस0पी0एस0ई0 की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर का विवरण परिशिष्ट 5.2 में दिया गया है। 31 मार्च 2023 तक कार्यशील एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर एवं जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में rkfydk 5-2 में दिया गया है।

² बिहार राज्य भंडारण निगम, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और बिहार राज्य वित्त निगम।

³ 31 मार्च 2022 तक, 40 निष्क्रिय सार्वजनिक उद्यम थे। वर्ष 2022-23 के दौरान, एक सार्वजनिक उद्यम अर्थात् स्काडा एग्री बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कम्पनी खगौल लिमिटेड को बंद कर दिया गया।

⁴ निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वे हैं जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया है।

⁵ भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

रक्यदक 5-2

दक रक्य , l Oi l, l Ob dक VuZ/koj , oafcgkj ds t l, l OMoi l dक foj . k
(₹ करोड़ में)

foj . k	VuZ/koj	VuZ/koj dक t l, l OMoi l l s Áfr' kr
VuZ/koj		
ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	24,099.39	3.21
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	341.20	0.05
अन्य एस0पी0एस0ई0	1,890.09	0.25
dg	26,330.68	3.50
fcgkj dक t l, l OMoi l	7,51,396	

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के टर्नओवर आँकड़ों तथा आर्थिक एवं सांख्यिकीय संगठन, बिहार सरकार के जी0एस0डी0पी0 आँकड़ों के आधार पर संकलित)

37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 का योगदान वर्ष 2022-23 के बिहार के जी0एस0डी0पी0 में 3.50 प्रतिशत था। ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 का योगदान जी0एस0डी0पी0 में 3.21 प्रतिशत था, जबकि कृषि और संबद्ध क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 का योगदान 0.05 प्रतिशत था।

हालाँकि जी0एस0डी0पी0 में 'अन्य' क्षेत्र की 24 एस0पी0एस0ई0 का योगदान न्यूनतम (0.25 प्रतिशत) था, उनमें जिला कार्यालयों में कार्मिकों सहित, 4,356 कर्मचारी (स्थायी/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर) थे। 31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार ने इन 24 'अन्य' क्षेत्र एस0पी0एस0ई0 में ₹ 2,848.51 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 1,096.65 करोड़ तथा दीर्घकालिक ऋण : ₹ 1,751.86 करोड़) का निवेश किया था।

राज्य में 39 अकार्यशील/निष्क्रिय एस0पी0एस0ई0 (परिसमापन के अधीन पाँच सहित) हैं। इन निष्क्रिय एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी के रूप में ₹ 196.71 करोड़ (राज्य सरकार : ₹ 156.15 करोड़ और अन्य : ₹ 40.56 करोड़) एवं दीर्घकालिक ऋणों के रूप में ₹ 590.21 करोड़ (राज्य सरकार : ₹ 540.56 करोड़ और अन्य : ₹ 49.65 करोड़) का निवेश है।

चूँकि 39 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 पाँच वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय रही थी, बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका वास्तविक योगदान और उनका वित्तीय प्रदर्शन निर्धारित नहीं किया जा सका। अतः इन 39 निष्क्रिय एस0पी0एस0ई0 को इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है तथा केवल 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय निष्पादन का विस्तृत विश्लेषण इस अध्याय में शामिल किया गया है एवं अनुवर्ती कंडिकाओं में इस पर चर्चा की गई है।

5-6 jkT; i l, l Ob d eafuoš k , oact Vh; l gk rk

31 मार्च 2023 तक, 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 में, प्रक्षेत्रवार कुल अंश पूँजी, राज्य सरकार की अंश पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण (राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित), को रक्यदक 5-3 में दर्शाया गया है।

⁶ अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर।

rkfydk 5-3
, l Oi h, l ObD eaifls-okj fuošk

(₹ करोड़ में)

fooj.k	fuošk					dy vāk i p h vls nfr'kr ½ fls-okj ½
	dy vāk i p h	jk; ljdkj dh vāk i p h	dy nfr'krfyd _ .k	jk; ljdkj _ .k	dy vāk i p h vls nfr'krfyd _ .k	
ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	42,126.56	41,761.71	13,783.13	1,417.69	55,909.69	89.97
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	15.86	11.21	2,557.08	2,393.06	2,572.94	4.14
अन्य एस0पी0एस0ई0	1,771.38	1,096.65	1,891.23	1,751.86	3,662.61	5.89
dy	43,913.80	42,869.57	18,231.44	5,562.61	62,145.24	100.00

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन आँकड़ों के आधार पर संकलित अन्तिमीकृत लेखा)

यह निवेश मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 में किये गये थे, जिनको 31 मार्च 2023 तक कुल ₹ 62,145.24 करोड़ निवेश, में से 89.97 प्रतिशत (₹ 55,909.69 करोड़) प्राप्त हुआ था। कुल ₹ 62,145.24 करोड़ के निवेश में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 77.93 प्रतिशत (₹ 48,432.18 करोड़) थी।

5-7 ljdkjh dEi fu; k rFlk fuxel l si frQy

5-7-1 , l Oi h, l ObD }kjk vft Z ykk

कुल 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 में, 18 एस0पी0एस0ई0⁸ ने वर्ष 2022-23 में ₹ 327.20 करोड़ लाभ अर्जित किया है। इन 18 एस0पी0एस0ई0 का अर्जित लाभ वर्ष 2022-23 में 29 प्रतिशत (₹ 135.33 करोड़) घट गया जो वर्ष 2021-22 में ₹ 462.53 करोड़ था।

अधिकतम लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष तीन एस0पी0एस0ई0 को rkfydk 5-4 में संक्षेपित किया गया है।

rkfydk 5-4

'k'krhu , l Oi h, l ObD ft Uglms vfkdre ykk vft Z fd; k

, l Oi h, l ObD dk ule	'k' ykk (₹ करोड़ में)	, l Oi h, l ObD ds dy ykk ea ykk dk i fr'kr
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	89.53	27.36
बिहार स्टेट पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	63.32	19.35
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	31.53	9.64
dy	184.38	56.35

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन आँकड़ों के आधार पर संकलित अन्तिमीकृत लेखा)

rkfydk 5-4 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान 18 एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 327.20 करोड़) का 56.35 प्रतिशत योगदान केवल तीन एस0पी0एस0ई0 ने किया था।

एस0पी0एस0ई0 का शुद्ध लाभ अनुपात⁹ rkfydk 5-5 में दर्शाया गया है।

⁷ निवेश में अंश पूँजी तथा ऋण शामिल है।

⁸ 30 सितम्बर 2023 तक प्राप्त लेखे।

⁹ शुद्ध लाभ/टर्नओवर × 100।

rkfydk 5-5
, l Oi k, l ObD dk 'k' ykk vuq kr

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	शुद्ध लाभ	टर्नओवर	शुद्ध लाभ अनुपात (प्रतिशत में)
2020-21	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)1,723.93	18,056.98	-
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	341.41	-
	अन्य एस0पी0एस0ई0	34.74	1,876.76	1.85
	कुल	(-)2,018.74	20,275.15	-
2021-22	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)2,011.81	22,226.47	-
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	341.20	-
	अन्य एस0पी0एस0ई0	44.46	1,890.09	2.35
	कुल	(-)2,296.90	24,457.76	-
2022-23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)1,557.40	24,099.39	-
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	341.20	-
	अन्य एस0पी0एस0ई0	54.46	1,890.09	2.88
	कुल	(-)1,832.49	26,330.68	-

rkfydk 5-5 से देखा जा सकता है कि मात्र 'अन्य एस0पी0एस0ई0' ने शुद्ध लाभ अर्जित किया एवं शुद्ध लाभ अनुपात जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 1.85 से बढ़कर 2022-23 के दौरान 2.88 हुआ।

5-7-2 , l Oi k, l ObD }kj k ykkHk Hkrku

राज्य सरकार द्वारा एस0पी0एस0ई0 के लिए कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया गया था। एस0पी0एस0ई0 द्वारा भुगतान किया गया लाभांश rkfydk 5-6 में दर्शाया गया है।

rkfydk 5-6
, l Oi k, l ObD }kj k ykkHk Hkrku

(₹ करोड़ में)

o'kZ	fooj .k	ykkHk ?k'kr djus oks, l Oi k, l ObD dh l d ; k	i nYk i p h	'k' ykk	ykkHk ?k'kr
1	2	3	4	5	6
2022&23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	-	-	-	-
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	1	6.42	11.54	2.10
	अन्य एस0पी0एस0ई0	3	43.50	65.39	319.05
	dy	4	49.92	76.93	321.15

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन वित्तीय विवरणी)

वर्ष 2022-23 के दौरान, अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 18 एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने लाभ अर्जित किया, उनमें से केवल चार¹⁰ एस0पी0एस0ई0 ने ₹ 321.15 करोड़ का लाभांश घोषित किया, दो¹¹ एस0पी0एस0ई0 ने लाभांश घोषित करने हेतु पर्याप्त लाभ का अर्जन नहीं किया और शेष 12 एस0पी0एस0ई0 ने कुल ₹ 250.22 करोड़ का लाभ अर्जन किया, परन्तु लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

¹⁰ बिहार राज्य भंडार निगम (₹ 2.10 करोड़), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, (₹ 1.05 करोड़), बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 278.00 करोड़) और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 40.00 करोड़)।

¹¹ पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड और बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

5-8 , l 0i l0, l 0b0 dk foYkt fu"i knu

5-8-1 fu; kft r i p h i j i frQy

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0सी0ई0) एक अनुपात है, जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आर0ओ0सी0ई0 की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई0बी0आई0टी0) को नियोजित पूँजी¹² द्वारा विभाजित कर की जाती है। वर्ष 2020–21 से 2022–23 अवधि के दौरान, 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के आर0ओ0सी0ई0 का विवरण, तालिका 5.7 में दर्शाया गया है।

rkfydk 5-7 fu; kft r i p h i j i frQy

(₹ करोड़ में)

o"K	fooj.k	b0cl0vkb0Vl0	fu; kft r i p h	vlg0vkl0l 0b0 ¼ fr'kr e½
2020&21	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)1,134.71	33,331.40	-
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	78.26	2,113.73	3.70
	अन्य एस0पी0एस0ई0	240.29	(-)39.78	-
	dy	(-)816.16	35,405.35	-
2021&22	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)920.75	33,101.58	-
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	78.26	2,113.73	3.70
	अन्य एस0पी0एस0ई0	252.80	1,106.43	22.85
	dy	(-)589.69	36,321.74	-
2022&23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)483.84	33,579.49	-
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	78.26	2,113.73	3.70
	अन्य एस0पी0एस0ई0	265.72	2,511.58	10.58
	dy	(-)139.86	38,204.80	-

(स्रोत : कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन वित्तीय विवरणी)

rkfydk 5-7 में यह देखा जा सकता है कि 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 का आर0ओ0सी0ई0 नकारात्मक रहा, जिसका मुख्य कारण दो एस0पी0एस0ई0 अर्थात् साउथ बिहार पार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा हानि वहन करना था। हालाँकि, 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान 'अन्य क्षेत्र' से संबंधित एस0पी0एस0ई0 के ई0बी0आई0टी0 में मामूली वृद्धि हुई थी, नकारात्मक आर0ओ0सी0ई0 सकारात्मक हो गयी तथा ये बढ़कर वर्ष 2021–22 में 22.85 प्रतिशत तथा 2022–23 में 10.58 प्रतिशत हो गयी जिसका मुख्य कारण पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की नियोजित पूँजी की राशि में वृद्धि हुई है। (2020–21 : ₹ 429.59 करोड़; 2021–22 : ₹ 1,534.68 करोड़ और 2022–23 में : ₹ 2,939.83 करोड़)।

5-8-2 , l 0i l0, l 0b0 ds v k i p h i j i frQy

अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जो यह आकलन करता है कि लाभ सृजित करने के लिए किसी कम्पनी की सम्पत्ति का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। आर0ओ0ई0 की गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को अंशधारकों की अंश पूँजी से विभाजित कर की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा

¹² नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए तभी की जा सकती है, जब शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएँ हों। लाभ अर्जित करने वाली 18 एस0पी0एस0ई0 का अंश पूँजी पर प्रतिफल¹³ (आर0ओ0ई0) वर्ष 2022-23 में 2.65 प्रतिशत था। सभी 36¹⁴ कार्यशील एस0पी0एस0ई0 जिनमें हानि वहन करने वाली 13 एस0पी0एस0ई0 एवं शून्य लाभ/हानि वाली पाँच¹⁵ एस0पी0एस0ई0 शामिल थी, का आर0ओ0ई0 2022-23 में नकारात्मक था।

अंशधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय को जोड़कर तथा शुद्ध संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय को कम कर की जाती है। इससे पता चलता है कि यदि किसी कम्पनी की सभी सम्पत्तियाँ बेच दी जाए और ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तो उसके अंशधारकों के लिए कितनी सम्पत्ति बचेगी। एक धनात्मक शेयरधारक निधि से पता चलता है कि कम्पनी के पास अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त सम्पत्ति है, जबकि ऋणात्मक शेयरधारक अंश पूँजी से अभिप्राय है कि देनदारियाँ सम्पत्ति से अधिक हैं।

37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 से संबंधित, अंशधारक निधि एवं आर0ओ0ई0 का विवरण तालिका 5.8 में दर्शाया गया है।

rkfydk 5-8
, l Oi k, l Ob 0 l sl a/k vāk i p h i j i fr Qy

foYk o'k	fooj. k	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	vāk/kj d h dh fuf/k (₹ करोड़ में)	vāj 0 v k l l ob 0 i fr' kr e 2
2020&21	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-),1,723.93	20,213.52	-
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	(-)443.35	-
	अन्य एस0पी0एस0ई0	34.74	(-)324.56	-
	dy	(-)2,018.74	19,445.61	-
2021&22	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-),2,011.81	19,235.82	-
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	(-)443.35	-
	अन्य एस0पी0एस0ई0	44.46	14.20	-
	dy	(-)2,296.90	18,806.67	-
2022&23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-),1,557.40	19,796.36	-
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	(-)443.35	-
	अन्य एस0पी0एस0ई0	54.46	620.35	-
	dy	(-)1,832.49	19,973.36	-

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखें)

वर्ष 2021-22 से 2022-23 की अवधि के दौरान, प्रक्षेत्रवार आर0ओ0ई0 की गणना लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी, क्योंकि बड़ी संख्या में एस0पी0एस0ई0 की शुद्ध आय नकारात्मक रही थी, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्र में दो¹⁶ एस0पी0एस0ई0, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में एक¹⁷ एस0पी0एस0ई0 तथा 'अन्य क्षेत्र' में एक¹⁸ एस0पी0एस0ई0 द्वारा भारी हानि वहन किया जाना था।

¹³ अंश पूँजी पर प्रतिफल = (कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/अंशधारकों की पूँजी) × 100 (जहाँ अंशधारकों की पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय - संचित हानियाँ - स्थगित राजस्व व्यय)।

¹⁴ एक एस0पी0एस0ई0, अर्थात् बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड को छोड़कर जो बिना लाभ/हानि के आधार पर कार्य करता है।

¹⁵ बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

¹⁶ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

¹⁷ बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।

¹⁸ बिहार राज्य पथ परिवहन निगम।

5-9 ग्कफु ओगु द्जुसोक्यह , ल 0i l0, l 0b0

5-9-1 ग्कफु ओगु

वर्ष 2022-23 के दौरान अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर कुल 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 में 13 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 ने हानि वहन की थी। इसके अलावा छः¹⁹ कार्यशील एस0पी0एस0ई0 को कोई लाभ/हानि नहीं हुई क्योंकि वे या तो लाभ या हानि के आधार पर कार्य नहीं कर रहे थे, या उन्होंने अपनी वाणिज्यिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की थीं। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर इन 13 एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन की गयी हानि 2022-23 में घटकर ₹ 2,159.69 करोड़ हो गयी जो 2021-22 में ₹ 2,759.43 करोड़ थी, जैसा कि रक्यदक 5-9 में दर्शाया गया है।

रक्यदक 5-9 2020&21 l s 2022&23 ds nk s ku ग्कफु ओगु द्जुसोक्यस , ल 0i l0, l 0b0

(₹ करोड़ में)

foYktr o"Z	fooj.k	ग्कफु ओगु द्जुसोक्यस , ल 0i l0, l 0b0 dh l 4; k	ok"Zl 'kq ग्कफु	l 4pr ग्कफु; k	fuoy eW; ²⁰
2020&21	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	4	1,970.15	21,079.22	8,747.55
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	1	348.83	461.87	(-)456.48
	अन्य एस0पी0एस0ई0	7	163.93	2,695.81	(-)2,346.23
	dg	12	2,482.91	24,236.90	5,944.84
2021&22	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	4	2,245.31	23,739.00	7,284.02
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	1	348.83	461.87	(-)456.48
	अन्य एस0पी0एस0ई0	8	165.29	2,695.81	(-)1,619.63
	dg	13	2759.43	26,896.68	5,207.91
2022&23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	5	1,646.93	24,008.87	8,868.72
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	1	348.83	461.87	(-)456.48
	अन्य एस0पी0एस0ई0	7	163.93	2,695.81	(-)2,346.23
	dg	13	2,159.69	27,166.55	6,066.01

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित)

वर्ष 2022-23 में 13 एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन किये गये कुल ₹ 2,159.69 करोड़ की हानि में से ₹ 2,111.72 करोड़ की हानि केवल पाँच एस0पी0एस0ई0²¹ द्वारा वहन की गयी थी।

5-9-2 , ल 0i l0, l 0b0 ea i p h dk {kj.k

31 मार्च 2023 तक, 14 एस0पी0एस0ई0 की संचित हानि ₹ 27,307.96 करोड़ थी (परिशिष्ट 5.3)। इनमें से, नौ एस0पी0एस0ई0 ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 2,067.98 करोड़ की हानि वहन की थी। इन 14 एस0पी0एस0ई0 में से 10 की निवल मूल्य उनके मार्च 2023 तक अद्यतन

¹⁹ बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लिमिटेड, पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड।

²⁰ निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त अंश पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानि तथा स्थगित राजस्व व्यय। मुक्त संचय का अर्थ है लाभ से सृजित किए गए सभी संचय किंतु इसमें संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं ह्रास को वापस लेकर बनाए गए संचय सम्मिलित नहीं होते हैं।

²¹ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (ऊर्जा क्षेत्र); बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कृषि और संबद्ध क्षेत्र) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (अन्य क्षेत्र)।

अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार संचित हानियों से पूरी तरह से क्षरित हो गई थी। 31 मार्च 2023 तक, अंश पूँजी के सापेक्ष, इन 10 एस0पी0एस0ई0 की निवल सम्पत्ति (–) ₹ 3,211.13 करोड़ थी, जबकि अंश पूँजी ₹ 303.50 करोड़ थी। 10 एस0पी0एस0ई0 में से जिनकी पूँजी क्षरित हो गई थी, तीन²² ने ₹ 8.02 करोड़ का लाभ अर्जित किया था दो²³ एस0पी0एस0ई0 को 2022–23 के दौरान शून्य लाभ/हानि हुई थी। इन 10 एस0पी0एस0ई0 में से, छः एस0पी0एस0ई0 के ₹ 3,209.71 करोड़ मूल्य का 99.96 प्रतिशत निवल सम्पत्ति क्षरित हो गया था। इन छः एस0पी0एस0ई0 में से चार²⁴ एस0पी0एस0ई0 ने मुख्यतः राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्थानों से बड़ी मात्रा में लिये गए ऋण पर वित्तीय लागत के कारण हानि वहन की थी। हालाँकि बिहार राज्य बीज निगम में संचित हानि थी, लेकिन हाल के वर्षों में निगम ने लाभ कमाया था।

5-10 jk; l kZ fud {ls= m | eladh ys{ ki jh{k

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और (7) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सरकारी कम्पनी एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा कराने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी निर्गत करने अथवा अनुपूरित करने का अधिकार है। विधान द्वारा शासित कुछ निगमों में यह आवश्यक है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाए।

5-11 fu; a-d , oa egks{ ki jh{k d } kj k jk; l kZ fud {ls= m | elads l kof/kd ys{ ki jh{k d dh fu; fDr

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 139(5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामलों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के अंदर, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2022–23 के लिए कुल 19 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है जबकि 13 शेष कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी, क्योंकि उनके लेखाएँ क्रमशः एक से 20 वर्ष तक बकाये थे जिनकी विवरणी परिशिष्ट 5.4 में है।

5-12 , l oi k, l obD } kj k ys{ kvk dk i Zrqhdj . k

5-12-1 l l e; i Zrq djus dh vko'; drk

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं लेन देनों पर वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक²⁵ (ए0जी0एम0) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाना है। इसके तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अथवा अनुपूरक रूप में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों

²² बिहार राज्य बीज निगम (₹ 7.74 करोड़), बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (₹ 0.26 करोड़) और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 0.02 करोड़)।

²³ पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अपना परिचालन आरंभ नहीं किया था।

²⁴ बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 348.83 करोड़), बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 144.10 करोड़), बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 25.35 करोड़) तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 13.00 करोड़)।

²⁵ पहली ए0जी0एम0 कम्पनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी तथा किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर तक।

के साथ, वार्षिक प्रतिवेदन विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की ए0जी0एम0 आयोजित किया जाना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि एक ए0जी0एम0 और अगली ए0जी0एम0 की तिथियों के मध्य 15 महीनों से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129 में निर्दिष्ट है कि वित्तीय वर्ष के लिए, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी, ए0जी0एम0 में, उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129(7) प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, कम्पनी के निदेशकों सहित पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के तहत जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान है।

सितम्बर 2023 तक, विभिन्न एस0पी0एस0ई0 के वार्षिक लेखे लम्बित थे, जिसका ब्यौरा आगामी कंडिकाओं में दिये गये हैं।

5-12-2 , l Oi l0, l ObD } kjk yq kvk dks r\$ kj djuseal e; c) rk

31 मार्च 2023 तक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में 76 एस0पी0एस0ई0 (37 कार्यशील और 39 अकार्यशील थी) इनमें से पाँच एस0पी0एस0ई0 को छोड़कर जो परिसमापन²⁶ के अधीन हैं, 71 एस0पी0एस0ई0 के वर्ष 2022-23 के लेखे लम्बित थे। हालाँकि मात्र तीन एस0पी0एस0ई0 ने 30 सितम्बर 2023 तक अपने वर्ष 2022-23 के लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये थे। 68 एस0पी0एस0ई0 (34 कार्यशील और 34 अकार्यशील) के 1202 लेखें, विभिन्न कारणों से बकाया थे, जैसा की परिशिष्ट 5.4 में दिया गया है तथा जिसकी विवरणी rkydk 5-10 में दर्शाया गया है।

rkydk 5-10

34 dk Zky , l Oi l0, l ObD ds yq kvk dks r\$ kj djuseal e; c) rk

लेखों के बकाया	एस0पी0एस0ई0 की संख्या जिनके लेखें बकाये हैं
एक वर्ष	06
दो से पाँच वर्ष	21
पाँच वर्ष से अधिक	07

वर्ष 2022-23 के लिए 34 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 द्वारा सी0ए0जी0 को लेखे प्रस्तुत करने में बकाया एक से 20 वर्ष के परास में था।

5-13 l l0, Ot l0 dh fujh{k k Hfedk ds i fj. ke

5-13-1 , l Oi l0, l ObD ds yq kvk dh yq kvk jh{k

31 एस0पी0एस0ई0 के 63 वित्तीय विवरणों, वर्ष 2022-23 एवं पूर्व के वर्षों के लिए अगस्त 2022 से सितम्बर 2023 तक प्राप्त हुए थे। 24 एस0पी0एस0ई0 के 49 वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के दौरान समीक्षा की गयी तथा सात एस0पी0एस0ई0 के 14²⁷ लेखों के लिए गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र

²⁶ बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदरर्स निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लेदर उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड और कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड।

²⁷ इसमें मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से संबंधित दो लेखें शामिल हैं, जिसमें गैर-समीक्षा प्रमाण-पत्र प्रक्रियाधीन थे।

निर्गत किये गये थे। 49 वित्तीय विवरणियों में से, सी0ए0जी0 ने 14 लेखों पर टिप्पणियाँ और 10 लेखों पर 'अस्वीकरण' जारी किया। शेष 25 लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन थी (सितम्बर 2023 तक)। 13 एस0पी0एस0ई0 के 22 लेखाओं की समीक्षा के परिणाम **कंडिका 5.13.2** में वर्णित है।

5-13-2 fVlif.k kcdk iHko

अगस्त 2022 से सितंबर 2023 के बीच जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव ₹ 610.36 करोड़ लाभप्रदता और ₹ 5,863.08 करोड़ वित्तीय स्थिति पर पड़ा।

5-14 yqkkijhkkij jkT; ljdkj dk i frf0; k

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2020 के कंडिका 137(1) में प्रावधान है, कि महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिका की एक प्रति, ऐसी समयाविधि जो निर्दिष्ट की जाए, के अन्दर सरकार की टिप्पणियाँ, अवलोकन और स्पष्टीकरण सूचित करने के लिए सरकार के सम्बन्धित सचिव को नाम से भेजेंगे। अग्रेत्तर, कंडिका 138(1) (ख) के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर सरकार के संबंधित विभाग के सचिव महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के नाम से और लिखित में, प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिका पर सरकार की टिप्पणियाँ, अवलोकन और स्पष्टीकरण सूचित करेंगे।

इस प्रतिवेदन के लिए दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ सम्बन्धित प्रशासी विभाग के अपर प्रमुख/प्रधान सचिव को इस आग्रह के साथ निर्गत किए गए थे कि इनके उत्तर दो सप्ताह के अंदर दिए जाए। हालाँकि, केवल एक अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका का उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था।

5-15 ljdkjh m| ekal rakh l fefr 1/2dk wds i frosu dk vuqkyu

लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन, 2020 के कंडिका 151(iii) में कहा गया है कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह उचित और विश्वसनीय प्रणाली और प्रक्रियाओं की स्थापना करे और उन्हें लागू करे, जो सभी स्तरों पर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, जो यह सुनिश्चित करें कि लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उद्यमों की समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई नोट्स (ए0टी0एन0) प्रत्येक मामले में निर्धारित समय सीमा के अंदर उपयुक्त अधिकारियों को भेजें।

कोपू ने राज्य विधानमंडल को एक सिफारिश (2021–22) के साथ 12 प्रतिवेदन प्रस्तुत की थीं। हालाँकि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान, एक सिफारिश के संबंध में कोई ए0टी0एन0 प्राप्त नहीं हुआ, जिसे **rkfydk 5-11** में दर्शाया गया है।

rkfydk 5-11

dk i w frosu dk vuqkyu

dk i w frosu dk o"K	dk i w frosu dk o"K dh l q; k ²⁸	dk i wdh i frosu l q; k	dk i w frosu ea vuqkd kvka dh l q; k	vuqkd kvka dh l q; k t gk , 0Vh0, u0 i k r ughagq
2020–21	01	210वाँ	0	0
2021–22	01	212वाँ	1	1
2022–23	05	211वाँ, 214वाँ और 216वाँ से 218वाँ	0	0
2023–24 (सितम्बर 2023 तक)	05	213वाँ, 215वाँ, 219वाँ, 220वाँ और 221वाँ	0	0
dy	12		1	1

(स्रोत : कोपू प्रतिवेदन के आधार पर संकलित)

²⁸ राज्य विधानमंडल में वर्ष के दौरान प्रस्तुत किया गया।

अध्याय VI
अनुपालन लेखापरीक्षा
अवलोकन

वे; क VI: वुक्क्यु यक्कि जक्क वुयक्कु

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों के लेन-देन के नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

l jdkjh dEi fu; k

fcgkj jkT; 'क्क.कद वक्कक्क Hw l jpkuk fodkl fuxe fyfeVM

6-1 l ondkl dks vufpr ykk , oadEi uh dks gkfu

अपने उदासीन दृष्टिकोण के कारण, कम्पनी प्रस्तुत बैंक गारंटियों के नवीनीकरण की उचित निगरानी तथा प्रमाणिकता का सत्यापन नहीं कर सकी। इसके परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 94.25 लाख का अनुचित लाभ हुआ क्योंकि निष्पादन सुरक्षा/सुरक्षा जमा के विरुद्ध प्राप्त बैंक गारंटी को जब्त नहीं किया जा सका। अग्रेतर, संवेदकों को दिए गए ₹ 64.07 लाख के मोबिलाइजेशन अग्रिम तथा उस पर अर्जित ₹ 33.01 लाख का ब्याज की वसूली नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 97.08 लाख की हानि हुई।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी है। कम्पनी राज्य में शिक्षा विभाग की ओर से सभी प्रकार की शैक्षणिक आधारभूत संरचना के निर्माण एवं संधारण में कार्यरत है।

शैक्षणिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए, कम्पनी मानक बोली दस्तावेज (एस0बी0डी0) के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित करती है। एस0बी0डी0 के खंड 1 के उपखंड (i) एवं (iv) तथा खंड 3 के उपखंड (vii)(a) में यह प्रावधान है कि संवेदक को बैंक गारंटी के रूप में निविदा राशि के दो प्रतिशत के बराबर निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करना होगा। यदि अनुबंध को किसी भी खंड/शर्त के प्रावधान के अन्तर्गत अनुबंध निरस्त कर दिया जाता है, तो निष्पादन गारंटी पूर्णतः जब्त हो जाएगी। एस0बी0डी0 के खंड 1(ii) में कहा गया है कि निष्पादन गारंटी प्रारंभ में तीन वर्षों की दोष दायित्व अवधि (एस0बी0डी0 के अनुसूची 'एफ' के अनुसार) से अगले 28 दिनों तक वैध होगी।

कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी से फरवरी 2023 तक) में यह दर्शाया गया कि :

(अ) कम्पनी ने स्कूल भवनों¹ के निर्माण का कार्य मेसर्स अनोज इन्टरप्राइजेज (संवेदक) को ₹ 8.40 करोड़ की लागत पर प्रदान किया (अक्टूबर 2013)। दिया गया कार्य इसके प्रारम्भ की तिथि (फरवरी 2015) से 15 महीनों के अन्तर्गत (अर्थात्, मई 2016 तक) पूर्ण किया जाना था। संवेदक ने इस अनुबंध के लिए, निष्पादन गारंटी के रूप में दिसंबर 2019 तक वैधता के साथ ₹ 16.81 लाख का बैंक गारंटी² प्रस्तुत किया (दिसंबर 2014)। अप्रैल 2021 में (बैंक गारंटी की वैधता की समाप्ति के 16 माह बाद) कम्पनी को उक्त बैंक गारंटी की

¹ समूह संख्या- एम0एस0-120 के अंतर्गत सीतामढ़ी जिले में तीन स्थानों पर।

² बैंक और उसकी शाखा का नाम (यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बिशुनपुरा शाखा, मखुआ, तुरकौलिया, जिला-पूर्वी चम्पारण, पिन - 845437)।

वैधता (अप्रैल 2026 तक) के नवीनीकरण की सूचना एक लेटरहेड पर प्राप्त हुई जिसपर बैंक का नाम 'यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया' उल्लिखित था।

दिसंबर 2021 में, कम्पनी ने कार्य की धीमी प्रगति का हवाला देते हुए अनुबंध को निरस्त कर दिया तथा संवेदक द्वारा प्रस्तुत निष्पादन सुरक्षा को जब्त करने का फैसला किया। तदनुसार, बैंक गारंटी जारी करने वाली बैंक शाखा के साथ पत्राचार किया गया (सितंबर 2022)। बैंक शाखा के उत्तर के अभाव में बैंक गारंटी जब्त नहीं हुई (जून 2024)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि: (i) संवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक बैंक गारंटी में एक प्रोफॉर्म पर हस्तलिखित विवरण अंकित किए गए थे (ii) यद्यपि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यू0बी0आई0) का पंजाब नेशनल बैंक (पी0एन0बी0) के साथ विलय (अप्रैल 2020) हो गया था, यू0बी0आई0 के लेटरहेड पर बैंक गारंटी के नवीनीकरण की सूचना दी गई (अप्रैल 2021) थी तथा (iii) कम्पनी ने न तो प्रारंभिक बैंक गारंटी और न ही उसके नवीनीकरण का सत्यापन किया।

बैंक के अंचल कार्यालय से पूछे जाने पर, उत्तर दिया (मई 2024) कि इस तरह के बैंक गारंटी के अस्तित्व या इसके नवीनीकरण का कोई अभिलेख नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि संवेदक ने न तो यू0बी0आई0 द्वारा जारी बैंक गारंटी प्रस्तुत किया था और न ही बैंक द्वारा इसे नवीनीकृत किया गया था। इसलिए, इस बात की प्रबल संभावना है कि संवेदक द्वारा कम्पनी को जाली प्रारंभिक तथा नवीनीकृत बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी।

इस प्रकार, अपने उदासीन दृष्टिकोण के कारण, कम्पनी द्वारा प्रारंभिक बैंक गारंटी एवं नवीनीकृत बैंक गारंटी को निर्गत करने वाले बैंक से सीधे तौर पर सत्यापित कराने की उपेक्षा की गई। इसके परिणामस्वरूप संवेदक को ₹ 16.81 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

(ब) एस0बी0डी0 के खंड 10 बी के उप खंड (ii), (iv) तथा (vi) में यह प्रावधान है कि मोबिलाइजेशन अग्रिम (एम0ए0) की पूरी राशि निर्गत होने से पूर्व संवेदक को एक अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त पूर्ण राशि की बैंक गारंटी लेनी होगी। उक्त बैंक गारंटी पूर्ण अनुबंध अवधि के लिए वैध होगी। ब्याज के साथ शेष राशि तथा पूर्ण वसूली की संभावित अवधि को कवर करने के लिए गारंटी को समय-समय पर नवीनीकृत भी किया जाना था। एम0ए0 पर साधारण ब्याज दर लागू होगी जो एस0बी0डी0 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुबंध आंकड़े की अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज की मौजूदा दर के बराबर होगी।

कम्पनी ने ₹ 8.50 करोड़ की लागत से स्कूल भवनों³ के निर्माण का कार्य एक संवेदक को दिया (अक्टूबर 2013)। दिया गया कार्य इसके प्रारंभ होने की तिथि (दिसंबर 2013) से 15 महीने (अर्थात् मार्च 2015 तक) के अन्दर पूर्ण किया जाना था। संवेदक ने कार्य हेतु निष्पादित अनुबंध (जून 2014) के लिए प्रारम्भ में बैंक गारंटी तथा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एन0एस0सी0) के रूप में ₹ 17.01 लाख⁴ की निष्पादन सुरक्षा जमा की (जून 2014)। बाद में, संवेदक ने प्रारम्भ में जमा की गई बैंक गारंटी और एन0एस0सी0 को ₹ 18 लाख⁵ की नई बैंक गारंटी के साथ बदल दिया (जुलाई 2016) जिसकी वैधता 11 जुलाई 2021 तक

³ समूह संख्या एम0एस0-122 के अंतर्गत सीतामढ़ी जिले के तीन स्थानों पर अर्थात् बाजपट्टी स्थित एस.आर. पी.एन. उच्च विद्यालय, मेजरगंज स्थित उच्च विद्यालय तथा परिहार स्थित एस.जी. उच्च विद्यालय।

⁴ ₹ 6.01 लाख का राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र तथा ₹ 11.00 लाख का बैंक गारंटी।

⁵ बैंक ऑफ बड़ौदा, पिपरा शाखा, मखुआ, पूर्वी चंपारण - 845437 द्वारा निर्गत।

थी। संबंधित बैंक से सत्यापन करने पर, कम्पनी को बैंक के नाम से बैंक गारंटी की पुष्टि करने वाला एक पत्र प्राप्त हुआ (जुलाई 2016)।

इसके अतिरिक्त, संवेदक ने कम्पनी से आहरित किए गए (दिसंबर 2014) एम0ए0 के विरुद्ध समान राशि के रूप में ₹ 38 लाख का एक और बैंक गारंटी (पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से) प्रस्तुत किया (नवंबर 2014)। बैंक गारंटी अग्रिम भुगतान की तारीख से लेकर संवेदक से अग्रिम के पूर्ण निपटान की प्राप्ति की तारीख तक वैध था। यह देखा गया कि संवेदक ने केवल 31.53 प्रतिशत कार्य ही संपादित किया, जिसके लिए ₹ 2.68 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया (मार्च 2016 तक)। कम्पनी ने केवल ₹ 11.70 लाख की एम0ए0 राशि वसूल की (जनवरी 2015 से मार्च 2016 तक) तथा शेष एम0ए0, ₹ 26.30 लाख⁶ तथा उस पर ब्याज के रूप में ₹ 22 लाख⁷ संवेदक से वसूल किया जाना था।

दिसंबर 2021 में, कम्पनी ने कार्य की धीमी प्रगति का हवाला देते हुए अनुबंध निरस्त कर दिया तथा संवेदक द्वारा प्रस्तुत ₹ 18 लाख के बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन सुरक्षा को जब्त करने का फैसला किया। तदनुसार, बैंक के साथ पत्राचार किया गया (जून 2022)। हालाँकि, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, दिए गए एम0ए0 के विरुद्ध संवेदक द्वारा प्रस्तुत ₹ 38 लाख के बैंक गारंटी को जब्त करने के लिए बैंक के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि: (i) संवेदक द्वारा प्रस्तुत (जुलाई 2016 और नवंबर 2014) बैंक गारंटियों में प्रोफॉर्मा पर हस्तलिखित विवरण अंकित किए गए थे (ii) एम0ए0 के विरुद्ध प्रस्तुत बैंक गारंटी को कम्पनी द्वारा संबंधित बैंक से सत्यापित नहीं किया गया था। एक बैंक⁸ के अंचल कार्यालय ने पूछताछ करने पर बताया कि (अप्रैल-मई 2024) निष्पादन गारंटी के लिए प्रस्तुत बैंक गारंटी अमान्य थी क्योंकि ऐसी कोई शाखा विद्यमान नहीं थी। एम0ए0 के विरुद्ध बैंक गारंटी के संबंध में अन्य बैंक⁹ के अंचल कार्यालय ने कहा (मई 2024) कि ऐसी किसी बैंक गारंटी के अस्तित्व का कोई अभिलेख नहीं है।

यह इंगित करता है कि न तो संवेदक ने संबंधित बैंकों द्वारा निर्गत वास्तविक बैंक गारंटियाँ प्रस्तुत की और न ही निष्पादन गारंटी के लिए बैंक गारंटी की पुष्टि करने वाला पत्र प्रमाणिक था। हालाँकि, कम्पनी ने सख्त जाँच नहीं की तथा बैंक गारंटी की वास्तविकता सुनिश्चित नहीं कर सकी, जो उसके वित्तीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक था।

इस प्रकार, अपने उदासीन दृष्टिकोण के कारण, कम्पनी ने संबंधित बैंक से बैंक गारंटी पत्र का सत्यापन नहीं किया और एक मामले में किया गया सत्यापन भी दोषपूर्ण था। इसके परिणामस्वरूप संवेदक को ₹ 18 लाख का अनुचित लाभ हुआ और कम्पनी को ₹ 48.30 लाख¹⁰ की हानि हुई।

⁶ ₹ 38.00 लाख – ₹ 11.70 लाख (वसूल की गई) = ₹ 26.30 लाख।

⁷ ब्याज (₹ 26.30 लाख ₹ 14.50 : ₹ 2106/365) = ₹ 22 लाख (अंतिम भुगतान तिथि अर्थात् 15.03.2016 से अनुबंध निरस्त तिथि अर्थात् 20.12.2021 तक)।

⁸ अंचल कार्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा, पटना।

⁹ अंचल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, पटना।

¹⁰ ₹ 26.30 लाख (एम0ए0) + ₹ 22 लाख (एम0ए0 पर ब्याज)।

(स) एस0बी0डी0 के खंड 17 में यह प्रावधान है कि संवेदक की सुरक्षा जमा राशि, दोष दायित्व अवधि (डी0एल0पी) की समाप्ति अर्थात् तीन वर्ष से पूर्व वापस नहीं की जाएगी। डी0एल0पी0 अवधि कार्य पूर्ण होने के अंतिम प्रमाण पत्र जारी होने से अथवा अंतिम विपत्र के निर्मित/पारित होने तक, जो भी बाद में हो, प्रारम्भ होगी। अग्रेतर, अनुबंध के खंड 1ए के अनुसार, सुरक्षा जमा (एस0डी0) के रूप में कम्पनी द्वारा प्रत्येक चालू विपत्र की सकल राशि के आठ प्रतिशत की दर से राशि काटी जानी थी।

कम्पनी ने (नवंबर 2013 में) समस्तीपुर के पूसा स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी0आई0ई0टी0) भवन के निर्माण का कार्य मेसर्स डेल्को इंफ्रास्ट्रक्चर (एजेंसी) को ₹ 9.81 करोड़ की लागत पर प्रदान किया था। एजेंसी ने बैंक गारंटी के रूप में ₹ 24.77 लाख की निष्पादन सुरक्षा राशि जमा की (दिसंबर 2013) जिसकी वैधता जून 2018 तक थी। एजेंसी के साथ कार्य प्रारम्भ होने की तिथि (फरवरी 2014) से 18 माह में कार्य पूर्ण करने के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया (फरवरी 2014)। अग्रेतर, एजेंसी को सितंबर 2015 तक वैध बैंक गारंटी के विरुद्ध ₹ 98 लाख की समकक्ष राशि का एम0ए0 भी दिया गया (अक्टूबर 2014)। सितंबर 2021 में कार्य पूर्ण हुआ तथा एजेंसी को ₹ 6.20 करोड़ का भुगतान (अक्टूबर 2021) किया गया। कम्पनी ने एजेंसी से सितंबर 2019 तक ₹ 60.23 लाख का एम0ए0 तथा एम0ए0 पर ₹ 15.81 लाख का ब्याज वसूल किया। शेष ₹ 37.77 लाख का एम0ए0 और उस पर ₹ 11.01 लाख¹¹ का ब्याज अंतिम चालू खाता विपत्र (अक्टूबर 2021) के भुगतान तक वसूल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एम0ए0 के विरुद्ध प्राप्त बैंक गारंटी सितंबर 2015 में समाप्त हो गई तथा कम्पनी के अभिलेखों के अनुसार इसे नवीनीकृत नहीं किया गया। बैंक गारंटी की वैधता समाप्ति (सितंबर 2015) के समय, एम0ए0 की अप्राप्य राशि ₹ 83.03 लाख¹² थी।
- कम्पनी ने निष्पादन सुरक्षा के विरुद्ध प्राप्त ₹ 24.77 लाख की बैंक गारंटी को भी, बिना किसी नवीनीकरण की मांग किए जून 2018 में वैधता समाप्त होने दिया।
- कम्पनी ने एस0डी0 के रूप में ₹ 34.67 लाख की राशि एजेंसी से काट ली (जुलाई 2017 तक)। एजेंसी द्वारा 31 अक्टूबर 2020 तक की वैधता के साथ ₹ 35 लाख का बैंक गारंटी प्रस्तुत करने (सितंबर 2017) के उपरांत कम्पनी ने यह एस0डी0 निर्गत कर दिया (अक्टूबर 2017)। कम्पनी ने इस बैंक गारंटी को भी नवीनीकृत नहीं किया।
- कम्पनी के अभिलेखों में निष्पादन सुरक्षा, एम0ए0 और एस0डी0 के संबंध में बैंक गारंटी के अनवीनीकरण के कारण नहीं पाए गए।
- सितंबर 2019 के पश्चात्, एजेंसी को ₹ 77.21 लाख की राशि के और पांच चालू खाता विपत्रों का भुगतान (अक्टूबर 2021 तक) किया गया। हालांकि, एम0ए0 और उस पर ब्याज विपत्रों से वसूल नहीं किया गया था।

¹¹ ₹ 37.77 लाख x ₹ 14.50% x ₹ 734/365 (16वें चालू खाता विपत्र से अर्थात् 19.09.2019 से कार्य पूर्ण होने की तिथि अर्थात् 22.09.2021 तक)।

¹² सितम्बर 2015 (तृतीय चालू खाता विपत्र) तक काटा गया एम0ए0 : ₹ 14.97 लाख।

अतः कम्पनी ने निष्पादन सुरक्षा, मोबिलाइजेशन अग्रिम तथा सुरक्षा जमा के संबंध में प्राप्त बैंक गारंटियों का नवीनीकरण नहीं किया। एम0ए0 के विरुद्ध प्राप्त बैंक गारंटी को जब्त न करने के कारण कम्पनी एम0ए0 राशि तथा अग्रिम पर देय ब्याज भी वसूल नहीं कर सकी। इसके परिणामस्वरूप संवेदक को ₹ 59.44 लाख¹³ का अनुचित लाभ हुआ तथा कम्पनी को ₹ 48.78 लाख (एम0ए0 : ₹ 37.77 लाख और ब्याज : ₹ 11.01 लाख) की हानि हुई।

इस प्रकार, अपने उदासीन दृष्टिकोण के कारण, कम्पनी ने विभिन्न कार्यों के लिए संवेदकों द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी की निगरानी न कर बिहार वित्त नियमावली, 2005, के प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसके परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 94.25 लाख का अनुचित लाभ हुआ क्योंकि निष्पादन सुरक्षा/सुरक्षा जमा के विरुद्ध प्राप्त बैंक गारंटी को जब्त नहीं किया जा सका। अग्रेतर, इन मोबिलाइजेशन अग्रिमों के विरुद्ध प्राप्त बैंक गारंटी को जब्त न करने के कारण ₹ 64.07 लाख¹⁴ के मोबिलाइजेशन अग्रिम तथा उस पर अर्जित ₹ 33.01 लाख¹⁵ का ब्याज भी वसूल नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 97.08 लाख की हानि हुई।

मामला शिक्षा विभाग को प्रतिवेदित (जुलाई 2024) किया गया था। हालाँकि, विभाग का उत्तर अप्राप्त (अक्टूबर 2024 तक) था।

fçgkj jkT; iy fuekZk fuxe fyfeVM

6-2 iy dsfuekZk ij fu"Qy 0 ;

कम्पनी ने एक पुल के निर्माण पर ₹ 5.35 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय किया, जो कि अपूर्ण पड़ी हुई है क्योंकि परियोजना नियोजन के दौरान ए0एम0ए0एस0आर0 अधिनियम, 1958, के अनिवार्य अनुपालन की उपेक्षा की गई थी।

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (ए0एम0ए0एस0आर0 अधिनियम, 1958)(2010 में संशोधित) की धारा 20ए के अनुसार, किसी संरक्षित स्मारक के संबंध में संरक्षित क्षेत्र/स्मारक की सीमा से सभी दिशाओं में एक सौ मीटर का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र होगा। अग्रेतर, संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपविधियाँ और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों को विरचित करना) नियम, 2011, की धारा 6(II) के अनुसार, किसी स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र में सड़क, राजमार्ग, नालियों, परिवहन इत्यादि जैसी जनोपयोगी परियोजनाओं के निर्माण के लिए पूर्वानुमति आवश्यक थी।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने लौरिया-शिकारपुर-ठोरी पथ के प्रथम किलोमीटर पर उच्च स्तरीय प्रबलित कंक्रीट सीमेंट (एच0एल0आर0सी0सी0) पुल के निर्माण के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की (नवंबर 2017)। पथ निर्माण विभाग (आर0सी0डी0) ने उक्त परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (21 फरवरी 2018) की तथा कम्पनी ने कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की (28 फरवरी 2018)। कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति अप्रैल 2018 में प्रदान की गई। इसके पश्चात्, कार्य आवंटित किया गया तथा दिसंबर 2019 में कार्य पूर्ण

¹³ ₹ 24.77 लाख (निष्पादन सुरक्षा) + ₹ 34.67 लाख (सुरक्षा जमा)।

¹⁴ ₹ 26.30 लाख + ₹ 37.77 लाख।

¹⁵ ₹ 22.00 लाख + ₹ 11.01 लाख।

होने की निर्धारित तिथि के साथ ₹ 7.33 करोड़ के लिए एक संवेदक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए (अक्टूबर 2018)।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जाँच से पता चला कि स्थल का किसी प्रकार का कोई सत्यापन किए बगैर, लौरिया (पश्चिम चंपारण) स्थित अशोक स्तंभ¹⁶ के निषिद्ध क्षेत्र (100 मीटर से कम) में एच0एल0आर0सी0सी0 पुल का निर्माण किए जाने की योजना थी।

पुल का निर्माण कार्य सितंबर 2018 में प्रारम्भ हुआ था तथा नींव का कार्य पूरा होने एवं उप-संरचना के 70 प्रतिशत हिस्से के निर्माण के पश्चात्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए0एस0आई0) ने निषिद्ध क्षेत्र खंड का हवाला देते हुए कार्य पर आपत्ति जताई (नवंबर 2019)। इसके पश्चात्, 27 नवंबर 2019 से कार्य रोक दिया गया, तब तक कम्पनी ने संवेदक को ₹ 5.35 करोड़¹⁷ (मार्च 2022 तक) का भुगतान कर दिया था।

इसके पश्चात् कम्पनी ने (अप्रैल 2020) प्रमुख सचिव-सह-सक्षम प्राधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (ए0सी0वाई0डी0) से पुल का कार्य पूर्ण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) निर्गत करने का अनुरोध किया। सक्षम प्राधिकारी ने मामले को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एन0एम0ए0), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, को संदर्भित करने का निर्णय लिया (सितंबर 2020)। प्राधिकरण ने जवाब दिया (जून 2021) कि पुल का प्रस्तावित निर्माण अशोक स्तंभ के निषिद्ध क्षेत्र के अंदर है, तथा ए0एम0ए0एस0आर0 (विरासत उपविधियाँ और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों को विरचित करना) नियम, 2011, के नियम 8(1) के अनुसार, केवल सक्षम प्राधिकारी ही निषिद्ध क्षेत्र के अंदर कार्य के लिए आवश्यक अनुमति देने के लिए सशक्त है।

कम्पनी ने पुनः प्रमुख सचिव-सह-सक्षम प्राधिकारी, ए0सी0वाई0डी0 से एन0ओ0सी0 निर्गत करने का अनुरोध किया (जुलाई 2021), लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे निर्गत नहीं किया गया। अग्रेतर, ए0एस0आई0 के पटना अंचल ने कम्पनी से संरक्षित स्मारक के निकट पुल के आंशिक रूप से निर्मित संरचना को ध्वस्त करने का अनुरोध किया (फरवरी 2023)।

यह स्पष्ट है कि कम्पनी ने परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय सक्षम प्राधिकारी से एन0ओ0सी0 प्राप्त करने सहित पुल का निर्माण प्रारम्भ करने से पहले पालन किए जाने वाले सभी आवश्यक प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा। ए0एम0ए0एस0आर0 अधिनियम, 1958, के प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता का न तो परियोजना रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था और न ही पुल के निर्माण के लिए प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति देने से पूर्व इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमोदन मांगा गया था।

इस प्रकार, कम्पनी ने एक पुल के निर्माण पर ₹ 5.35 करोड़ का निष्फल व्यय किया, जो कि परियोजना नियोजन के दौरान ए0एम0ए0एस0आर0 अधिनियम, 1958, के अनिवार्य अनुपालन की उपेक्षा के कारण अपूर्ण है।

¹⁶ सम्राट अशोक (मौर्य काल) द्वारा निर्मित। यह स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना अंचल, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों में से एक है।

¹⁷ चालू खाता विपत्रों पर ₹ 4.92 करोड़ जोड़ जीएसटी पर ₹ 0.38 करोड़ जोड़ मूल्य वृद्धि पर ₹ 0.05 करोड़।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि एन0ओ0सी0 निर्गत करने हेतु संबंधित विभाग से पुनः अनुरोध किया गया था।

उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि कम्पनी ने पुल निर्माण आरम्भ करने के पूर्व ए0एम0ए0एस0आर0 अधिनियम, 1958, के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने सहित सभी अनिवार्य विधिक आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया था।

पटना
दिनांक 14 सितम्बर 2025


(डॉ. संदीप रॉय)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 22 सितम्बर 2025


(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

IKjf' KV 2-1
1/4 nHk dMdk 2-3-7½
eky , oal sk dj fjVuZdk 1 jlkak

fjVuZdk uke	fooj .k
t h l Vlvkj&1	वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्न और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की बाह्य आपूर्ति का विवरण शामिल है।
t h l Vlvkj&3ch	सामान्य करदाताओं द्वारा भुगतान के साथ-साथ, वाह्य आपूर्ति और दावा किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट का मासिक सारांश रिटर्न। यह वह रिटर्न है जो क्रमशः इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक केश लेजर में डेबिट दर्ज करता है।
t h l Vlvkj&9	सामान्य करदाताओं द्वारा दाखिल किए जाने वाला वार्षिक रिटर्न। इसमें पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर मदों (केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, राज्य माल एवं सेवा कर और एकीकृत माल एवं सेवा कर) के अंतर्गत की गई और प्राप्त सभी आपूर्तियों का विवरण, आवर्त सहित, शामिल होता है।
t h l Vlvkj&2,	प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का तंत जनित विवरण। इसमें आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने माल एवं सेवा कर रिटर्न में घोषित सभी आवक लेनदेन का विवरण होता है।
t h l Vlvkj&4	कंपोजिशन करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न में आवक/जावक आपूर्ति और उसके कर देनदारियों का विवरण शामिल होता है।
t h l Vlvkj&8	कंपोजिशन करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न में स्व-मूल्यांकित कर के भुगतान का विवरण शामिल होता है।

(स्रोत: बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम/नियम, 2017)

कृषि कृषि 2-2

अनुसूची 2-3-8½

कृषि; 1 एल; क {कृषि

0-1 a	कृषि; 1 एल; क {कृषि
1	अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन करने वाले कंपोजिशन करदाताओं।
2	कंपोजिशन करदाताओं द्वारा सीमा से अधिक की बाह्य आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित करते हैं।
3	किसी भी वर्ष में केवल इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल द्वारा समर्थित बाह्य आपूर्ति वाले करदाता।
4	ऐसे करदाता जिन्होंने किसी भी वर्ष में आवक आपूर्ति (इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल समर्थित) की तुलना में असंगत बाह्य आपूर्ति की।
5	वे करदाता जिन्होंने बीजकों का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किये।
6	शून्य रिटर्न दाखिल करने वालों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन।
7	रिटर्न प्रमादि (रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन।
8	वे करदाता जिन्होंने निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन किया।
9	ऐसे करदाता जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किया है। जिनका पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिया गया है।
10	ऐसे करदाता जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किये थे बाद में उन्हें निरस्त कर दिया था।
11	ऐसे कारण जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजित किये थे और बाद में प्राप्तकर्ताओं द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था।
12	ऐसे करदाता किसी भी वर्ष में बाह्य पक्ष की तुलना में आवक पक्ष पर इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल द्वारा समर्थित असमानुपातिक आपूर्ति सृजित की थी।
13	करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का विस्तारण।
14	जोखिमपूर्ण वाहनों अर्थात दो पहिया वाहनों का उपयोग करके सृजित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल।
15	चोरी के वाहनों का उपयोग करके सृजित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल।
16	पंजीकरण के पहले छः महीने में इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का उच्च मूल्य।
17	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल द्वारा अमान्य पिन कोड का उपयोग करना।
18	निलंबित, स्क्रेप, सरेंडर और निरस्त किए गए वाहनों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल का सृजन।
19	एमसीए की चुककर्ताओं द्वारा सृजित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल।
20	आयकर चुककर्ताओं द्वारा सृजित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल।
21	डीजीएआरएम में पहचाने गए/अन्य संस्थाओं पहचाने गए करदाताओं द्वारा सृजित की चुककर्ताओं द्वारा सृजित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल।
22	डीजीएफटी कालीसूची वाले निर्यातको द्वारा सृजित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल।

कॉर्पोरेट वॉल्यूट २-३
आरक्षण दिनांक २-३-१०-११/२
विक्रय दिनांक दालत 'कु' ; कुक दस्रग्र त क्ज ह ज कु

क्र. सं.	त. ह. ल. वि. व. ल. उ.	व्य. क. उ.	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल दि. ल. ; क	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल दि. फ. नु. ल.	ल. स. आरक्षण दि. क.	ए. व. ; ल. क. र. ; ल. क.	द. ज. क.	३०.०९.२०२३ र. दि. क.	कु. ज. क.	
१.	१०XXXXXXXXXX2Z5	पटना दक्षिणी	१	२२.०६.२०१८	२०.०७.२०१८	६५,१००.००	३,२५५.००	३,०४७.००	६,३०२.००	
२.	१०XXXXXXXXXX1ZW	पटना दक्षिणी	७	१६.०८.२०१९ - १०.०७.२०२०	२०.०८.२०२०	४,१५,९१२.००	५०,५९९.००	२८,३४७.००	७८,९४६.००	
३.	१०XXXXXXXXXX2ZQ	पटना दक्षिणी	४	०२.०३.२०१९ - १३.०३.२०२१	२०.०४.२०२१	५,२३,०६२.००	४३,९२६.००	१९,३४४.००	६३,२७०.००	
४.	१०XXXXXXXXXX1ZP	सासाराम	३	०४.०८.२०१८ - ०२.०३.२०१९	२०.०४.२०१९	५,२८,३४४.००	२६,४१७.००	१९,९५८.००	४६,३७५.००	
५.	१०XXXXXXXXXX2ZS	दरभंगा	२	२३.०१.२०२० - १४.०३.२०२०	२०.०४.२०२०	२,००,५२०.००	३६,०९३.००	२१,३०६.००	५७,३९९.००	
६.	१०XXXXXXXXXX1ZT	गया	१	०७.१२.२०१८	-	४,४६,८६३.००	०	०	०	
७.	१XXXXXXXXXX2ZD	गया	१	२५.०१.२०२०	-	७०,३९०.००	०	०	०	
८.	१XXXXXXXXXX1ZN	पटना सिटी पश्चिमी	१	२५.०२.२०१९	-	७१,५४४.००	०	०	०	
९.	१०XXXXXXXXXX1Z5	पूर्णिया	१	०४.०६.२०१८	-	५६,१५०.००	०	०	०	
कु.							२३,७७,८८५.००	१,६०,२९०.००	९२,००२.००	२,५२,२९२.००

क्र. 2-4

2-3-10-2½

व्यय, ख, अग्रिमों के ब्ययों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	व्यय	व्ययों का विवरण	अग्रिमों का विवरण	अग्रिमों का विवरण	अग्रिमों का विवरण	अग्रिमों का विवरण	अग्रिमों का विवरण	अग्रिमों का विवरण	अग्रिमों का विवरण
1.	10 XXXXXXXXXXXXIZY	पटना दक्षिणी	30.11.2020	20.12.2020	2,50,480.00	45,086.00	22,546.00	67,632.00		
2.	10 XXXXXXXXXXXXIZC	पाटलिपुत्र	05.11.2018 - 23.11.2018	20.12.2020	21,54,788.00	3,87,862.00	3,33,774.00	7,21,636.00		
3.	10 XXXXXXXXXXXXIZD	गया	04.04.2018 - 12.12.2018	20.01.2019	2,49,486.00	8,933.00	7,551.00	16,484.00		
4.	10 XXXXXXXXXXXXIZY	सासाराम	01.10.2019 - 27.11.2019	-	58,64,392.00	0.00	0.00	0.00		
5.	10 XXXXXXXXXXXXIZF	गया	10.07.2018	-	320620.00	0.00	0.00	0.00		
6.	10 XXXXXXXXXXXXIZW	कटिहार	20.09.2019	-	4025.00	0.00	0.00	0.00		
कुल										
			222			4,41,881.00	3,63,871	8,05,752.00		

कृषि कृ 2-5
अनुसूची 2-3-10-3½
, दिये कुल दिनों के अनुसार

क्र. सं.	संकेत	वर्ग	अनुसूची	दिनांक	विवरण	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक		
क्र. सं.	संकेत	वर्ग	अनुसूची	दिनांक	विवरण	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक		
1.	10 XXXXXXXXXXXXX IZT	पटना विशेष	2	30.09.2018 19.10.2018	20.11.2018	12,89,419.00	2,32,095.00	2,03,163.00	4,35,258.00					
2.	10 XXXXXXXXXXXXX IZJ	पटना सिटी पश्चिमी	2	26.12.2020	20.01.2021	2,88,750.00	51,975.00	25,196.00	77,171.00					
3.	10 XXXXXXXXXXXXX IZ2	पटना सिटी पश्चिमी	2	14.04.2018	20.05.2018	5,74,699.00	1,03,446.00	99,936.00	2,03,382.00					
4.	10 XXXXXXXXXXXXX IZH	पूर्विया	2	04.09.2018	20.10.2018	3,32,044.00	16,602.00	14,786.00	31,388.00					
5.	10 XXXXXXXXXXXXX IZD	गया	18	25.05.2018 26.05.2018	-	16,200.00	-	-	0					
6.	10 XXXXXXXXXXXXX IZ8	पाटलिपुत्र	4	09.05.2018	-	58,46,158.00	-	-	0					
7.	10 XXXXXXXXXXXXX IZC	पटना सिटी पश्चिमी	2	28.08.2018	-	14,56,836.00	-	-	0					
8.	10 XXXXXXXXXXXXX IZR	पटना दक्षिणी	2	18.10.2018	-	3,33,310.00	-	-	0					
9.	10 XXXXXXXXXXXXX ZZE	पटना दक्षिणी	8	27.06.2018 -04.10.2018	-	41,93,160.00	-	-	0					
कुल														
										42	1,43,30,576	4,04,118.00	3,43,081.00	7,47,199.00

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कृषि कृषि 2-6

अनुसूची 2-3-10-4½

तकृषिअनुसूची; e l sfd, x, ysu nsu dsfy, byDVWd&osfcy ङ. ksyh dk l ò u

₹ करोड़

क्र. सं.	त. ह. वि. सं.	व्य. सं.	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सं. ; क. सं.	ए. सं. ; क. सं.	द. सं.	तकृषिअनुसूची	त. सं.
1.	10 XXXXXXXXXXXX1Z9	पाटलिपुत्र	801128052298/01.12.2020	1,72,870.00	31,117.00	स्कूप	WB23A7315
2.	10 XXXXXXXXXXXX1ZP	सासाराम	841011388509/13.07.2018	14,59,810.00	72,991.00	स्कूप	UP65AR1328
3.	10 XXXXXXXXXXXX1ZX	सासाराम	871180074228/22.09.2021	1,67,500.00	18,375.00	स्कूप	UP44T0146
4.	10 XXXXXXXXXXXX1ZS	पटना सिटी पश्चिमी	861054741806/03.06.2019	2,31,57,128.00	19,60,504.00	दोपहिया	BR01BD5156
5.	10 XXXXXXXXXXXX1ZQ	बेगूसराय	891134875350/09.01.2021	3,06,900.00	15,345.00	निबंधन निस्त	UP23T0483
6.	10 XXXXXXXXXXXX1Z8	पाटलिपुत्र	881004664476 (10 मई 2018)	14,04,749.40	0.00	दोपहिया	RJ19DB9107
7.	10 XXXXXXXXXXXX1ZA	पूर्णिमा	801067688451 (5 सितम्बर 2019)	10,53,714.28	0.00	दोपहिया	WB74A4442
8.	10 XXXXXXXXXXXX1ZP	पटना दक्षिणी	811051833437 (14 मई 2019)	12,25,074.45	0.00	चोरी वाला	WB23E7735
9.	10 XXXXXXXXXXXX1ZK	पटना विशेष	881127355019 (01 दिसम्बर 2020)	3,61,861.34	0.00	स्कूप	WB23A7315
द.							
							20,98,332.00
							2,93,09,607.47

कॉर्पोरेट

आयकर अधिनियम 1962

अनुसूची 2-3-10-5½

₹ करोड़

क्र.सं.	आयकर विवरण	व्यक्ति	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम
क्र.सं.	आयकर विवरण	व्यक्ति	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम
1.	10 XXXXXXXXXXXX1ZB	पूर्णियां	1	06.11.2019	20.12.2019	3,08,800.00	55,584.00	37,828.00	93,412.00			
2.	10 XXXXXXXXXXXX2Z4	दरभंगा	1	09.11.2018	20.12.2018	1,76,262.00	31,727.00	27,302.00	59,029.00			
3.	10 XXXXXXXXXXXX1Z2	पटना सिटी पश्चिमी	4	14.04.2018 - 15.05.2018	20.06.2018	14,21,429.00	2,55,857.00	2,43,268.00	4,99,125.00			
4.	10 XXXXXXXXXXXX1ZL	पटना सिटी पश्चिमी	25	02.05.2019 - 20.07.2019	20.08.2019	53,32,500.00	2,66,625.00	1,93,548.00	4,60,173.00			
5.	10 XXXXXXXXXXXX1Z7	पटना दक्षिणी	68	2018-19	20.04.2019	2,75,45,413.00	49,58,174.00	39,70,886.00	89,29,060.00			
6.	10 XXXXXXXXXXXX1ZZ	सासाराम	104	02.04.2018 - 28.02.2019	20.03.2019	1,00,15,800.00	12,71,990.00	10,38,153.00	23,10,143.00			
7.	10 XXXXXXXXXXXX2ZE	पटना दक्षिणी	8	27.06.2018 - 04.10.2018	20.11.2018	41,93,160.00	2,98,080.00	2,60,922.00	5,59,002.00			
8.	10 XXXXXXXXXXXX1Z8	बेगूसराय	89	20.12.2018 - 02.03.2019	-	3,24,99,675.00	0	-	0			
9.	10 XXXXXXXXXXXX2ZS	दरभंगा	2	2019-20	-	2,00,520.00	0	-	0			
कुल												
1,29,09,944.00												

कक्षा 2-8

2-3-10-6½

व्यक्तिगत व्यय का विवरण

क्र.सं.	व्यक्तिगत व्यय का विवरण	व्यय	व्यय की तिथि	व्यय की तिथि	व्यय की तिथि	व्यय की तिथि	व्यय की तिथि	व्यय की तिथि	व्यय की तिथि	व्यय की तिथि	व्यय की तिथि	व्यय की तिथि
1.	10 XXXXXXXXXXXXX 1Z7	पटना दक्षिणी	23	14.04.2019 - 06.08.2019	20.09.2019	2,11,46,438.00	38,06,359.00	27,61,227.00	65,67,586.00			
2.	10 XXXXXXXXXXXXX 1Z5	पूर्णिमा	1	04.06.2018	20.07.2018	56,150.00	10,107.00	9,460.00	19,567.00			
3.	10 XXXXXXXXXXXXX 1Z0	पटना सिटी पश्चिमी	3	08.04.2019 - 16.09.2019	20.10.2019	2,53,254.00	34,271.00	24,354.00	58,625.00			
4.	10 XXXXXXXXXXXXX 1ZY	सासाराम	420	अप्रैल 2019 - मार्च 2020	20.04.2020	4,74,82,244.00	53,62,193.00	30,83,334.00	84,45,527.00			
5.	10 XXXXXXXXXXXXX 1Z8	बेगूसराय	9	17.04.2019	-	12,81,673.00	0	-	0			
6.	10 XXXXXXXXXXXXX 1ZW	पटना दक्षिणी	1	2020-21	-	2,14,822.00	0	-	0			
योग										1,50,91,305.00		

कॉर्पोरेट 2-9
आयोजनांक 2-3-10-7½
द्वारा जारी की गईं राजस्व वृद्धि के लिए

क्र. सं.	विवरण	तहलका	वर्ग	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक
क्र. सं.	विवरण	तहलका	वर्ग	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक	आयोजनांक
1.	डीजीएआरएम तथा अन्य संस्थाओं द्वारा पहचाने गए इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल सृजन करने वाले करदाता	10 XXXXXXXXXXXX 1Z8 10 XXXXXXXXXXXX 3ZW 10 XXXXXXXXXXXX 1ZT 10 XXXXXXXXXXXX 1ZI	पटना विशेष	98	20.12.2018 - 17.04.2019	20.05.2019	3,96,20,084.00	71,31,616.00	56,06,036.00	1,27,37,652.00	30.09.2023	1,60,406.00
2.	आयोज्य पिन कोड उपयोग से सृजित इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल	10 XXXXXXXXXXXX 1ZG	पटना विशेष	1	23.01.2019	20.02.2019	31,45,627.00	9,19,545.00	7,77,254.00	16,96,799.00	4,69,940.00	10,36,152.00
3.	एक ही पैन से लेन देन	10 XXXXXXXXXXXX 2ZQ	मुंगेर	98	2019-20	20.04.2020	28,99,79,884.21	66,98,645.06	41,55,729.28	1,08,54,374.34	1,14,26,785.28	2,82,14,397.34
	द्वारा	द्वारा		209			34,64,59,953.21	1,67,87,612.06	1,14,26,785.28	2,82,14,397.34		

वर्ष 2022-23
अनुसूची 2-3-14-2½
वित्त मंत्रालय के अधीन

₹ करोड़

क्र.सं.	विवरण	आयुक्तक	वर्ष 2022-23	वर्ष 2021-22
1	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पटना	UP21BN8942	9,100.00	22,715 मीट्रिक टन माल (भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार) के स्थान पर, 22,260 मीट्रिक टन पर जुर्माना लगाया गया।
2	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पटना	JH10BC6097	20,660.00	24,450 किलोग्राम माल (भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार) के स्थान पर, 24,050 किलोग्राम पर जुर्माना लगाया गया।
3	सारण	UP53AT2425	1,32,962.00	भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में उल्लिखित 15 चालान मॉग में शामिल नहीं थे।
4	पूर्णिया	BR11S0506	16,659.00	भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में उल्लिखित एक चालान को मॉग में शामिल नहीं किया गया था।
योग			1,79,381.00	

वर्ष 2022-23
अनुसूची 2-4-6-3½
वित्त मंत्रालय के अधीन

क्र.सं.	विवरण	आयुक्तक	वर्ष 2022-23	वर्ष 2021-22
1	दानापुर	633	1145	440
2	गांधी मैदान	106	56	46
3	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	624	977	288
4	पटना पश्चिमी	206	367	36
5	सुपौल	224	304	44
योग			2,849	854

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2022-23
अनुसूची 2-4-7-2½
वित्त विभाग के अंतर्गत

क्र.सं.	विवरण	पंजीकरण संख्या	वर्ष	विवरण	रकम (₹)
1	अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना	10XXXXXXXXXX1Z7	2019-20	पाटलिपुत्र	6,63,33,044
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना कर दिये इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना	10XXXXXXXXXX1Z7	2019-20	पाटलिपुत्र	6,673
3		10XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	पाटलिपुत्र	3,91,28,531
4		10XXXXXXXXXX1Z7	2020-21	पाटलिपुत्र	3,308
5		10XXXXXXXXXX1Z7	2020-21	पटना विशेष	3,93,13,091
6		10XXXXXXXXXX1Z8	2018-19	पटना विशेष	3,98,56,323
7		10XXXXXXXXXX1Z8	2019-20	पटना विशेष	88,33,126
8		10XXXXXXXXXX1Z8	2020-21	पटना विशेष	69,64,187
9		10XXXXXXXXXX1ZL	2018-19	पटना विशेष	5,71,01,264
10		10XXXXXXXXXX1ZL	2019-20	पटना विशेष	2,63,642
11		10XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	पटना विशेष	3,48,38,518
12		10XXXXXXXXXX1ZX	2020-21	पटना विशेष	15,35,023
13		10XXXXXXXXXX1ZX	2019-20	पटना विशेष	1,13,99,196
14		10XXXXXXXXXX1ZD	2018-19	पटना विशेष	2,13,04,788
15		10XXXXXXXXXX1ZD	2019-20	पटना विशेष	3,16,54,362
16		10XXXXXXXXXX1ZD	2020-21	पटना विशेष	7,87,327
17		10XXXXXXXXXX1ZC	2019-20	पटना विशेष	40,03,26,254
18		10XXXXXXXXXX1ZC	2018-19	पटना विशेष	1,37,20,776
19		10XXXXXXXXXX1ZC	2020-21	पटना विशेष	10,13,51,173
20		10XXXXXXXXXX1ZC	2019-20	पटना विशेष	24,49,953
21		10XXXXXXXXXX1ZC	2020-21	पटना विशेष	6,03,160
22		10XXXXXXXXXX2ZQ	2019-20	पटना विशेष	4,68,58,427
23		10XXXXXXXXXX2ZQ	2018-19	पटना विशेष	21,28,743

Ø-1-	यसंमिजमिक्विके	t h, l VhwkZu	vpy dku le	o"IZ	cey jk' k
24		10XXXXXXXXXX1ZV	पटना विशेष	2018-19	3,02,79,555
25		10XXXXXXXXXX1ZV	पटना विशेष	2019-20	65,45,176
26		10XXXXXXXXXX1ZQ	पटना विशेष	2019-20	1,79,61,953
27		10XXXXXXXXXX1ZQ	पटना विशेष	2020-21	1,10,61,162
28		10XXXXXXXXXX1ZQ	पटना विशेष	2018-19	2,13,81,733
29		10XXXXXXXXXX1ZR	पटना विशेष	2018-19	2,16,97,873
30		10XXXXXXXXXX1ZR	पटना विशेष	2019-20	1,67,78,741
31		10XXXXXXXXXX1ZR	पटना विशेष	2020-21	77,55,839
32		10XXXXXXXXXX1ZP	पटना विशेष	2018-19	95,96,348
33		10XXXXXXXXXX1ZP	पटना विशेष	2020-21	89,70,489
34		10XXXXXXXXXX1ZP	पटना विशेष	2019-20	2,09,30,700
35	सीमा अवधि के बाद दाखिल किये जीएसटीआर-3बी पर	10XXXXXXXXXX1ZY	पटना विशेष	2020-21	1,65,02,969
36	प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXX1ZY	पटना विशेष	2018-19	49,410
37		10XXXXXXXXXX1ZY	पटना विशेष	2019-20	30,73,067
38	गलत तरीके से इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का लाभ लिया	10XXXXXXXXXX1Z2	पटना विशेष	2018-19	2,76,158
39	जाना	10XXXXXXXXXX1Z2	पटना विशेष	2020-21	1,57,323
40		10XXXXXXXXXX1ZD	पटना विशेष	2018-19	34,01,127
41		10XXXXXXXXXX1Z6	पटना विशेष	2018-19	29,11,206
42		10XXXXXXXXXX1ZM	पटना विशेष	2018-19	12,85,446
43		10XXXXXXXXXX1ZM	पटना विशेष	2020-21	54,978
44		10XXXXXXXXXX1ZB	पटना विशेष	2018-19	22,21,938
45		10XXXXXXXXXX1ZC	पटना विशेष	2018-19	66,98,794
46		10XXXXXXXXXX1ZC	पटना विशेष	2020-21	15,08,186
47		10XXXXXXXXXX1ZX	पटना विशेष	2019-20	19,17,964
48		10XXXXXXXXXX1Z9	पटना विशेष	2018-19	8,85,078
49		10XXXXXXXXXX1ZV	पटना विशेष	2018-19	18,09,526

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Ø-1-	यश लीजिङ्ग विलेज	t h, l Vlv/bZ u	vpy dk ule	o"lZ	cey j k' k
50		10XXXXXXXXXX1Z3	पटना विशेष	2019-20	10,81,477
51		10XXXXXXXXXX1ZV	पटना विशेष	2019-20	1,55,03,623
52		10XXXXXXXXXX1ZV	पटना विशेष	2020-21	1,02,85,723
53		10XXXXXXXXXX1ZV	पटना विशेष	2018-19	15,83,992
54		10XXXXXXXXXX1Z4	पटना विशेष	2020-21	20,38,137
55		10XXXXXXXXXX1ZG	पटना विशेष	2019-20	15,03,691
56		10XXXXXXXXXX1ZG	पटना विशेष	2020-21	10,32,959
57	जीएसटीआर-9सी के तालिका-12एफ में असमाशोधित	10XXXXXXXXXX1ZR	पटना विशेष	2019-20	74,59,788
58	इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXX1ZL	पटना विशेष	2018-19	2,983
59		10XXXXXXXXXX1ZL	पटना विशेष	2019-20	51,99,259
60		10XXXXXXXXXX1Z3	पटना विशेष	2018-19	66,39,932
61	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में	10XXXXXXXXXX1ZU	पाटलिपुत्रा	2019-20	0
62	छिपाव	10XXXXXXXXXX1Z2	पटना विशेष	2019-20	0
63		10XXXXXXXXXX1Z2	पटना विशेष	2020-21	0
64	स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह घोषणा से	10XXXXXXXXXX1ZN	गया	2018-19	22,48,14,000
65	पहचाने गए देय कर योग्य मूल्य का छिपाव	10XXXXXXXXXX3ZW	पटना विशेष	2019-20	99,36,08,414
66		10XXXXXXXXXX1ZI	पटना विशेष	2020-21	5,19,25,660
67	कर योग्य मूल्य का छिपाव (बिना बिल राजस्व)	10XXXXXXXXXX1ZI	पाटलिपुत्र	2018-19	0
68		10XXXXXXXXXX1Z7	पटना विशेष	2020-21	0
69	जीएसटीआर-9सी के तालिका-7जी में असमाशोधित कर	10XXXXXXXXXX1ZD	पटना विशेष	2019-20	0
70	देयता	10XXXXXXXXXX1ZD	पटना विशेष	2020-21	0

Ø-1-	यसका जर्कक वक के	t h, l VhwbZu	vpy dk uke	o"Z	cesy jlk' k
71	ब्याज का कम भुगतान	10XXXXXXXXXXXXX1ZJ	पटना विशेष	2019-20	18,27,907
72		10XXXXXXXXXXXXX1ZJ	पटना विशेष	2020-21	19,19,495
73		10XXXXXXXXXXXXX1ZJ	पटना विशेष	2018-19	1,87,763
74		10XXXXXXXXXXXXX1ZP	पटना विशेष	2020-21	4,05,446
75		10XXXXXXXXXXXXX1ZP	पटना विशेष	2019-20	6,66,584
76		10XXXXXXXXXXXXX1ZP	पटना विशेष	2018-19	28,03,277
77		10XXXXXXXXXXXXX1ZY	पटना विशेष	2019-20	24,94,262
78		10XXXXXXXXXXXXX1ZY	पटना विशेष	2020-21	15,51,272
79		10XXXXXXXXXXXXX1ZY	पटना विशेष	2018-19	5,39,645
80		10XXXXXXXXXXXXX1ZK	पटना विशेष	2019-20	28,85,550
81		10XXXXXXXXXXXXX1ZK	पटना विशेष	2018-19	12,51,904
82		10XXXXXXXXXXXXX1ZK	पटना विशेष	2020-21	17,22,320
dy					2,48,34,08,691

यसमाजिकवले	ekey t għ t olc i ħr għ/k		यसमाजिक } ळjk Lohr: foħħx dġ t olc		vuqkyu fopyu																		
	14: k	जमक	14: k	जमक	यसमाजिक } ळjk Lohr: foħħx dġ t olc	वृ eħt Li "Vrdj. k	foħħx } ळjk Lohr: mu ekeyl dġs l ffeyr djrs għ t għ dĳzbbz i ĳjk fd; k t luk gS	ol yħ	1, 1, eVħ10	t ĳħ dh xbz , l l h u	dĳnrk l s i = ĳpĳ ds vħtu	यसमाजिक dġs foħħx dġ t olc Lohr: Z ugn ĳ t v ĳ 1/2	dg	वृħy } ळ dġs l fħk foħħx dġ t olc	foħħx uacr; k fd os यसमाजिक i Pħħadh t ĳp dj jgs għ								
जीएसटीआर-9सी के तालिका-12ए में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	10	16.11	0	0	2	10.11	2	1.31	0	0	4	2.73	2	1.96	0	0	6	4.69	0	0	2	1.96	
जीएसटीआर-9सी के तालिका-14टी में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	11	36.62	1	4.54	3	13.31	4	6.77	0	0	3	12	0	0	0	0	3	12	0	0	0	0	0
अमुक्त कर देयता	78	3,578.23	6	2,138.01	10	29.97	30	1,248.68	7	3.64	0	18	85.2	7	20.46	0	32	161.57	0	0	7	20.46	0
इलेक्ट्रानिक-ये बिल की तुलना में बेमेल करयोग्य मूल्य	52	0	4	49.09	8	0	12	0	1	0.40	1	18	0	8	0	0	28	62.02	0	0	8	0	0
जीएसटीआर-9सी के तालिका-9आर में असमाशोधित कर योग्य आवर्त	12	50.04	1	10.38	1	2.24	4	12.29	1	0	1	4.98	2	2	3.58	0	6	25.13	0	0	2	3.58	0
स्रोत पर कर कटौती / स्रोत पर कर संग्रह घोषणा द्वारा पहचाने गये बेमेल कर योग्य मूल्य	23	125.01	0	0	8	52.96	3	7.14	2	3.81	1	19.8	8	1	5.18	0	12	64.91	0	0	1	5.18	0
कर योग्य मूल्य (बिना बिल राजस्व)	14	0	0	0	1	0	2	0	1	0.08	4	0	3	3	0	0	11	0.08	0	0	3	0	0

IKj'KV 2-15
1/4 nHk dMck 2-4-7-3 1cl 1/4 1/2
t h l Vlvkj & 2, vly t h l Vlvkj & 3ch dse/; cey buiY VDI ØfMw

1/4 k ₹ e½

Ø- l a	t h l VlvkZu	vpy dk uke	o"lZ	vly2, ds vuq kj mi yC/k buiY VDI ØfMw	vly3ch ds vuq kj buiY VDI ØfMw dk yHk fy; k x; k	eW; fopyu
1	10XXXXXXXXXX2ZF	फरबिसगंज	2020-21	1,00,74,660.16	1,23,77,612.02	23,02,951.85
2	10XXXXXXXXXX1Z1	गांधी मैदान	2020-21	2,10,32,535.65	8,08,71,648	5,98,39,112.35
3	10XXXXXXXXXX1Z4	हाजीपुर	2019-20	1,17,34,107.86	7,36,15,436.31	6,18,81,328.46
4			2020-21	1,13,64,990.65	1,28,12,108.09	14,47,117.44
5			2018-19	72,07,144.58	72,17,050.31	9,905.73
6	10XXXXXXXXXX1ZP		2018-19	0.00	5,28,92,368.00	5,28,92,368.00
7	10XXXXXXXXXX1ZZ		2018-19	0.00	5,78,12,356.00	5,78,12,356.00
8	10XXXXXXXXXX1ZT	मुजफ्फरपुर पूर्वी	2019-20	5,09,349.21	5,56,265.35	46,916.14
9			2018-19	16,09,570.48	16,27,531.90	17,961.41
10	10XXXXXXXXXX1Z1	पाटलिपुत्र	2018-19	13,04,40,883.30	14,92,01,963.90	1,87,61,080.63
11			2019-20	14,49,38,144.50	16,15,75,070.40	1,66,36,925.84
12			2020-21	14,99,99,179.40	17,16,53,466.10	2,16,54,286.71
13	10XXXXXXXXXX1ZE	पटना मध्य	2018-19	29,99,782.94	74,17,737.71	44,17,954.77
14			2019-20	2,24,76,526.71	11,15,85,402.30	8,91,08,875.59
15	10XXXXXXXXXX1ZE		2018-19	12,82,48,567.90	19,20,88,419.00	6,38,39,851.15
16	10XXXXXXXXXX2ZJ		2018-19	9,41,30,707.70	10,54,78,550.50	1,13,47,842.80
17			2019-20	11,28,99,558.00	15,50,50,823.00	4,21,51,264.45
18	10XXXXXXXXXX1ZS		2018-19	1,36,82,37,728.00	2,34,30,62,486.00	97,48,24,757.50
19			2019-20	1,87,68,95,869.00	1,92,21,93,504.00	4,52,97,634.69
20	10XXXXXXXXXX1ZD	पटना सिटी पूर्वी	2018-19	0.00	12,18,58,634.00	12,18,58,634.00
21	10XXXXXXXXXX3ZW	पटना विशेष	2020-21	1,82,51,20,152.00	1,87,48,52,881.00	4,97,32,729.30
22	10XXXXXXXXXX1ZC		2018-19	2,13,92,17,352.00	2,26,73,11,960.00	12,80,94,608.30
23	10XXXXXXXXXX1Z7		2019-20	74,23,35,749.50	76,19,65,702.40	1,96,29,952.92
24	10XXXXXXXXXX1ZK		2020-21	14,66,22,510.60	20,47,38,620.50	5,81,16,109.93

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Ø- l a	t h l VlwkbZ u	vpy dk uke	o"lZ	vlgj2, ds vudkj mi yC/k bui VDI ØfM	vlgj3ch ds vudkj bui VDI ØfM dk ykk fy; k x; k	eš; fopyu
25	10XXXXXXXXXXXXX1Z1	पूर्णिया	2018-19	5,59,755.52	5,94,68,823.00	5,89,09,067.48
26			2020-21	60,535.53	1,23,984.00	63,448.47
27	10XXXXXXXXXXXXX1Z0	सारण	2020-21	0.00	14,01,71,000.00	14,01,71,000.00
28	10XXXXXXXXXXXXX1Z5		2018-19	56,89,002.81	5,81,54,364.85	5,24,65,362.04
29	10XXXXXXXXXXXXX1ZL		2020-21	0.00	21,93,88,400.00	21,93,88,400.00
30	10XXXXXXXXXXXXX1Z7	सासाराम	2018-19	10,92,66,664.40	17,61,48,558.00	6,68,81,893.58
31			2020-21	7,77,81,037.46	8,49,31,337.34	71,50,299.89
32	10XXXXXXXXXXXXX3ZH	शाहाबाद	2019-20	36,65,831.88	9,06,97,871.84	8,70,32,039.96
dg				9,14,51,17,897.74	11,67,89,01,935.82	2,53,37,84,037.38

IKj'KV 2-16
1 a Hk dMdk 2-4-7-3 1d11112
vki fr-Zlrk} kjk dj Ášk k fd, fcuk buiŸ VDI ØfM dk ykk

Ø-1 a	t h l Vh/bZu	vpy dk ute	o"Z	t h l Vh/kj&9 ds rkfydk&8, ds vud kj buiŸ VDI ØfM	l ákk/ku ds mi.jkr t h l Vh/kj&2, ds vud kj buiŸ VDI ØfM	fopyu
1	10XXXXXXXXXXXXZW	लखीसराय	2019-20	14,64,05,200.00	15,28,29,695.80	64,24,495.76
2			2018-19	10,22,72,616.00	12,96,35,953.30	2,73,63,337.33
3	10XXXXXXXXXXXX1ZS	पटलिपुत्र	2020-21	1,89,51,27,420.00	1,89,58,49,290.00	7,21,866.49
4	10XXXXXXXXXXXX1ZF		2020-21	73,86,00,060.00	74,60,32,870.80	74,32,806.78
5	10XXXXXXXXXXXX1ZC	पटना मध्य	2018-19	13,15,06,656.00	13,15,69,674.90	63,018.94
6			2019-20	9,43,88,808.00	13,39,21,892.10	3,95,33,084.14
7	10XXXXXXXXXXXX1Z1	पटना परिचमी	2019-20	29,46,01,216.00	30,80,92,831.60	1,34,91,615.63
				3,40,29,01,976.00	3,49,79,32,208.50	9,50,30,225.07

dy

IKjF'KV 2-17

1 aHhZ dMdk 2-4-7-3 1/4HIII42

fu/KZj r vof/k dsckn nkf[ky t h l Vlvkj&3ch ij buiV VDI ØfMw dk ykHk

युक्ति ₹ eश

Ø- I a	t h l VlvkbZu	vpy dk ule	o"Z	eghuk t gk t h l Vlvkj&3ch foye l snkf[ky fd; k x; k	fjVuZ ckn nkf[ky t h l Vlvkj &3ch ij fy; k x; k buiV VDI dMw dk ykHk	vDVwj 19 ds ckn nkf[ky t h l Vlvkj &3ch ij fy; k x; k buiV VDI dMw dk ykHk	vDVwj 20 ds ckn nkf[ky t h l Vlvkj &3ch ij fy; k x; k buiV VDI dMw dk ykHk	vDVwj 21ds ckn nkf[ky t h l Vlvkj& 3ch ij buiV fy; k x; k VDI dMw dk ykHk	I lek vof/k ds ckn nkf[ky t h l Vlvkj& 3ch ij fy; k x; k dgy buiV VDI ØfMw dk ykHk
1	10XXXXXXXXXX2ZP	बतिया	2019-20	""202003""	0.00	1,02,16,696.00	0.00	0.00	1,02,16,696.00
2	10XXXXXXXXXX1ZL	भागलपुर	2020-21	""202009', '202011', '202103', '202012', '202008', '202102', '202010', '202101""	0.00	0.00	0.00	1,42,07,542.00	1,42,07,542.00
3	10XXXXXXXXXX2ZQ	बिहारशरीफ	2018-19	""201805', '201811', '201812', '201804', '201903', '201810', '201806', '201902""	1,24,01,874.67	0.00	0.00	0.00	1,24,01,874.67
4	10XXXXXXXXXX2ZI	बक्सर	2018-19	""201903""	1,32,00,160.00	0	0	0	1,32,00,160.00
5	10XXXXXXXXXX2ZQ	दानापुर	2018-19	""201901', '201810', '201812', '201903', '201811', '201902""	36,79,632.16	0.00	0.00	0.00	3,67,96,32.16
6	10XXXXXXXXXX3ZR	गांधी मैदान	2019-20	""201912', '201908', '201910', '201905', '202003', '201904', '202001', '202002', '201909', '201911', '201907', '201906""	0	1,33,52,185.00	0	0	1,33,52,185.40
7			2020-21	""202102', '202004', '202007', '202008', '202012', '202009', '202005', '202101', '202006', '202103', '202010', '202011""	0	0	0	1,29,15,925	1,29,15,925.00
8	10XXXXXXXXXX1ZW	खगड़िया	2018-19	""201806', '201804', '201901', '201811', '201807', '201903', '201902', '201805', '201808', '201810', '201809', '201812""	1,15,90,047.83	0.00	0.00	0.00	1,15,90,047.83
9	10XXXXXXXXXX1ZR	मुजफ्फरपुर परिचमी	2018-19	""201805', '201811', '201806', '201804', '201903', '201810', '201809', '201902', '201901', '201807', '201812', '201808""	72,53,446.78	0.00	0.00	0.00	72,53,446.78

Ø- I a	t h I Vkw/bZu	vpy dk ule	o"lZ	eghuk t gk t h I Vkw/lj & 3ch foyc I snk[ky fd; k x; k	vDVwuj 19 ds ckn nfk[ky t h I Vkw/lj & 3ch ij fy; k x; k bui y VSI dMwY dk dk yHk	vDVwuj 20 ds ckn nfk[ky t h I Vkw/lj & 3ch ij fy; k x; k bui y VSI dMwY dk yHk	vDVwuj 21 ds ckn nfk[ky t h I Vkw/lj & 3ch ij bui y fy; k x; k VSI dMwY dk yHk	I lek vof/k ds ckn nfk[ky t h I Vkw/lj & 3ch ij fy; k x; k dgy bui y VSI ØMwY dk yHk
10	10XXXXXXXXXX2ZK	पटना मध्य	2019-20	""202003", '202002""	0.00	1,53,60,783.00	0.00	1,53,60,783.00
11	10XXXXXXXXXX1ZG		2019-20	""202003""	0.00	2,42,71,832.00	0.00	2,42,71,832.00
12	10XXXXXXXXXX1ZS		2019-20	""202003""	0.00	1,37,73,484.00	0.00	1,37,73,484.00
13	10XXXXXXXXXX1ZK		2018-19	""201811", '201812', '201903', '201901', '201902""	1,85,47,006.00	0.00	0.00	1,85,47,006.00
14			2019-20	""202002""	0.00	12,70,012.00	0.00	12,70,012.00
15	10XXXXXXXXXX1ZW		2018-19	""201903", '201809', '201810', '201806', '201902', '201812', '201811', '201901', '201807', '201808""	1,57,43,195.50	0.00	0.00	1,57,43,195.50
16	10XXXXXXXXXX1ZF	पटना दक्षिणी	2020-21	""202101""	0.00	0.00	83,06,911.50	83,06,911.50
17			2019-20	""201909", '201912', '202003', '201910', '202002', '202001""	0.00	78,43,428.00	0.00	78,43,428.00
18	10XXXXXXXXXX1ZI	रक्सौल	2018-19	""201807", '201806', '201809', '201810', '201805', '201901', '201808', '201812', '201811""	1,12,98,100.50	0.00	0.00	1,12,98,100.50
19	10XXXXXXXXXX1ZZ	सहरसा	2020-21	""202011", '202103', '202005', '202006', '202102', '202008', '202012', '202010', '202101""	0.00	0.00	2,73,889.26	2,73,889.26
20			2018-19	""201807", '201806', '201809', '201810', '201902', '201811', '201901', '201808', '201812', '201903""	40,01,359.59	0.00	0.00	40,01,359.59
21			2019-20	""201910", '202002', '201912', '201905', '201909', '201904', '202003', '201908', '201906', '201911', '201907', '202001""	0.00	169,90,210.00	0.00	1,69,90,210.10
22	10XXXXXXXXXX2Z8		2018-19	""201901", '201811', '201903', '201902', '201812""	1,91,32,054.30	0.00	0.00	1,91,32,054.30

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Ø- l a	t h l VkwZu	vpy d k ule	o"Z	eghuk t gk t h l Vkwj&3ch foyEc l snk[ky fd; k x; k	vDVwj 19 ds chn nk[ky t h l Vkwj &3ch ij fy; k x; k bui y VSI d MW dk y MK	vDVwj 20 ds chn nk[ky t h l Vkwj &3ch ij fy; k x; k bui y VSI d MW dk y MK	vDVwj 21 ds chn nk[ky t h l Vkwj & 3ch ij bui y fy; k x; k VSI d MW dk y MK	l tek vof/k ds chn nk[ky t h l Vkwj & 3ch ij fy; k x; k dgy bui y VSI Ø MW dk y MK
23	10XXXXXXXXXX1Z0	सारण	2019-20	""202002', '202003""	0.00	119,01,000.00	0.00	1,19,01,000.00
24	10XXXXXXXXXX1ZP	सासारण	2018-19	""201807', '201806', '201809', '201810', '201902', '201811', '201901', '201808', '201812', '201903""	1,39,98,118.80	0.00	0.00	1,39,98,118.80
25	10XXXXXXXXXX2Z4	शाहाबाद	2019-20	""201906', '201904', '201907', '201910', '201909', '201908', '201905""	0.00	91,87,609.60	0.00	91,87,609.56
26			2018-19	""201902', '201903', '201901""	33,02,791.75	0.00	0.00	33,02,791.75
dy					13,41,47,787.88	12,41,67,239.60	3,57,04,267.76	29,40,19,295.7

IKjif'KV 2-18
1/4 anHk dMdk 2-4-7-3 1/4 1/4 V 1/4 2
ÁKrdÜKZ} kjk buiŸ l ok forjd ØfMW dk xy r ykHk mBlauk

1/4 k ₹ e2

Ø- I a	t h, I Vh k b Z u	vpy dk ule	o"KZ	t h, I Vh vlgj&9 rkfydk &7ch	t h, I Vh vlgj&9 rkfydk , p	t h, I Vh vlgj&6 rkfydk &5,	t h, I Vh vlgj&6 rkfydk &8,	t h, I Vh vlgj&6 rkfydk &9,	t h, I Vh vlgj&3ch rkfydk& 4ch 1/2	t h, I Vh vlgj&3ch rkfydk& 4ch 1/2	buiŸ l ok forjd ØfMW dk ykHk vfeld fy; k x; k
1	10XXXXXXXXXXXXX1ZQ	गांधी मैदान	2020-21	0	6,95,650.61	रिक्त	रिक्त	रिक्त	7,58,895.80	0	63,245.19
2	10XXXXXXXXXXXXX1ZE	पालिपुर	2018-19	0	8,97,283.00	रिक्त	रिक्त	रिक्त	29,31,455.00	38,69,888.00	20,34,172.00
3	10XXXXXXXXXXXXX2ZX		2018-19	0	17,73,100.00	रिक्त	रिक्त	-86,297.00	32,96,805.00	26,40,555.00	16,10,002.00
4	10XXXXXXXXXXXXX2ZH	पटना मध्य	2018-19	0	59,97,523.00	रिक्त	रिक्त	रिक्त	63,70,308.00	10,209.00	3,62,576.00
5			2020-21	0	24,49,389.00	रिक्त	रिक्त	रिक्त	25,40,027.00	15,547.00	75,091.00
6	10XXXXXXXXXXXXX1Z5		2018-19	रिक्त	55,45,253.00	रिक्त	रिक्त	रिक्त	75,17,097.00	94,157.00	18,77,687.00
7	10XXXXXXXXXXXXX1ZY	पटना सिटी परिचमी	2019-20	0	40,59,694.00	रिक्त	रिक्त	रिक्त	46,45,147.00	0	5,85,453.00
8	10XXXXXXXXXXXXX1ZV	पटना उत्तरी	2018-19	0	15,19,815.00	रिक्त	रिक्त	रिक्त	22,28,635.00	1,29,748.00	5,79,072.00
9	10XXXXXXXXXXXXX1ZL	पटना परिचमी	2019-20	0	15,88,023.00	रिक्त	रिक्त	रिक्त	15,94,213.00	6,190.00	6,190.00
10	10XXXXXXXXXXXXX1ZH		2018-19	0	6,84,43,273.00	रिक्त	रिक्त	रिक्त	7,42,14,792.00	0	57,71,519.00
11			2020-21	0	11,14,50,220.00	रिक्त	रिक्त	रिक्त	11,15,78,616.00	0	1,13,190.00
				0.00	20,44,19,223.61	0.00	-86,297.00	0.00	21,76,75,990.80	67,66,294.00	1,30,78,197.19

IIKj'KV 2-19

1/1 a nHk dMck 2-4-7-3/kl14N142

fjol Zpkt Ze8sfute dsrgr buiY VDI ØfMW@Hqrku fd, x, dj dk xy r yHk mBluk

1/1 k' k ₹ es2

Ø-1 a	vpy dk ule	t h l VhwkZu	o"Z	vkj3ch vkl h e dj Hqrku	vkj9 vkl h e dj Hqrku	vkj3ch buiY VDI ØfMW vkbZei h l	vkj3ch buiY VDI ØfMW vkl h e	vkj9 buiY VDI ØfMW vkl h e via h d r	vkj9 vkbZei h vkl h e ia h d r	vkj9 vkbZei h l	vlekt r fopyu døy udlj Red Áfof"Vh
1	बेगूसराय	10XXXXXXXXXXXX1ZE	2018-19	0	0	0	0	0	1,18,73,185	0	-1,18,73,185
2	दरभंगा	10XXXXXXXXXXXX1Z0	2018-19	0	0	0	0	0	67,52,163	0	-67,52,163
3			2019-20	0	0	0	0	0	63,92,003	0	-63,92,003
4		10XXXXXXXXXXXX1ZG	2018-19	0	0	0	0	0	81,43,314	0	-81,43,314
5			2019-20	0	0	0	0	0	75,67,204	0	-75,67,204
6		10XXXXXXXXXXXX1ZX	2018-19	0	0	0	0	0	86,75,388	0	-86,75,388
7			2019-20	0	0	0	0	0	84,94,761	0	-84,94,761
8		10XXXXXXXXXXXX1ZX	2018-19	0	0	0	0	0	91,02,753	0	-91,02,753
9			2019-20	0	0	0	0	0	93,55,947	0	-93,55,947
10	पटना मध्य	10XXXXXXXXXXXX1ZT	2018-19	0	0	0	1,74,94,810	0	1,74,94,810	0	-1,74,94,810
11			2018-19	0	0	0	0	0	64,28,883	0	-64,28,883
12	पटना उत्तरी	10XXXXXXXXXXXX2ZV	2020-21	0	0	0	0	0	59,24,871	0	-59,24,871
13			2018-19	0	0	0	0	0	79,28,276	0	-79,28,276
14			2019-20	0	0	0	0	0	1,31,50,382	0	-1,31,50,382
15			2020-21	0	0	0	0	0	1,86,41,594	0	-1,86,41,594

Ø-1a	vpy dk uke	t h l VlvbZ u	o"Z	vkj3ch vkl h e dj Hxrk u	vkj9 vkl h e dj Hxrk u	vkj3ch bui q VSI ØfMw vkbzeih l	vkj3ch bui q VSI ØfMw vkl h e	vkj9 bui q VSI ØfMw vkl h e viat ldr	vkj9 vkbZ h vkl h e iat ldr	vkj9 vkbzeih l	v1 ek kft r fopyu døy udkj kRed Afof Vh	
16	पटना दक्षिणी	10XXXXXXXXXXXXXIZI	2018-19	0	0	0	0	0	64,84,785	0	-64,84,785	
17		10XXXXXXXXXXXXXIZW	2019-20	0	0	0	0	0	46,28,553	0	-46,28,553	
18			2020-21	0	0	0	0	0	51,18,345	0	-51,18,345	
19			2018-19	0	0	0	0	0	59,35,457	0	-59,35,457	
20			2019-20	0	0	0	0	0	62,37,722	0	-62,37,722	
21			2020-21	0	0	0	0	87,73,865	0	0	0	-87,73,865
22			2018-19	0	0	0	0	0	98,67,672	0	0	-98,67,672
23			2019-20	0	0	0	0	0	98,99,996	0	0	-98,99,996
dy											-20,28,71,929	

कृषि कृ 2-20
अनुसूची 2-4-3(1)(A)(1)
तृतीय वित्त वर्ष 2020-21, चौथे वित्त वर्ष 2021-22, पांचवें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए

क्र. सं.	वित्त वर्ष	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण
1	2020-21	बेगूसराय	10XXXXXXXXXX1ZD	2020-21	10,07,41,352	10,07,41,600	252		
2	2020-21	पटना मध्य	10XXXXXXXXXX1ZU	2020-21	5,36,82,560	7,32,69,704	1,95,87,148		
3	2018-19	पटना दक्षिणी	10XXXXXXXXXX1ZB	2018-19	10,10,89,120	10,60,65,568	49,76,453		
4	2019-20			2019-20	8,07,17,344	8,53,97,832	46,80,486		
5	2018-19		10XXXXXXXXXX1ZT	2018-19	16,13,092	19,10,092	2,97,000		
6	2019-20	सारण	10XXXXXXXXXX1Z3	2019-20	1,65,50,53,570	1,67,24,03,710	1,73,50,156		
द्वारा					1,99,28,97,038	2,03,97,88,506	4,68,91,495		

कृषि कृ 2-21
अनुसूची 2-4-7-3(1)(A)(1)
चौथे वित्त वर्ष 2021-22, पांचवें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए

क्र. सं.	वित्त वर्ष	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण
1	2018-19	बेगूसराय	10XXXXXXXXXX1ZY	2018-19	7,87,55,192.00	7,81,75,033.00	जीएसटीआर 3बी में जीएसटी क्रेडिट वापस नहीं किया गया		
2	2020-21	पटना दक्षिणी	10XXXXXXXXXX1ZQ	2020-21	2,08,79,200.00	2,08,79,200.00	रिटर्न में उल्लेख नहीं किया गया		
3	2018-19	शाहाबाद	10XXXXXXXXXX1ZD	2018-19	2,10,21,732.00	2,10,21,732.00			
द्वारा					12,06,56,124.00	12,00,75,965.00			

IKj'KV -2-22
IA nHk dMdk 2-4-7-3kI/III½
vHPr dj nš rk

Ø-I a	t h l Vh/lbZu	vpy dk ute	vof/k	t h l Vh/lj&1 ds vud lj nš rk	t h l Vh/lj&9 ds vud lj nš rk	t h l Vh/lj&1@9 eamPrj nš rk	t h l Vh/lj&3ch ds vud lj Hgrku	t h l Vh/lj&9 ds vud lj Hgrku	vf/kd nš rk*
1.	10XXXXXXXXXXXXX1ZQ	भयुआ	2020-21	48,30,82,720	0	48,30,82,720	0	0	48,30,82,720
2.	10XXXXXXXXXXXXX1Z7		2019-20	6,06,37,324	6,06,37,942	6,06,37,942	0	60637328	614
3.	10XXXXXXXXXXXXX1Z7	भागलपुर	2019-20	3,69,94,304	3,71,82,288	3,71,82,288	3,69,54,949		2,27,340
4.			2020-21	3,88,65,416	3,88,65,411.5	3,88,65,416	-764.5	0	3,88,66,181
5.	10XXXXXXXXXXXXX1Z4	दानापुर	2020-21	8,64,85,152	5,24,16,936	8,64,85,152	0	52416940	3,40,68,212
6.	10XXXXXXXXXXXXX1ZQ	जहानाबाद	2019-20	3,80,72,952	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	3,80,72,952	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	35675969	23,96,984
7.			2020-21	3,52,40,692	3,59,34,932	3,59,34,932	-6,92,668	0	3,66,27,600
8.	10XXXXXXXXXXXXX1ZI	पटना मध्य	2020-21	5,47,87,628	23,35,451	5,47,87,628	0	1314302	5,34,73,326
9.	10XXXXXXXXXXXXX1ZH		2018-19	11,29,61,472	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	11,29,61,472	5,34,60,508	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	5,95,00,964
10.	10XXXXXXXXXXXXX1Z7		2018-19	5,19,06,088	5,19,33,163	5,19,33,163	0	51906098	27,064
11.			2019-20	6,18,47,144	6,18,47,139	6,18,47,144	0	61847087	56
12.			2020-21	5,20,55,056	0	5,20,55,056	0	0	5,20,55,056
13.	10XXXXXXXXXXXXX1ZC		2019-20	12,95,03,584	9,63,24,608	12,95,03,584	0	96324604	3,31,78,976
14.			2020-21	7,10,94,112	6,47,63,152	7,10,94,112	0	64763152	63,30,960
15.	10XXXXXXXXXXXXX1ZZ	पटना उत्तरी	2018-19	10,00,83,904	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	10,00,83,904	6,12,25,908	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	3,88,57,996
16.			2019-20	7,58,60,920	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	7,58,60,920	4,32,98,392	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	3,25,62,528

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Ø- I a	t h I Vlv/lsZu	vpy dk ule	vof/k	t h I Vlv/lj&1 ds vuq lj ns rk	t h I Vlv/lj&9 ds vuq lj ns rk	t h I Vlv/lj&1@9 eamPrj ns rk	t h I Vlv/lj&3ch ds vuq lj Hqrku	t h I Vlv/lj&9 vuq lj Hqrku	vf/kd ns rk*
17.	10XXXXXXXXXXXXX1ZU	पटना दक्षिणी	2019-20	1,98,29,128	4,32,70,516	4,32,70,516	0	0	4,32,70,516
18.	10XXXXXXXXXXXXX2ZS		2018-19	2,23,44,822	4,38,57,016	4,38,57,016	0	2,17,82,378	2,20,74,638
19.			2019-20	4,50,79,664	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	4,50,79,664	2,50,53,848	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	2,00,25,816
20.			2020-21	2,60,42,364	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	2,60,42,364	2,41,79,912	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	18,62,452
21.	10XXXXXXXXXXXXX1ZC	समस्तीपुर	2020-21	9,51,80,776	0	9,51,80,776	0	0	9,51,80,776
22.	10XXXXXXXXXXXXX1Z6	रक्सौल	2019-20	24,62,83,024	24,66,57,792	24,66,57,792	0	24,64,99,302	1,58,490
23.	10XXXXXXXXXXXXX1ZG	सासाराम	2019-20	7,90,11,928	7,90,11,928	7,90,11,928	0	7,84,30,742	5,81,186
24.			2020-21	10,45,22,528	10,36,33,480	10,45,22,528	0	0	10,45,22,528
25.	10XXXXXXXXXXXXX2ZL		2018-19	1,66,330	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	1,66,330	1,13,950	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	52,380
26.	10XXXXXXXXXXXXX1ZJ		2020-21	2,19,513	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	2,19,513	2,08,772	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	10,741
27.	10XXXXXXXXXXXXX3ZH	शाहाबाद	2018-19	25,36,13,936	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	25,36,13,936	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	25,35,53,598	60,338
28.			2019-20	21,54,84,304	21,52,82,544	21,54,84,304	-15,25,28,560	0	36,80,12,864
29.			2020-21	21,95,06,400	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	21,95,06,400	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	21,95,03,960	2,440
30.	10XXXXXXXXXXXXX2ZU		2018-19	16,87,19,296	12,16,15,400	16,87,19,296	12,22,64,784	0	4,64,54,520
31.	10XXXXXXXXXXXXX1Z9		2019-20	12,17,76,448	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	12,17,76,448	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	7,97,24,032	4,20,52,416
32.	10XXXXXXXXXXXXX1Z6	सिवान	2018-19	20,34,930.2	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	20,34,930.2	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	18,87,591	1,47,339
dy									
				3,10,92,93,859.20	1,35,55,69,698.50	3,15,55,32,126.20	21,35,39,030.50	1,32,62,67,083.00	1,61,57,26,017.00

* अधिक देयता= (जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-9 के बीच उच्चतर कर देयता)-(जीएसटीआर-9 / 3बी के अनुसार भुगतान)

डिजिटल क्व-2-23

अनुसूची - 2-4-7-3 (अंश)

विवरण: विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक बिजली के तारों का

आवक

क्र.सं.	वि.सं.	विवरण	वर्ष	वि.सं. (अंश)								
1	10XXXXXXX1ZA	बेगूसराय	2018-19	4,28,932	0	4,28,932	1,44,66,178	1,40,37,245				
2	10XXXXXXX1ZZ	दानापुर	2020-21	9,40,822	0	9,40,822	1,31,05,726	1,21,64,904				
3	10XXXXXXX1Z8		2020-21	3,82,90,484	0	3,82,90,484	4,56,94,489	74,04,004				
4	10XXXXXXX1Z8	गोपालगंज	2019-20	59,05,373	0	59,05,373	2,90,30,722	2,31,25,348				
5	10XXXXXXX1Z7	हाजीपुर	2019-20	28,50,13,312	0	28,50,13,312	29,42,87,489	92,74,176				
6	10XXXXXXX1ZP		2018-19	5,28,16,988	0	5,28,16,988	5,90,20,078	62,03,088				
7	10XXXXXXX1ZH	खगड़िया	2018-19	0	0	0	1,02,17,641	1,02,17,641				
8	10XXXXXXX1Z3	किशनगंज	2020-21	1,28,64,888	5,31,595	1,33,96,483	2,31,04,016	97,07,534				
9	10XXXXXXX2ZH	मुजफ्फरपुर	2020-21	1,79,49,568	0	1,79,49,568	7,88,75,093	6,09,25,528				
10	10XXXXXXX1ZP	पाटलिपुत्र	2019-20	3,48,724	0	3,48,724	1,22,54,103	1,19,05,379				
11			2020-21	5,42,808	0	5,42,808	2,38,80,626	2,33,37,818				
12	10XXXXXXX1Z2	पटना मध्य	2019-20	46,61,05,472	0	46,61,05,472	46,80,82,767	19,77,280				
13			2020-21	51,85,11,232	0	51,85,11,232	52,37,12,991	52,01,760				
14	10XXXXXXX1ZY		2018-19	3,10,81,874	0	3,10,81,874	3,75,29,776	64,47,902				
15	10XXXXXXX1ZC	पटना सिटी पश्चिमी	2018-19	8,77,692	0	8,77,692	2,60,08,235	2,51,30,542				
16	10XXXXXXX1Z2	पटना उत्तरी	2018-19	4,57,38,364	0	4,57,38,364	4,97,04,508	39,66,144				
17			2019-20	6,61,13,372	0	6,61,13,372	6,92,02,318	30,88,948				
18			2020-21	11,54,20,896	0	11,54,20,896	12,59,17,068	1,04,96,176				

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Ø- l a	t h l Vh/lbZu	vpy dk uke	vof/k	vU; vki frZij vlg3ch Hkxrs dj	'kx; eW; kdr vki frZij vlg3ch Hkxrs dj	dj Hkxrs dj	byWUd&os fey dj ns rk	vf/kd ns rk
19	10XXXXXXXXXXXXX1ZB	पटना दक्षिणी	2018-19	9,25,67,552	0	9,25,67,552	9,52,98,207	27,30,656
20			2019-20	8,88,97,592	0	8,88,97,592	11,41,23,296	2,52,25,704
21			2020-21	17,47,68,368	0	17,47,68,368	25,74,26,278	8,26,57,904
22	10XXXXXXXXXXXXX1ZT	पटना विशेष	2019-20	17,88,81,888	0	17,88,81,888	22,98,35,613	5,09,53,728
23			2020-21	20,54,76,704	0	20,54,76,704	29,01,12,790	8,46,36,096
24	10XXXXXXXXXXXXX1ZR		2018-19	36,70,20,672	0	36,70,20,672	39,23,04,080	2,52,83,424
25	10XXXXXXXXXXXXX1Z3	सारण	2018-19	4,50,82,344	0	4,50,82,344	4,51,48,631	66,288
26			2019-20	1,58,02,62,400	0	1,58,02,62,400	1,65,80,40,134	7,77,77,792
27	10XXXXXXXXXXXXX1ZH	सासाराम	2018-19	17,19,675	0	17,19,675	79,45,329	62,25,655
28	10XXXXXXXXXXXXX1Z6	शाहाबाद	2020-21	34,34,598	0	34,34,598	2,35,11,659	2,00,77,060
dy				4,39,70,62,594	5,31,595	4,39,75,94,189	5,01,78,39,841	62,02,45,724

विवरण क्र. 2-24

अनुसूची 2-3-7-3 की धारा 1/2

यह विवरण 1997-98 के लिए एक करोड़ रुपये के

क्र.सं.	विवरण	वर्ष	यह विवरण 1997-98 के लिए	यह विवरण 1997-98 के लिए	कुल	कुल
1	बगहट	2019-20	7,53,22,640	2,55,34,342	4,97,88,300	
2	किशनगंज	2018-19	2,57,41,780	35,344	2,57,06,436	
3	पटना मध्य	2020-21	3,32,96,058	2,57,97,004	74,99,054	
4	पटना विशेष	2018-19	6,00,64,192	3,17,87,000	2,82,77,192	
5	सारण	2018-19	5,39,28,180	2,47,60,880	2,91,67,302	
6	शाहाबाद	2020-21	11,41,46,608	33,21,300	11,08,25,304	
				11,12,35,870	25,12,63,588	

रु.

IIJf'KV 2-25

II aH% dMdk 2-4-7-3% dI% XI% %

l k ij dj dV% h@l k ij dj l ag dsek; e l sigpkux, cey dj ; %; e%;

l k' k ₹ e%

Ø- l a	t h l V% hZu	vpy dk uke	vof/k	v% 3ch dj ; %; v% frZdk cfgxZeu e%;	v% 2, 'l k l k ij dj dV% h dh ol yh	v% 2, 'l k l k l k ij dj l ag dh ol yh	e%; ft l ij l k ij dj dV% h@ l k ij dj l ag dh ol yh	9 (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-5)
1	10XXXXXXXXXX1ZT	बिहारशरीफ	2018-19	11,61,077	6,66,582	0	3,33,29,097	3,21,68,020
2	10XXXXXXXXXX1ZM	दानापुर	2019-20	1,58,70,720	19,30,630.1	0	9,65,31,505	8,06,60,785
3	10XXXXXXXXXX1ZY	हाजीपुर	2018-19	0	4,81,803.56	0	2,40,90,178	2,40,90,178
4			2019-20	0	12,01,272.8	0	6,00,63,640	6,00,63,640
5	10XXXXXXXXXX1ZE	मधेपुरा	2019-20	0	9,02,223.4	0	4,51,11,170	4,51,11,168
6	10XXXXXXXXXX1ZS	पटना मध्य	2019-20	1,38,87,194	12,26,987	0	6,13,49,345	4,74,62,151
7			2018-19	0	11,90,614	0	5,95,30,700	5,95,30,700
8	10XXXXXXXXXX1ZB		2019-20	2,78,08,006	15,92,345	0	7,96,17,250	5,18,09,244
9	10XXXXXXXXXX1Z6	पटना सिटी पूर्वी	2018-19	99,83,664	3,73,102	0	1,86,55,083	86,71,419
10			2019-20	1,05,35,957	4,86,594	0	2,43,29,708	1,37,93,751
11			2020-21	2,29,48,252	10,13,710	0	5,06,85,500	2,77,37,218
12	10XXXXXXXXXX1ZJ	पटना उत्तरी	2019-20	2,95,46,008	45,51,386	0	22,75,69,300	19,80,23,292
dy					1,56,17,249.86	0	78,08,62,476	64,91,21,566

कृषि एवं पशुधन

अनुसूची 2-4-7-3(d) (XIII) 1/2

कृषि एवं पशुधन विभाग के अधीन कार्यरत कर्मियों की वेतन सूची

₹ करोड़

क्र. सं.	पद	वर्ग	वर्ष	दर	वर्ष	दर	वर्ष	दर	कुल
1	2	3	4	5	6	7(5-6)			
1	10XXXXXXXXXX1ZM	भागलपुर	2020-21	1,48,29,594	2,51,50,34,400	2,50,02,04,806			
2	10XXXXXXXXXX1ZH	पटना सिटी पश्चिमी	2020-21	0	41,43,62,823	41,43,62,823			
3	10XXXXXXXXXX1ZE	पटना पश्चिमी	2018-19	42,96,350	3,95,35,71,021	3,94,92,74,671			
4			2019-20	0	4,04,60,94,361	4,04,60,94,361			
							10,92,90,62,605		10,90,99,36,661

IKj'KV 2-28
¼ aH% dMdk 2-4-7-3(d) (XIV))
da kft 'ku djnkrk/ks } kjk bZ:dMl Zl fo/kk dk yHk

½k' k ₹ e½

Ø- I a	t h I Vlv/bZ,u	vpy dk uke	o"lZ	vloÜZ	I k' ij dj I agdrIzdk t h I Vlv/bZ,u	t h I Vlv/bZ,u } kjk fd; k x; k I dy vki wZ	I k' ij dj I agdrIzds efl d fjVuZvof/k
1	10XXXXXXXXXXXXX1ZL	पटना मध्य	2020-21	14,16,641	10XXXXXXXXXXXXX1C0, 10XXXXXXXXXXXXX1C0	1,66,13,538	2020/08,2020/09,2020/10, 2020/11,2020/12,2021/01, 2021/02,2021/03
2	10XXXXXXXXXXXXX1ZB	पटना दक्षिणी	2020-21	7,39,962	10XXXXXXXXXXXXX1C0, 10XXXXXXXXXXXXX1C0	48,15,171	2020/08,2020/09,2020/10, 2020/11,2020/12,2021/01, 2021/02,2021/03

IIKj'KV 2-29

4 aH%daMdk 2-4-7-3 (d) (XV)^{1/2}

daKft 'ku vjki .k dk vfu; fer : Ik l sykK mBluk

युएन ई एड

Ø- l a	t h l VlvkZu	vpy dk ule	o"Z	t h l VlvkZu dsfy, vlvkZ	l eku iSu ds vUrZ l Hh t h l VlvkZu dk vlvkZ	dE k h ku 'lq vkr dh frfK	dE k h ku ds l ekr dh frfK	l eku iSu ds vUrZ t h l VlvkZu
1	10XXXXXXXXXX1Z1	बक्सर	2018-19	2,59,91,644	2,59,91,644	01-10-2017	09-12-2021	'10XXXXXXXXXX1Z1'
2			2019-20	7,08,40,952	7,08,40,952	01-10-2017	09-12-2021	'10XXXXXXXXXX1Z1'
3			2020-21	2,12,25,172	2,12,25,172	01-10-2017	09-12-2021	'10XXXXXXXXXX1Z1'

IIJf'KV 2-30

¼ mHŁ dMŁk 2-4-7-3(d) (XVI)

, d seleys t gk t h l Vlvj & 3ch nk [ky ughafd; k yfdu t h l Vlvj & 1 mi yCk gS

Ø- I a	t h l Vlv/bZ u	vpy dk uke	o"Z	t h l Vlvj & 3ch nk [ky ughafdjus dks egluk	t h l Vlvj & 3ch nk [ky ughafdjus dks t h l Vlvj & 1 nk; Rb	¼k' k ₹ eŁz fopyu eW;
1	10XXXXXXXXXXZ22	औरंगाबाद	2019-20	2019/11, 2019/12	633279.25, 1751916.50	23,85,195.75
2			2020-21	2020/06, 2020/07, 2020/08, 2020/09	6646.32, 87396.12, 268314.34, 357334.38	7,19,691.16
3	10XXXXXXXXXXZ2X	बेजुसराय	2019-20	2019/04, 2019/05, 2019/06, 2019/07, 2019/08, 2019/09	252383.64, 298117.20, 309078.60, 319607.40, 345402.60, 380094.38	19,04,683.80
4			2018-19	2019/01, 2019/02, 2019/03	281035.20, 325242.66, 503866.30	11,10,144.16
5	10XXXXXXXXXXZ2ZH		2018-19	2018/05, 2018/06, 2018/07, 2018/08, 2018/09, 2018/10, 2018/11, 2018/12, 2019/01, 2019/02, 2019/03	38315.88, 41806.44, 43920.00, 46480.68, 49608.54, 50049.36, 56514.06, 82016.10, 98902.44, 183739.31, 419915.94	11,11,268.75
6			2019-20	2019/05, 2019/06, 2019/07, 2019/08, 2019/09, 2019/10, 2019/11, 2019/12	75671.38, 123771.96, 361251.20, 1164960.90	17,25,655.41
7	10XXXXXXXXXXZ6	बकर	2018-19	2018/08, 2018/09, 2018/10	664916.94, 1373898.50, 1476999.00	35,15,814.44
8	10XXXXXXXXXXCZ4		2019-20	2019/09, 2019/10, 2019/11	246593.20, 487907.22, 594778.40	13,29,278.80
9			2018-19	2019/03	2013275.20	20,13,275.25
10	10XXXXXXXXXXZS	गांधी मैदान	2019-20	2020/01, 2020/02, 2020/03	848599.94, 887933.50, 1077442.40	28,13,975.81
11			2020-21	2020/04, 2020/05, 2020/06, 2020/07, 2020/08	225958.69, 510822.7, 775580.56, 890768.56, 1604815.20	40,07,945.75
12	10XXXXXXXXXXZ8	गाथा	2018-19	2018/04, 2018/05, 2018/06, 2018/07, 2018/08, 2018/09, 2018/10, 2018/11, 2018/12, 2019/01, 2019/02, 2019/03	0.0, 294627.97, 436221.88, 4295040.50	50,25,890.34
13			2019-20	2019/05, 2019/06, 2019/07, 2019/08, 2019/09, 2019/10, 2019/11, 2019/12, 2020/01, 2020/02, 2020/03	1616166.40	16,16,166.38

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Ø- I a	t h l Vh/lbZu	vpy dk uke	o"iZ	t h l Vh/lkj&3ch nkf[ky eghuk	t h l Vh/lkj&3ch nkf[ky t h l Vh/lkj&1 nkf; Rb	fopyu eW;
14	10XXXXXXXXXX1Z2	खाड़िया	2018-19	2018/05, 2018/11, 2018/12, 2019/01, 2019/02, 2019/03	83944.80, 408830.75, 717056.00, 2032101.10, 2936163.20, 18969858.10	2,51,47,953.92
15			2019-20	2019/05	126242.86	1,26,242.86
16	10XXXXXXXXXX1ZC		2019-20	2019/05, 2019/06, 2019/07, 2019/08, 2019/09, 2019/10	343740.70, 448346.66, 977969.60, 1478001.40	32,48,058.34
17	10XXXXXXXXXX3ZP	मधेपुरा	2019-20	2019/05,2019/06,2019/07,2019/08,2019/09,2 019/10, 2019/11,2019/12,2020/01	4077549.0	40,77,549.00
18	10XXXXXXXXXX1ZI	मोतिहारी	2018-19	2018/12, 2019/03	1073174.20, 3130442.50	42,03,616.75
19			2019-20	2019/04,2019/05,2019/06,2019/07,2019/08	55688.12, 254667.60, 257254.86, 320360.80, 459477.84	13,47,449.23
20	10XXXXXXXXXX1ZY		2018-19	2019/03	334398.16	3,34,398.16
21	10XXXXXXXXXX1ZS	पटना मध्य	2018-19	2018/10, 2018/11, 2018/12, 2019/01, 2019/02, 2019/03	229945.77, 300790.70, 782894.20, 1514023.00, 1685237.00, 2311762.00	68,24,652.64
22	10XXXXXXXXXX1ZI	पटना सिटी	2018-19	2019/02, 2019/03	3973982.50, 7994124.50	1,19,68,107.00
23	10XXXXXXXXXX1Z6	पूर्वी	2018-19	2019/01, 2019/02, 2019/03	373654.34, 382078.22, 1818372.60	25,74,105.19
24	10XXXXXXXXXX1ZH	पटना सिटी	2019-20	2020/02	26485776.00	2,64,85,776.00
25	10XXXXXXXXXX1ZC	पश्चिमी	2018-19	2018/05,2018/06,2018/07,2018/0, 2018/09, 2018/10,2018/11,2018/12, 2019/01,2019/02,2019/03	325512.56, 371131.97, 533578.10, 754529.90, 1340371.20, 2104379.00, 3140105.80, 3196385.20, 3631850.80, 4734832.50, 5408353.50	2,55,41,030.53
26	10XXXXXXXXXX1ZP		2018-19	2018/10	496099.94	4,96,099.94
27			2019-20	2019/05,2019/06,2019/07,2019/08,2019/09, 2019/10,2019/11,2019/12,2020/01	353692.10, 390362.00, 2280816.00, 2428790.80, 2791860.80, 6517863.00	1,47,63,384.59
28	10XXXXXXXXXX2ZX		2018-19	2019/03	4436313.50	44,36,313.50
29	10XXXXXXXXXX1ZM	पटना दक्षिणी	2018-19	2019/03	991825.90	9,91,825.88

Ø- I a	t h l VhwZu	vpy dk uke	o"Z	t h l Vhwj&3ch nkf [ky eghuk	ugladjus dks	t h l Vhwj&3ch nkf [ky t h l Vhwj&1 nkf; Rb	fopyu eW;
30	10XXXXXXXXXXXXX1ZA	पटना परिचयी	2018-19	2018/06, 2018/07, 2018/08, 2018/09, 2018/10, 2018/11, 2018/12, 2019/01, 2019/02, 2019/03	2018/10, 2019/03	16515.96, 16899.84, 17348.64, 17507.16, 18088.08, 18258.24, 21871.32, 28924.44, 30368.28, 2787721.50	29,73,503.47
31			2019-20	2019/04, 2019/05, 2019/06, 2019/07	2019/07	17247.84, 17644.92, 17828.52, 18278.64	70,999.92
32	10XXXXXXXXXXXXX1ZY	सारसारि	2019-20	2019/04, 2019/05, 2019/06	2019/06	1077399.80, 2770992.00, 3397053.00	72,45,444.75
33	10XXXXXXXXXXXXX1ZP		2019-20	2019/04, 2019/05, 2019/06, 2019/07, 2019/08, 2019/09, 2019/10, 2019/11, 2019/12	2019/08, 2019/12	5543.97, 13926.60, 46461.62, 48826.22, 173620.19, 217259.06, 246004.20, 255000.52, 398146.72	14,04,789.10
34			2018-19	2019/02, 2019/03		495572.28, 1244963.50	17,40,535.78
द्वय							17,52,80,822.35

IKj'KV 2-31
1/2 aH% dMdk 2-4-7-3(d) (XVII)½
foyyEr Hqrku ij C; kt dk de Hqrku

युएन ₹ e½

Ø-1 a	t h l Vh/bZu	vpy dk ute	o"iZ	foyEc fnulæ ea	C; kt nkf; Ro	Hqrku fd; k x; k C; kt	vÙj
1	10XXXXXXXXXXXXX1ZV	औरंगाबाद	2018-19	112 से 347	37,83,867.48	0	37,83,867.48
2			2019-20	19 से 231	33,01,253.53	0	33,01,253.53
3			2020-21	17 से 171	4,02,879.43	0	4,02,879.43
4	10XXXXXXXXXXXXX1ZP	बगहा	2018-19	264 से 452	6,44,9719.6	0	64,49,719.6
5			2019-20	18 से 234	11,95,100.07	0	11,95,100.07
6			2020-21	8 से 154	8,65,562.65	0	8,65,562.65
7	10XXXXXXXXXXXXX1Z7		2018-19	317 से 478	18,21,799.87	0	18,21,799.87
8			2019-20	22 से 298	4,01,590.43	0	4,01,590.43
9			2020-21	11 से 157	2,71,142.01	0	2,71,142.01
10	10XXXXXXXXXXXXX1ZA	बाढ़	2018-19	668 से 971	1,64,406.62	0	1,64,406.62
11			2019-20	518 से 803	21,43,106.42	0	21,43,106.42
12			2020-21	160 से 492	6,56,435.08	0	6,56,435.08
13	10XXXXXXXXXXXXX1Z8	बगूसराय	2018-19	22 से 202	2,96,195.45	0	2,96,195.45
14			2019-20	17 से 581	17,93,697.61	0	17,93,697.61
15			2020-21	69 से 396	1,47,527.32	0	1,47,527.32
16	10XXXXXXXXXXXXX1ZW		2018-19	97 से 811	6,16,574.68	0	6,16,574.68
17			2019-20	544 से 852	15,73,764.74	0	15,73,764.74
18			2020-21	214 से 514	1,48,209.39	0	1,48,209.39
19	10XXXXXXXXXXXXX1ZH		2018-19	62 से 300	1,56,101.52	0	1,56,101.52
20			2019-20	1 से 224	34,63,265.96	0	34,63,265.96
21			2020-21	8 से 160	5,54,906.44	0	5,54,906.44
22		भरमुआ	2019-20	2 से 103	5,96,903.02	0	5,96,903.02
23	10XXXXXXXXXXXXX1ZV		2020-21	2 से 88	1,15,080.26	0	1,15,080.26
24	10XXXXXXXXXXXXX1Z6		2019-20	2 से 148	7,16,364.16	0	7,16,364.16
25			2020-21	1 से 88	27,729.26	0	27,729.26

Ø- l a	t h l Vlv/bZ u	vpy d k u k e	o"lZ	foylc fmulå eå	C; kt nlf; Rø	Hårrku fd; k x; k C; kt	vürj
26	10XXXXXXXXXXXX1ZR	बक्सर	2018-19	23 से 83	28,70,675.58	0	28,70,675.58
27			2020-21	7 से 64	3,769.08	0	3,769.08
28			2019-20	17 से 76	6,32,938.18	0	6,32,938.18
29	10XXXXXXXXXXXX2ZI		2019-20	8 से 197	3,38,211.32	0	3,38,211.32
30			2020-21	1 से 62	81,726.32	0	81,726.32
31			2018-19	211 से 484	63,13,729.69	0	63,13,729.69
32	10XXXXXXXXXXXX1ZG	दानापुर	2018-19	8 से 94	1,41,620.58	0	1,41,620.58
33			2019-20	5 से 102	26,46,114.88	0	26,46,114.88
34			2020-21	6 से 172	4,67,895.97	0	4,67,895.97
35	10XXXXXXXXXXXX1Z5	गांधी मैदान	2020-21	2 से 156	3,42,620.48	0	3,42,620.48
36			2019-20	20 से 253	13,74,292.92	0	13,74,292.92
37			2018-19	40 से 156	26,43,456.55	0	26,43,456.55
38	10XXXXXXXXXXXX1ZQ		2018-19	64 से 194	18,14,816.37	0	18,14,816.37
39			2019-20	25 से 130	10,50,078.55	0	10,50,078.55
40			2020-21	11 से 93	9,44,058.25	0	9,44,058.25
41	10XXXXXXXXXXXX1ZQ		2018-19	10 से 183	24,24,726.08	0	24,24,726.08
42			2020-21	26 से 99	3,27,349.23	0	3,27,349.23
43			2019-20	1 से 117	3,588.23	0	3,588.23
44	10XXXXXXXXXXXX2Z4	गया	2018-19	6 से 231	12,60,415.91	0	12,60,415.91
45			2019-20	5 से 202	14,54,290.01	0	14,54,290.01
46			2020-21	3 से से 95	2,72,367.06	0	2,72,367.06
47	10XXXXXXXXXXXX1ZS	गोपालगंज	2018-19	26 से 238	30,63,766.61	0	30,63,766.61
48			2019-20	2 से 131	4,67,939.91	0	4,67,939.91
49			2020-21	9 से 86	2,03,029.92	0	2,03,029.92

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Ø- l a	t h l Vlv/bZu	vpy d k u k e	o"lZ	foylc fmulå eå	C; kt nlf; Rb	Hårrku fd; k x; k C; kt	vürj
50	10XXXXXXXXXXXX1ZP	हाजीपुर	2018-19	41 से 331	21,37,628.23	0	21,37,628.23
51			2019-20	1 से 68	16,602.85	0	16,602.85
52	10XXXXXXXXXXXX1ZB		2018-19	104 से 316	18,31,261.91	0	18,31,261.91
53			2019-20	15 से 132	3,04,638.68	0	3,04,638.68
54			2020-21	1 to 75	28,904.98	0	28,904.98
55	10XXXXXXXXXXXX1Z0		2018-19	249 से 645	12,75,476.84	0	12,75,476.84
56			2019-20	281 से 615	24,60,990.45	0	24,60,990.45
57			2020-21	2 से 247	70,831.13	0	70,831.13
58	10XXXXXXXXXXXX1ZU	कटिहार	2018-19	6 से 160	21,67,349.26	0	21,67,349.26
59			2019-20	1 से 192	7,02,380.07	0	7,02,380.07
60			2020-21	4 से 158	73,922.36	0	73,922.36
61	10XXXXXXXXXXXX3ZW	लखीसराय	2018-19	22 से 145	15,86,861.31	594042	9,92,819.31
62			2019-20	6 से 41	3,98,548.02	0	3,98,548.02
63			2020-21	1 से 76	12,45,332.59	34440	12,10,892.59
64	10XXXXXXXXXXXX1Z8	मोतिहारी	2019-20	834 से 1174	34,385.29	0	34,385.29
65			2018-19	1190 से 1524	27,60,501.28	0	27,60,501.28
66	10XXXXXXXXXXXX1Z3	मुजफ्फरपुर पूर्वी	2020-21	3 से 39	3,93,004.45	0	3,93,004.45
67	10XXXXXXXXXXXX1Z4	पटना मध्य	2020-21	11 से 204	27,20,857.62	0	27,20,857.62
68	10XXXXXXXXXXXX1ZF		2018-19	201 से 493	1,07,59,420.61	0.00	1,07,59,420.61
69			2019-20	3 से 185	15,44,716.97	23672.00	15,21,044.97
70			2020-21	2 से 46	31,554.15	9.00	31,545.15
71	10XXXXXXXXXXXX1Z2		2018-19	37 से 284	78,55,427.15	0.00	78,55,427.15
72			2019-20	10 से 128	79,24,846.12	0.00	79,24,846.12
73			2020-21	11 से 91	24,60,880.21	0.00	24,60,880.21
74	10XXXXXXXXXXXX1Z0	पटना उत्तरी	2019-20	163 से 253	4,27,852.14	0.00	4,27,852.14
75			2018-19	115 से 429	24,65,057.89	0.00	24,65,057.89
76			2019-20	17 से 179	15,71,299.15	0.00	15,71,299.15
77	10XXXXXXXXXXXX1Z8		2020-21	50 से 314	50,91,176.91	0.00	50,91,176.91
78			2018-19	17 से 237	21,81,365.16	0.00	21,81,365.16

Ø- l a	t h l Vlv/bZ u	vpy d k u k e	o"lZ	foylc f nula e a	C; kt nlf; Rb	Hgr rku fd; k x; k C; kt	v l r j
79	10XXXXXXXXXXXXX1ZF	पटना दक्षिणी	2018-19	10 से 192	11,67,314.66	0.00	11,67,314.66
80			2019-20	2 से 67	6,12,418.35	0.00	6,12,418.35
81			2020-21	14 से 71	10,89,122.41	0.00	10,89,122.41
82	10XXXXXXXXXXXXX1ZE		2018-19	150 से 286	8,64,936.75	0.00	8,64,936.75
83			2019-20	273 से 558	13,25,182.46	0.00	13,25,182.46
84			2020-21	6 से 243	43,454.67	0.00	43,454.67
85	10XXXXXXXXXXXXX1Z1	सारण	2018-19	153 से 377	11,16,840.15	0.00	11,16,840.15
86			2019-20	7 से 193	20,15,608.12	0.00	20,15,608.12
87			2020-21	1 से 164	6,31,749.35	0.00	6,31,749.35
88	10XXXXXXXXXXXXX1ZP	सासाराम	2018-19	142 से 391	18,32,913.21	0.00	18,32,913.21
89			2019-20	7 से 179	3,64,325.06	0.00	3,64,325.06
90			2020-21	4 से 121	2,82,852.03	197858	84,994.03
91	10XXXXXXXXXXXXX1ZP		2018-19	285 से 524	30,94,470.83	0.00	30,94,470.83
92			2019-20	79 से 263	5,76,993.94	343323	2,33,670.94
93			2020-21	17 से 161	13,33,420.24	865397	4,68,023.24
94	10XXXXXXXXXXXXX3ZH	शाहाबाद	2018-19	10 से 125	78,65,299.27	0.00	78,65,299.27
95			2019-20	8 से 96	20,55,755.16	0.00	20,55,755.16
96			2020-21	3 से 97	1,31,3176.8	0.00	13,13,176.8
97	10XXXXXXXXXXXXX2ZU		2018-19	26 से 254	44,55,501.41	0.00	44,55,501.41
98			2019-20	7 से 115	14,19,530.98	0.00	14,19,530.98
99			2020-21	1 से 163	3,59,323.24	0.00	3,59,323.24
100	10XXXXXXXXXXXXX3ZF		2018-19	26 से 248	13,05,282.41	0.00	13,05,282.41
101			2019-20	5 से 121	9,64,274.88	0.00	9,64,274.88
102			2020-21	1 से 87	1,76,933.32	0.00	1,76,933.32

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Ø-1 a	t h l Vlv/bZ u	vpy d k uke	o"lZ	foylc fnula ea	C; kt nlf; Ro	Hærrku fd; k x; k C; kt	vürj
103	10XXXXXXXXXX1Z3	सुपौल	2018-19	138 से 295	22,35,419.37	0.00	22,35,419.37
104			2019-20	1 से 108	99,493.54	0.00	99,493.54
105			2020-21	1 से 97	1,23,541.62	0.00	1,23,541.62
106	10XXXXXXXXXX2ZN		2019-20	9 से 102	14,99,112.40	41,346.00	14,57,766.40
107			2020-21	16 से 102	6,77,193.37	0.00	6,77,193.37
108	10XXXXXXXXXX1ZO		2018-19	101 से 271	14,91,609.17	0.00	14,91,609.17
109			2019-20	1 से 133	12,16,934.32	0.00	12,16,934.32
dlv					16,89,39,717.95	21,00,087.00	16,68,39,630.95

IIKj'KV 2-32
1A nH%clMck 2-4-7-3 4Kk
djnk'kvl } kj k M'k Áfo"V =QV; k

५K'k ₹ ed

Ø. I a	yqkijKk vk le	t h I Vm/bZu	vpy dk uke	vof/k	csy j k'k
1	बिना भुगतान के रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXXX1ZE	बेगुसराय	2020-21	1,71,97,600
2		10XXXXXXXXXXXXX1Z7	बेतिया	2018-19	1,21,98,098
3				2019-20	5,07,402
4		10XXXXXXXXXXXXX1ZX	भभुआ	2018-19	1,20,85,750
5		10XXXXXXXXXXXXX1ZS	बिहारशरीफ	2018-19	61,88,423
6				2019-20	64,47,073
7		10XXXXXXXXXXXXX1ZS	पटना पश्चिमी	2018-19	3,63,14,044
8		10XXXXXXXXXXXXX1Z9		2020-21	3,60,24,480
9				2018-19	49,30,988
10		10XXXXXXXXXXXXX1Z5		2019-20	43,96,251
11				2020-21	27,80,787
12		10XXXXXXXXXXXXX1ZS		2018-19	41,95,323
13				2019-20	36,21,498
14				2020-21	58,74,337
15		10XXXXXXXXXXXXX1Z8	समस्तीपुर	2020-21	1,67,70,799
16		10XXXXXXXXXXXXX1ZT		2020-21	4,32,24,596
17	जीएसटीआर-9सी के तालिका-14टी में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXXX1ZX	पुर्णियां	2020-21	4,53,46,720
18	जीएसटीआर-9सी के तालिका-9आर में असमाशोधित कर देयता	10XXXXXXXXXXXXX1ZJ	पटना मध्य	2020-21	10,37,88,000
19	अमुक्त देयता	10XXXXXXXXXXXXX1Z6	भागलपुर	2018-19	10,73,89,491
20		10XXXXXXXXXXXXX1ZO	पुर्णियां	2019-20	23,47,14,590
21		10XXXXXXXXXXXXX2ZL	सासाराम	2019-20	2,75,87,81,110
22		10XXXXXXXXXXXXX1ZB		2019-20	14,51,95,50,154
23		10XXXXXXXXXXXXX1ZI		2019-20	3,71,55,04,852
24		10XXXXXXXXXXXXX1Z6	सिवान	2019-20	4,42,06,697

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Ø- l a	yf ki jrk vk le	t h l Vhw/bZu	vpy d k uke	vof/k	csy j k' k
25	इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में छिपाव	10XXXXXXXXXXXXX1Z3	किशनगंज	2019-20	48,510
26		10XXXXXXXXXXXXX1ZA	पटना सिटी पश्चिमी	2018-19	45,63,01,248
27		10XXXXXXXXXXXXX1ZE	पटना पश्चिमी	2018-19	1,90,62,704
28		10XXXXXXXXXXXXX1Z1	पटना पश्चिमी	2018-19	1,55,50,358
29	कम्पोजिशन करदाताओं ने ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाया	10XXXXXXXXXXXXX1Z7	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	2020-21	0
dy					22,23,30,01,883

IKjf'KV 2-33
1/4 nH% dMdk 2-4-8 1d1/2
vHky\$ kdk vld' kd ALrql dj .k

Ø- l a	vpy dku	t h l Vlv/bZu	i Zrq ugnfnd; s x; svHky\$ kdk C; l\$jk
1.	औरंगाबाद	10XXXXXXXXXX3ZD, 10XXXXXXXXXX2ZD, 10XXXXXXXXXX1ZS, 10XXXXXXXXXX1ZQ	मूल्यांकन/जाँच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाम-हानि खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित अनुसूचियों के साथ बैलेंस शीट, अन्य खर्चों का विवरण, विविध आय, विविध देनदार/लेनदार, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, चयनित महीनों का क्रेडिट/डेबिट नोट, 2018-21 के दौरान जारी किए गए चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट, रसीद/भुगतान वाउचर।
2.	भागलपुर	10XXXXXXXXXX1ZY, 10XXXXXXXXXX1ZU,	मूल्यांकन/जाँच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाम-हानि खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित अनुसूचियों के साथ बैलेंस शीट, अन्य खर्चों का विवरण, विविध आय, विविध देनदार/लेनदार, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, चयनित महीनों का क्रेडिट/डेबिट नोट, 2018-21 के दौरान जारी किए गए चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट, रसीद/भुगतान वाउचर।
3.	दानापुर	10XXXXXXXXXX1ZN, 10XXXXXXXXXX2Z4, 10XXXXXXXXXX1ZN, 10XXXXXXXXXX1ZQ, 10XXXXXXXXXX1ZR,	मूल्यांकन/जाँच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाम-हानि खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित अनुसूचियों के साथ बैलेंस शीट, अन्य खर्चों का विवरण, विविध आय, विविध देनदार / लेनदार, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, चयनित महीनों का क्रेडिट/डेबिट नोट, नहीं। 2018-21 के दौरान जारी किए गए चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट, रसीद/भुगतान वाउचर।
4.	गांधी मैदान	10XXXXXXXXXX1Z7, 10XXXXXXXXXX1ZP, 10XXXXXXXXXX1ZK	लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाम-हानि खाता, बैलेंस शीट, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, क्रेडिट/डेबिट नोट, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, रसीद/भुगतान वाउचर 2018-21 के दौरान जारी किए गए।
5.	गया	10XXXXXXXXXX1ZC 10XXXXXXXXXX1ZY 10XXXXXXXXXX1ZE 10XXXXXXXXXX1Z0 10XXXXXXXXXX3ZW	मूल्यांकन/संवैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, परीक्षण शेष, लाम-हानि खाता और बैलेंस शीट और इसके नोट/अनुसूची, आपूर्ति के चालान/बिल, रसीद और भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, क्रेडिट और चयनित महीनों के लिए डेबिट नोट, चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रसीद/भुगतान वाउचर।
6.	गोपालगंज	10XXXXXXXXXX1Z4, 10XXXXXXXXXX1Z5	मूल्यांकन/जाँच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाम-हानि खाता और बैलेंस शीट के साथ-साथ नोट्स/शेड्यूल, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद और भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, क्रेडिट और डेबिट नोट।
7.	हाजीपुर	10XXXXXXXXXX2Z1	मूल्यांकन/जाँच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाम-हानि खाते के नोट्स/शेड्यूल और बैलेंस शीट, आपूर्ति के चालान/बिल, रसीद और भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, क्रेडिट और चयनित महीनों के लिए डेबिट नोट।

Ø-1 a	vpy dku	t h l Vlv/bZ u	i Zrq ughnfd; s x; svfHkyd kladk C; lsk
8.	जहानाबाद	10XXXXXXXXXXXXX1ZS	मूल्यांकन/जॉच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाभ-हानि खाता और बैलेंस शीट और इसके नोट्स/अनुसूची। चयनित महीने के लिए चालान/आपूर्ति बिल, रसीद और भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, क्रेडिट और डेबिट नोट।
9.	मधुबनी	10XXXXXXXXXXXXX1ZH	आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, परीक्षण शेष, विविध देनदार खाता बही खाते, अचल संपत्ति रजिस्टर: पूंजीगत वस्तुओं का पूंजीकरण विवरण, चालान विवरण के साथ, कर योग्य मूल्य और कर को अलग से दिखाते हुए, वर्ष के दौरान बेचे गए पूंजीगत वस्तुओं का विवरण, चालान विवरण के साथ, कर योग्य मूल्य और कर अलग से दिखाते हुए, अन्य आय और अन्य खर्चों का विवरण, भौतिक स्टॉक सत्यापन विवरण।
10.	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	10XXXXXXXXXXXXX1ZP, 10XXXXXXXXXXXXX1ZX, 10XXXXXXXXXXXXX2Z9,	मूल्यांकन/जॉच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाभ-हानि खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित अनुसूचियों के साथ बैलेंस शीट, अन्य खर्चों का विवरण, विविध आय, विविध देनदार/लेनदार, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, चयनित महीनों का क्रेडिट/ डेबिट नोट, 2018-21 के दौरान जारी किए गए चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट, रसीद/भुगतान वाउचर।
11.	पाटलिपुत्रा	10XXXXXXXXXXXXX1ZB 10XXXXXXXXXXXXX1ZW 10XXXXXXXXXXXXX1Z8 10XXXXXXXXXXXXX1ZY 10XXXXXXXXXXXXX1Z2 10XXXXXXXXXXXXX1ZO 10XXXXXXXXXXXXX3ZG 10XXXXXXXXXXXXX1ZB 10XXXXXXXXXXXXX2ZT 10XXXXXXXXXXXXX1ZA 10XXXXXXXXXXXXX1ZC 10XXXXXXXXXXXXX1ZS 10XXXXXXXXXXXXX1ZP 10XXXXXXXXXXXXX1Z8 10XXXXXXXXXXXXX1ZZ 10XXXXXXXXXXXXX1Z2 10XXXXXXXXXXXXX1ZV	मूल्यांकन/जॉच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाभ-हानि खाता और बैलेंस शीट और इसका नोट्स/शेड्यूल, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद और भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, क्रेडिट और चयनित महीनों के लिए डेबिट नोट, चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रसीद/भुगतान वाउचर।

Ø- I a	vpy dku	t h l Vlv/bZ u	i Zrq ughnfd; s x; svfHkyd kladk C; lsk
12.	पटना मध्य	10XXXXXXXXXXXXX3ZG, 10XXXXXXXXXXXXX1ZO, 10XXXXXXXXXXXXX1ZI, 10XXXXXXXXXXXXX2Z0, 10XXXXXXXXXXXXX1Z2, 10XXXXXXXXXXXXX1ZB, 10XXXXXXXXXXXXX1ZL, 10XXXXXXXXXXXXX1Z2 10XXXXXXXXXXXXX1ZX 10XXXXXXXXXXXXX1Z2 10XXXXXXXXXXXXX1Z6 10XXXXXXXXXXXXX2ZK	मूल्यांकन/जॉच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाम-हानि खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित अनुसूचियों के साथ बैलेंस शीट, अन्य खर्चों का विवरण, विविध आय, विविध देनदार/लेनदार, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, चयनित महीनों का क्रेडिट/डेबिट नोट, 2018-21 के दौरान जारी किए गए चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट, रसीद/भुगतान वाउचर।
13.	पटना सिटी पूर्वी	10XXXXXXXXXXXXX1Z2 10XXXXXXXXXXXXX1ZX 10XXXXXXXXXXXXX1Z2 10XXXXXXXXXXXXX1Z6 10XXXXXXXXXXXXX2ZK	संबंधित/मूल्यांकन फाइल, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाम-हानि खाते और बैलेंस शीट और इसकी अनुसूची, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, आपूर्ति के चालान/बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, क्रेडिट/डेबिट नोट चयनित महीनों के लिए।
14.	पटना सिटी पश्चिमी	10XXXXXXXXXXXXX1ZW,	मूल्यांकन/जॉच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाम-हानि खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित अनुसूचियों के साथ बैलेंस शीट, अन्य खर्चों का विवरण, विविध आय, विविध देनदार/लेनदार, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, चयनित महीनों का क्रेडिट/डेबिट नोट, 2018-21 के दौरान जारी किए गए चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट, रसीद/भुगतान वाउचर।
15.	पटना उत्तरी	10XXXXXXXXXXXXX1ZY, 10XXXXXXXXXXXXX1ZI, 10XXXXXXXXXXXXX1ZN, 10XXXXXXXXXXXXX1ZE,	मूल्यांकन/जॉच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाम-हानि खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित अनुसूचियों के साथ बैलेंस शीट, अन्य खर्चों का विवरण, विविध आय, विविध देनदार/लेनदार, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, चयनित महीनों का क्रेडिट/डेबिट नोट, 2018-21 के दौरान जारी किए गए चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट, रसीद/भुगतान वाउचर।

Ø- l a	vpy dkuke	t h l VlvbZu	i Zrq ughafd; s x; svfHkyd kladk C; ljk
16.	पटना विशेष	10XXXXXXXXXXXXXXXX1Z6, 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZN, 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZA, 10XXXXXXXXXXXXXXXX1Z0 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZU 10XXXXXXXXXXXXXXXX1Z9 10XXXXXXXXXXXXXXXX2ZH 10XXXXXXXXXXXXXXXX2Z0 10XXXXXXXXXXXXXXXX1Z6 10XXXXXXXXXXXXXXXX2Z3 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZL 10XXXXXXXXXXXXXXXX2ZD 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZV 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZT 10XXXXXXXXXXXXXXXX1Z4 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZV 10XXXXXXXXXXXXXXXX1Z6 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZR 10XXXXXXXXXXXXXXXX1Z7 10XXXXXXXXXXXXXXXX2ZB 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZE 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZT 10XXXXXXXXXXXXXXXX2ZN 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZX 10XXXXXXXXXXXXXXXX4ZJ	मूल्यांकन/जॉच फाइल, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, जीएसटीआईएन से संबंधित परिक्षेप शेष, चयनित महीनों की आपूर्ति के बिक्री चालान/बिल, चयनित महीनों के खरीद चालान, खरीद/अनुबंध समझौता, क्रेडिट/डेबिट नोट, आईटीसी रिवर्सल का विवरण, अग्रिम सहित राजस्व की तारीखवार प्राप्ति, नमूना चालान के साथ छूट/शून्य/शून्य रेटेड आपूर्ति का विवरण, अन्य/विविध आय का विवरण, विविध देनदारों/लेनदारों का बही।
17.	पटना दक्षिणी	10XXXXXXXXXXXXXXXX1Z3 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZK	संवीक्षा/मूल्यांकन फाइल, जीएसटीआईएन वार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, द्रायल बैलेंस, लाभ-हानि खाता, बैलेंस शीट
18.	पटना पश्चिमी	10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZS 10XXXXXXXXXXXXXXXX1ZA 10XXXXXXXXXXXXXXXX4Z1	आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, आपूर्ति के चालान/बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, क्रय आदेश, चयनित महीनों के लिए क्रेडिट/डेबिट नोट मूल्यांकन/जॉच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, द्रायल बैलेंस, लाभ-हानि खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित अनुसूचियों के साथ बैलेंस शीट, अन्य खर्चों का विवरण, विविध आय, विविध देनदार/लेनदार, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, चयनित महीनों का क्रेडिट/डेबिट नोट, 2018-21 के दौरान जारी किए गए चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट, रसीद/भुगतान वाउचर।

Ø- I a	vpy dk uke	t h l Vlv/bZ, u	i Zrq ughafd; s x; svfHkyd kdk C; ljk
19.	सासाराम	10XXXXXXXXXXXXXXXXX1ZP	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस/लेजर, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, विविध देनदारों और विविध लेनदारों का लेजर।
20.	सासाराम	10XXXXXXXXXXXXXXXXX1Z7, 10XXXXXXXXXXXXXXXXX1Z1,	मूल्यांकन/जॉच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाभ-हानि खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित अनुसूचियों के साथ बैलेंस शीट, अन्य खर्चों का विवरण, विविध आय, विविध देनदार/लेनदार, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, चयनित महीनों का क्रेडिट/डेबिट नोट। 2018-19 के दौरान जारी किए गए चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट, रसीद/भुगतान वाउचर।
21.	शाहाबाद	10XXXXXXXXXXXXXXXXX2ZS,	मूल्यांकन/जॉच फाइल, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लाभ-हानि खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित अनुसूचियों के साथ बैलेंस शीट, अन्य खर्चों का विवरण, विविध आय, विविध देनदार/लेनदार, चालान/आपूर्ति के बिल, रसीद/भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, चयनित महीनों का क्रेडिट/डेबिट नोट। 2018-21 के दौरान जारी किए गए चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट, रसीद/भुगतान वाउचर।
22.	सुपौल	10XXXXXXXXXXXXXXXXX1ZP, 10XXXXXXXXXXXXXXXXX1ZE 10XXXXXXXXXXXXXXXXX1ZY	लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, आपूर्ति के चालान/बिल, रसीद और भुगतान वाउचर, समझौता, खरीद आदेश, जॉच/मूल्यांकन फाइल।

वित्त वर्ष 2020-21
संयुक्त बजट
वित्त वर्ष 2020-21

₹ करोड़

क्र.सं.	विवरण	वर्ष	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2013-14
1	10XXXXXXXXXX3ZD	औरंगाबाद	2020-21	5,88,11,879	5,86,28,504	1,83,375	हाँ			
2	10XXXXXXXXXX2ZD		2018-19	7,03,00,114	6,00,30,118	1,02,69,996	हाँ			
3	10XXXXXXXXXX1ZN	दानापुर	2018-19	1,05,55,29,602	1,05,45,74,210	9,55,392	नहीं			
4	10XXXXXXXXXX2Z4		2020-21	80,08,83,820	79,52,22,423	56,61,397	नहीं			
5	10XXXXXXXXXX1ZY	राया	2018-19	16,42,087	3,92,745	12,49,342	नहीं			
6			2019-20	92,39,629	10,70,311	81,69,318	नहीं			
7	10XXXXXXXXXX1ZE		2020-21	80,50,487	76,52,046	3,98,442	नहीं			
8	10XXXXXXXXXX1Z4	गोपालगंज	2018-19	4,41,59,179	2,71,41,880	1,70,17,299	नहीं			
9	10XXXXXXXXXX2Z9	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	2018-19	5,79,95,704	5,74,06,858	5,88,846	नहीं			
10			2019-20	5,47,11,228	5,44,81,394	2,29,834	हाँ			
11			2020-21	3,30,64,069	3,28,36,591	2,27,478	हाँ			
12	10XXXXXXXXXX2Z0	पटना मध्य	2018-19	3,74,01,824	3,56,27,746	17,74,078	नहीं			
13	10XXXXXXXXXX1ZL		2018-19	1,58,25,146	1,52,59,840	5,65,306	नहीं			
14			2019-20	1,24,90,920	1,11,97,425	12,93,495	हाँ			
15			2020-21	95,74,300	89,13,070	6,61,230	हाँ			
16	10XXXXXXXXXX1ZO		2018-19	1,22,14,778	1,03,17,325	18,97,453	नहीं			
17	10XXXXXXXXXX1Z2	पटना सिटी पूर्वी	2018-19	3,35,73,483	2,93,68,751	42,04,731	हाँ			
18			2019-20	7,26,70,323	7,09,89,402	16,80,920	हाँ			
19			2020-21	9,67,05,638	9,65,05,570	2,00,068	नहीं			
20	10XXXXXXXXXX2ZK		2020-21	2,13,33,730	1,90,27,116	23,06,614	नहीं			

Ø l a	t h l Vh/lbZ u	vpy dk uke	o"Z	t h l Vh/lj&3cl@9 dsek; e l sbuiY VSI ØSMW dK ykK	t h l Vh/lj&2, ea mi yCk buiY VSI ØSMW	vf/kd buiY VSI ØSMW dK nlok	t hp dh x; l@ eW; kdu fd; k x; k
21	10XXXXXXXXXXXXXIZW	पटना सिटी पश्चिमी	2018-19	5,41,70,721	4,67,88,476	73,82,245	नहीं
22			2020-21	1,24,52,039	75,23,034	49,29,005	हाँ
23	10XXXXXXXXXXXXXIZY	पारलमिपुत्र	2020-21	10,43,85,281	9,29,04,237	1,14,81,044	हाँ
24	10XXXXXXXXXXXXXIZB		2019-20	14,11,53,540	14,06,30,960	5,22,580	हाँ
25	10XXXXXXXXXXXXXIZB		2019-20	9,99,94,657	9,29,78,137	70,16,520	हाँ
26			2020-21	4,67,36,357	4,62,76,528	4,59,830	हाँ
27	10XXXXXXXXXXXXXIZ8		2018-19	32,19,80,483	31,51,08,448	68,72,035	नहीं
28	10XXXXXXXXXXXXXIZA		2019-20	3,52,66,072	3,17,14,393	35,51,679	हाँ
29	10XXXXXXXXXXXXXZT		2020-21	5,34,97,956	5,27,47,481	7,50,475	नहीं
30	10XXXXXXXXXXXXXIZP		2020-21	3,67,08,942	3,64,54,422	2,54,520	नहीं
31	10XXXXXXXXXXXXXIZY	पटना उत्तरी	2018-19	2,11,72,122	2,09,06,209	2,65,913	नहीं
32			2020-21	1,34,22,481	1,29,71,756	4,50,725	नहीं
33	10XXXXXXXXXXXXXIZK	पटना दक्षिणी	2019-20	28,81,439	28,13,243	68,196	नहीं
34	10XXXXXXXXXXXXXZ3	पटना विशेष	2019-20	1,08,72,12,732	1,03,08,61,764	5,63,50,968	नहीं
35			2020-21	1,18,44,26,986	1,09,96,27,340	8,47,99,646	नहीं
36	10XXXXXXXXXXXXXZD		2018-19	2,15,74,61,306	2,12,18,93,694	3,55,67,612	नहीं
37	10XXXXXXXXXXXXXIZV		2019-20	18,72,06,396	15,67,98,282	3,04,08,114	हाँ
38	10XXXXXXXXXXXXXIZ9		2020-21	56,43,72,652	54,13,94,111	2,29,78,541	नहीं
39	10XXXXXXXXXXXXXIZT		2018-19	13,40,63,637	13,29,05,048	11,58,589	नहीं
40	10XXXXXXXXXXXXXIZL		2018-19	88,12,675	60,24,225	27,88,450	नहीं
41	10XXXXXXXXXXXXXIZ0		2018-19	47,59,259	47,36,358	22,901	नहीं
42	10XXXXXXXXXXXXXZHZ		2019-20	1,91,54,692	1,85,38,186	6,16,506	नहीं

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Ø l a	t h l Vh/lbZu	vpy dk ule	o"Z	t h l Vh/lj&3cl@9 dsek; e l sbuiY VSI ØSMW dk ykHk	t h l Vh/lj&2, ea mi yCk buiY VSI ØSMW	vf/kd buiY VSI ØSMW dk nlok	t hp dh x; l@ eW; kdu fd; k x; k
43	10XXXXXXXXXXXXX1ZR		2018-19	3,97,89,614	3,39,25,729	58,63,885	नहीं
44			2019-20	1,80,42,394	1,62,00,427	18,41,967	नहीं
45			2020-21	2,94,88,243	2,50,87,720	44,00,523	नहीं
46	10XXXXXXXXXXXXX1ZE		2018-19	61,22,74,620	61,12,55,057	10,19,563	हाँ
47			2019-20	1,16,30,54,528	1,10,27,25,569	6,03,28,959	हाँ
48	10XXXXXXXXXXXXX1ZX		2018-19	3,59,87,526	3,53,67,382	6,20,144	हाँ
49	10XXXXXXXXXXXXX1ZA		2019-20	17,02,75,181	16,64,57,780	38,17,401	नहीं
50			2020-21	16,01,65,967	15,84,20,908	17,45,059	नहीं
51	10XXXXXXXXXXXXX1ZN		2018-19	5,91,44,015	5,91,27,818	16,197	नहीं
				11,08,56,70,923	10,66,78,08,048	41,78,62,875	

dy

IKj'KV 2-34 ¼k½
¼ anH% dMdk 2-4-8 ¼k½½
 vki frZlrZdsfooj .k ds vud kj buiY VDI ØšMv dk djnrk%k} kjk ÅMr cey buiY VDI ØšMv

¼k' k ₹ eš½

Ø- 1 a	t h l Vh/lbZu	vpy dk ule	o"Z	t h l Vh/lj&3clt@9 ds ek/; e l sbuiY VDI ØšMv dk yHk	t h l Vh/lj&2, eami yOk buiY VDI ØšMv	buiY VDI ØšMv dk vfekd nhok	vLoldr buiY VDI ØšMv	'k) v f/kd buiY VDI ØšMv	eš; kdu @ t kp fd; k x; k ; k ugha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10XXXXXXXXXXXX1Z4	गोपालगंज	2020-21	1,22,32,080	33,41,841	88,90,239	78,74,953	10,15,286	हैं
2	10XXXXXXXXXXXX1Z2	पटना सिटी	2018-19	1,72,22,108	1,41,20,314	31,01,794	11,44,169	19,57,625	हैं
3		पूर्वी	2019-20	1,30,28,684	1,04,72,588	25,56,096	12,68,245	12,87,851	हैं
4	10XXXXXXXXXXXX1Z3	पटना दक्षिणी	2018-19	95,44,113	75,08,498	20,35,615	13,44,167	6,91,447	हैं
dy									
						1,65,83,744	1,16,31,534	49,52,209	

कृषि कृषि 2-35
1/4 अक्षर चक्र 2-4-8/4 कृषि
कृषि कृषि 2-4-8/4 कृषि

Ø- l a	t h l Vh/bZu	vpy dk ute	o"Z	t h l Vh/bj&9 dh rkydk&6,	t h l Vh/bj&9 dh rkydk&6 v/bZ	t h l Vh/bj&9 dh rkydk&6, e	cesy jk'k	eV; kdu@ t kp fd; k x; k ; k ugha
1	10XXXXXXXXXXXXX1ZS	औरंगाबाद	2020-21	92,66,03,583	0	0	92,66,03,583	नहीं
2	10XXXXXXXXXXXXX1ZR	दानापुर	2020-21	3,84,37,32,112	3,02,19,99,779	82,17,16,859	15,474	हाँ
3	10XXXXXXXXXXXXX1ZN		2018-19	1,21,46,81,41,0	1,09,95,78,371	11,15,13,011	35,90,028	नहीं
4	10XXXXXXXXXXXXX1ZL	पटना मध्य	2018-19	2,74,08,422	1,58,25,146	0	1,15,83,276	नहीं
5	10XXXXXXXXXXXXX1ZL		2020-21	1,01,87,940	95,57,460	0	6,30,480	हाँ
6	10XXXXXXXXXXXXX3ZG		2019-20	18,44,41,578	17,31,66,717	0	1,12,74,861	हाँ
7	10XXXXXXXXXXXXX1ZO		2019-20	1,80,37,334	1,47,37,927	0	32,99,407	हाँ
8	10XXXXXXXXXXXXX1ZO		2020-21	1,65,81,050	1,28,92,669	0	36,88,381	हाँ
9	10XXXXXXXXXXXXX1ZB		2018-19	4,08,41,334	4,07,07,916	0	1,33,418	नहीं
10	10XXXXXXXXXXXXX1ZB		2020-21	8,07,92,269	8,06,42,707	0	1,49,562	हाँ
11	10XXXXXXXXXXXXX1ZU	पटना विशेष	2019-20	25,85,07,029	22,41,05,981	0	3,44,01,048	नहीं
12	10XXXXXXXXXXXXX1ZU		2020-21	27,68,50,937	21,21,07,256	0	6,47,43,681	हाँ
13	10XXXXXXXXXXXXX2Z3		2018-19	66,76,91,311	66,30,74,576	0	46,16,735	हाँ
14	10XXXXXXXXXXXXX2Z0		2020-21	97,19,99,369	96,06,91,279	0	1,13,08,090	नहीं
15	10XXXXXXXXXXXXX2Z0		2018-19	1,99,53,65,533	1,94,50,08,526	0	5,03,57,007	हाँ
16	10XXXXXXXXXXXXX2Z0		2019-20	2,10,57,29,041	2,02,05,45,703	0	8,51,83,338	नहीं
17	10XXXXXXXXXXXXX2Z0		2020-21	2,22,64,87,372	2,14,67,83,979	0	7,97,03,393	नहीं

Ø- l a	t h l Vh/lbZu	vpy dk ute	o"lZ	t h l Vh/lj &9 dh rkydl&6,	t h l Vh/lj &9 dh rkydl&6 v/bZ	t h l Vh/lj &9 dh rkydl&6, e	csy jf'k	eV; kdu@ t kp fd; k x; k ; k ugha
18	10XXXXXXXXXXXX2ZB		2018-19	15,36,37,275	6,61,53,538	0	8,74,83,737	नहीं
19	10XXXXXXXXXXXX2ZN		2019-20	8,19,09,034	0	0	8,19,09,034	हाँ
20	10XXXXXXXXXXXX1ZV		2019-20	19,68,08,630	17,88,57,131	0	1,79,51,499	हाँ
21			2020-21	7,96,71,072	5,70,00,365	0	2,26,70,707	नहीं
22	10XXXXXXXXXXXX1ZX		2020-21	13,67,65,071	13,64,24,285	0	3,40,786	नहीं
23	10XXXXXXXXXXXX1ZN		2018-19	5,99,23,446	5,97,43,423	0	1,80,023	नहीं
24			2019-20	1,16,69,497	1,15,73,363	0	96,134	नहीं
25			2020-21	1,12,85,085	1,12,62,204	0	22,881	नहीं
26	10XXXXXXXXXXXX1ZS	पटना परिचमी	2020-21	36,24,32,362	24,73,39,390	5,12,08,617	6,38,84,355	हाँ
27	10XXXXXXXXXXXX2ZS	शाहाबाद	2018-19	6,25,27,799	6,07,40,404	0	17,87,395	नहीं
				16,02,25,66,895	13,47,05,20,095	98,44,38,487	1,56,76,08,313	

dy

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कॉ.क. 2-36

अनुसूची 2-4-8 का अनुभाग

विवरण व फंड का नाम व सी.ए.ए. नंबर का विवरण

₹ करोड़

क्र.सं.	विवरण	वर्ष	अनुसूची 2-4-8 का अनुभाग	विवरण व फंड का नाम व सी.ए.ए. नंबर का विवरण
1	10XXXXXXXXXX1ZL	2018-19	पटना मध्य	1,01,03,840
2	10XXXXXXXXXX2ZS	2018-19	शाहाबाद	3,07,23,957
द्वारा				4,08,27,797

IKJf'KV 2-37 1/2

1/4 aH% dMdk 2-4-8 1/2 1/2

AKr buiY VDI ØMW vjY fjol Zpkt Zræ dsrgr fd, x, Hæxrk dsc lcp fol æfr

1/4 k ₹ e

Ø- I a	t h l Vh/lbZu	vpy dk uk	o"Z	t h l Vh/lj&9 dh rkydk 6l h-6Mh ds vud lj fy; k x; k buiY VDI ØMW	t h l Vh/lj&9 dh rkydk&4t h ds vud lj fjol Z pkt Zæsfute ds vUræZ Hæxrk fd; k x; k dj	fjol Zpkt Z æsfute ds vUræZ fy; k x; k vf/kd buiY VDI ØMW	eY; klu@ t kp fd; k x; k ; k ugha
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10XXXXXXXXXXXXX1Z1N	दानापुर	2019-20	32,33,511	25,77,152	6,56,359	हाँ
2	10XXXXXXXXXXXXX2Z4		2019-20	74,88,765	68,40,740	6,48,025	नहीं
3	10XXXXXXXXXXXXX3ZG	पटना मध्य	2020-21	80,06,436	66,47,462	13,58,974	हाँ
4	10XXXXXXXXXXXXX1Z2		2018-19	60,710	0	60,710	नहीं
5			2020-21	19,100	10,250	8,850	हाँ
6	10XXXXXXXXXXXXX1Z3	पटना दक्षिणी	2018-19	87,120	43,560	43,560	हाँ
dy				1,88,95,642	1,61,19,164	27,76,478	

IKj'KV 2-37 ¼k½

¼ mH% dMdk 2-4-8 ¼k½ ¼k½

fjol Zpkt Zešfufe dsrgr dj dk ugh@de Hxrk

¼k' k ₹ eš½

Ø- l a	t h, l Vlk/bZu	vpy dk ule	o"Z	fjol Zpkt Z ešfufe dsrgr l ok/okdk o. kZ	vk'Zdk eš;	dj dk nj	fjol Zpkt Z ešfufe ds rgr nš dj	fjol Zpkt Z ešfufe dsrgr Hxrk fd; k x; k dgy dj	fjol Zpkt Z ešfufe ds rgr de Hxrk	t kp @ vldyu fd; k x; k; k ugh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8-9)	11	
1	10XXXXXXXXXX1ZU	भागलपुर	2018-19	कानूनी ब्यय	1,21,365	18	21,846	0	21,846	नहीं	
2	10XXXXXXXXXX4ZJ	पटना विशेष	2018-19	माल भाड़ा	14,64,599	5	73,229	0	73,229	हाँ	
3			2019-20	कानूनी ब्यय	72,000	18	12,960	0	12,960	हाँ	
4			2020-21	माल भाड़ा	11,82,805	5	59,140	0	59,140	नहीं	
5			2020-21	कानूनी ब्यय	1,20,000	18	21,600	0	21,600	नहीं	
6	10XXXXXXXXXX1ZP	सुपौल	2019-20	राजस्व एवं सिग्नोरेज फी	93,310	18	16,796	0	16,796	हाँ	
7			2020-21	राजस्व एवं सिग्नोरेज फी	46,06,081	18	8,29,094	0	8,29,094	नहीं	
									10,34,665	10,34,665	

dky

IIKj'KV 2-39

1/4 aH%daMdk 2-4-8 1/4KII 1/2

t h l Vlvkj&1 dh rgyuk eat h l Vlvkj&9@3ch eadj n s rk dh de Loldfr

1/4M'k ₹ e42

Ø- l a	t h l Vlv/bZu	vpy dk ule	o"lZ	t h l Vlvkj&1 ds vuq kj dj n s rk	t h l Vlvkj&9@ t h l Vlvkj&3ch ds vuq kj dj n s rk	dj n s rk dh de Loldfr	eW; ltu@ t kp fd; k x; k ; k ugha
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8
1	10XXXXXXXXXX1Z0	गया	2019-20	1363,50,607	13,62,46,811	1,03,796	नहीं
2	10XXXXXXXXXX3ZG	पारलिपुत्र	2019-20	4243,54,801	41,91,40,702	52,14,099	हाँ
3	10XXXXXXXXXX1ZA		2018-19	403,08,453	3,79,97,138	23,11,315	हाँ
4			2019-20	509,11,668	4,83,36,287	25,75,381	हाँ
5			2020-21	517,00,947	4,98,80,844	18,20,103	नहीं
6	10XXXXXXXXXX1ZB		2018-19	602,45,356	5,57,75,698	44,69,658	हाँ
7			2019-20	251,71,576	2,41,74,912	9,96,664	हाँ
8			2020-21	5930,73,800	59,21,90,214	8,83,586	हाँ
9	10XXXXXXXXXX1Z8		2019-20	291,64,032	2,91,02,321	61,711	नहीं
10	10XXXXXXXXXX3ZG	पटना मध्य	2018-19	1189,11,232	11,43,96,556	45,14,676	नहीं
11	10XXXXXXXXXX2Z0		2019-20	569,91,660	5,65,87,530	4,04,130	नहीं
12	10XXXXXXXXXX1ZX	पटना सिटी पूर्वी	2018-19	702,65,455	6,97,43,787	5,21,668	हाँ
13			2019-20	1549,75,938	15,49,24,859	51,079	हाँ
14	10XXXXXXXXXX1ZY	पटना उत्तरी	2018-19	452,86,005	4,49,57,835	3,28,170	नहीं
15	10XXXXXXXXXX1Z3	पटना दक्षिणी	2018-19	99,76,568	97,39,328	2,37,240	हाँ

Ø- l a	t h l Vlv/bZu	vpy dk ule	o"iZ	t h l Vlv/kj&1 ds vud kj dj ns rk	t h l Vlv/kj&9@ t h l Vlv/kj&3ch ds vud kj dj ns rk	dj ns rk dh de Loldfr	eW; ldu@ t kp fd; k x; k ; k ugha
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8
16	10XXXXXXXXXX2ZN	पटना विशेष	2019-20	2867,10,844	28,48,05,391	19,05,453	हाँ
17			2020-21	1079,63,351	10,12,52,724	67,10,627	नहीं
18	10XXXXXXXXXX1ZA	समस्तीपुर	2018-19	3362,67,405	33,61,52,170	1,15,235	नहीं
19	10XXXXXXXXXX1ZV		2020-21	816,38,682	7,83,40,288	32,98,394	नहीं
20	10XXXXXXXXXX2ZB		2019-20	4908,62,783	49,06,13,148	2,49,635	नहीं
21	10XXXXXXXXXX1Z6		2020-21	347,20,108	3,32,29,569	14,90,539	हाँ
22			2019-20	320,89,069	3,16,43,388	4,45,681	हाँ
23			2020-21	211,67,126	1,99,53,272	12,13,854	नहीं
24	10XXXXXXXXXX4ZJ	शाहाबाद	2018-19	336,87,363	3,34,28,201	2,59,162	हाँ
25	10XXXXXXXXXX2Z3		2019-20	10061,26,021	99,66,41,525	94,84,496	नहीं
26		समस्तीपुर	2020-21	8394,57,540	82,22,86,218	1,71,71,322	नहीं
27	10XXXXXXXXXX1ZG		2018-19	5,22,800	0	5,22,800	नहीं
28	10XXXXXXXXXX2ZS	शाहाबाद	2018-19	838,40,459	7,89,96,189	48,44,270	नहीं
29			2019-20	1275,49,209	12,72,52,731	2,96,478	हाँ
dy				5,35,02,90,858	5,27,77,89,636	7,25,01,222	

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतियेदन

**IKJf'KV 2-40 1d1½
1/1 nH% dMck 2-4-8 1kM1½
dj dk de Hqrku**

Øe l 0	t h l VhvkZu	vpy dk uke	o"IZ	t h l Vhvkj&9@9l h ds vud lj dj ns rk	t h l Vhvkj&9@9l h kfydk&9, oa14½ ds vud lj dj Hqrku	dj dk de Hqrku	1/1 k r e½
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8
1	10XXXXXXXXXXXX1Z0	गया	2020-21	6,86,03,172	6,85,57,642	45,530	हाँ
2	10XXXXXXXXXXXX1Z2	पाटलिपुत्र	2020-21	90,90,50,894	87,93,54,750	2,96,96,144	नहीं
3	10XXXXXXXXXXXX1ZZ		2018-19	6,53,48,797	5,86,14,155	67,34,642	हाँ
4	10XXXXXXXXXXXX1ZK	पटना दक्षिणी	2019-20	1,23,08,676	1,21,89,385	1,19,291	हाँ
5	10XXXXXXXXXXXX1ZA	पटना विशेष	2019-20	32,67,04,916	32,61,12,293	5,92,623	नहीं
6	10XXXXXXXXXXXX1Z0		2018-19	2,91,72,949	2,91,67,281	5,668	नहीं
7			2019-20	2,98,99,462	2,98,89,420	10,042	नहीं
8	10XXXXXXXXXXXX1Z6		2019-20	2,40,13,426	2,39,14,392	99,034	नहीं
9			2018-19	2,57,66,372	2,56,93,414	72,958	नहीं
10	10XXXXXXXXXXXX2ZN		2019-20	29,61,16,623	29,55,81,568	5,35,055	हाँ
dy				1,78,69,85,287	1,74,90,74,300	3,79,10,987	

IKj f'KV 2-40 ¼k½
¼ nH% dMdk 2-4-8 ¼K%II½
dj dk de H%rku

Øe I Ø	t h l Vh/lbZu	vpy dk uke	o"Z	t h l Vh/lj & @9l h ds vuq lj dj ns rk	t h l Vh/lj & 3ch ds vuq lj dj H%rku	dj dk de H%rku	¼M'k ¼ e½ eW; k%lu@ t kp fd; k x; k; k ugh
1	10XXXXXXXXXXXXX1ZU	भागलपुर	2019-20	31,88,016	11,73,764	20,14,252	हाँ
2	10XXXXXXXXXXXXX2Z9	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	2019-20	559,44,649	5,59,40,686	3,963	हाँ
3	10XXXXXXXXXXXXX3ZG	पटना मध्य	2019-20	1119,30,144	10,93,93,398	25,36,746	हाँ
4			2020-21	1348,22,931	13,46,01,091	2,21,840	हाँ
5	10XXXXXXXXXXXXX1ZB		2020-21	881,06,029	8,68,02,619	13,03,410	हाँ
6	10XXXXXXXXXXXXX1Z2		2018-19	235,29,145	2,33,88,439	1,40,706	नहीं
7		पटना उत्तरी	2020-21	276,96,348	2,68,32,967	8,63,381	हाँ
8	10XXXXXXXXXXXXX1Z1		2018-19	367,19,800	3,59,14,551	8,05,249	नहीं
9			2019-20	284,77,460	2,84,53,536	23,924	नहीं
10			2020-21	364,26,030	3,60,93,465	3,32,565	हाँ
dy				54,68,40,552	53,85,94,516	82,46,036	

IKj'KV 2-41

1 aH% dMdk 2-4-8/IKMIF2

fjol Zpkt ZedfuTe dsrgr ns dj dk de Hkrku

यक र e

Ø-1 a	t h l VlvbZu	vpy dk ule	o"Z	t h l Vlvj&2, ds vud kj fjol Zpkt Z edfuTe dsrgr ns rk	t h l Vlvj&3ch vud kj fjol Zpkt Z edfuTe dsrgr dj Hkrku	vUrj	eW; ldu@ t kp fd; k x; k ; k ugh
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10XXXXXXXXXX1Z8	पाटलिपुत्र	2019-20	31,052	0	31,052	नहीं
2	10XXXXXXXXXX1ZW		2018-19	55,512	0	55,512	हाँ
3			2019-20	2,84,706	0	2,84,706	हाँ
4			2020-21	2,99,698	0	2,99,698	हाँ
5	10XXXXXXXXXX1ZA	पटना विशेष	2018-19	3,97,872	0	3,97,872	नहीं
6			2019-20	7,38,744	0	7,38,744	नहीं
7			2020-21	8,23,634	2,04,480	6,19,154	नहीं
8	10XXXXXXXXXX1Z4		2020-21	8,38,058	7,62,498	75,560	नहीं
9	10XXXXXXXXXX4ZJ		2018-19	18,342	0	18,342	हाँ
10			2019-20	14,993	0	14,993	हाँ
11			2020-21	13,790	0	13,790	नहीं
12	10XXXXXXXXXX1ZT		2018-19	8,55,106	0	8,55,106	नहीं
13			2019-20	37,95,248	0	37,95,248	नहीं
14	10XXXXXXXXXX1Z7	सासाराम	2019-20	2,136	0	2,136	हाँ
15			2020-21	10,314	0	10,314	हाँ
				81,79,205	9,66,978	72,12,227	
				dy			

कॉमिशन 2-42

अनुसूची 2-4-8/अनुसूची 2

संवर्धन व्यय का आधा

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	विवरण	वर्ष	विवरण	वर्ष	विवरण	वर्ष	विवरण
1	10XXXXXXXXXXIIZP	2018-19/ 2019-20	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	2018-19/ 2019-20	1,63,81,45,956	0	16,38,14,5956	8	हैं
2	10XXXXXXXXXX2Z0	2018-19/ 2019-20	पटना मध्य	2018-19/ 2019-20	2,55,400	0	2,55,400	8	नहीं
3	10XXXXXXXXXXIIZW	2018-19/ 2019-20	पटना सिटी पश्चिमी	2018-19/ 2019-20	0	-3,69,21,505	3,69,21,505	8	हैं
4		2019-20/ 2020-21		2019-20/ 2020-21	0	-17,76,067	17,76,067	8	हैं
5	10XXXXXXXXXXIIZU	2019-20/ 2020-21	पटना विशेष	2019-20/ 2020-21	1,09,54,19,788	57,86,88,051	51,67,31,737	8	हैं
कुल									2,19,38,30,665

IKj'KV 2-44
1/4 nH% dMdk 2-4-8 1/4 K%III 1/2
djnk'kvl } lj k C; kt dk de@H%rku u djuk

Ø- I a	t h l Vh/lbZu	vpy dk uke	o'WZ	udn east ek fd, x, dj dh j'k	foyE dh vof/k fnulaeZ	C; kt dh j'k	C; kt H%rku	ns C; kt	eW; ldu@ t lp fd; k x; k ; k ugh
1	10XXXXXXXXXXXX1ZQ	औरंगाबाद	2019-20	1,22,10,109	1 से 9	21,322		21,322	नहीं
2			2020-21	22,48,501	40	44,354	0	44,354	नहीं
3	10XXXXXXXXXXXX1ZY	भागलपुर	2018-19	2,61,32,601	5 से 132	6,22,354	4,18,874	2,03,480	नहीं
4			2019-20	5,94,81,350	1 से 15	2,34,923	1,07,121	1,27,802	हाँ
5			2020-21	8,10,29,949	1 से 10	2,60,916	1,78,820	82,096	हाँ
6	10XXXXXXXXXXXX2Z4	दानापुर	2018-19	9,30,45,685	1 से 11	2,29,690	0	2,29,690	नहीं
7	10XXXXXXXXXXXX1ZY	गया	2018-19	1,24,42,318	3 से 134	4,06,934	0	4,06,934	नहीं
8			2019-20	1,68,52,205	14 से 165	9,22,982	0	9,22,982	हाँ
9			2020-21	7,560	153	567	0	567	नहीं
10	10XXXXXXXXXXXX1ZE		2019-20	60,55,545	1 से 218	2,94,360	50,010	2,44,350	हाँ
11			2020-21	69,31,650	6 से 164	3,30,373	0	3,30,373	हाँ
12	10XXXXXXXXXXXX1Z4	गोपालगंज	2018-19	2,48,09,160	190 से 654	46,07,619	0	46,07,619	हाँ
13			2019-20	2,06,70,305	326 से 533	39,85,381	0	39,85,381	हाँ
14			2020-21	51,03,534	320 से 366	8,51,503	0	8,51,503	हाँ
15	10XXXXXXXXXXXX1Z5		2019-20	24,47,680	455	5,55,623	0	5,55,623	हाँ
16	10XXXXXXXXXXXX2Z1	हाजीपुर	2018-19	1,05,25,015	4 से 97	2,23,357	0	2,23,357	नहीं
17			2019-20	47,04,635	55 से 300	4,68,706	0	4,68,706	नहीं
18	10XXXXXXXXXXXX2Z9	मुजफ्फरपुर	2018-19	28,02,239	93 से 139	1,61,498	0	1,61,498	नहीं
19		पश्चिमी	2019-20	9,10,985	21 से 42	11,490	0	11,490	हाँ
20			2020-21	17,02,761	3 से 106	69,873	0	69,873	हाँ
21	10XXXXXXXXXXXX1ZZ	पाटलिपुत्र	2019-20	8,51,07,080	3 से 109	8,85,371	0	8,85,371	नहीं
22			2020-21	1,05,12,215	2 से 55	93,426	0	93,426	नहीं
23	10XXXXXXXXXXXX1ZW		2019-20	46,99,575	82	1,90,043	0	1,90,043	हाँ
24			2020-21	72,31,182	28 से 65	1,77,537	0	1,77,537	हाँ
25	10XXXXXXXXXXXX1ZZ		2018-19	1,81,71,212	1 से 35	47,187	0	47,187	हाँ
26	10XXXXXXXXXXXX1ZV		2018-19	2,09,85,115	1 से 4	18,022	0	18,022	हाँ
27			2019-20	57,83,865	3 से 66	12,184	0	12,184	हाँ
28			2020-21	1,90,28,772	2 से 37	1,33,847	0	1,33,847	हाँ

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Ø- l a	t h l Vh/abZ u	vpy d k ute	o"iZ	udn eat ek fd, x, dj dh jk'k	foytic dh vof/k ½mulse½	C; kt dh jk'k	C; kt Hogrrku	ns C; kt	eW; kx; k ; k ugha fd; k x; k ; k ugha
29	10XXXXXXXXXX1ZL	पटना मध्य	2018-19	10,09,156	271 से 330	1,63,341	0	1,63,341	नहीं
30	10XXXXXXXXXX1ZX	पटना सिटी पूर्वी	2018-19	77,33,145	1 से 22	29,114	0	29,114	हाँ
31			2019-20	2,58,35,670	1 से 43	54,033	0	54,033	हाँ
32			2020-21	1,65,36,979	1 से 22	53,538	0	53,538	नहीं
33	10XXXXXXXXXX1Z6		2018-19	4,15,843	1 से 23	1,631	0	1,631	नहीं
34			2019-20	8,47,511	14	5,851	0	5,851	नहीं
35			2020-21	1,14,34,997	1 से 7	9,761	0	9,761	हाँ
36	10XXXXXXXXXX1ZK	पटना दक्षिणी	2019-20	9,43,725	15	6,981	0	6,981	हाँ
37			2020-21	14,70,866	2 से 4	1,451	0	1,451	हाँ
38	10XXXXXXXXXX1Z6	पटना विशेष	2018-19	1,31,90,725	1 से 38	66,402	0	66,402	नहीं
39			2019-20	1,58,56,258	1 से 24	52,538	0	52,538	नहीं
40	10XXXXXXXXXX2ZB		2020-21	98,79,914	3	14,617	0	14,617	हाँ
41	10XXXXXXXXXX2ZN		2020-21	14,46,752	25	17,838	0	17,838	नहीं
42	10XXXXXXXXXX1ZX		2018-19	61,27,691	1 से 110	2,57,397	0	2,57,397	नहीं
43			2019-20	1,13,51,188	7 से 34	72,227	0	72,227	नहीं
44			2020-21	78,07,948	2 से 55	11,507	0	11,507	नहीं
45	10XXXXXXXXXX4ZJ		2018-19	19,63,183	3 से 9	5,448	0	5,448	हाँ
46			2019-20	14,00,148	4 से 104	25,725	0	25,725	हाँ
47			2020-21	57,42,309	1 से 57	62,213	0	62,213	नहीं
48	10XXXXXXXXXX1ZP	सहरसा	2018-19	7,33,876	100 से 283	71,809	0	71,809	नहीं
49			2019-20	5,05,839	132	32,928	0	32,928	हाँ
50			2020-21	78,406	101	3,615	0	3,615	नहीं
51	10XXXXXXXXXX2ZS	शाहाबाद	2018-19	2,03,92,617	189 से 192	19,09,960	0	19,09,960	नहीं
52			2019-20	78,37,727	2 से 146	3,56,715	0	3,56,715	हाँ
53			2020-21	6,17,24,086	2 से 87	16,57,135	0	16,57,135	हाँ
54	10XXXXXXXXXX1ZP	सुपौल	2020-21	33,88,841	16 से 26	35,699	0	35,699	नहीं
					74,71,82,409	2,08,40,916	7,54,825	2,00,86,091	

dy

कृषि कृषि 3-1
अनुसूची 3-3½
एक एक वृक्ष के एक एक एक

क्र. सं.	विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राष्ट्रीय उच्च पथ 527-सी, सीतामढ़ी का निर्माण / (बौद्धिकरण / चार लेन बनाना)	सिमयाही	4.251	08.06.2020	2,60,39,957	7,81,19,871	10,41,59,829	2,60,39,958	1,240	1,02,06,422		
2.		हरदिया	3.345	08.06.2020	1,95,19,940	5,85,59,820	7,80,79,760	1,95,19,940	1,240	76,50,881		
3.		झंझट	5.448	08.06.2020	4,28,56,527	12,85,69,581	17,14,26,108	4,28,56,527	1,240	1,67,97,703		
कुल												3,46,55,006

*मुआवजा = [जमीन का बाजार मूल्य X गुणन कारक (2)] + [जमीन का बाजार मूल्य X गुणन कारक (2)] का 100 प्रतिशत

कृ.सं. 3-2

3-4½

यू.ए.सी.ए.ई. संख्या 327-ई (पैकेज-1) गलगलिया से बहादुरगंज-4 लेन

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	कुल व्यय (₹)	कुल आय (₹)	कुल शेष (₹)
1	जिला भू-अर्जन कार्यालय, किशनगंज	1	17,650.00	25,593.00	8,943.00
2	जिला भू-अर्जन कार्यालय, जहानाबाद	35	11,30,825.00	16,39,698.00	5,08,873.00
3	जिला भू-अर्जन कार्यालय, छपरा	28	2,88,925.88	4,18,942.39	1,30,016.51
4	जिला भू-अर्जन कार्यालय, शेखपुरा	33	1,11,899.70	1,62,254.40	50,354.70
5	जिला भू-अर्जन कार्यालय, दरभंगा	22	11,395.61	16,519.22	5,123.61
6	जिला भू-अर्जन कार्यालय, भभुआ, कैमुर	25	9,37,381.75	13,59,204.85	4,21,823.10
7	जिला भू-अर्जन कार्यालय, गया	22	1,29,285.00	1,87,463.25	58,178.25
8	जिला भू-अर्जन कार्यालय, नालन्दा	6	30,94,300.00	44,86,736.00	13,92,436.00
9	जिला भू-अर्जन कार्यालय, बक्सर	25	2,96,342.21	4,29,697.13	1,33,354.92
10	जिला भू-अर्जन कार्यालय, मुंगेर	29	4,14,450.00	6,00,955.00	1,86,505.00
11	जिला भू-अर्जन कार्यालय, पूर्णिया	55	1,57,932.00	2,28,857.00	70,925.00
12	जिला भू-अर्जन कार्यालय, नवलपरासी	4	14,905.75	21,613.00	6,707.25
13	जिला भू-अर्जन कार्यालय, सुपौल	4	44,054.75	63,879.00	19,824.25
14	जिला भू-अर्जन कार्यालय, अररिया	7	13,938.25	20,211.00	6,272.75
15	जिला भू-अर्जन कार्यालय, वैशाली	37	1,31,634.82	1,89,565.53	57,930.71

Ø- I a	bdlbZdk ule	: l̥t uk@ifj; l̥t uk dlk ule	e l̥t k dlh I d̥; k	25 o"ll̥t ds fy, Hw̥e fdjk k dlk i p̥ld̥r̥ e w̥;	145 Afr'kr dh nj I s Hw̥e dsfdjk sij mi dj dh j l̥t' k
10	जिला भू-अर्जन कार्यालय, रोहतास	राष्ट्रीय राजमार्ग-2 का 6-लेन चौड़ीकरण	14	2,75,066.00	4,43,156.25
11	निदेशालय पटना	समर्पित फ्रंट कॉरिडोर आर.ओ.एफ.- I और II के आवंटन का विवरण हाजीपुर सुगौली नई रेलवे लाइन भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना	9 1 2	1,04,290.00 1,69,900.00 7,813.00	1,51,220.50 2,46,355.00 11,328.85
12	जिला भू-अर्जन कार्यालय, अररिया	अररिया से गलगलिया तक नई रेल लाइन 45वीं सशस्त्र सीमा बल 52वीं बटालियन, सशस्त्र सीमा बल 56वीं बटालियन, सशस्त्र सीमा बल	36 1 13 13	3,60,675.00 1,675.00 46,300.00 17,425.00	5,22,978.75 2,428.75 67,135.00 25,266.25
13	जिला भू-अर्जन कार्यालय, मुंगेर	गंगा रेल-सह-सड़क पुल पहुँच मार्ग मुंगेर से मिर्जाचौकी, फोर लेन मुंगेर से मिर्जाचौकी, फोर लेन	22 16 20	13,776.00 39,595.00 37,786.00	19,974.00 57,417.00 54,562.00
14	जिला भू-अर्जन कार्यालय, नवादा	राष्ट्रीय राजमार्ग-82 के लिए अधिग्रहित भूमि और वसूले गए किराये का मौजवार विवरण	47	51,662.64	74,911.19
			527	79,20,884.36	1,15,27,922.31

Ø- I a	dlk lÿ; dkl ule	Vlctu l a@ nLrloxt l a	nLrloxt fu'lnu dh frfkk	Hfe dkl {le-Qy M fey eæ½	fcØh nLrloxt dsvud lÿ eæ½;	, eolv lÿ dsvud lÿ Hfe dkl l gh nj M fr fm fey½	, eolv lÿ dsvud lÿ eæ½;	ns epæd 'læd 'æfr'kr ea epæd 'læd, oa vfrfjDr epæd 'læd dlh nj ½	HØr epæd 'læd	epæd 'læd dkl de ol yh	fucæku Qh ns 'æfr'kr enafucæku Qh ½	HØr fucæku Qh	fucæku Qh de ol yh	epæd 'læd , oafucæku Qh dh dgy de ol yh	Vli. kh Mlctu l a@ nLrloxt l l; k l s l æ/kr½
10	अवर निबंधक, बगहा	6967/6823	15.12. 2020	50.72	17,76,000	2,23,000	1,11,58,000	8,92,672(6+2)	2,17,280	7,50,601	2,23,168(2)	5,43,220	1,87,650	9,38,251	255/268
11	अवर निबंधक, मिरगंज	4366/3979	30.07. 2018	15	9,90,000	4,00,000	60,00,000	4,80,000(6+2)	79,200	4,00,800	1,20,000(2)	19,800	1,00,200	5,01,000	3871/3693
12	जिला अवर निबंधक, मोतिहारी	5701	16.04. 2022	150	1,35,00,000	6,00,000	4,50,00,000	27,00,000(6)	8,10,000	18,90,000	9,00,000(2)	2,70,000	6,30,000	25,20,000	लोज दस्तावेज
13	जिला अवर निबंधक, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	23765/22803	21.10. 2021	58.125	11,63,000	4,00,000	2,32,50,000	18,60,000(6+2)	93,040	17,66,960	4,65,000(2)	23,260	4,41,740	22,08,700	25701/24157
14	अवर निबंधक, फुलवरिया	746/1934	20.01. 2022	37.5	9,38,000	2,50,000	9,375,000	7,50,000(6+2)	75,038	6,74,962	1,87,500(2)	18,777	1,68,723	8,43,685	808/2750
15	जिला अवर निबंधक, गया	21382/20599	17.09. 2021	22.64	22,64,000	4,00,000	9056,000	7,24,480(6+2)	181,120	5,43,360	1,81,120(2)	45,280	1,35,840	6,79,200	21383/20854
16	जिला अवर निबंधक, सासाराम	3676/3544	26.08.1209	36.26	9,43,000	3,20,000	1,16,03,200	6,61,382(5.7)	53,751	6,07,631	2,20,461(1.9)	17,917	2,02,544	8,10,175	3724/3588
17	जिला अवर निबंधक, पूर्णिया	1622/1574	2021	401.15	33,53,000	49,000	98,28,175	89,690.5 (6)	2,00,985	3,88,705.5	1,96,563.5(2)	67,000	1,29,563.5	5,18,269	177/167
18	अवर निबंधक, फर्रुखगंज	13821/13419	17.06. 2022	14	76,60,000	13,89,000	1,94,46,000	14,97,342(5.7+2)	5,90,820	9,06,522	3,69,474(1.9)	1,46,540	2,22,934	11,29,456	14047/15075
19	जिला अवर निबंधक, पटना, सदर	18401/17687	06.08. 2022	10	50,60,000	2,00,000	1,03,80,000	7,99,260(5.7+2)	3,89,620	4,09,640	1,97,220(1.9)	96,140	1,01,080	5,10,720	18795/18091
20	जिला अवर निबंधक, जमुई	10703/10488	29.06. 2022	93.75	84,40,000	3,00,000	1,87,50,000	15,00,000(6+2)	6,75,200	8,24,800	3,75,000(2)	1,68,800	2,06,200	10,31,000	11000/10752
21	अवर निबंधक, पटना सिटी	5159/5065	29.03. 2023	82	20,50,000	1,50,000	2,46,00,000	19,68,000(6+2)	1,64,000	18,04,000	4,92,000(2)	41,000	4,51,000	22,55,000	5391/5225
22	जिला अवर निबंधक, पूर्णिया	4708/4582	15.03. 2022	100	40,80,000	1,50,000	1,50,00,000	9,00,000(6)	2,44,800	6,55,200	3,00,000(2)	81,700	2,18,300	8,73,500	5469/5313
23	जिला अवर निबंधक, फर्रुखगंज	4582/4458	14.03. 2022	26.25	42,00,000	4,60,000	1,20,75,000	9,66,000(6+2)	3,36,000	6,30,000	2,41,500(2)	84,200	1,57,300	7,87,300	6791/6624
24	जिला अवर निबंधक, फर्रुखगंज	19854/18993	11.12. 2021	45.2	22,38,000	1,75,000	79,10,000	4,98,330(6.3)	1,57,618	3,40,712	1,66,110(2.1)	53,256	1,12,854	4,53,566	19896/
25	जिला अवर निबंधक, फर्रुखगंज	19855/18994	11.12. 2021	29	27,24,000	1,75,000	50,75,000	3,04,500(6+2)	95,760	2,08,740	1,01,500(2)	31,920	69,580	2,78,320	19076
26	जिला अवर निबंधक, फर्रुखगंज	2347/2142	25.03. 2017	94	2,17,00,000	4,37,000	4,10,78,000	32,86,240(6+2)	17,37,000	15,49,240	8,21,560(2)	4,35,000	3,86,560	19,35,800	2404/2183
27	जिला अवर निबंधक, पटना, सदर	10157/9948	05.11. 2018	34	58,65,000	5,75,000	1,95,50,000	15,64,000(6+2)	4,69,200	10,94,800	3,91,000(2)	1,17,300	2,73,700	13,68,500	4465/4265
28	जिला अवर निबंधक, पटना, सदर	12921/11703	03.08.2022	12.5	221,60,000	35,00,000	4,41,50,000	35,32,000(6+2)	17,73,800	17,58,200	8,83,000(2)	4,44,200	4,38,800	21,97,000	13435/12209
29	जिला अवर निबंधक, जमुई	3354/3303	09.07. 2020	34	76,35,000	9,00,000	3,06,00,000	24,48,000(6+2)	6,10,800	18,37,200	6,12,000(2)	1,52,700	4,59,300	22,96,500	5528/5399
30	जिला अवर निबंधक, जमुई	9924/9734	12.09. 2022	59	11,80,000	1,60,000	94,40,000	5,66,400(6)	70,800	4,95,600	1,88,800(2)	23,600	1,65,200	6,60,800	10094/9898
31	जिला अवर निबंधक, पटना सिटी	10549/10393	23.08. 2022	12.5	45,00,000	15,79,500	1,97,43,750	15,79,500(6+2)	3,60,000	12,19,500	3,94,875(2)	90,000	3,04,875	15,24,375	12482/12293
32	जिला अवर निबंधक, पटना सिटी	2881/2830	17.05. 2023	3.125	11,25,000	20,65,500	64,54,688	4,97,010.97(5.7+2)	86,625	4,10,385.97	1,22,639(1.9)	21,375	1,01,264	5,11,650	3802/3733
dgy															4,28,24,419

(स्रोत: मद्यनिबंध, उत्पाद एवं निबंधन (निबंधन) विभाग, बिहार सरकार)

*टिप्पणी: मुद्रांक शुल्क, अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की दर निबंधित दस्तावेजों में भूमि के प्रकार के आधार पर बदलता है।

ifj'k'V 4-2

1/4 anH% dMdk 4-3 1/4 1/2

I Ei fÜk ds xy r ox iZ j . k ds dk j . k eqmZ 'k' d , oafucaku QH dh de ol y h

Ø0 I Ø	dk; k; dk ule	fueZk dk eW; k d a u 1/4 eobv/ j ds vuq kj 1/2 1/4 1/2	ifj l hek dk eW; k d a u 1/4 Lr k o t ds vud kj 1/2 1/4 k 1/2	I á fÜk dk eW; k d a u 1/4 Lr k o t ds vud kj 1/2 1/4 S [k 1/2	5 Áfr'kr dh nj I svoeW; u dk eW; 1/4 Lr k o t ds vud kj 1/2 1/4 1/2	Hwe dk eW; 1/4 Lr k o t ds vud kj 1/2 1/4 k 1/2	voeW; u ds ckn okLrfod fopkj k u t eW; 1/4 S [k S x & ? k 1/2	10 Áfr'kr dh nj I sns eqmZ 'k' d l vfrj Dr eqmZ 'k' d , oafucaku QH	HDr eqmZ 'k' d vfrj Dr eqmZ 'k' d , oafucaku QH	de ol y h
1	जिला अवर निबंधक, गया	14,63,11,440	2,00,000	14,65,11,440	73,25,572	1,66,68,000	15,58,53,868	1,55,85,387	1,38,70,000	17,15,387
dy										17,15,387

कृषि कृ 4-3
अनुसूची 4-3

यसकी = दसखर ओखल.क दसल.क एकाद 'ल'द , ओफुकाकु कुल ध दे ओ य

ल'क ₹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Ø- l a	xp d uke	Vl a@ nLrot l a	nLrot ds dk; u dh frffk	Hfe dk le-Qy M fey e	foØ; nLrot ds vud e; ltu 35000@ ₹ 20000 dh nj l ½	, eolvj ds vud lj Hfe dk l gh nj ½fr M fey ½	, eolvj ds vud lj l gh e; ltu	ns epkd 'l'd epkd 'l'd , oa vfrfjDr epkd 'l'd dk 8* ½fr'kr e	HDr epkd 'l'd 'l'd	epkd dh 'l'd dh de ol y	ns fucaku QH ½fucaku QH dh nj ½fr'kr e	HDr fucaku QH	fucaku QH dh de ol y	epkd 'l'd , oafucaku QH dh de ol y dh dy j'k							
1	बुधौल	17247 611	17.01.2023	197	68,95,000	1,75,000	3,44,75,000	27,58,000	5,51,600	22,06,400	6,89,500	1,37,900	5,51,600	27,58,000							
		17248 610	17.01.2023	463	1,62,05,000	1,75,000	8,10,25,000	64,82,000	12,96,400	51,85,600	16,20,500	3,24,100	12,96,400	64,82,000							
		17246 612	17.01.2023	317	1,10,95,000	1,75,000	5,54,75,000	44,38,000	8,87,600	35,50,400	11,09,500	2,21,900	8,87,600	44,38,000							
		11609 11431	10.08.2023	125	43,75,000	1,75,000	2,18,75,000	17,50,000	3,50,000	14,00,000	4,37,500	87,500	3,50,000	17,50,000							
		14148 15406	08.11.2023	66	23,10,000	1,75,000	1,15,50,000	9,24,000	1,84,800	7,39,200	2,31,000	46,200	1,84,800	9,24,000							
		14152 15408	08.11.2023	101	35,35,000	1,75,000	1,76,75,000	14,14,000	2,82,800	11,31,200	3,53,500	70,700	2,82,800	14,14,000							
2	ननौरा	2612 2946	04.03.2023	37.50	7,50,000	90,000	33,75,000	2,70,000	60,000	2,10,000	67,500	15,000	52,500	2,62,500							
dy													45,09,000	9,03,300	36,05,700	1,80,36,000	1,44,22,800	36,13,200	9,03,300	36,05,700	1,80,28,500

(स्रोत: मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन (निबंधन) विभाग, बिहार सरकार)

(टिप्पणी: मुद्रांक शुल्क, छः प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क 2 प्रतिशत की दर से एवं निबंधन फीस 2 प्रतिशत की दर से)

ifj' kV 5-1
¼ nH% dMdk 5-5-1½
jKt; l kZ fud {k= m | eadh fooj. kh

00 l 0	jKt; l kZ fud {k= m e	vfhk ää
Ät kZ{k= dh , l Oi k0, l Ob0		
1	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील
2	बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड	कार्यशील
3	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	कार्यशील
4	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	कार्यशील
5	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	कार्यशील
6	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	कार्यशील
7	पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	कार्यशील
8	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	कार्यशील
9	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	कार्यशील
-f'k , oal a) {k= dh , l Oi k0, l Ob0		
10	बिहार राज्य भण्डार निगम	कार्यशील
11	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	कार्यशील
12	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	कार्यशील
13	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	कार्यशील
14	बिहार राज्य एग्री औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
15	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
16	स्काडा एग्री बिजनेस कम्पनी लिमिटेड, पटना	अकार्यशील
17	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	अकार्यशील
18	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	अकार्यशील
19	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
20	बिहार कीटनाशक लिमिटेड (क्र0सं0 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
21	स्काडा एग्री बिजनेस कम्पनी लिमिटेड, डेहरी (क्र0सं0 16 की अनुषंगी)	अकार्यशील
22	स्काडा एग्री बिजनेस कम्पनी लिमिटेड, औरंगाबाद (क्र0सं0 16 की अनुषंगी)	अकार्यशील
23	स्काडा एग्री बिजनेस कम्पनी लिमिटेड, मोहनियाँ (क्र0सं0 16 की अनुषंगी)	अकार्यशील
24	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड (क्र0सं0 26 की अनुषंगी)	अकार्यशील
25	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	अकार्यशील
26	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
27	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड (क्र0सं0 26 की अनुषंगी)	अकार्यशील
28	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड (क्र0सं0 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
vU , l Oi k0, l Ob0		
29	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	कार्यशील
30	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	कार्यशील
31	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	कार्यशील
32	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	कार्यशील
33	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	कार्यशील
34	बिहार राज्य वित्तीय निगम	कार्यशील
35	बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	कार्यशील
36	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	कार्यशील
37	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	कार्यशील
38	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील
39	बिहार षहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	कार्यशील

क्र.सं.	कंपनी का नाम	वर्ग
40	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	कार्यशील
41	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील
42	बिहार स्टेट बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील
43	बिहार स्टेट माइनिंग निगम लिमिटेड	कार्यशील
44	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	कार्यशील
45	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील
46	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	कार्यशील
47	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	कार्यशील
48	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यशील
49	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यशील
50	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यशील
51	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यशील
52	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	कार्यशील
53	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
54	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	अकार्यशील
55	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	अकार्यशील
56	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
57	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	अकार्यशील
58	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
59	मगध मिनरल लिमिटेड (क्र०सं० 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
60	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड (क्र०सं० 41 की अनुषंगी)	अकार्यशील
61	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड (क्र०सं० 41 की अनुषंगी)	अकार्यशील
62	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड (क्र०सं० 41 की अनुषंगी)	अकार्यशील
63	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
64	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड (क्र०सं० 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
65	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड (क्र०सं० 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
66	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	अकार्यशील
67	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड (क्र०सं० 56 की अनुषंगी)	अकार्यशील
68	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड (क्र०सं० 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
69	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड (क्र०सं० 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
70	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड (क्र०सं० 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
71	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड (क्र०सं० 56 की अनुषंगी)	अकार्यशील
72	कुमारघुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (क्र०सं० 58 की अनुषंगी)	अकार्यशील-परिसमापन के अधीन
73	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड (क्र०सं० 74 की अनुषंगी)	अकार्यशील-परिसमापन के अधीन
74	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील-परिसमापन के अधीन
75	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	अकार्यशील-परिसमापन के अधीन
76	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	अकार्यशील-परिसमापन के अधीन

स्रोत : एस०पी०एस०ई० द्वारा दी गई सूचनाएँ

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विवरण	वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	बिहार स्टेट माइनिंग निगम लिमिटेड	2018-19	20.00	0.00	-1.93	-1.93	6.14	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	0.72
29	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	5.00	0.00	7.03	5.93	10.90	29.35	29.35	29.35	29.35	29.35	24.35
30	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	6.67	0.00	3.18	2.30	29.01	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03	12.36
31	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	2022-23	1,322.50	1,607.08	12.22	8.64	0.00	1,332.75	2,939.83	10.25	10.25	10.25	10.25
32	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2014-15	0.48	0.00	63.32	63.32	335.80	397.23	397.23	396.75	396.75	396.75	396.75
33	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
34	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	0.10	0.00	0.00	0.00	2.72	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00
35	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	0.10	0.00	0.04	0.03	0.00	0.13	0.13	0.03	0.13	0.13	0.03
36	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	0.10	0.00	0.03	0.02	0.00	-0.04	-0.04	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
37	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2018-19	101.28	0.00	-144.10	-144.10	64.47	-2,073.16	-2,073.16	-2,174.44	-2,174.44	-2,174.44	-2,174.44
	द्वय 1/1 1/2		1,771.38	1,891.23	102.03	54.46	1,890.09	620.35	2,511.58	-1,151.03	620.35	2,511.58	-1,151.03
	द्वय ; द्वय 1/1+C+1 1/2		43,913.80	18,231.44	-1,550.94	-1,832.49	26,330.68	19,973.36	38,204.80	-23,940.44	19,973.36	38,204.80	-23,940.44

ijf'KV 5-3
¼ nH% dMdk 5-9-2½
30 fl rEj 2023 rd l fpr gfu; koky, l oi10, l 0bD dsuohure vftreldr yf kvkads
vud kj l fkr foYkr, flFkr, oadk; Zkjh ifj. ke

Ø0 l Ø	, l oi10, l 0bD dsuke	yf kvkads dh voof/k	o'kft l ea vftreldr fd; k x; k	C; kt , oadj dsi 'pk~ 'kj yHk@ gfu	inYk i v h	nl%k/k _ .k	l fpr gfu	fu; kft r i v h	fuoy ew;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l j dljh dE fu; k									
v	Åt k {k= dh , l oi10, l 0bD								
1	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	2022-23	-25.35	99.04	1,014.10	228.31	884.83	-129.27
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	2022-23	-2.79	4,812.96	0.00	4,235.92	577.04	577.04
3	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2022-23	2023-24	-243.01	13,701.38	3,223.96	6,942.48	9,982.86	6,758.90
4	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	-1,287.60	13,305.02	3,965.10	12,602.16	4,667.96	702.86
5	पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	2021-22	0.00	0.01	0.00	0.04	-0.03	-0.03
6	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	2021-22	0.00	0.01	0.00	0.04	-0.03	-0.03
dy ¼½				-1,558.75	31,918.42	8,203.16	24,008.95	16,112.63	7,909.47
c	dfk , oal x) {k= dh , l oi10, l 0bD								
7	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2013-14	2022-23	-348.83	5.39	2,320.41	461.87	1,863.93	-456.48
8	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2012-13	2022-23	7.74	3.71	72.65	45.30	31.06	-41.59
dy ¼½				-341.09	9.1	2,393.06	507.17	1,894.99	-498.07

(₹ करोड़ में)

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विवरण	वर्ष	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
1	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2019-20	2023-24	2022-23	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
9	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2019-20	2022-23	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	
10	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2019-20	2022-23	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	
11	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2023-24	2022-23	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
12	बिहार राज्य वित्त निगम लिमिटेड	2019-20	2023-24	2022-23	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
13	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2020-21	2022-23	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21
14	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2018-19	2022-23	2020-21	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19
	कुल															
	कुल															

संशोधित जानकारी के लिए किसी भी एसओएसआई के पास मुक्त संचय नहीं थे

i f j f' KV 5-4

1/2 nH% dMdk 5-11 , oa5-12-2½

30 fl rEj 2023 rd jkT; l kZ fud {k= m| eakdsuohure vfurehDr ys[kkvlk
ds vuq kj cdk; k ys[kkvlk l sl EcfUkr fooj.kh

Ø0 l Ø	, l Oi lØ, l ObØ dk ule	o"kt gk l s ys[k cdk; k eagS	cdk; k ys[kkvlk dh l d; k
v	dk Zhy l jdkjh dEi fu; k		
1	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2022-23	1
2	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5
3	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20 से 2022-23	4
4	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2013-14 से 2022-23	10
5	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2003-04 से 2022-23	20
6	बिहार स्टेट बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3
7	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3
8	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22 और 2022-23	2
9	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2019-20 से 2022-23	4
10	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3
11	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2014-15 से 2022-23	9
12	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17 से 2022-23	7
13	बिहार राज्य माइनिंग निगम लिमिटेड	2019-20 से 2022-23	4
14	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2016-17 से 2022-23	7
15	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड ¹	2019-20 से 2022-23	4
16	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2022-23	1
17	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2022-23	1
18	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड ²	2020-21 से 2022-23	3
19	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2021-22 और 2022-23	2
20	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2015-16 से 2022-23	8
21	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17 से 2022-23	7
22	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20 से 2022-23	4
23	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3
24	पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3
25	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	1
26	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	2022-23	1
27	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	1
	dy 1/2		121

¹ बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक अपना समेकित वार्षिक वित्तीय लेखाओं को तैयार नहीं किया है तथा कम्पनी ने वर्ष 2020-21 तक केवल पृथक वार्षिक वित्तीय लेखा को तैयार किया है।

² बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक अपना समेकित वार्षिक वित्तीय लेखाओं को तैयार नहीं किया है। कम्पनी ने वर्ष 2020-21 तक केवल पृथक वार्षिक वित्तीय लेखा को तैयार किया है।

Ø0 l 0	, l 0i 10, l 0b0 dk ule	o"kt gk l s ys k cdk k eagS	cdk k ys kvks dh l d ; k
c	l jdkj fu; f-r vU; dk Zkhy dEi fu; k		
1	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22 और 2022-23	2
2	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3
3	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22 और 2022-23	2
4	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3
	dy 1/2		10
l	dk Zkhy l kof/kd fuxea		
1	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2021-22 और 2022-23	2
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2019-20 से 2022-23	4
3	बिहार राज्य भण्डार निगम	2019-20 से 2022-23	4
	dy 1/2		10
n	vdk Zkhy l jdkjh dEi fu; k		
1	बेल्द्रॉन इन्फॉरमेटिक्स लिमिटेड	01.03.1988* से 2022-23	35
2	बेल्द्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1991-92 से 2022-23	32
3	बेल्द्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1990-91 से 2022-23	33
4	बिहार ड्रग्स एवं रसायन लिमिटेड	1986-87 से 2022-23	37
5	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	2015-16 से 2022-23	8
6	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983-84 से 2022-23	40
7	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987-88 से 2022-23	36
8	बिहार मेज प्रोडक्ट लिमिटेड	1984-85 से 2022-23	39
9	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1985-86 से 2022-23	38
10	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986-87 से 2022-23	37
11	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1993-94 से 2022-23	30
12	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	1977-78* से 2022-23	46
13	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04 से 2022-23	20
14	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1998-99 से 2022-23	25
15	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2003-04 से 2022-23	20
16	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड	1986-87 से 2022-23	37
17	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984-85 से 2022-23	39
18	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2011-12 से 2022-23	12
19	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	2002-03 से 2022-23	21
20	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986-87 से 2022-23	37
21	बिहार राज्य सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1987-88 से 2022-23	36
22	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985-86 से 2022-23	38
23	बिहार राज्य टैनिन एक्सट्रेक्ट लिमिटेड	1989-90 से 2022-23	34
24	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988-89 से 2022-23	35
25	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 2022-23	44
26	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1986-87 से 2022-23	37
27	मगध मिनरल्स लिमिटेड	1984-85* से 2022-23	39

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थापना से 2022-23 तक का अवधि	वर्षों की संख्या
28	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2015-16 से 2022-23	8
29	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी औरंगाबाद लिमिटेड	1993-94* से 2022-23	30
30	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी डेहरी लिमिटेड	1993-94* से 2022-23	30
31	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी मोहनियाँ लिमिटेड	1993-94* से 2022-23	30
32	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1984-85 से 2022-23	39
33	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1985-86 से 2022-23	38
34	बिहार राज्य एग्रो औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2022-23	01
कुल			1,061
बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड			
1	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1992-93 से	--
2	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर कॉरपोरेशन लिमिटेड	1984-85 से	--
3	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1983-84 से	--
4	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1991-92 से	--
5	कुमास्थुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	1995-96 से	--
कुल			--
कुल			1,202

स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर
* स्थापना के बाद से कम्पनी ने अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।

संक्षिप्ताक्षरों की
शब्दावली

I {krk}kj dh 'knkoyh

I kōž fud {k= m e	
I {krk}kj	i wZ: i
ए0सी0वाई0डी0	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
ए0जी0	महालेखाकार
ए0जी0एम0	वार्षिक सामान्य बैठक
ए0एम0ए0एस0आर0	प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958
ए0एस0आई0	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ए0टी0एन0	कार्यावाही टिप्पणी
बी0एफ0आर0	बिहार वित्तीय नियमावली
बी0जी0	बैंक गारंटी
सी0ए0जी0	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
कोपू	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धित समिति
डी0आई0ई0टी0	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
डी0एल0पी0	दोष दायित्व अवधि
ई0बी0आई0टी0	ब्याज एवं करों से पूर्व की आय
जी0सी0ओ0सी0	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ
जी0ओ0बी0	बिहार सरकार
जी0एस0डी0पी0	राज्य सकल घरेलू उत्पाद
एच0एल0आर0सी0सी0	उच्च स्तरीय प्रबलित कंक्रीट सीमेंट
एम0ए0	मोबिलाइजेशन अग्रिम
एन0एम0ए0	राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
एन0ओ0सी0	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एन0एस0सी0	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
ओ0बी0सी0	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
पी0एन0बी0	पंजाब नेशनल बैंक
पी0एस0यू0एस0	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
आर0ए0 बिल्स	चालू खाता विपत्र
आर0सी0डी0	पथ निर्माण विभाग
आर0ओ0सी0ई0	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल
आर0ओ0ई0	अंश पूँजी पर प्रतिफल
एस0बी0डी0	मानक बोली दस्तावेज
एस0डी0	सुरक्षा जमा
एस0पी0एस0ई0	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
यू0बी0आई0	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag/bihar/hi>

